मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2014 सत्र

गुरुवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2014

तारांकित प्रश्नोत्तर

<u>सिंहस्थ 2016 में स्वीकृत निर्माण कार्य</u>

1. **(*क्र. 1017) श्री सतीश मालवीय** : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ कार्य 2016 के तहत आज दिनॉक तक कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं कितने कार्य निर्माणाधीन है तथा कितने पूर्ण हो चुके हैं एवं कितने निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण हो रहे हैं एवं कितने कार्य स्वीकृति के पश्चात् भी प्रारंभ नहीं हुए हैं ? (ख) क्या यह सही है कि घट्टिया विधानसभा क्षेत्र में सिंहस्थ मद अंतर्गत स्वीकृत सड़क उज्जैन-बड़नगर (खेड़ापति हनुमान से गोनसा-सोड़ंग उन्हेल मार्ग) निर्माण कार्य शुरू हाने के पश्चात् निरस्त कर दिया गया ? यदि हॉ, तो किस कारण निरस्त किया गया ? (ग) उक्त निरस्त मार्ग सिंहस्थ के समय क्राउड मेनेजमेंट के लिए अत्यंत उपयोगी होगा ? निरस्त किये गये मार्ग को सिंहस्थ के लिये उपयोगी होने के कारण पुन: कब तक स्वीकृत किया जावेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) सिंहस्थ-2016 के तहत विभिन्न विभागों के आज दिनांक तक कुल 255 कार्य स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें से कुल 85 कार्य निर्माणाधीन हैं तथा कुल 15 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं कुल 155 कार्य स्वीकृति के पश्चात प्रारंभ नहीं हुए है । (ख) एवं (ग) जी हॉ। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30-01-2014 को संपन्न बैठक में सिंहस्थ कार्यो की स्थानीय समिति की अनुशंसा पर उक्त कार्य निरस्त किया गया। बैठक दिनांक 27-10-2014 में मार्ग के प्रथम 2 कि.मी. हेतु रू. 109.97 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

<u>सड़क एवं भवन निर्माण कार्यों में अनियमितता</u>

2. **(*क्र. 1292) श्री आर.डी. प्रजापति** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में वर्ष 2012-13-14 में लोक निर्माण विभाग द्वारा कितनी सड़को एवं भवनों के निर्माण कराये जा रहे हैं ? स्टीमेट के अनुसार लागत राशि सहित सूची उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य में स्टीमेट के अनुसार कितनी मात्रा में बालू लगाई गई हैं, कीमत सहित बतायें ? (ग) उपरोक्त सभी निर्माण कार्यो के उपयोग में लायी गई बालू कौन-कौन सी नदियों नालों एवं खदानों की है ? उनके नाम वाहन क्रं.,पिटपास क्रं. लागत की राशि सहित सारणी में बतायें ? (घ) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्यो में लगाई गई बालू अवैध खदानों से उत्खनन करके लाई गई हैं ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी, अधिकारी एवं ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, अ-1 एवं अ-2** अनुसार । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार । बालू के कीमत की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है । (ग) निर्माण कार्यो में लगाई गई बालू ठेकेदार द्वारा लगाई गई है एवं उपयोग की गई बालू लाई जाने के स्त्रोत विभाग को ठेकेदार द्वारा बताना आवश्यक नहीं है । (घ) ठेकेदार द्वारा लगाई गई बालू स्त्रोत की जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती । ठेकेदार द्वारा लगाई गई बालू की क्रय के देयक प्रस्तुत करने पर खनिज विभाग से सत्यापन अथवा देयक प्रस्तुत न करने पर रायल्टी की गणना कर कटौती करके अंतिम देयक का निराकरण किया जाता है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राजडोह पुल का घटिया निर्माण

3. **(*क्र. 1368) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) तवा नदी, सारणी बैतूल में राजडोह पुल कितने लागत से कब स्वीकृत हुआ था ? (ख) क्या राजडोह पुल का घटिया निर्माण हुआ था ? यदि हॉ, तो कौन-कौन जिम्मेदार है ? यदि नहीं, तो पुल क्यों बह गया ? (ग) क्या म.प्र. शासन पुल निर्माण की जॉच कर रहा है ? यदि हॉ, तो कब तक जॉच पूरी होगी ? यदि नहीं, तो लागत राशि किससे वसूल होगी ? (घ) म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग ब्रिज कारपोरेशन पुल निर्माण के लिये क्या प्रयास कर रहा है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) रूपये 397.31 लाख, दिनांक 19.01.2010 को स्वीकृत हुआ । (ख) जी नहीं । जांच प्रगतिरत । प्राथमिक रूप से दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध दिनांक 11.07.2013 को आरोप पत्र जारी किये गये है । (ग) जी हॉ । जांच की कार्यवाही प्रगतिरत है । जांच उपरांत गुण-दोष के आधार पर वसूली की कार्यवाही की जाना संभव होगी । (घ) जांच उपरांत नवीन पुल निर्माण के लिये कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य में खेलकूद को प्रोत्साहन

4. **(*क्र. 1328) श्री मुकेश नायक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहन देने के लिये विगत विधानसभा सत्र में माननीय मंत्री जी ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिये क्रिकेट आदि खेलों के 25 किट देने का आश्वासन दिया था ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और कितनी धनराशि खर्च की गई ? (ख) ग्रामीण स्तर तक खेल कूद को प्रोत्साहन देने और नई खिलाड़ी प्रतिभाओं की खोज के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) योजना का तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण किया जा रहा है । अभी इस हेतु कोई धनराशि व्यय नही की गई है । (ख) प्रदेश में ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन पूरे प्रदेश में विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर किया जाता है । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभा खोजकर चिन्हित खिलाड़ियों को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित कराया जाता है । ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, ताईक्वांडो व्हालीबॉल, कबडडी, खो-खो, फुटबॉल, जूडो, वेटलिफ्टिंग, आर्चरी, हैण्डबॉल, हॉकी, बॉक्सिंग, बेडमिंटन, टेबल-टेनिस, बास्केटबॉल एवं कुश्ती खेल सम्मिलित है । ग्रामीण युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने एवं उनकी ऊर्जा

का सदुपयोग खेलों के माध्यम से करने के उददेश्य से युवा अभियान अंतर्गत व्हालीबॉल, कबड्डी, रस्साकसी, टेनिस बॉल, क्रिकेट एवं मिनी मैराथन प्रतियोगिता का थाना स्तर, विकासखण्ड स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया जाकर प्रतिभा खोज की जाती है । विजेताओं को आकर्षक नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ।

मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु राशि की स्वीकृति

5. **(*क्र. 877) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में कितने ऐसे मंदिर एवं धार्मिक स्थल हैं, जिनको धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व में शामिल किया गया है ? (ख) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा विगत 10 वर्षों में कितनी राशि स्वीकृत की गई ? ग्रामवार मंदिरों के नाम तथा स्वीकृत राशि की जानकारी दें ? (ग) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार हेतु कौन-कौन सी योजनाऐं संचालित हैं ? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मंदिरों के खातों में कितनी राशि तथा कितनी भूमि मंदिरों के स्वामित्व में है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 857 मंदिर एंव धार्मिक स्थल है जिनको धार्मिक न्यास एंव धर्मस्व में शामिल किया गया । (ख) 61मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु शासन द्वारा विगत 10 वर्षो में राशि रूपये 80,87,400/- स्वीकृत की गई । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार (ग) शासन संधारित धार्मिक स्थलों को समय-समय पर जीर्णोद्धार हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है । (घ) मंदिरो के खाते में राशि रूपये 89,65,208/- है । जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है तथा मंदिर के स्वामित्व में भूमि 2505.446 हेक्टेयर है ।

वैध/अवैध कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं

6. **(*क्र. 1334) श्री जालम सिंह पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में कुल कितनी वैध एवं अवैध कॉलोनियां हैं ? क्या वैध कॉलोनियों में निगम द्वारा नागरिकों को पानी, स्ट्रीट लाईट, सड़क एवं सफाई की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) नगर की अवैध कॉलोनियों, जिनमें कॉलोनी विकास के पूर्णत: प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुए हैं, क्या उन कॉलोनियों में निगम द्वारा भवन निर्माण की अनुमति दी जा रही है ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत् ? (ग) अवैध कॉलोनियों को वैध करने के शासन निर्देश से अब तक कितनी कॉलोनियों को वैध किया गया ? यदि नहीं, तो कब तक किया जावेगा ? (घ) गत् 3 वर्षों में नगर में कितने अवैध कॉलोनाईजरों पर नियमों के उल्लंघन के प्रकरण बनाकर क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन कॉलोनाईजर पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज कराये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस पर और कब-कब ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में कुल 19 वैध एवं 57 अवैध कालोनियॉ है । जी हॉ। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 में अनाधिकृत कॉलोनी के नियमितीकरण हेतु प्रावधानित राशि रू.150 प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क लेते हुए भवन निर्माण की अनुज्ञा दी जा रही है ।

(ग) अभी तक किसी भी अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया गया है । नगर पालिका क्षेत्र में स्थित 57 कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है (घ) गत तीन वर्षो में नगर में अवैध कॉलोनाइजरों पर नियमों के उल्लंघन के प्रकरण बनाकर कोई कार्यवाही नहीं की गई है । जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

सड़को के संधारण पर व्यय

7. **(*क्र. 209) श्री कालुसिंह ठाकुर** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा धार जिले में विगत तीन वर्षों में विभागीय मद से रोड मेंटेनेंस पर प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) धार से गुजरी तक टू लेन रोड निर्माण कार्य की स्वीकृति एक वर्ष पूर्व जारी होने के बावजूद अभी तक रोड निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है ? मात्र गड्ढे भरे गये थे, जो वर्षाकाल में वापस खराब हो चुके हैं, कब तक उपरोक्त रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ कर पूर्ण करवा लिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग (भ/स) एवं म.प्र. सड़क विकास निगम से संबंधित जानकारी **संलग्न प्रपत्र "अ" एवं "अ-1"** अनुसार । (ख) धार से गुजरी मार्ग के निर्माण की स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है । मार्ग का रख-रखाव कार्य किया जा रहा है । धार-नागदा गुजरी मार्ग निर्माण हेतु डी.पी.आर. तैयार की गई है, निर्माण कार्य प्रारंभ एवं पूर्ण होने की तिथि वर्तमान में बताया जाना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "एक"

सड़क निर्माण कार्य प्रस्ताव की स्वीकृति

8. **(*क्र. 647) श्री नारायण सिंह पँवार** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्न क्रमांक 4866, दिनांक 24 जुलाई, 2014 के उत्तर की कंडिका (क) में बताया गया था कि ग्राम सेमलापार से सिंघोड़ा मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव बजट में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्तावित किया गया है, तो क्या उक्त मार्ग का प्रस्ताव बजट में सम्मिलित कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र क्रमांक 452, दि. 16.10.2014 पर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा उक्त मार्ग निर्माण हेतु बजट में सम्मिलित किये जाने संबंधी अनुशंसा की गई थी ? यदि हां, तो क्या मा. मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा के बावजूद उपसचिव, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग ने अपने पत्र क्रं. 5099/7236/2014/19/यो, भोपाल, दि. 1.11.2014 से प्रश्नकर्ता को उक्त मार्ग वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं होने तथा राजगढ जिले की प्लान सीलिंग के अभाव के कारण वर्तमान में नवीन स्वीकृति पर विचार किया जाना संभव नहीं है, संबंधित जानकारी दी गई ? (ग) यदि हां, तो क्या मा. मुख्यमंत्री जी की अनुशंसा के आधार पर उक्त मार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को अनुपूरक बजट 2014 में सम्मिलित किया जाकर स्वीकृति प्रदान कर निर्माण किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । जी नहीं । वर्ष 2014-15 प्रथम अनुपूरक बजट हेतु प्रस्तावित प्राथमिकता सूची में मांग संख्या 24 सं. क्रं. 52 पर अंकित है । (ख) जी हॉ । पत्र जारी करने की दिनांक पर प्रकरण की स्थिति से माननीय विधायक को अवगत कराया गया था । माननीय मुख्यमंत्रीजी की

अनुशंसा के अनुरूप प्रथम अनुपूरक बजट वर्ष 2014-15 में शामिल करने हेतु भेजा गया है । (ग) वर्ष 2014-15 के अनुपूरक बजट में सम्मिलित कराने हेतु प्रस्तावित है । सम्मिलित होने एवं राजगढ़ जिले में प्लान सीलिंग उपलब्ध होने के पश्चात तथा प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

प्रदेश स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताएं

9. **(*क्र. 323) श्री मेव राजकुमार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तर, संभाग स्तर एवं जिला स्तर पर कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं एवं किस-किस वर्ग के लिए एवं कब-कब आयोजित की जाती है ? इसके क्या नियम है ? (ख) इंदौर संभाग में वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में संभाग स्तर एवं जिला स्तरों पर कौन-कौन सी खेल प्रतियोगिताएं कब-कब आयोजित की गई एवं किन-किन विभागों एवं संस्थाओं द्वारा इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया एवं उस पर कितना-कितना व्यय किया गया ? (ग) क्या संभाग स्तर एवं जिला स्तरों पर क्रिकेट एवं कबड्डी, प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है ? यदि हां, तो इन प्रतियोगिताओं के लिए क्या नियम है ? इनके लिए कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया जाता है ? क्या वर्ष 2014-15 के लिए प्रतियोगिताओं के आयोजन की तैयारी कर ली गई है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी प्रतियोगिताएं, कहां-कहां आयोजित की जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा निम्नानुसार नियमित प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है - 1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता - विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । 2. महिला खेलकूद प्रतियोगिता - जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । 3. युवा अभियान प्रतियोगिता - अंतरथाना, विकासखण्ड, जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर । ग्रामीण एवं महिला खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भारत सरकार के निर्धारित कैलैण्डर अनुसार माह अगस्त से माह मार्च के मध्य किया जाता है एवं युवा अभियान प्रतियोगिता का आयोजन माह दिसंबर से माह मार्च के मध्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है । महिला, ग्रामीण खेलकूद एवं युवा अभियान प्रतियोगिताओं के नियमों की मार्गदर्शिका **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ"** अनुसार है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"** अनुसार है । (ग) जी हाँ । नियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" पर** अनुसार है । आवंटित बजट की जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब"**अनुसार है । कबड्डी खेल के आयोजन की तैयारी कर ली गई है । जी हाँ, प्रदेश के समस्त विकासखण्ड मुख्यालय में माह नवंबर 2014 में आयोजन किया जा रहा है एवं जिला मुख्यालय पर माह दिसंबर 2014 में आयोजन किया जाना है । क्रिकेट प्रतियोगिता के आयोजन की तिथियों पर निर्णय अभी नहीं हुआ है ।

कलियासोत नदी का विकास

10. **(*क्र. 799) श्री रामेश्वर शर्मा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल की कलियासोत नदी को क्या झील संरक्षण परियोजना से जोड़ा गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर हां है तो इसके विकास की क्या योजना बनाई गई है और इस पर कितना काम हो चुका है ? (ग) यदि अभी तक कलियासोत नदी के विकास की कोई योजना नहीं बनाई गई है, तो शहरी आबादी क्षेत्र में बहने वाली इस नदी के विकास की कोई विस्तृत सुनियोजित योजना कब तक बनाई जाएगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं । (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) समय सीमा निश्चित नहीं है ।

खाद्य कंपनी रजौआ का औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरण

11. **(*क्र. 457) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नरयावली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रजौआ में मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद्य कंपनी संचालित है ? (ख) यदि हां, तो क्या मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद्य कंपनी के उत्पादन से क्षेत्र की लागभग 1500 एकड़ जमीन में कंपनी के उत्पादन से दुष्प्रभाव पड़ता है ? (ग) यदि हां, तो मध्य भारत एग्रो सुपर फास्ट खाद्य कंपनी रजौआ को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरण क्यों नहीं किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हॉ । (ख) जी नहीं । (ग) इकाई निजी भूमि पर स्थापित है । स्थल चयन या स्थानांतरण का निर्णय इकाई का विशेषाधिकार है ।

सुनियोजित विकास हेतु मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

12. **(*क्र. 21) श्री विष्णु खत्री :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम एवं नगर निवेश विभाग का प्रदेश के सुनियोजित विकास किये जाने हेतु मुख्य रूप से क्या-क्या कर्तव्य एवं दायित्व है, जिसके लिये विभाग का गठन किया गया है, स्पष्ट करें ? (ख) वर्तमान में लागू भोपाल का मास्टर प्लान कितनी आबादी को ध्यान में रखकर कब बनाया गया था, तथा भोपाल महानगर की बढ़ती आबादी को देखते हुये क्या नया मास्टर प्लान विभाग ने बनाकर तैयार कर लिया है । यदि हॉ, तो यह प्लान लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ? इसके विलम्ब के क्या कारण हैं, स्पष्ट करें ? (ग) विभाग अपने मूल नाम जिसमें "ग्राम" शब्द भी सम्मिलित है अपने नाम के अनुरूप प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, उनके सुनियोजित विकास हेतु विभाग ने कोई कार्य योजना क्रियान्वित की है, यदि हॉ, तो स्पष्ट करें एवं नहीं तो कारण बतायें ? (घ) प्रदेश में ग्रामों के अव्यवस्थित विकास के लिये क्या विभाग जिम्मेदार नहीं है, तथा ग्रामीण आबादी के सुनियोजित विकास हेतु इन्हें किसके सहारे छोड़ा गया है, कृपया बताऐं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत भूमि के विकास, नियोजन एवं उपयोगों के लिये उपबंध करने हेतु प्रादेशिक, विकास एवं परिक्षेत्रिक योजनाओं के माध्यम से विकास प्रस्ताव तैयार किये जाते है । इन प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकारी का गठन कर नगर विकास योजनायें तैयार की जाती है । (ख) भोपाल विकास योजना 2005 में आबादी 25 लाख अनुमानित की गई थी। भोपाल की पुनर्विलोपित योजना के प्रारूप को अंतिम रूप नहीं दिया गया है । प्रारूप प्रकाशन उपरान्त अधिनियम में वर्णित प्रक्रिया को पूर्ण कर विकास योजना लागू की जाती है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) नगर की विकास योजना का प्रभाव केवल नगरीय क्षेत्र पर ही नहीं अपितु समीपस्थ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी पडता है । अतः नगर की विकास योजना हेतु निर्धारित निवेश क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मिलित होते है । (घ) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के विकास योजना से संबंधित प्रावधान अधिसूचित निवेश क्षेत्र पर लागू होते है तथापि

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास से संबंधित प्रस्तावों पर राजस्व एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवश्यकता अनुसार परामर्श प्रदान किया जाता है ।

<u>खेल संकुल/खेल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना</u>

13. **(*क्र. 610) श्री अरूण भीमावद** : क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) खिलाड़ियों की प्रतिभा को उभारने हेतु शासन स्तर पर अभी तक क्या-क्या प्रयास किये गये ? (ख) खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु खेल संकुल/खेल प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण जिला स्तर पर खोले जाने के प्रस्ताव है ? अभी तक कितने जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं ? (ग) जिला शाजापुर में उक्त संकुल/खेल प्रशिक्षण अभी तक क्यों नहीं खोले गये हैं ? (घ) क्या शाजापुर नगर को स्वीमिंग पुल निर्माण की राशि रू. 2 करोड़ नगर पालिका को प्राप्त हो चुकी है ? जिला प्रशासन ने भूमि आवंटन कर दी है ? परन्तु शासन स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्रदान क्यों नहीं की जा रही है ? (ड.) यह कार्य कितनी समयावधि में पूर्ण हो जावेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है । (ख) जी नहीं। जिलों में कार्यरत विभागीय प्रशिक्षकों के जिला खेल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है । खेल संकुल निर्माण एवं जिलों में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की कोई विभागीय योजना नही हैं । (ग) प्रश्नांश "ख" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) खेल एवं युवा कल्याण विभाग को शाजापुर नगर में स्वीमिंग पूल निर्माण के लिए कोई राशि प्राप्त नही हुई है । विभाग के स्वामित्व की भूमि पर स्वीमिंग पूल निर्माण की अनुमति नगर पालिका परिषद शाजापुर को प्रदान की गई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ड.) प्रश्नांश "घ" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट -"दो"

<u>निर्माण कार्यों की स्वीकृति</u>

14. **(*क्र. 1245) श्री राजेश सोनकर** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय सांसद व प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्न दिनांक तक जिन निर्माण कार्यों के प्रस्ताव भेजे गये उन पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई, प्रश्न दिनांक तक कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है व कितने लंबित है ? (ख) क्या सांवेर विधानसभा क्षेत्र में माननीय सांसद महोदय द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में से किसी पर भी कार्य प्रारंभ कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों विलंब का कारण बतायें ? (ग) क्या सांसद निधी व राज्य शासन द्वारा सांवेर विधानसभा क्षेत्र के भेजे गये प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है या दी जा रही है, विवरण देवें व कब तक कार्य प्रारंभ कराये जा सकेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ-1 एवं अ-2** अनुसार । (ख) जी नहीं । स्वीकृति न होने से । (ग) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के किसी प्रस्ताव की स्वीकृति सांसद निधि एवं राज्य शासन से प्राप्त नहीं । स्वीकृति उपरांत अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किये जा सकेगें । स्वीकृति के अभाव में समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

शोभापुर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण

15. **(*क्र. 489) श्री अशोक रोहाणी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग क्र.-1 जबलपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया शोभापुर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ? (ख) मार्च 2012 में निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, तथा प्रस्तावित निर्माण अवधि 24 माह पूर्ण होने के पश्चात भी किन कारणों से यह ओव्हर ब्रिज आज दिनॉक तक पूर्ण नहीं हो पाया है ? (ग) वर्ष 2012 में शोभापुर रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण की कुल लागत क्या थी ? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में अब निर्माण कार्य कितनी राशि में पूर्ण होगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) शोभापुर रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण कार्य जून-2016 तक पूर्ण होने की संभावना है । (ख) जी हॉ । व्हीकल फैक्ट्री प्रशासन जबलपुर द्वारा अनुमति प्रदान करने में देरी के कारण । (ग) रू. 2224.16 लाख । (घ) शेष कार्य की निविदा रू. 751.14 लाख की आमंत्रित की गई है । निविदा दर स्वीकृत होने के पश्चात ही निर्माण कार्य की लागत बताना संभव हो सकेगा ।

मुआवजा राशि का भुगतान

16. **(*क्र. 794) श्री हर्ष यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) संशोधित भू-अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नौरादेही अभ्यारण्य विस्थापितों को क्या नये निर्धारित मापदण्डो अनुरूप मुआवजा दिया गया है, यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) विस्थापित ग्रामों के अनेक निवासी जिनके नाम व सम्पत्ति उस ग्राम की मतदाता सूची में थे, उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ? (ग) क्या विस्थापित परिवारों को बसाहट की व्यवस्था करना शासन का दायित्व है ? यदि हॉ, तो क्या सुविधा दी गई है और यदि नहीं, तो बेघर व्यक्ति को राहत देने की शासन की क्या योजना है ? (घ) क्या विस्थापित ग्रामों के लोगो की समस्याओं के निवारण की शासन द्वारा पहल की जावेगी, यदि हॉ, तो कब तक ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं । नौरादेही अभयारण्य क्षेत्र से विस्थापन ग्रामीणों की स्वेच्छा से उनकी सहमति तथा ग्राम सभा की सहमति प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल के पत्र क्र./एफ-3-8/07/10-2/2129 भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2008 द्वारा जारी निर्देशानुसार राशि रूपये दस लाख प्रति परिवार के मान से प्रदाय कर दिया गया है । (ख) नौरादेही अभ्यारण्य से ग्राम कुशयारी एवं रमपुरा (मड़ाज) का विस्थापन किया गया है एवं ग्राम चक्कपीपला का विस्थापन प्रगतिरत है । कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 22.04.2013 द्वारा गठित समिति द्वारा विस्थापन पैकेज हेतु पात्र परिवार एवं अपात्र परिवार का निर्धारण किया गया है । इस हेतु परिवार की परिभाषा अनुसार पति-पत्नि को एक परिवार माना गया है, जबकि मतदाता सूची में पति-पत्नि दोनों के नाम दर्ज है । मतदाता सूची में सम्मिलित व्यक्ति के एक परिवार का सदस्य होने, उसकी मृत्यु होने या निर्धारण के समय से पूर्व से ही अन्यत्र निवासरत होने के कारण मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद भी उन्हें विस्थापन हेतु पात्र नहीं पाया गया । जिन लोगों की मात्र सम्पत्ति इन ग्रामों में थी एवं वे इस ग्राम में निवासरत नहीं थे, उन्हें मात्र सम्पत्ति के मूल्य की पात्रता है । (ग) मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पत्र क्र./एफ-3-8/07/10-2/2129 भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 2008 की कंडिका 2 के अनुसार प्रथम विकल्प पूरा नगद के अनुसार ग्रामीणों ने स्वेच्छा से रूपये दस लाख प्रति परिवार के आधार पर अभयारण्य से विस्थापन की सहमति दी है । ग्रामीणों की मंशा के अनुसार उक्त पत्र की कंडिका (2) (ख) के अनुसार सर्वप्रथम ग्राम के लिये उपलब्ध कुल राशि में से निजी सम्पत्ति जैसे

कृषि भूमि, मकान, कुआं, पेड़ इत्यादि का मूल्य संबंधित सम्पतिधारियों को भुगतान किया गया तथा शेष राशि सभी पात्र व्यक्तियों/परिवारों को बराबर-बराबर बांट दी गई । इस विकल्प के अनुसार विस्थापित ग्रामीण स्वयं अपने लिये घर, जमीन आदि की व्यवस्था करने के लिये स्वतंत्र है । विस्थापित व्यक्ति को उपरोक्त विस्थापन पैकेज के अतिरिक्त कोई राहत देने की शासन की कोई योजना नहीं है । (घ) जी हां । समस्या आने पर नियमानुसार निवारण किया जावेगा ।

नगर पंचायतों में आधारभूत विकास की योजनाएं

17. **(*क्र. 1002) श्री नीलेश अवस्थी** : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पाटन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाली नगर पंचायतों पाटन, कटंगी एवं मझौली के आधारभूत विकास की कौन-कौन सी व कितनी-कितनी लागत की योजनाएं शासन द्वारा निर्मित, निर्माणाधीन व प्रस्तावित है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा इन योजनाओं को पूरी करने की क्या समय-सीमा तय की गई है ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित नगर पंचायतों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लगातार तीन वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ हैं ? (घ) क्या शासन नियमानुसार प्रश्नांश (ग) में वर्णित कर्मचारियों का स्थानांतरण अन्यंत्र करेगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे ? उत्तर में यदि हॉ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी **पुस्ताकालय में रखें परिशिष्ट ''अ''** अनुसार है । (ग) जानकारी **पुस्ताकालय में रखें परिशिष्ट ''ब''** अनुसार है । (घ) नगरीय निकायों के सेवकों का स्थानांतरण किया जाना बाध्यकारी नहीं है । स्थानांतरण नीति 2012-13 की कण्डिका 9.10 के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि तीन वर्ष से एक ही स्थान पर पदस्थ कर्मचारी का स्थानांतरण किया जाये । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सड़क निर्माण कार्य की प्रगति

18. **(*क्र. 623) श्री लाखन सिंह यादव** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि.अता. प्रश्न संख्या 69 (क्र. 2507) दिनांक 10 जुलाई, 2014 में जवाब दिया था कि विभागीय कार्यवाही हेतु पत्राचार किया जा रहा है तो अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ? (ख) अब कब तक उक्त प्रश्न की पूर्ति कर रोड निर्माण का कार्य कर आम नागरिकों को आवागमन हेतु लोकार्पण करा दिया जावेगा ? क्या इसकी कोई समय-सीमा बताई जा सकती है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जानकारी **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार । (ख) डबरा-भितरवार-हरसी-नरवर मार्ग के उन्नयन एवं चौडीकरण कार्य हेतु म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा एजेन्सी निर्धारण की प्रक्रिया प्रगति पर है । उत्तरांश 'क' अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट - "तीन"

पेयजल आपूर्ति हेतु भावी योजना

19. (***क्र. 165) श्री जयभान सिंह पवैया** : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर महानगर में पेयजल आपूर्ति के लिये कितने क्यूबिक पानी की आवश्यकता है और वर्तमान में पानी की कितनी आपूर्ति की जा रही ? (ख) भविष्य में पेयजल के अभाव की आपूर्ति करने की दृष्टि से क्या तिघरा जलाशय में चंबल अथवा अन्य स्त्रोतों से पानी लाये जाने की कोई योजना है ? (ग) ग्वालियर महानगर में पेयजल टंकियों की कितनी आवश्यकता है और इस दिशा में कितनी टंकियों के निर्माण की योजना है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) ग्वालियर महानगर में जल आपूर्ति हेतु वर्तमान में प्रति व्यक्ति 135 लीटर प्रतिदिन के मानक अनुसार 1.62 लाख क्यूबिक मीटर पानी की आवश्यकता है एवं 1.50 लाख क्यूबिक मीटर जलप्रदाय किया जा रहा है । (ख) ग्वालियर शहर की भविष्य की पेयजल आवश्यकता हेतु शहर के आस-पास स्थित संभावित स्त्रोत जैसे केकेटो, पेहसारी, अपर केकेटो, हर्सी बॉध तथा पार्वती, सिंध एवं चंबल नदियों का तुलनात्मक परीक्षण किया जा रहा है । उपयुक्तता के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। (ग) वर्तमान की आवश्यकता 1.62 लाख क्यूबिक मीटर जलप्रदाय के लिये 650 लाख लीटर भण्डारण क्षमता की टंकियों की आवश्यकता है, जिसके विरूद्ध जलप्रदाय हेतु 550 लाख लीटर भण्डारण क्षमता की 34 टंकियां उपलब्ध है । 30 लाख लीटर भण्डारण क्षमता की 02 टंकियों के निर्माण हेतु कार्यादेश जारी किये गये है । शेष क्षमता की टंकियों का निर्माण आगामी योजना में लिया जाना प्रस्तावित है ।

ए.सी.सी. कंपनी कैमोर द्वारा प्रदूषण

20. (***क्र. 403) श्री कुंवर सौरभ सिंह** : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ए.सी.सी. कंपनी कैमोर जिला कटनी द्वारा क्या प्रदूषित पानी (ड्रेन वाटर) को किसानों की कृषि योग्य भूमि पर छोड़ा जाता है ? यदि हां, तो म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी कानून की तिथि से कुल कितना रकबा प्रदूषित हुआ है और कितनी फसलों का नुकसान हुआ है ? (ख) ए.एफ.आर. (अल्टरनेटिव फ्यूल रिसोर्स) एसीसी कंपनी द्वारा कहां नष्ट किया जाता है ? क्या इसके लिए रिजेक्टेड मेटेरियल अथराईज्ड प्लांट कंपनी द्वारा बनाया गया है अथवा खुले स्थान या क्लेन (भट्टा) में जलाया जाता है ? (ग) यदि कंपनी द्वारा ए.एफ.आर. खुले स्थान में या क्लेन में जलाया जाता है तो क्या यह नियमानुकूल है, यदि नहीं, तो कंपनी के विरूद्ध इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई, यदि नहीं, की गई तो क्यों तथा नियमानुसार कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) इकाई द्वारा मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विधिवत सम्मति प्राप्त कर किल्न में सुरक्षित रूप से जलाया जाता है । कोई भी पदार्थ खुली जगह पर नहीं रखा जाता है । (ग) उत्तरांश (ख) के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पायका योजना का क्रियान्वयन

21. **(*क्र. 930) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश सरकार द्वारा 2008 से किशोरों, युवाओं के चहुमुखी विकास हेतु "पायका" पंचायतों युवा क्रीड़ा, खेल अभियान प्रदेश के साथ मुरैना जिले में प्रारम्भ किया गया था ? किस विभाग के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई, पूर्ण जानकारी दी जावें ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त समिति का मुरैना जिले में गठन नहीं किया गया है ? 2008 से बिना समिति के अनुमोदन से ही सम्पूर्ण राशि खर्च की गई है, क्यों ? उक्त वित्तीय अनियमितताओं के लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या शासन उक्त अनियमितताओं की जांच करायेगा, कब तक ? (ग) मुरैना जिले में 2008 से बिना अनुमोदन के कितनी राशि अभी तक खर्च की गई है ? वर्षवार राशि सहित जानकारी दी जावें ? 2008 से नवम्बर 2014 तक खर्च राशि की जानकारी दी जावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमंत यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं । अपितु प्रदेश में वर्ष 2009-10 से पायका योजनान्तर्गत ग्रामीण एवं महिला खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी । योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी, मुरैना को दी गई थी । (ख) जी नहीं । जिला स्तरीय पायका कार्यकारी समिति का गठन दिनांक 01.11.2012 को माननीय विधायक एवं तत्कालीन अध्यक्ष जिला पंचायत मुरैना श्री सत्यपालसिंह सिकरवार के अनुमोदन से किया गया था । योजना के संचालन हेतु प्राप्त राशि का व्यय भारत सरकार के निर्धारित मापदण्डों एवं दिशा-निर्देशानुसार जिले के सक्षम अधिकारियों से अनुमोदन उपरांत ही किया गया है । अतः किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की गई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) बिना अनुमोदन के कोई राशि खर्च नहीं की गई । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मुरैना सबलगढ़ रोड पर सिकरौदा एवं नेपरी पुल का निर्माण

22. **(*क्र. 1221) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना सबलगढ़ रोड पर स्थित कूना नदी सिकरोदा एवं क्वारी नदी नेपरी पर पुल निर्माण का कार्य स्वीकृत कब हुआ है ? स्वीकृत राशि एवं संबंधित कंपनी/ठेकेदार का नाम बताऐं एवं कार्य पूर्ण होने की समयावधि बतायें ? (ख) संबंधित ठेकेदार द्वारा कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं कराया जा रहा है ? जिससे क्वारी नदी नैपरी एवं कूनो नदी सिकरोदा में रेलवे के पुल पर घंटो जाम की स्थिति रहती है तथा आवागमन अवरूद्ध रहता है ? दोनों पुलो के निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा ? समय-सीमा सहित बतावें ? (ग) क्या समयावधि में कार्य पूर्ण न कराये जाने के कारण दोषी ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ? समय-सीमा बतावें ? (घ) मुरैना सबलगढ़ रोड की चौड़ाई स्टीमेट के अनुसार कितनी है ? कार्य की गति धीमी क्यों है ? दोषी ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही एवं अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी, जानकारी देवें एवं मुरैना सबलगढ़ का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा, समय-सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) मुरैना-सबलगढ़ मार्ग में सोन नदी पर सिकरौदा एवं क्वारी नदी पर नैपरी पुल निर्माण का कार्य मय सड़क निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति दिनांक 25.04.2012 को टोल+एन्युटी आधार पर प्रदान की गई है । इस कार्य के निवेशकर्ता कंपनी मै. कॉनकास्ट इन्फ्राटेक नई

दिल्ली के साथ कन्सेशन अनुबंध दिनांक 19.10.2012 को संपादित किया गया । संपूर्ण सड़क मार्ग मय उक्त दोनों पुलों सहित, की लागत राशि रू. 145 करोड़ एवं लंबाई 71.8 कि.मी. है । दि. 25.08.2015 तक पूर्ण किया जाना है । (ख) सोन नदी पर सिकरौदा पुल का कार्य प्रगति पर है, किन्तु क्वारी नदी पर स्थित नैपरी पुल का कार्य भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रगति में होने के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है । वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर क्वारी नदी पर डायवर्सन मार्ग बना दिया गया है, जिस पर वाहनों का आवागमन निरंतर जारी है । सिकरौदा पर पुराने रेल्वे पुल से वाहनों का आवागमन निर्बाध रूप से जारी है । कार्यो को पूर्ण कराने की तिथि अनुबंधानुसार 25.08.2015 निर्धारित है । (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) मुरैना-सबलगढ़ रोड़ की चौडाई स्टीमेट के अनुसार 7.00 मी. डामरीकरण+2 X 2.5 मी. (दोनों ओर के शोल्डर सहित) कुल चौडाई 12.00 मी. निर्धारित है । कार्य बी.ओ.टी. (टोल+एन्युटी) पद्धति से कराये जाने के कारण कंसेशनायर अपनी वित्तीय व्यवस्था अनुसार कार्य करा रहा है । कार्य में गति लाने हेतु कंसेशनायर को पत्र लिखे गये है । कार्य पूर्ण कराने की तिथि 25.08.2015 निर्धारित है, अत: किसी पर कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

<u>लीज की दुकान को बांट कर विक्रय</u>

23. **(*क्र. 104) श्री विश्वास सारंग** : क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परि. अता. प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1881) दिनांक 10 जुलाई 2014 के तहत व्यवसायिओं द्वारा निर्माण के उपरांत दुकानों को दो से अधिक यूनिट में बांटकर बेचने के संबंध में परीक्षण प्रश्न दिनांक तक करा लिया गया है, यदि नहीं, तो अभी तक परीक्षण क्यों नहीं कराया गया है, कब तक करा लिया जायेगा ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत व्यवसाइयों के नाम पते सहित सूची दें, जिन्होंने अपनी दुकान को दो से अधिक यूनिट में बॉटकर बेची हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत उक्त के खिलाफ प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) नगर निगम भोपाल द्वारा प्रश्नाधीन बिन्दु पर एक परीक्षण समिति का गठन किया गया था एवं परीक्षण समिति को अभी तक की जांच में दुकान को बांटकर विक्रय करने के साक्ष्य नहीं मिले हैं । (ग) उत्तरांश ''क'' तथा ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>रपटा/पुलों के निर्माण की प्रगति</u>

24. **(*क्र. 391) श्री प्रताप सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि दमोह जिले के जबेरा विधान सभा क्षेत्र के अनेक ग्रामों के निर्मित पहुंच मार्ग पर प्राचीन पुल/रपटा बने हुए हैं, जिनकी ऊँचाई कम होने से वर्षाकाल में आवागमन बंद हो जाता है, फलस्वरूप ग्रामवासियों को यातायात में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि वर्षों से चली आ रही प्रश्नांश (क) में दर्शायी समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 21, दि. 14.1.2014 से ऐसे प्राचीन पुल/रपटा पर नवीन पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल तथा पाटन-तेन्दुखेड़ा व्हाया झलौन-रहली मार्ग पर विगत कई वर्षों से गढ्ढे एवं जर्जर हालत के कारण दुर्घटनाएं आये दिन हो रही हैं, के पुर्ननिर्माण हेतु प्रबंधक, म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को पत्र क्रं.

253, दि. 28.8.2014 से निवेदन किया था, परन्तु उक्त अधिकारी द्वारा प्रश्न दिनांक तक कोई उत्तर नहीं दिया ? (ग) दमोह जिले से ऐसे कितने प्रस्ताव शासन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये हैं, तथा स्वीकृति की प्रत्याशा में अभी तक लम्बित रहने का क्या कारण हैं ? लम्बित प्रस्तावों का निराकरण कब तक कर दिया जायेगा, समय-सीमा बतलावें ? (घ) क्या यह सत्य है कि दमोह जिले के ग्राम नोहटा-शाखा-हिनौती-जुझार मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक 24.5.2013 से शासन स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो इस मार्ग निर्माण की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो जावेगी, समय-सीमा बतलावें, अभी तक स्वीकृति प्राप्त न होने का क्या कारण रहा है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । पुलों के निर्माण हेतु परीक्षण कराया जा रहा है । मार्ग पर गड्डों के कारण कोई दुर्घटना नहीं हुई है । म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा मार्ग निर्माण कार्य की एजेन्सी तय करने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है । (ग) सात कार्यो की प्राथमिक जानकारी प्रेषित की गई है । विभागीय बजट में सम्मिलित होने एवं योजना सीमा उपलब्ध होने पर स्वीकृति दी जाना संभव हो सकेगी । वर्तमान में समय-सीमा बताना संभव नहीं है । (घ) जी हॉ । प्लान सीलिंग के अभाव में लंबित । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

सड़कों पर नवीन एवं मरम्मत कार्य

25. **(*क्र. 974) श्री प्रदीप अग्रवाल** : क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक दतिया जिले में कुल कितनी सड़को पर नवीन एवं मरम्मत कार्य करवाये गये हैं, उनकी विकासखण्डवार/तकनीकी स्वीकृति/मूल्यांकन/शेष कार्य की जानकारी प्रदान करें ? (ख) शासन द्वारा जिले में विधान सभा द्वारा बजट आवंटन के विरूद्ध उक्तानुसार प्रश्नांश (क) में किन-किन सड़को पर नवीन/मरम्मत कार्य विधान सभा सैवड़ा में कराया गया ? (ग) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सैवड़ा में कुल ऐसी कितनी सड़के हैं जिन पर नवीन/मरम्मत कार्य कराया जाना शेष है, आवंटन उपलब्ध है अथवा नहीं, आवंटन उपलब्ध होने के बावजूद भी निर्माण कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं कराये जा रहे हैं ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सूची अनुसार कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कितने निरीक्षण किये गये हैं ? क्या विभाग द्वारा निर्धारित गुणवत्ता अनुसार कार्य सम्पादित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं अ-1** अनुसार । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब एवं अ-1** अनुसार । (ग) जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स एवं ब-1** अनुसार । (घ) कार्यों में गुणवत्ता नियत्रंण हेतु उपयंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किये गये है । जी हॉ । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

सड़क मार्ग के निर्माण का कार्यों

1. **(क्र. 2) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र कसरावद, जिला खरगोन में सड़क निर्माण व रिपेरिंग कार्य किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23.07.2014 एवं माह अगस्त,14 को कितने-कितने पत्र किस-किस सड़क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्राप्त हुए है और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) में प्राप्त पत्रों के तारतम्य में क्या शासन के आदेश दिनांक 06.08.2014 को मु.अ.इंदौर को प्रतिवेदन हेतु पत्र भेजा गया था हां तो उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ? हां तो उक्त सड़क मार्ग का कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा हो तो समय सीमा बताये नहीं तो कारणों का उल्लेख करें ? (घ) उक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? हां तो प्रश्न दिनांक तक प्रकरण की स्थिति क्या है नहीं तो विलंब में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है, के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार । (ख) जी हाँ । विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार । (ग) जी हाँ । वर्तमान में कार्य स्वीकृत नहीं है । समय-सीमा बताना संभव नहीं है । उल्लेखित कार्य किसी भी योजना में शामिल नहीं है । (घ) जी हाँ । जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "चार"

सड़क मार्गों का निर्माण कार्य किया जाना

2. **(क्र. 3) श्री सचिन यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र कसरावद, जिला खरगौन में खरगौन-कसरावद मुख्य मार्ग से सरवरदेवला तक को जोडने वाले मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा कितने-कितने पत्र किस-किस माध्यम से कब-कब प्राप्त हुए और उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई, बतायें ? (ख) उक्त प्राप्त पत्रों के तारतम्य में क्या शासन के आदेश दिनांक 06.8.14 को मु.अ. इंदौर को प्रतिवेदन हेतु पत्र भेजा गया था ? हां, तो उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ? हां, तो उक्त सड़क मार्ग का कार्य कब तक पूर्ण कराया जायेगा ? हां, तो समयसीमा बतायें ? नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें ? (घ) उक्त प्रश्नांश (क) एवं (ख) में कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है ? हां, तो प्रश्न दिनांक तक प्रकरण की स्थिति क्या है ? नहीं, तो विलंब में कौन-कौन अधिकारी कर्मचारी दोषी है, के खिलाफ क्या कार्यवाही की जायेगी, बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ख) जी हाँ । जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ग) जी हाँ । वर्तमान में कार्य स्वीकृत नहीं है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । यह कार्य जिले की प्लान सीलिंग की उपलब्धता अनुसार ही स्वीकृति प्राप्त किया जाना संभव होगा । (घ) जी हाँ । जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है । प्राक्कलन एवं प्रतिवेदन प्राप्त है, अत: शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "पांच"

नारदेश्वर मंदिर मड़ौरी की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना

3. **(क्र. 10) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) भिण्ड जिले के गोहद (मौ.) तहसील के ग्राम बड़ैरा में किन-किन मंदिरों की कितनी-कितनी भूमि किन-किन व्यक्ति/पुजारी द्वारा खेती कराकर, खेती से प्राप्त आय पूजापाठ में खर्च न कर स्वयं उपयोग की जा रही है ? पिछले 3 वर्षो का विवरण दें ? पुजारियों के नाम, पता सहित ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अंकित नाम का क्रमांक बतायें ? (ख) भिण्ड जिले की तहसील लहार स्थित नारदेश्वर मंदिर की ग्राम इटायदा, तहसील गोहद की भूमि का कब्ज़ा कब और किस दिनांक को हटाकर मन्दिर के पुजारी को किस अधिकारी द्वारा दिया गया ? बार-बार कब्जा करने वालो के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या कब्जेधारियों के शस्त्र लायसेंस निरस्त किये ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या आयुक्त ग्वालियर संभाग ने पत्र क्रमांक/क्यू/शिका./माफी/21/2014 दिनांक 07.10.2014 को कलेक्टर दतिया को निर्देश देकर नारदेश्वर मन्दिर की भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने का निर्देश दिया था ? यदि हाँ तो शासन द्वारा अतिक्रमण हटवाने के बाद भी पुन: कब्ज़े करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही न करने का कारण बतायें ? (घ) क्या माननीया मंत्री महोदया के अर्द्धशासकीय पत्र क्र. 1767 दिनांक 04.08.2014 के संदर्भ में शून्यकाल सूचना क्रमांक 45 के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र लिखकर उक्त मंदिर पर किये अतिक्रमण को हटाए जाने का अनुरोध किया गया था ? यदि हां तो क्या अतिक्रमण हटा दिये गए हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) तहसील गोहद के ग्राम बडैरा मे शासन संधारित तीन मंदिर है जिनका विवरण इस प्रकार है- (1) मंदिर श्री रामजानकी किता 03 रकवा 1.12 (2) मंदिर श्री मुरली मनोहर श्री देवीजी श्री सिद्ध बाबा से किता 07 रकवा 212 हे0 भूमि लगी हुई है । (3) मंदिर श्री रामजी कांठर के नाम से किता 03 रकवा 30.78 हे0 भूमि लगी हुई है मंदिर श्री रामजानकी जी के पुजारी कुंअरसिंह पुत्र ज्ञानसिंह निवासी बडेरा अभिलेख में अंकित है मंदिर श्री मुरली मनोहर तथा मंदिर श्री देवी जी सिद्धबाबा तथा मंदिर श्री रामजी कांठर उक्त दोनों मंदिरों के पुजारी फोत हो चुके है । (1) मंदिर श्री रामजी कांठर-से कुल भूमि किता 03 रकवा 30.78 हे0 लगी हुई है जिस पर की जा रही खेती का विवरण इस प्रकार है- (1) ज्ञानसिंह पुत्र ज्वाली कुशवाह द्वारा लगभग 4.00 हे0 भूमि पर अतिक्रमण किया है जिसमें से 1.00 हे0 भूमि पर अरहर की फसल खडी हुई है । शेष 5.00 हे0 भूमि को सिंचित करके फसल बोने के लिये तैयार कर रखी है । (2) मोहनसिंह पुत्र रामचरन जाति कुशवाह ने लगभग 4.00 हे0 जमीन पर अतिक्रमण किया है जिसमें 1.00 हे0जमीन पर अरहर की फसल खडी हुई है ।3.00 हे0 भूमि सिंचित करके फसल जोतकर फसल बोने के लिये तैयार कर रखी है । (3) मुन्नेश पप्पू एवं मुकेश कुशवाह ने तीन-तीन हे0 भूमि पर अतिक्रमण किया है भूमि की सिंचाई की जा रही है जिसमें फसल जोतकर फसल बोने के लिये तैयार रखी है । (4) वर्तमान में वृजेन्द्रसिंह पुत्र रसालसिंह का मंदिर की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है मंदिर की पूजा ग्रामवासियों द्वारा की जा रही है । (5) मंदिर मुरली मनोहर देवीजी एवं श्री सिद्ध बाबा-से 2.12 हे0 भूमि लगी हुई है जिसमे से 1.00 हे0 भूमि पर जगतनारायण पुत्र श्री रामसिया निवासी ग्राम बडेरा द्वारा गेहूं की फसल बोकर अतिक्रमण किया गया है शेष 1.12 हे0 भूमि पडत पडी हुई है । (6) मंदिर श्री रामजानकी वेलियन टोला-से किता 03 रकवा 1.22 हे0 जमीन लगी हुई है उक्त मंदिर पर मंदिर के पुजारी कुंअरसिंह पुत्र ज्ञानसिंह निवी बडेरा द्वारा बटाई पर लगाकर खेती कराई जा रही है । उपरोक्त तीनों मंदिरों की आय-व्यय का विवरण परिशिष्ट अ (पुस्तकालय में रखे अनुसार) मंदिर श्री रामजानकी वेनियन टोला के पुजारी श्री कुंअरसिंह पुत्र ज्ञानसिंह है जिनका ग्राम पंचायत बडेरा की मतदाता सूची में वार्ड क्रमांक 05 में सीरियल क्रमांक 271 पर नाम दर्ज है । मंदिर श्री रामजी कांठर वाले एवं मंदिर श्री मुरली मनोहर देवीजी एवं सिद्धबाबा के पुजारी फोत

हो चुके है । इनके नियुक्ति संबंधी प्रस्ताव ग्राम सभा बडेरा से चाहे गये है जो आज दिनांक तक प्राप्त नही हुए है मंदिरों की उक्त भूमियों की अतिक्रमण संबंधी हल्का पटवारी द्वारा नायब तहसीलदार वृत मौ के न्यायालय में प्रस्तुत की गई है नायब तहसीलदार वृत मौ द्वारा बताया गया है कि मंदिरों की भूमि पर अवैध अतिक्रमण शीघ्र हटाया जाकर सिविल जेल की कार्यवाही का प्रस्ताव एस0डी0ओ0 गोहद की ओर भेजा जावेगा । (ख) मंदिर श्री नारदेश्वर स्थित ग्राम मडोरी ग्राम इटायदा तहसील गोहद से लगी भूमि पर किये गये अवैध कब्जे को तहसीलदार ग्रोहद द्वारा दिनांक 28.08.2014 को अतिक्रमणकर्ताओं पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर अतिक्रामित भूमि पर अतिक्रमणकारियों को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसके क्रम मे हल्का पटवारी द्वारा वेदखली रिपोर्ट भी कार्यालय में प्रस्तुत की गई है । मंदिर की भूमि पर अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने के बाद भी प्रतिवर्ष अतिक्रमण किया जाता है इसलिये उनके विरूद्ध सिविल जेल की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय में भेजा जा रहा है अतिक्रमणकर्ताओं के शस्त्र लायसेंस अभी निरस्त नही किये गये है । (ग) जी हां । (घ) मंदिरों की भूमि पर अतिक्रमण हटा दिये गये थे ।

बांदीखेड़ी बैरसिया औद्योगिक क्षेत्र के विकास में विलंब किया जाना

4. **(क्र. 22) श्री विष्णु खत्री :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) शासन द्वारा बांदीखेड़ी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु कितनी एकड़ भूमि आरक्षित की है बतायें ? इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास में विलंब का क्या कारण है, स्पष्ट करें ? (ख) माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में धागा मिल स्थापना हेतु विभाग द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं, स्पष्ट करें ? (ग) अक्टूबर 2014 में हुए इंदौर इन्वेस्टर समिट में मध्यप्रदेश सरकार से विभिन्न कंपनियों का प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु अनुबंध हुआ है ? क्या इन कंपनियों में से बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में उद्योग/कंपनी स्थापित करने की कार्य योजना है, स्पष्ट करें ? (घ) कितनी कंपनियों को भोपाल के आस-पास कंपनी स्थापित/बसाये जाने हेतु विभाग ने क्या कार्य योजना बनाई है, पूर्णत: स्पष्ट करें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) शासन द्वारा बांदीखेडी औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु 79.694 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है । औद्योगिक क्षेत्र बांदीखेडी विकसित न हो पाने का मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य न होना रहा है । (ख) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भोपाल द्वारा बैरसिया विधानसभा क्षेत्र ग्राम हिनौती सडक में धागा मिल स्थापना हेतु मेसर्स खजराना स्पिनिंग मिल्स के पक्ष में 9.070 हेक्टेयर भूमि आवंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ग) जी हॉ, बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में 09 निवेशकों द्वारा निवेश आशय प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है जिसके अनुसार इन निवेशकों की बैरसिया क्षेत्र में उद्योग स्थापना की योजना है । (घ) विभाग द्वारा निवेशकों के आशय प्रस्ताव को क्रियान्वित किये जाने हेतु तैयार की गयी कार्ययोजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है ।

संचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतें

5. **(क्र. 33) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) अध्यक्ष, उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र. के कार्यालय को वर्तमान कार्यकारी संचालक के विरूद्ध वर्ष, 2013 से आज दिनांक तक प्राप्त शिकायतों में उल्लेखित आरोपों का विवरण एवं की गई कार्यवाहियों का विवरण देवें ? (ख) वर्तमान कार्यकारी संचालक के विरूद्ध वर्ष, 2013 से आज दिनांक लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. में की गई शिकायतों के संबंध में की गई जांच हेतु प्राप्त शिकायतों में उल्लेखित आरोपों का विवरण एवं शासन द्वारा

की गई कार्यवाहियों का विवरण देवें ? (ग) क्या वर्तमान कार्यकारी संचालक के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच में उन्हें दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? (घ) वर्ष, 2003 में उद्योग आयुक्त द्वारा कार्यकारी संचालक पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं चयन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया, आवेदकों का विवरण तथा उसके संबंध में संचालक मंडल द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण देवें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है । (ग) वर्तमान में प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के उत्तर में उल्लेखित कुछ शिकायतें परीक्षणाधीन/प्रक्रियाधीन होने के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) कार्यकारी संचालक पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स अनुसार है । संचालक मण्डल की 45 वीं बैठक दिनांक 5/7/2004 में पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार आवेदकों की स्क्रूटनिंग एवं समस्त प्रक्रिया हेतु कमेटी का गठन किया गया था । आवेदकों का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार हैं । कमेटी द्वारा किसी भी अभ्यार्थी के संबंध में अनुशंसा नहीं करने के कारण तत्कालीन उघोग आयुक्त एवं कार्यकारी संचालक के आदेश अनुसार आवेदकों के शुल्क वापस किये गये । लिये गये निर्णय की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार है ।

<u>प्रदेश में उद्योगों के लिए आरक्षित भूमि</u>

6. **(क्र. 34) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) पिछले दस सालों में उद्योगों के लिये कितनी जमीन आरक्षित है और इसमें कितना इज़ाफा हुआ ? (ख) वर्ष, 2014 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आये निवेश प्रस्तावों के लिए कितनी जमीन आरक्षित की गई है ? समिट में कितनी राशि खर्च की गई है ? (ग) क्या राज्य सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसके माध्यम से म.प्र. के विदेशों में बसे परिवारों को वापस बुलाया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) पिछले दस सालों में वर्ष 2004 से 2014 तक 15208.598 हैक्टेयर शासकीय भूमि विभाग को आरक्षित/हस्तांतरित हुई है । (ख) प्रदेश के सभी 51 जिलों में कुल 25497.568 हैक्टेयर शासकीय भूमि चिन्हित कर लैंड बैंक संधारण किया गया है । इसके साथ-साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों तथा औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों द्वारा संधारित औद्योगिक क्षेत्रों में भी भूमि उपलब्ध है,जिनमें सें वर्ष 2014 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आऐ निवेशकों को भूमि उपलब्ध करायी जायेगी। समिट के आयोजन में रूपये 24.26 करोड रूपये (प्रावधिक) राशि खर्च हुई है । (ग) जी नहीं ।

<u>जिनींग फैक्ट्री की भूमि के संबंध में</u>

7. **(क्र. 48) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) परि.अतारांकित प्रश्न संख्या-4 (क्र.71) दिनांक 10.07.2013 पिपलौदा, ताल, आलौट, पिपरई मेड़ी, जावरा, महिदपुर आदि उज्जैन संभाग के किन-किन स्थानों पर पूर्व में जिनिंग फैक्ट्री की भूमि को भू-माफियाओं ने ऐन-केन प्रकरण हड़पने के विरूद्ध पिछले पांच सालों में शासन को जो शिकायतें हुई उनका विवरण देते हुये यह बताये कि उक्त भूमि को शासन कब तक अधीन लेकर नवीन उद्योग के लिए आरक्षित करेंगी ? (ख) क्या यह सही है कि जावरा व पिपलौदा की जिनिंग फैक्ट्री की भूमि को भू-माफियाओं ने अधिग्रहण कर कॉलोनी काट दी ? क्या उस पर मकान बनाना शुरू हो गये ? उसकी क्या शासन जांच कर कार्यवाही करेंगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जिले में जिनिंग फैक्ट्री की भूमि के संबंध में तहसील पिपलौदा के कस्बा पिपलौदा की भूमि सर्वे नं. 1820 एवं 1821 के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी । प्रथम दृष्टया खसरा रियासत पिपलौदा रिकार्ड अनुसार सन 1929-30 में सर्वे क्रमांक 1820 रकबा 0.92 सर्वे नं. 1821 रकबा 0.74 पर खसरा कॉलम नं. 7 में खास सरकार शब्द अंकित है । तथा खसरा के कॉलम नं. 12 में नारायणदास पिता लक्ष्मीनारायण जी महाजन साकिन जावरा जिनिंग फैक्ट्री दर्ज रिकार्ड है । वर्ष 1957-58 की बंदोबस्त खसरा रिकार्ड अनुसार नवीन सर्वे नं. 1491 रकबा 0.04 सर्वे नं. 1492 रकबा 3.03 कुल रकबा 3.07 है । उक्त सर्वे नम्बर की भूमि पर खसरा में वासुदेव पिता नारायणदास जी जाति महाजन साकिन मंदसौर पक्का कृषक दर्ज लिखा है । वर्तमान पटवारी रिकार्ड अनुसार 1491 रकबा 0.016 हेक्टेयर सर्वे नं. 1492 का कुल रकबा 1.226 हेक्टेयर जूमला रकबा 1.242 हेक्टेयर है । वर्तमान में उक्त सर्वे नम्बरान की भूमियॉ बेची जा चुकी हैं । तथा अलग-अलग भूमि स्वामी के नाम पर दर्ज है । उक्त भूमि का रिकार्ड अवलोकन अनुसार किस वर्ष में किन शर्तों पर भूमि लीज पर दी गई थी । कहीं भी रिकार्ड में उल्लेख नहीं है । उक्त भूमि एंव अन्य तहसीलों में पूर्व बंदोबस्त में दर्ज जिनिंग फैक्ट्री की भूमियों के अभिलेखों के मिलान की कार्यवाही प्रचलित है । जिससे वर्तमान अभिलेख में भू-स्वत्व पर अंकित भूमियों के इन्द्राज का वर्ष 1956-57 की भू-स्वत्व संबंधी प्रविष्टियों एवं पूर्व वर्षों के बंदोबस्त अभिलेख के संदर्भ में जांच की कार्यवाही प्रचलित है । संपूर्ण प्रकरण में भू-स्वत्व संबंधी दस्तावेजों के वैद्यानिक पहलुओं की जांच पश्चात ही स्पष्ट हो सकेगा कि उक्त भूमि भू-स्वत्व पर है अथवा फैक्ट्री प्रयोजन से लीज पर दी गई । (ख) उक्त भूमियों के संबंध में वांछनीय अभिलेख उपलब्ध नहीं है नियमानुसार जांच उपरांत स्थिति स्पष्ट की जा सकेगी ।

<u>वनभूमि पर निजी कब्जे</u>

8. **(क्र. 49) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अशोक नगर जिले में कहाँ-कहाँ पर निजी लोगों ने वनभूमि पर कब्जा कर मकान बनाया या बनाये हैं तथा खेती कर रहे हैं एवं अवैध कब्जा कर रखा है ? ऐसी भूमि चिन्हित कर अतिक्रमण हटाने के लिए शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की है तथा वन विभाग के जिन अधिकारियों/ कर्मचारियों के सहयोग से यह अतिक्रमण हुआ है उन पर शासन ने क्या कार्यवाही की है ? (ख) आदिवासियों व वनवासियों के लिए वनाधिकार के संबंध में केन्द्र सरकार ने जो नियम व कानून पारित किये हैं उसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के कितने लोगों को वनाधिकार पट्टे दिये हैं तथा जो लोग पीढ़ियों एवं कई वर्षों से उस भूमि पर काबिज है उनको अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है तथा पिछले 4 महीनों में गरीबी रेखा के नीचे तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को हटाया है उनके पुनर्वास के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? (ग) 6 नवम्बर को ग्राम कुंवरपुर, तहसील चंदेरी में वन विभाग के कर्मचारियों व ग्रामीणों में विवाद व गोली चलने से कितने लोग कौन घायल हुये व कारणों का वर्णन करते हुए शासन ने क्या कार्यवाही की है ? (घ) वन विभाग की भूमि में विभाग के जिन कर्मचारियों की मिली भगत से अतिक्रमण हुए उनके विरूद्ध शासन ने क्या कायवाही की है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । अवैध अतिक्रमण को बेदखल करने की वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है । वनभूमि पर अतिक्रमण में, वन विभाग के किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी का सहयोग करना प्रकाश में नहीं आया है । अतएव शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) कार्यवाही हेतु समितियां गठित हैं । उक्त प्रश्नांकित अधिनियम के तहत अनुसूचित

जनजाति के पात्र 687 लोगों को वनाधिकार पत्र दिये गये हैं । अपात्र अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई भारतीय वन अधिनियम,1927 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे तथा अनुसूचित जाति के हटाये गये लोगों के पुनर्वास के लिये कोई प्रावधान नहीं है । (ग) प्रश्नाधीन घटना में कोई ग्रामीण घायल नहीं हुआ, अपितु ग्रामीणों द्वारा किये गये पथराव एवं डण्डे, फरसों से हमले तथा देशी कट्टों से फायर करने से 7 वन कर्मचारी घायल हुये। उक्त घटना में एक वनकर्मी पर ग्रामीणों ने हमला किया तथा शासकीय बन्दूक को लूट कर ले गये । उक्त घटना की पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई । वनभूमि पर वृक्षारोपण के उद्देश्य से कन्टूर ट्रेंच खुदाई के दौरान ग्रामीण एकत्र हो रहे थे । कुंवरपुर ग्राम के ग्रामीणों के इकट्ठा होने तथा सामूहिक रूप से विरोध करने के कारण उक्त हिंसक घटना घटित हुई । कलेक्टर, अशोकनगर द्वारा उपरोक्त घटना की जांच हेतु मजिस्ट्रीयल जांच संस्थापित की गई है । (घ) इस तरह का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । अतएव शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शिवपुरी जिले में वृक्षारोपण

9. **(क्र. 65) श्री राम सिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में वन विभाग द्वारा अप्रैल 2009 से वर्ष 2014 दिनांक 20/08/2014 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने वृक्षारोपण कराए गए ? (ख) क्या उक्त वृक्षारोपण में क्षेत्रों में सुरक्षा के लिये सी.पी.टी./सी.पी.डब्ल्यू बनाये गये है? उक्त वृक्षारोपणों में लगाये गये वृक्षों की प्रजातिवार संख्या बतावें ? (ग) वृक्षारोपण पर सुरक्षा हेतु कितनी राशि वर्षवार एवं क्षेत्रवार व्यय की गई ? उक्त वृक्षारोपण में जीवित वृक्षों की संख्या का प्रतिशत क्या हैं ? उक्त वृक्षारोपण में क्या कभी दीवार चोरी हुई थी ? यदि हां तो दीवार चोरी के लिये कौन उत्तरदायी है ? इनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र क्रमांक 240 दिनांक 20/08/2014 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 288 दिनांक 27/10/2014 से प्रश्नाधीन वर्णित बिन्दुओं पर जानकारी चाही थी ? यदि हां तो उक्त जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं करायी गई ? कारण सहित बतायें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित अवधि में 158 वृक्षारोपण कराये गए । (ख) जी हां । प्रजातिवार वृक्षों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । वृक्षारोपण में वृक्षों की जीवितता 72 प्रतिशत है । वृक्षारोपण क्षेत्रों में दीवार चोरी का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी हां । जानकारी माननीय विधायक कोलारस को दिनांक 25.11.2014 को उपलब्ध करा दी गई है ।

जतारा जिला टीकमगढ़ के बाईपास सड़क निर्माण में अनियमितता

10. **(क्र. 75) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जतारा नगर पंचायत के बाईपास सड़क निर्माण में जो एलाईमेंट (सर्वे) खसरा क्र. 536/8 के कुये व नक्शा के अनुसार दशरथ आदिवासी के खसरा क्र. 536/7 से होकर 539/4 तक किया गया था । अधिग्रहण की गई भूमि खसरा नं. 536/8 में कुंआ का मुआवजा रू. 302787 वितरण हेतु स्वीकृत किया गया एवं खसरा नं. 536/7 का भी मुआवजा रू. 1,74,500 स्वीकृत कर लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों ने ठेकेदार की शह पर रोड घुमाकर उक्त दोनों खसरा नं. को बचा दिया और उक्त मुआवजे की राशि ठेकेदार की मिली भगत से शासन की राशि हड़प ली गई ? उक्त किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया तथा रोड सफाई में काटे गये पेड़ो की लकड़ियां भी लाखों रूपयों की ठेकेदार द्वारा वन विभाग या शासन में नहीं दी

गई ठेकेदार द्वारा स्वयं हड़प ली ? (ख) क्या इस प्रकार के घोर भ्रष्टाचार की जॉच कराने हेतु कमेटी गठित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? (ग) क्या भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही कर हड़प की गई शासन की राशि की वसूली करेंगे, तथा वन विभाग या शासन को लकड़िया वापिस दिलायेंगे ? यदि हां, तो कब तक अवधि बतायें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? वसूली क्यो नहीं की जा सकती ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) राजस्व विभाग द्वारा जतारा बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु जो एलाईन्मेंट दिया गया है उसी आधार पर कार्य कराया जा रहा है । संबंधित किसानों की अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को वितरित किया जा चुका है । मुआवजा राशि हड़पने का प्रश्न ही नहीं उठता है । जी नहीं । (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>टीकमगढ़ से मऊरानीपुर मार्ग का सड़क निर्माण</u>

11. **(क्र. 76) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ से मऊरानीपुर मार्ग में खरगूपुरा तिगैला से कनेरा तक की सड़क विगत 10-12 वर्षो से खराब पड़ी हुई है परंतु ठेकेदार द्वारा उक्त सड़क को ठीक करने के कार्य में काफी लापरवाही की जा रही है ? (ख) क्या उक्त रोड की हालत आज भी जर्जर बनी हुई है ? क्या इस घटिया सड़क निर्माण की जॉच करायेंगे ? क्या यदि हां, तो कब तक ? (ग) दोषी पाये जाने वाले ठेकेदार के विरूद्ध जॉच कराकर दोषी के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो स्पष्ट करें तथा जांच हेतु गठित कमेटी में सागर संभाग या भोपाल संभाग के ही जॉच अधिकारी रखेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

<u>प्रदेश में बूचड़खानों (Sloter House) को बंद किया जाना</u>

12. **(क्र. 90) श्री संजय पाठक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य है कि बूचड़खानों में मांसाहारी प्रवृत्ति के लोगों के खानपान हेतु पशु वध किये जाते हैं जिसमें सनातन धर्म में पूज्यनीय मॉ समान गाय की भी हत्या की जाती है ? (ख) क्या संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसार यह असंवैधानिक है ? (ग) क्या मध्यप्रदेश में भी गऊ हत्या बंद करने में रोक लगाने के प्रयास स्वरूप बूचड़खानें (Sloter-house) बंद कराते हुए प्रदेश शासन रोक लगाएगा ? हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 एवं मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगरीय निकायों को वधशालाओं की स्थापना, पशुवध एवं मॉस विक्रय को विनियमित करने के अधिकार प्रदत है । मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004, में गौवंश के वध को प्रतिबंधित किया गया है ।

<u>मंदिरों की आय में से मंदिरों के पुजारियों को राशि का प्रदाय</u>

13. **(क्र. 94) श्री संजय पाठक :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) जबलपुर संभाग में ऐसे कितने मंदिर हैं, जिनमें उनकी सुरक्षा एवं खर्चे हेतु जमीन लगी हुई है ? एवं ऐसे मंदिरों के भगवान के नाम पर बैंक में खाते भी खुले हैं ? जिलेवार, मंदिरों के नाम सहित संख्या बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) , मंदिरों की जमीन से होने वाली आय से मंदिर के रखरखाव के अतिरिक्त जो राशि बचती है, क्या उस राशि में से पुजारियों को भी जीवन-यापन हेतु राशि दी जाती है ? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कौन-कौन से मंदिरों में ? प्रश्नांश (क) अनुसार सूची दें ? (ग) क्या राजस्थान सरकार द्वारा लाये गये मंदिरों के नियमों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन भी इस ओर अपना नियम बनाते हुए मंदिर के पुजारियों को लाभांवित करेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>पर्यावरण की अनुमति लिये बगैर किये गये निर्माण कार्य</u>

14. **(क्र. 105) श्री विश्वास सारंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अता. प्रश्न संख्या 48. (क्र. 1882) दिनांक 10 जुलाई 2014 के तहत भोपाल कोलार रोड इनायतपुर स्थित एडवांस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के खिलाफ एस.इ.आई.ए.ए. द्वारा लिखे जाने के बाद भी प्रश्न दिनांक तक दण्डनीय कार्यवाही क्यों नहीं की गई है ? कारण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत समय पर दण्डनीय कार्यवाही नहीं किए जाने के लिए किस पदनाम/नाम के अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या समय पर कार्यवाही नहीं किए जाने पर उन पर कोई कार्यवाही की जायेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) मेसर्स एडवांस मेडिकल साइंस एंड एज्यूकेशन सोसायटी, भोपाल के विरूद्व पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 की धारा-15 एवं 19 के अंतर्गत सीजेएम कोर्ट,भोपाल में दिनांक 20/08/2014 को वाद दायर किया जाना प्रतिवेदित है । अतः शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

<u>शिवपुरी जिले में वन भूमि में अतिक्रमण</u>

15. **(क्र. 118) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले में वर्ष 2012-13 में कुल कितने हैक्टेयर वन भूमि उपलब्ध थी । वीट बार, वनपरिक्षेत्रबार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक कितने हैक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया । यदि हाँ तो अतिक्रमणकारियों के विरूद्व कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई ? वीट-बार, वनपरिक्षेत्र बार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) यदि अतिक्रमण किया गया है, तो इसके लिये जिम्मेदार वनपरिक्षेत्र अधिकारी एवं उपवनक्षेत्रपाल, तथा बीट गार्ड के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई । यदि नहीं तो इसके क्या कारण है व कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) वनमण्डल शिवपुरी के अंतर्गत वर्ष 2012-2013 में 305875.82 हेक्टेयर वन भूमि उपलब्ध थी, जिसकी बीटवार, वन परिक्षेत्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) वनमण्डल के अंतर्गत वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक 280.811 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया । अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ग) अतिक्रमण पर नियंत्रण न रखने के संबंध में दोषी पाये गये वन कर्मचारियों के विरूद्ध वनमण्डल द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है ।

वन विभाग शिवपुरी अंतर्गत वृक्षारोपण

16. **(क्र. 121) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग शिवपुरी के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 से प्रश्न दिनांक तक कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया व कितने वृक्ष लगाये गये, वनपरिक्षेत्र वार पृथक-पृथक विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल कितना आवंटन प्राप्त हुआ व उक्त राशि का व्यय किस-किस मद में किया गया व इसका भौतिक सत्यापन कब-कब व किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया ? (ग) क्या उक्त वृक्षारोपण कार्यो की मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में किया जाना था ? यदि हां तो वृक्षारोपण कार्यो में लगाये गये मजदूरों से कितने गड्डे खुदवाये गये व उसकी मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खाते में किया गया अथवा नगद ? यदि नगद भुगतान किया गया तो किस आदेश के तहत ? आदेश की प्रति उपलब्ध करावे ? (घ) उक्त वृक्षारोपण कार्य में लगाये गये पौधों में से वर्तमान में कितने पौधें जीवित है व कितने पौधें नष्ट हो गये व उसके लिये कौन-कौन जिम्मेदार है ? क्या उन अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई यदि हाँ तो विवरण दें ? यदि नहीं तो कब तक व क्या कार्यवाही की जावेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । वृक्षारोपण कार्य हेतु कुल राशि रूपये 3,53,14,297 का आबंटन प्राप्त हुआ। इस राशि का व्यय गड्ढा खुदाई, पशु अवरोध दीवार, खाद, रोपण, निंदाई, पौध परिवहन एवं सुरक्षा आदि कार्य पर किया गया । (ग) जी नहीं । वृक्षारोपण कार्यो में लगाये गये मजदूरों से खुदाये गये 17,56,941 गड्ढों का भुगतान नगद किया गया । मजदूरों के ई-भुगतान के संबंध में संचालनालय, कोष एवं लेखा, म.प्र. के आदेश क्र./डीटीए/ई-भुगतान/2014/591 दिनांक 24.09.2014 की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । (घ) वृक्षारोपण कार्य में लगाये गये पौधों में से 14,70,947 पौधे जीवित हैं एवं 28,59,94 पौधे प्राकृतिक कारणों से मृत/ नष्ट हुये हैं । सभी वृक्षारोपण में निर्धारित मापदण्ड प्रतिशत से अधिक पौधे जीवित हैं । अतः किसी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "छ:"

अलीराजपुर जिले के पुजारियों को नेमनुक (मानदेय) का भुगतान

17. **(क्र. 131) श्री माधो सिंह डावर :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या अलीराजपुर जिला बनने के बाद नवीन अलीराजपुर जिले के पुजारियों को नेमनुक (मानदेय) का भुगतान किया गया है ? (ख) यदि नहीं तो क्या कारण है ? (ग) पुजारियों को नेमनुक (मानदेय) का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं । कलेक्टर से 14,11,200/- रूपये का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । विभाग द्वारा बजट आवंटन दिया गया है । (ख) यथाशीघ्र भुगतान किया जायेगा (ग) यथाशीघ्र ।

<u>गरोठ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण</u>

18. **(क्र. 137) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछले तीन वर्षों में गरोठ विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कुल कितनी सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी हुई ? क्या क्षेत्र अंतर्गत समस्त सड़कों का कार्य पूर्ण हो गया है ? वर्तमान में किन-किन सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ? (ख) क्या सड़क निर्माण हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा विभाग को सड़क निर्माण हेतु प्रस्ताव दिये गये है ? यदि हां, तो क्या उनका परीक्षण करवा लिया गया है ? यदि हां, तो किसी कार्य को स्वीकृत किया गया है ? (ग) वार्षिक मरम्मत मद अंतर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये है ? सूची देवें ? क्या ये समस्त कार्य प्रारंभ हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक प्रारंभ किये जायेंगे ? (घ) अनुपूरक बजट में प्रश्नांश (क) विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कोई सड़क सम्मिलित की गई है ? यदि हां, तो नाम बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार एवं म.प्र. सड़क विकास निगम उज्जैन द्वारा एक सड़क की नीमच-झालावाड मार्ग एस.एच. 30 के गांधीसागर अभ्यारण क्षेत्र के नवीनीकरण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है । उक्त नवीनीकरण कार्य पूर्ण हो गया है । वर्तमान में भानपुरा शहर चम्बल चौराहे से नीमथूल गेट तक फोरलेन सीमेन्ट कांक्रीट रोड़ 1.91 कि.मी. तक निर्माण किया जाना प्रस्तावित है । (ख) जी हाँ । जी हाँ । कोई नहीं । (ग) विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार तथा म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत वार्षिक मरम्मत मद के अंतर्गत मानसा-रामपुरा-भानपुरा-झालावाड मार्ग एस.एच. 30 के पेच रिपेयर कार्य कि.मी. 111 से कि.मी. 146 तक अनुमानित लागत रू. 32.22 लाख का स्वीकृति होकर कार्यादेश क्रं. 13 दिनांक 17.10.2014 से जारी किया गया है । कार्य प्रगति पर है । (घ) सम्मिलित नहीं अपितु एक सड़क कार्य प्रस्तावित । भानपुरा शहर मुख्य मार्ग गांधीसागर चौराहे से झालावाड मार्ग ।

परिशिष्ट- "सात"

<u>शहरी क्षेत्र की डामरीकृत सड़को की गारंटी अवधि</u>

19. **(क्र. 150) श्री अंचल सोनकर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका निगम जबलपुर की सीमा में बनाई जाने वाली डामरीकृत सड़को की गारंटी अवधि कितनी है ? निगम द्वारा विगत 3 वर्षों में कितनी-कितनी लंबाई की कितनी सड़कों को डामरीकृत किया गया, माहवार जानकारी दें ? लंबाई सहित भुगतान की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांक (क) में निर्मित सड़कों को उक्त अवधि में कौन-कौन सी सड़के एक से अधिक बार बनाई गई, क्यों ? क्या सड़क निर्माण घटिया किस्म की थी ? (ग) क्या यह सत्य है कि सड़क टूटने, उखड़ने पर संबंधित ठेकेदार के गारंटी अवधि होने के उपरांत भी पुर्ननिर्माण क्यों नहीं कराया गया ? क्या यह भी सत्य है कि टूटी एवं उखड़ी सड़कों का पुन: टेन्डर कर बनवाई गई क्यों ? टूटने एवं उखड़ने वाली सड़कों के लिए दोषी अधिकारी पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? कब तक कार्यवाही की जावेगी ? समय-सीमा बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) सड़को की गारंटी अवधि तीन वर्ष है । जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) उत्तरांश 'क' उल्लेखित सड़कों में से कोई भी सड़क एक से अधिक बार नहीं बनाई गई है । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । जी नहीं । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

जल प्लावन की समस्या का निदान

20. **(क्र. 151) श्री अंचल सोनकर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 5 (क्र. 1701) दि. 10/07/014 के उत्तर के संबंध में नगर पालिका निगम जबलपुर के अंतर्गत एल.एण्ड.टी. कंपनी द्वारा बनाये जा रहे नालो की जांच मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल द्वारा दि. 27/08/2014 को की गयी थी ? यदि हां, तो किन-किन नालों की किन-किन बिंदुओं पर ? उक्त जांच में क्या-क्या अनियमितता पाई गई, अनियमितताओं के लिए किन-किन अधिकारियों को दोषी पाया गया ? (ख) एल.एण्ड.टी. कंपनी के द्वारा निगम क्षेत्र में बनाये जा रहे नालों की लंबाई बतावें ? कौन-कौन नाले पूर्ण हो चुके हैं एवं कौन-कौन अपूर्ण है क्यों ? लंबाई सहित कार्य पूर्ण न होने का कारण बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि नाला निर्माण में क्रस्ड स्टोन डस्ट लगाई जा रही है ? यदि हां, तो क्रस्ड स्टोन डस्ट लगाने की अनुमति कब और किसके द्वारा की गई ? अब तक नालों के निर्माण में कितने घनमीटर क्रस्ड स्टोन डस्ट का उपयोग किया गया ? उक्त डस्ट स्टोन कहां से लाई गई फर्म का नाम एवं कितने घन मीटर डस्ट का क्रय किया गया ? राशि सहित पूर्ण विवरण दें ? (घ) क्या यह सत्य है कि MR-4 रोड स्थित शदाब्दीपुरम के नाले की स्लेवक्रांकीट में क्रेसर डस्ट डालने के कारण निर्माण के तत्काल बाद उखड़ गई थी ? अनियमितता के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी है एवं इन पर क्या कार्यवाही की जावेगी तो कब तक ? क्या मुख्य तकनीकी परीक्षक (सर्तकता) से जांच कराई जावेगी तो कब तक ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । शेषांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (ग) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नगर पालिका सारंगपुर द्वारा व्यय की राशि की अनियमितता की जॉच

21. **(क्र. 172) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका सारंगपुर में दिनांक 01.04.14 से दिनांक 31.10.14 तक विभाग द्वारा कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? प्राप्त आबंटन एवं उसके विरूद्ध किये गये व्यय राशि की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रदाय किये गये चैकों में से चैकों की निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरान्त कितने चैक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लौटाये गये है ? उपरोक्तानुसार चैकों को बगैर भुगतान के लौटाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर पालिका परिषद, सारंगपुर में दिनांक 01-04-14 से 31-10-14 तक रूपयें 307.33 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसके विरूद्ध रूपयें 307.33 लाख का व्यय किया गया । (ख) उक्त अवधि में प्रदाय किए गए चैकों में से निर्धारित अवधि व्यतीत होने के उपरांत कोई भी चैक मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नहीं लौटाए गए है, अत: शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नगर पालिका सारंगपुर अन्तर्गत निर्माण कार्यों के भुगतान में अनियमितता की जॉच

22. **(क्र. 173) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर की नगर पालिका सारंगपुर अन्तर्गत दिनांक 01.01.2014 से दिनांक 31.10.2014 तक कितने कार्य स्वीकृत किये गये हैं एवं उनके विरूद्ध कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध व्यय की गई राशि बतावें ? उपरोक्तानुसार शेष कार्य कब तक पूर्ण किये जा सकेंगे ? (ग) क्या उक्त कार्यों का माप तकनीकी इंजीनियर द्वारा चेक कराये गये हैं ? यदि नहीं, तो बगैर माप चेक किये किस आधार पर फर्म का भुगतान किया जा रहा है ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार किये गये कार्यों का भुगतान बगैर माप चेक किए किया गया हो, तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) - नगर पालिका सारंगपुर अन्तर्गत दिनांक 01-01-14 से दिनांक 31-10-14 तक की अवधि में कोई कार्य स्वीकृत नहीं हुए है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

सर्वे क्र. 2501 व 2511 भूमि विक्रय की राशि की ब्याज सहित वसूली

23. **(क्र. 191) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परि. अतारांकित प्रश्न क्र.1127 दि. 3/7/2014 भूखण्ड प्रयोजन के विपरीत विक्रय किया गया है ? जनहित याचिका क्र. 353/2011 व 6092/2010 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) क्या यह सही है कि उप सम्भागीय कार्यालय भिण्ड बन्द नहीं किया, किराये के भवन में संचालित है ? किराये के भवन में कार्यालय संचालित है तो भूखण्ड विक्रय करने के लिए क्या उद्देश्य है ? कम लागत पर विक्रय करने के लिए शासन की क्या मंशा है ? (ग) सर्वे क्र. 2501 व 2511 वर्गमीटर 1022.35 भूखण्ड का वर्तमान कीमत करोड़ो की है कम मूल्य आंकलन कर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के विक्रय करने के लिए कौन-कौन दोषी है ? क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क), से (ग) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में विभागीय आदेश दिनांक 28.12.2011 द्वारा भू-खण्ड अंतरण की कमियों का निदान कर दिया गया है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट'अ' अनुसार है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होते हैं ।

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड द्वारा अवैधानिक रूप से भूमि लीज पर देने बावत्

24. **(क्र. 192) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) तारांकित प्रश्न क्रमांक- 348, दिनांक 4 मार्च, 2014 के तारतम्य में माननीय मंत्री महोदया का पत्र क्रमांक क्यू, दिनांक 5-3-2014 में भूमि आवंटन जिला व्यापार उद्योग केन्द्र भिण्ड विभागीय नियमों का पालन न करने के कारण प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर निलम्बित किया गया है ? यदि हां, तो क्या-क्या आरोप निर्धारित किए गए हैं ? जॉच अधिकारी कौन नियुक्त किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र भिण्ड द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही में विभागीय नियमों का पालन न होने के कारण करोड़ों की भूमि की जांच किस स्तर के अधिकारी द्वारा करवाई गई ? क्या जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ? क्या-क्या कमियां दर्शाई गईं ? (ग) क्या जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भिण्ड को प्रकरण की

विस्तृत जांच करने एवं प्रश्नाधीन आवंटन निरस्त करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु आदेश/निर्देश जारी किए गए हैं ? यदि हां, तो प्रश्नांश दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है ? (घ) क्या महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, भिण्ड को निर्दोष मानकर बहाल किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? बहाल करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हॉ, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । कोई जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है । (ख) अपर संचालक उद्योग, स्तर के अधिकारी से जांच करायी गयी थी । जांच प्रतिवेदन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । (ग) जी हॉ, 17 इकाईयों के भूमि पट्टाभिलेख निरस्त किये जाने की कार्यवाही की गयी है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है । (घ) श्री हाशमी को 21-04-2014 को आरोप पत्र जारी कर उनका प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था । श्री हाशमी द्वारा 01-05-2014 तथा 05-05-2014 को अपना जवाब शासन को प्रस्तुत किया गया । श्री हाशमी के उत्तर के परीक्षणोंपरांत उन्हें "परिनिन्दा" की शास्ति से दंडित करते हुये निलंबन से बहाल किया गया है ।

नगर परिषद मांडव में डाली गयी पेयजल लाईन की लागत

25. **(क्र. 213) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद माण्डव क्षेत्र में सागर तालाब से कनडीपुरा,झाबरी, जामन्या, एवं नंदलालपुरा आदि स्थानों तक पेयजल पाईप लाईन किस वर्ष में व कितनी लागत से डाली गई थी ? (ख) परिषद के उपरोक्त क्षेत्रों में डाली गई पेयजल पाईप लाईन को कब तक प्रारंभ कर क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध करा दिया जावेगा ? तथा डाली गई पाईप लाईन की वर्तमान स्थिति क्या है ? यदि पूर्णत: अनुपयोगी है तो कब तक नवीन पाईप लाईन डालकर क्षेत्र के नागरिकों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर परिषद्, माण्डव क्षेत्र में सागर तालाब से कनडीपुरा, झाबरी, जामन्या एवं नंदलालपुरा आदि स्थानों तक पेयजल पाईप लाईन वर्तमान तक नहीं डाली गई है । (ख) उत्तरांश "क" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । माण्डव नगर की जलप्रदाय योजना ए.डी.बी. के द्वितीय चरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित की गई है । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

प्रदेश में विदेशी निवेश आकर्षित करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा की गई यात्राऍं

26. **(क्र. 231) श्री रामनिवास रावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) 1 जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों द्वारा किन-किन देशों की यात्राऍं कब-कब की ? इन यात्राओं पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) की यात्राओं में किन-किन विदेशी उद्योग समूहों/संस्थाओं द्वारा प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग/निवेश के लिए एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किए गए ? इन एम.ओ.यू. में से प्रदेश में कितना विदेशी निवेश किस क्षेत्र में अभी तक कहां-कहां किया गया है ? कितना भविष्य में प्रस्तावित है ? कितने एम.ओ.यू. किस कारण से निरस्त हुए ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) 01 जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये मान. मुख्यमंत्री एवं मंत्रि-मंडल के अन्य सदस्यों द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	देश का नाम	दिनांक	व्यय राशि (रूपये लाख में)
1	साउथ अफ्रीका	07-15 जून 2014	100.28
2.	यू.ए.ई.	19-22 अगस्त 2014	43.22

(ख) प्रश्नांश (क) की यात्राओं में दुबई भ्रमण के दौरान दुबई की कम्पनी मे. एमिरेट्स के साथ कम्पनी द्वारा प्रदेश में कार्गो ऑपरेशन्स गतिविधि प्रारंभ करने हेतु फेसिलिटेशन के लिये एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुआ है । इस एम.ओ.यू. में निवेश राशि का उल्लेख नहीं है अत: अभी यह बताना संभव नहीं है कि कितना विदेशी निवेश भविष्य में प्रस्तावित है । विदेश यात्रा के दौरान हस्ताक्षित एम.ओ.यू. निरस्त नहीं हुआ है ।

प्रदेश में आयोजित इंवेस्टर्स मीट

27. **(क्र. 232) श्री रामनिवास रावत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2009 से वर्ष 2014 में प्रश्नांकित दिनांक तक प्रदेश में देशी, विदेशी निवेश आकर्षित किए जाने हेतु कहां-कहां पर इंवेस्टर्स मीट का आयोजन कब-कब किया इनमें कितने-कितने राशि के निवेश हेतु कितने-कितने एम.ओ.यू. औद्योगिक संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित किए गए ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित इंवेस्टर्स मीट में हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. अनुसार कितनी इकाईयां प्रारंभ हो चुकी हैं ? कितना निवेश हुआ है ? कितने एम.ओ.यू. निरस्त हुए हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार आयोजित इंवेस्टर्स मीट पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2009 से वर्ष 2014 तक प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के स्थान,आयोजन की तिथि, औद्योगिक संस्थाओं द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की संख्या व निवेश राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. में उत्पादन प्रारंभ इकाईयॉ, पूंजी निवेश एवं निरस्त एम.ओ.यू. की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) आयोजित इन्वेस्टर्स मीट पर व्यय राशि की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट- "आठ"

परासिया वि.स. क्षेत्र की जल आर्वधन योजना

28. **(क्र. 253) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका परासिया U.I.D.S.S.M.T योजना के तहत् जल आवर्धन योजना राशि स्वीकृत की गई ? प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्र. वि.स./परासिया/तहत जल आवर्धन योजना राशि स्वीकृत की गई ? तथा पत्र क्र. वि.स./परासिया/127/2014/365 दिनांक 07.07.2014 आयुक्त भोपाल को शिकायत की गई थी कि इस योजना में अनियमिततायें की जा रही है, जिसकी विस्तृत जानकारी पत्र में

थी ? इस संबंध में मुख्य अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल द्वारा पत्र क्र.यां.प्र./7.7/ UIDSSMT/ 2014/5649 दिनांक 20.08.14 के तहत् प्रश्नकर्ता को जानकारी दी गई कि शिकायत की जॉच संभागीय कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास जबलपुर संभाग जबलपुर के साथ स्वतंत्र पुनरीक्षण एवं निगरानी संस्था (IRMA) तथा निर्माण पर्यवेक्षण गुणवत्ता आश्वासन (CSQA) के संयुक्त दल के द्वारा की जायेगी ? (ख) प्रश्नकर्ता की शिकायत पर जॉच की गई या नहीं ? यदि नहीं, की गई तो उसका कारण स्पष्ट करें ? यदि जॉच की गई है तो उस जॉच रिपोर्ट की जानकारी दें ? जॉच नहीं करने एवं उसमें विलंब करने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही होगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ, जॉच की गयी । जॉच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" पर है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट- "नौ"

जबलपुर अमरकंटक मार्ग के पुल पुलियों की जानकारी

29. **(क्र. 296) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जबलपुर अमरकंटक मार्ग के कई पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हैं तथा बरसात में कम बाढ़ में ही जाम लग जाता है ? (ख) क्या यह सही है कि जबलपुर अमरकंटक मार्ग के पुलियों /पुलों में जाम लगने से जन मानस भारी परेशान होते हैं ? (ग) जबलपुर अमरकंटक मार्ग के पुल पुलियों की निर्माण हेतु आर.डी.सी. द्वारा प्राक्कलन बनाकर शासन के पास स्वीकृति हेतु कब से प्रस्ताव लगाया गया है, तथा शासन के पास कब से प्रस्ताव लंबित है ? कब तक शासन स्तर से पुल पुलियों की निर्माण हेतु स्वीकृति मिलेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ, किन्तु ऊँचाई कम होने के कारण वर्षाकाल में पुल पुलिया जलमग्नीय होने के कारण यातायात बाधित होता है । (ख) जी हाँ । (ग) प्रस्ताव दिनांक 15.07.2014 को प्राप्त है जिस पर कार्यवाही प्रचलन में है ।

निर्माण कार्यो की जानकारी

30. **(क्र. 299) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डोरी जिले में कौन-कौन से निर्माण कार्य चल रहे हैं ? वर्ष 2012-13 से आज तक की जानकारी, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, मद, कार्य की स्थिति कार्यवार बतावें ? (ख) डिण्डौरी जिले में कौन-कौन से निर्माण कार्य समय पर पूर्ण नहीं हुए है, प्रत्येक कार्य का नाम, स्वीकृति राशि, कार्य प्रारंभ दिनॉक, कार्य पर व्यय राशि, कार्य समय पर पूर्ण नहीं होने का कारण, विभाग द्वारा कार्य को समय पर पूर्ण करने के लिए क्या-क्या प्रयास किया गया, कार्यवार जानकारी देवें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'अ-1 एवं प्रपत्र 'क' अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब', 'ब-1' एवं प्रपत्र 'ख' अनुसार ।

<u>उद्योगों की स्थापना</u>

31. **(क्र. 324) श्री मेव राजकुमार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) इंदौर संभाग में कौन-कौन से क्षेत्र उद्योगिक क्षेत्र के रूप में घोषित है ? एवं कौन-कौन से उद्योग स्थापित होकर वर्तमान में कार्य कर रहे हैं एवं इनमें कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है ? (ख) इंदौर संभाग में जिलेवार कहां-कहां एवं कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जाने की कार्य योजना तैयार की गई है एवं इस पर कार्यवाही किस स्तर पर प्रगतिरत है ? (ग) इंदौर संभाग के अंतर्गत खरगोन जिले में महेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मातमुर में प्रस्तावित रेडीयसन के माध्यम से परिस्कृत उद्योग स्थापित किये जाने हेतु कार्यवाही किस स्तर पर लंबित है ? यह उद्योग कब तक स्थापित किया जावेगा ? (घ) महेश्वर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत महेश्वर में हार्डीकल्चर हब निर्माण के संबंध में माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के परिपालन में हार्डीकल्चर हब की स्थापना के संबंध में कार्य किस स्तर पर लंबित है ? क्या कार्यवाही की जा रही है ? एवं कब तक हार्डिकल्चर हब की स्थापना कर दी जावेगी, ताकि क्षेत्र के किसानों को उद्यानिकी का लाभ प्राप्त होगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) इंदौर संभाग में शासन द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होकर कार्यरत उद्योगों एवं उपलब्ध कराए जा रहे रोजगार की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) इंदौर संभाग में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत उद्योग स्थापित किए जाने की कार्यवाही निवेशकों की मांग अनुसार की जाती है । निवेशकों को नीति अंतर्गत सुविधाएं प्रदत्त कर औद्योगिकीकरण को बढावा दिया जाता है । (ग) खरगोन जिले में महेश्वर क्षेत्रार्न्तगत ग्राम मातमूर में मेसर्स हिन्दुस्तान एग्रो को-ओपरेटिव्ह लिमिटेड द्वारा उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन का प्रकरण प्रकियाधीन है । शासन द्वारा भूमि आवंटन की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् उद्योग स्थापित होगा । (घ) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग अनुसार महेश्वर विधान क्षेत्रान्तर्गत महेश्वर में हार्टीकल्चर हब निर्माण की स्थापना प्रस्तावित नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "दस"

<u>इन्दौर जिले की कालोनी में कमजोर वर्ग के आवास का आवंटन</u>

32. **(क्र. 354) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश शासन द्वारा पांच एकड़ से अधिक की कालोनी या टाऊनशिप में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 15 प्रतिशत आवास बनाने का प्रावधान है ? (ख) यदि हां, तो इन्दौर जिले में कितनी कालोनी या टाऊनशिप में उक्त आवास उपलब्ध हैं ? और कब से हैं ? इन्हें अभी तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हितग्राहियों को आवंटित किया गया है अथवा नहीं ? नहीं तो क्यों नहीं आवंटित किए गए ? इन्हें आवंटित करने में क्या परेशानी आ रही है ? (ग) उक्त आवासों के आवंटन की प्रक्रिया कब तक प्रारंभ कर दी जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) प्रश्नांश से संबंधित जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) आवासों के आवंटन की प्रक्रिया प्रचलित है । अभी तक 273 आवास आवंटन की कार्यवाही कालोनाईजर व्दारा की गई है ।

<u>आश्रय निधि का उपयोग</u>

33. **(क्र. 355) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या मध्यप्रदेश में कालोनी या टाऊनशिप में गरीबों के आवास के बदले आश्रय निधि जमा करवाई गई है ? यदि हां तो इन्दौर में अभी तक कितनी आश्रय निधि के अंतर्गत किन-किन विभागों के पास जमा है ? इन्दौर में शहरी विकास अभिकरण के पास कितनी राशि जमा है ? (ख) इन्दौर शहर में आश्रय निधि का उपयोग किन-किन कार्यों में एवं कहां-कहां हुआ है ? (ग) इन्दौर शहर में आश्रय निधि के अन्तर्गत अभी कितनी राशि वर्तमान में जमा है ? तथा उससे क्या कार्य कराए जावेंगे या प्रस्तावित हैं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, अपितु मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 1998 अनुसार कालोनियों में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवास के बदले आश्रय निधि जमा कराई गई है । वर्ष 2002-03 से वर्ष 2010-11 तक आयुक्त, नगर निगम, इन्दौर एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इन्दौर द्वारा कुल आश्रय निधि रू. 92,81,39,909/- जमा कराई गई है । 19 अप्रैल, 2012 के पश्चात राशि रू. 21,16,39,035/- नगर निगम, इन्दौर में जमा कराई गई है । वर्तमान में जिला शहरी विकास अभिकरण के पास आश्रय निधि राशि रू. 36,94,28,158/- तथ नगर निगम, इन्दौर के पास राशि रू. 9,43,00,000/- जमा शेष है । (ख) इन्दौर शहर में विगत पॉच (05) वर्षो में उपयोग की गई आश्रय निधि की जानकारी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है । (ग) इन्दौर शहर में आश्रय निधि के रूप में वर्तमान में कुल रू. 46,37,28,158/- जमा है । जमा राशि से शहर की आवश्यकता अनुसार सक्षम स्वीकृति उपरांत कार्य कराये जाते है ।

परिशिष्ट- "ग्यारह"

<u>पौध रोपण की जानकारी</u>

34. **(क्र. 361) श्री रामलाल रौतेल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दिनांक 22 जुलाई 2013 को वन वृत्त शहडोल अन्तर्गत वन मण्डलों में लगभग 56 लाख से अधिक पौधा रोपण कार्य कराकर गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया है ? यदि हाँ, तो वनमण्डल का नाम, वन समिति/ग्राम रक्षा समिति का नाम, रोपित पौधो की संख्या एवं प्रजाति एवं पौध रोपण में व्यय राशि बतायें ? (ख) रोपित पौधो में से वर्तमान स्थिति में कितने प्रतिशत पौधे जीवित, वनमण्डल एवं वन समिति/ग्राम रक्षा समिति के अनुसार पूर्ण विवरण सहित बतायें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां । रोपित पौधों में से निर्धारित साक्षियों की उपस्थिति में स्थलों पर रोपित 17,08,181 पौधों का गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड दर्ज हुआ है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । समिति के सदस्यों द्वारा अपनी भूमियों पर पौधा रोपण स्वयं किया गया है, रोपण में कोई राशि व्यय नहीं की गई है । **(**ख) वन समितियों द्वारा निजी भूमि पर रोपित पौधों में से जीवित पौधों की गणना नहीं की गई है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>प्रशासकीय स्वीकृत के बिना निविदा खोली जाने</u>

35. **(क्र. 363) श्री रामलाल रौतेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर से जैतहरी पहुँच मार्ग की लम्बाई क्या है ? क्या वित्तीय वर्ष 2013-14 में निर्माण कराने की योजना है ? यदि हां तो उक्त सड़क की लागत क्या है ? क्या सही है कि बिना प्रशासकीय स्वीकृति के निविदा आमंत्रित करके मेसर्स विजय कुमार मिश्रा कान्स. प्रा.लि. रीवा के पक्ष में 9.94% एबव/Above पर कार्यादेश दिया है ? (ख) बिना प्रशासकीय स्वीकृति के कार्यादेश नियम विरूद्ध के श्रेणी में आता है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी को दण्डित किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 13.73 कि.मी. । जी हाँ । वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में रूपये 959.73 लाख के प्रावधान से मार्ग निर्माण कार्य हेतु शामिल किया गया है, कार्य की अनुमानित लागत रूपये 1219.86 लाख है । जी नहीं निविदा आमंत्रित की गई थी किन्तु प्रशासकीय स्वीकृति के अभाव में निविदा स्वीकृति नहीं की गई, ना ही कार्यादेश जारी किया गया । (ख) उत्तरांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

<u>लेबड़-नयागांव फोरलेन पर प्रकाश व्यवस्था</u>

36. **(क्र. 372) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लेबड़-नयागॉव फोरलेन पर अनुबंध के अनुसार कहां-कहां पर विद्युत व्यवस्था की जानी थी ? वहां क्या विद्युत संयोजन किया जा चुका है ? लगातार प्रश्नकर्ता द्वारा विद्युत संचालन उपरांत प्रति स्थल की विद्युत बिलों की प्रतिलिपि नहीं दिए जाने के क्या कारण है ? (ख) प्रश्नकर्ता विधायक को एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से अवगत कराया गया था कि 73 स्थानों पर विद्युत व्यवस्था की जानी थी, क्या समस्त कार्य पूर्ण हो गए हैं ? यदि हां, तो उसका निरीक्षण किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया है, अधिकारी का नाम पद सहित जानकारी देवें ? (ग) क्या यह सही है कि लेबड़-नयागॉव, फोरलेन पर टोल के अलावा समस्त जगह प्रकाश व्यवस्था वर्षभर पूर्णत: बंद रहती है ? लगातार क्षेत्रीय विधायकों द्वारा विधानसभा में ध्यानाकर्षण के बावजूद अनुबंधित प्रकाश व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराने के क्या कारण हैं ? (घ) फोरलेन निर्माण से अब तक क्या अनुबंधित समस्त कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विद्युत व्यवस्था का परिशिष्ट 'अ' पुस्तकालय में रखे अनुसार । लेबड-जावरा मार्ग पर 73 स्थानों पर विद्युत संयोजन किया जाना था जिसमें से 16 स्थानों पर विद्युत संयोजन कार्य पूर्ण हो गया है एवं जावरा-नयागांव मार्ग में अनुबंध अनुसार 14 स्थान पर विद्युत संयोजन किया जा चुका है । प्रश्न क्रं. 70 दिनांक 03.07.2014 के प्रश्नांश 'ख' के उत्तर में निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा लेबड-जावरा भाग के प्रस्तुत किये गये 14 स्थानों के बिलों (विद्युत विभाग) की प्रतियां प्रस्तुत की गई थी । लेबड-जावरा भाग में पूर्ण किये गये 16 विद्युत संयोजन के एवं जावरा-नयागांव भाग के 14 स्थलों के माह अक्टूबर/नवम्बर 2014 के विद्युत बिलों की निवेशकर्ता कम्पनियों द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रतियां परिशिष्ट 'क' पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ख) जी नहीं। 16 स्थानों पर विद्युत संयोजन कार्य पूर्ण हो गये है । 73 में से शेष 57 स्थानों पर विद्युत संयोजन कार्य निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा प्रगति पर है । शेष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । (ग) जी नहीं । लेबड-जावरा भाग में पूर्ण किये गये 16 एवं जावरा-नयागांव के समस्त 14 स्थलों विद्युत व्यवस्था चालू है । लेबड-जावरा के शेष विद्युत संयोजन में निवेशकर्ता कम्पनी द्वारा प्रयास निरंतर प्रगति पर है । (घ) लेबड-जावरा के 57 स्थानों पर विद्युत संयोजन को छोड़कर निवेशकर्ता कम्पनियों द्वारा अनुबंधित समस्त कार्य पूर्ण कर लिये गये है ।

मैरिज गार्डन के संचालन में अनियमितता

37. **(क्र. 373) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले में कितने मैरिज गार्डन, किन-किन स्थानों पर संचालित हैं ? मैरिज गार्डन के संबंध में क्या-क्या नियम, उपनियम प्रचलन में हैं ? नियमों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराते हुए जानकारी देवें ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मैरिज गार्डन इन नियमों को पूर्ण करते हैं ? यदि नहीं, तो किन-किन मैरिज गार्डन के खिलाफ गत 1 जनवरी, 2010 के बाद क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित मैरिज गार्डन/हॉल में ऐसे कितने मैरिज गार्ड/हॉल हैं, जिनकी लीज अनुमति किसी और कार्य के लिए ली गई है ? और वहाँ मैरिज गार्डन संचालित हैं ? ऐसे मैरिज गार्डन मालिकों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, अवगत करावें ? (घ) क्या मैरिज गार्डनों की दर निर्धारित करने हेतु शासन कोई नीति का निर्धारण कर रहा है ? यदि हां, तो अवगत करावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी पुस्तकाल में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार है । नियम/निर्देश पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "स" अनुसार है । (ग) जानकारी निरंक है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) जी हॉ । प्रक्रियाधीन है ।

इकाईयों को कोल आबंटन की पारदर्शी नीति एवं नियम

38. **(क्र. 404) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लघु उद्योग निगम के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयो को कोयला आवंटन की प्रक्रिया में हैंडलिंग एजेंट की क्या भूमिका हैं ? वर्तमान में लघु उद्योग निगम द्वारा किसे हैंडलिंग एजेंट बनाया गया हैं ? क्या हैंडलिंग एजेंट को इकाईयॉ से अतिरिक्त राशि वसूलने का अधिकार है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितनी राशि वसूल की जाती है ? (ख) लघु उद्योग निगम को प्राप्त कोटे में से इकाईयों को कालरी और मात्रा का निर्धारण का क्या मापदण्ड हैं ? क्या हैंडलिंग एजेंट द्वारा अपनी इच्छा से भेदभावपूर्ण तरीके से कालरी और मात्रा का निर्धारण कर इकाईयों को कोयले की लिफ्टिंग कराई जाती है ? तथा क्या चुनिंदा इकाईयों को ही इच्छा कालरी का उच्च ग्रेड कोयला आवंटित किया जाता है और उनके चयन का क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ? (ग) क्या यह सत्य है कि लघु उद्योग निगम को इकाईयों द्वारा कोल आवंटन की प्रक्रिया और हैंडलिंग एजेंट की भूमिका के संबंध में सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या यह सही है कि कोयला वितरण में प्रत्येक त्रैमास में इकाईयों को प्राप्त कोयले का उद्योग केन्द्र के साथ-साथ लघु उद्योग निगम के अधिकारियों से भी सत्यापन कराये जाने का प्रावधान हैं ? यदि हां, तो क्या लघु उद्योग निगम के अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है ? यदि नहीं तो बिना सत्यापन और कोयला वितरण नीति के विरूद्ध कोयला आवंटन के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी ? (ड.) क्या यह सत्य है कि इकाईयों को कोयला आवंटन के कई माह बाद लघु उद्योग निगम द्वारा बिल दिया जाता है ? यदि हां, तो यह क्या नियमानुकूल हैं ? यदि नहीं तो क्या लघु उद्योग निगम द्वारा आवंटी इकाईयों के सुझाव और शासन की मंशा को ध्यान में रखते हुए समावेशी और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जायेगी यदि हां, तो कब तक ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) लघु उद्योग निगम के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग इकाईयों को कोयला आवंटन की प्रक्रिया में हैण्डलिंग एजेंट की मुख्य भूमिका खदान स्थल पर इकाईयों को कोयले की डिलीवरी देना है । वर्तमान में लघु उद्योग निगम द्वारा मेसर्स एस. के.जे. एण्ड कं. कोल प्रा. लि. कटनी को साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लि. बिलासपुर के कोयले के लिए हैण्डलिंग एजेंट बनाया गया है । हैण्डलिंग एजेंट को इकाईयों से राशि वसूलने का अधिकार नही है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ख) लघु उद्योग निगम को प्राप्त कोटे में से इकाईयों को कोलरी का निर्धारण, रोस्टर जो अल्फाबेटिक क्रम एवं ग्रेड के आधार पर कम्प्यूटर पर संधारित किया जाता है, के द्वारा किया जाता है । मात्रा का निर्धारण, इकाईयों द्वारा आर.टी.जी. एस के माध्यम से जमा की गई राशि, जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित मात्रा, इकाईयों की मॉग तथा कोयले की उपलब्धता के आधार पर समानुपातिक रूप से किया जाता है । जी नहीं, हैण्डलिंग एजेंट द्वारा अपनी इच्छा से भेदभावपूर्ण तरीके से कोलरी और मात्रा का निर्धारण कर इकाईयों को कोयले की लिफ्टिंग नही कराई जाती है । हैण्डलिंग एजेंट द्वारा चुनिंदा इकाईयों को अपनी इच्छानुसार उच्च ग्रेड का कोयला आवंटित नही किया जाता है, बल्कि, उपरोक्त उल्लेखानुसार निगम द्वारा किया जाता है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ग) कोल आवंटन की प्रक्रिया और हैण्डलिंग एजेंट की भूमिका के संबंध में निगम को कोयला प्राप्तकर्ता इकाईयों से समय-समय पर प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों का यथोचित निराकरण कर पारदर्शी तरीके से कोयला वितरित किया जा रहा है । इस कारण शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) जी हॉ । महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा प्रत्येक त्रैमास मे कोयले की उपयोगिता की जॉच करायी जाती है । इसके अतिरिक्त त्रैमास में रेण्डम आधार पर इकाईयों को प्राप्त कोयले का सत्यापन निगम के नामांकित अधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है । बिना सत्यापन एवं कोयला वितरण नीति के विरूद्ध कोयला आवंटित नहीं किया जा रहा है । (ङ) हॉ, यह सही है, विगत वर्षो में निगम को कोयला कम्पनियों से कुछ देयक विलम्ब से प्राप्त हुये थे तथा कोयला प्राप्तकर्ता इकाईयों से प्राप्त कोयले की जानकारी प्राप्त नही हुई थी । इस कारण देयक जारी करने में विलम्ब हुआ। देयक जारी किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है ।

<u>पुल/पुलिया का निर्माण</u>

39. **(क्र. 425) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत-कल्याणपुर से जोड़ावरपुर मार्ग पर कोलहा घाट में जल संसाधन विभाग द्वारा स्टाप डेम/रपटा का एवं जनकहाई घाट का लोक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कराया गया था जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया जिसके कारण पचासों ग्रामों के ग्रामवासियों का आवगमन बाधित हैं । क्या पुन: नवनिर्माण पुलिया/स्टाप डेम रपटा का निर्माण कराया जायेगा यदि हां, तो कब तक कृपया समय-सीमा बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में- कोलहा पुल निर्माण के संबंध में पूर्व ग्रीष्म कालीन सत्र में उठाए गए प्रश्न में शीघ्र निर्माण कराये जाने का आश्वासन दिया गया था कोलहा एवं जनकहाई घाट का पुल निर्माण कराये जाने की अवधि बताएं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । जी हाँ । वर्तमान में स्वीकृत नहीं होने से निश्चित तिथि बताना संभव नहीं । (ख) जी नहीं । निश्चित तिथि बताना संभव नहीं ।

<u>पुल/पुलिया का निर्माण</u>

40. **(क्र. 426) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत - ग्राम भडरा से चाद कुरैली पहुँच मार्ग पर टमस नदी के कारण पचासो ग्रामों का आवागमन बाधित है ? क्या इस मार्ग में पुल का निर्माण कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक समय सीमा बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में - भारत की आजादी के 68 वर्ष पूरे होने के बाद भी जिला मुख्यालय से चाद कुरैली देवखर क्षेत्र के वासियों को टमस नदी से आने जाने का कोई साधन नहीं है । क्या क्षेत्रवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवागमन की सुविधा से वंचित रहना पड़ता है । क्या उन्हें टमस नदी पर पुल निर्माण कर मूलभूत सुविधायें प्रदान की जायेगी यदि हां, तो कब तक कृपया समय सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ । वर्तमान में समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है । (ख) जी नहीं । 16 कि.मी. घूमकर जाना पड़ता है । वर्तमान में स्वीकृत नहीं है । वर्तमान में समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है ।

<u>विधान सभा क्षेत्र पछोर जिला शिवपुरी के स्वीकृत कार्यों का भूमि पूजन</u>

41. **(क्र. 435) श्री के.पी. सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री जी लोक निर्माण विभाग के पत्र क्रमांक 26 दिनांक 20.1.2014 के द्वारा विधान सभा क्षेत्र पिछोर जिला शिवपुरी के स्वीकृत कार्यो का भूमि पूजन करने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को लिखा गया था ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वार पत्र क्रमांक 333 दिनांक 23.07.2014 के द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर के द्वारा उक्त स्वीकृत कार्यों के टेण्डर जारी न करने एवं प्रकरणों को लंबित रखने संबंधी अवगत कराया गया था ? (ग) यदि हां, तो क्या उक्त कार्यों के टेण्डर आदि जारी किये जाकर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण बतावें ? यदि हां, तो की गई कार्यवाही से अवगत करावें ? (घ) माननीय मंत्रीजी के निर्देशों के बावजूद भी कार्यवाही न करने हेतु कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? नाम, पदनाम सहित बतावें ? क्या शासन दोषी अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) उल्लेखित पत्र विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । (ग) प्रश्नांश 'ख' के संदर्भ में जी नहीं । 2 कार्यो का पुनरीक्षित एस.ओ.आर. पर प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । शेष 4 कार्यो में वन विभाग की अनुमति/राजस्व विभाग से भूमि उपलब्धता की कार्यवाही प्रचलन में है । (घ) कार्यवाही जांच प्रचलन में है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>शासकीय बंगलों में मरम्मत</u>

42. **(क्र. 436) श्री के.पी. सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश के कितने विधायकों को सरकारी बंगले आवंटित हैं तथा कितने विधायकों ने अपने बंगले की मरम्मत हेतु मान. मुख्य मंत्री/मंत्री, लोक निर्माण विभाग भोपाल से अनुरोध किया ? नामवार पूर्ण जानकारी दें ? (ख) यह भी बतावें कि किन-किन विधायकों के बंगलों में विभिन्न कार्यों हेतु कितनी-कितनी राशि विगत एक वर्ष में व्यय की गई है ? नामवार, मदवार जानकारी दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ-1, अ-2, अ-3 एवं प्रपत्र-ब अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ-1, अ-2, अ-3 अनुसार ।

पन्ना टाईगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले ग्रामों में पहुँच मार्ग का निर्माण

43. **(क्र. 444) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा परि.अतारांकित प्रश्न संख्या-77 दिनांक 17 जुलाई 2014 के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पन्ना टाईगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले गांव में से सिर्फ पाठापुर में ही सुगम पहुँच मार्ग नही हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार बताए कि बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत पन्ना टाईगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाले गांव खरयानी,मैनारी,पटोरी में कब सुगम मार्ग बनाया गया ? इन मार्ग के निर्माण में कितना व्यय हुआ ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां । (ख) प्रश्नाधीन क्षेत्रान्तर्गत प्रश्नांकित गांव खरयानी-मैनारी, पटोरी में से सुकवाहा से मैनारी-खरयानी मुरूमीकरण कार्य एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत वर्ष 2011 में कराया गया, जिसमें रुपये 2,14,424/- व्यय हुए तथा किशनगढ़ से पटोरी वन मार्ग की मरम्मत का कार्य वर्ष 2013 में वन विभाग द्वारा कराया गया, जिस पर कुल रुपये 41,275/- व्यय हुए।

नगर पंचायत बिजावर एवं सटई में हुए निर्माण कार्य

44. **(क्र. 445) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत नगर पंचायत बिजावर एवं सटई में विगत 05 वर्ष में कौन-कौन से निर्माण कार्य कहां-कहां किस लागत से करवाए गए ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन निर्माण कार्यों में कहां-कहां पर शिकायतें प्राप्त हुई ? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ? (ग) बिजावर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत आने वाली नगर पंचायत बिजावर एवं सटई में केंद्र अथवा राज्य शासन की किस-किस योजनांतर्गत कितनी राशि कब-कब प्राप्त हुई एवं इनसे कौन-कौन से कार्य हुए ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार जानकारी निरंक है । अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट "ब" अनुसार है ।

स्थानांतरित उपयंत्रियों की जानकारी

45. **(क्र. 458) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि./भ.स. संभाग सागर से विगत दो वर्ष में कितने उपयंत्रियों के स्थानांतरण किये गये थे ? (ख) क्या स्थानांतरित उपयंत्रियों को कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि./भ.स. से भार मुक्त कर दिया गया है ? एवं कितने उपयंत्रियों ने कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि./भ.स. में कार्य भार ग्रहण किया है ? (ग) यदि स्थानांतरित उपयंत्रियों ने कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि./भ.स. सागर में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ एवं ब अनुसार । (ग) परिशिष्ट- ब में अंकित टीप के अनुक्रम में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

सड़क का डामरीकरण एवं मरम्मत

46. **(क्र. 470) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या अतारांकित प्रश्न संख्या 88 (क्रं. 2801) दिनांक 10 जुलाई 2014 के उत्तर (ग) में यह बताया गया था कि धार नगर में घोड़ा चौपाटी से लिंक रोड तक के भाग का डामरीकरण वार्षिक मरम्मत कार्य वर्ष 2014-15 में प्रस्तावित था ? (ख) यदि हां, तो उक्त मार्ग के डामरीकरण किये जाने की कार्यवाही कब-कब एवं क्या-क्या की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) प्रस्तावित कार्य वर्तमान में किस स्तर पर लंबित है ? कब-तक समस्त औपचारिकताएं पूर्ण की जाकर डामरीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा ? कृपया बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ । (ख) वर्ष 2014-15 में नवीनीकरण कार्यक्रम में 2.00 कि.मी. भाग प्रस्तावित है । प्रस्तावित 2.00 कि.मी. मार्ग हेतु दिनांक 11.12.2014 को निविदा खोली जावेगी । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) घोडा चौपाटी से लिंक रोड़ तक के भाग में से 2.00 कि.मी. लंबाई के डामरीकरण कार्य की निविदा सूचना क्रमांक-11 दिनांक 26.11.2014 के द्वारा आमंत्रित की गई है जो कि दिनांक 11.12.2014 को खोली जावेगी । एजेन्सी तय होने पर कार्य प्रारंभ किया जावेगा, अत: पूर्णता की समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

पानी के टेंकर की सप्लायी

47. **(क्र. 473) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश में पंचायतों या अन्य संस्था को जल परिवहन हेतु टेंकर खरीदने के लिए लघु उद्योग निगम को अधिकृत किया गया ? (ख) क्या यह सच है कि पानी टेंकर बनाने एवं सप्लाय करने हेतु शासन द्वारा केवल लघु उद्योग निगम को ही अधिकृत किया है ? क्या यह मात्र लघु उद्योग निगम का ही पूर्ण अधिकृत वाला आइटम है ? (ग) यदि हां, तो क्या पिछले 5 वर्षो से धार जिले की टेंकर बनाने वाली 2 फर्मे को एम.पी.एग्रो कारपोरेशन एवं सहकारी संघ के माध्यम से क्रय किये जाकर सप्लाय किये गये ? (घ) यदि हां, तो एग्रो एवं सहकारी संघ पर भविष्य में लघु उद्योग के आयटम सप्लाय पर रोक लगाई जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) एवं (ख) जी हॉ । भण्डार क्रय नियमों के नियम-14 के परिशिष्ट-ब में सम्मिलित वाटर टेंकर निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित है । समस्त शासकीय विभागों द्वारा वाटर टेंकर का क्रय निगम के माध्यम से किया जाना है । (ग) जिला सहकारी संघ द्वारा कोई टैंकर प्रदाय नही किया गया परंतु एम पी एग्रो द्वारा टैंकर का क्रय कर प्रदाय किया गया है । (घ) महानिदेशक, प्रशासन अकादमी की अध्यक्षता में राज्य शासन द्वारा गठित भण्डार क्रय नियमों संबंधी समिति के समक्ष विचार करने हेतु मुददा रखा जावेगा।

<u>कार्यों की जानकारी एवं शिकायत की जांच</u>

48. **(क्र. 495) श्री मधु भगत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग बालाघाट द्वारा जनवरी, 2012 से प्रश्न दिनांक तक कितनी भूमि पर वृक्षारोपण कराया गया है, तथा कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं ? वन परिक्षेत्रवार जानकारी दें ? वन परिक्षेत्रवार वृक्षारोपण की संख्या व उस पर व्यय राशि तथा निर्माण कार्य एवं उस पर व्यय राशि का ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में कराये गये वृक्षारोपण शत् प्रतिशत् जीवित रहे, इसकी जिम्मेदारी किन-किन अधिकारी/ कर्मचारी को मुहैया कराई गई, तथा इस हेतु उन्हें कौन-कौन से संसाधन उपलब्ध कराये गये ? (ग) प्रश्न दिनांक तक कितने रोपित पौधे वर्तमान में जीवित हैं, कितने पौधे नष्ट हो गये, नष्ट पौधों पर व्यय कितना था, तथा उसके लिये जिम्मेदार कौन है ? (घ) क्या यह सही है कि लामता परिक्षेत्र के अधिकारी रेंजर एवं फारेस्टर के परेशान करने के कारण एक कर्मचारी ने आत्म हत्या कर ली थी, उस पर क्या कार्यवाही हुई, अवगत करावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' तथा 'ब' अनुसार है । (ख) प्राकृतिक एवं जैविक दबाव के कारण वृक्षारोपणों की शत-प्रतिशत जीवितता संभव नहीं है । वृक्षारोपण को सफल बनाये रखने की जिम्मेदारी वनरक्षक से लेकर वनमण्डल अधिकारी तक के अधिकारियों की रहती है । वृक्षारोपण सुरक्षा हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों को कोई पृथक से संसाधन उपलब्ध नहीं कराये जाते, बल्कि अन्य क्षेत्रीय कार्यो के साथ-साथ वृक्षारोपण की देख-रेख का कार्य उपलब्ध संसाधनों से ही किया जाता है । (ग) प्रश्नान्तर्गत कुल 1,01,61,185 पौधे वर्तमान में जीवित हैं तथा 16,06,205 पौधे नष्ट हो गये । सफल वृक्षारोपण हेतु निर्धारित मापदण्ड से जीवित पौधों की संख्या अधिक होने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) एक वनपाल द्वारा आत्महत्या करने के प्रकरण में श्री मुकेश अलावा वनक्षेत्रपाल वन परिक्षेत्र अधिकारी, उत्तर लामता उत्तर (सामान्य) एवं श्री मो. मोबिन कुरैशी, वनपाल के विरूद्ध पुलिस थाना लामता में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 23/14 धारा 306,34 भारतीय दण्ड विधान अन्तर्गत पुलिस की विवेचना में है ।

परिशिष्ट- "बारह"

<u>निर्माण कार्यों की जानकारी एवं जांच</u>

49. **(क्र. 496) श्री मधु भगत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग, जिला बालाघाट में वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से कब-कब करवाये गये ? नियुक्त कार्य ऐजेंसी के नाम सहित विकास खण्डवार एवं वर्षवार पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार प्रचलित कार्य में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हैं ? कितने अपूर्ण हैं ? एवं उक्त कार्य में से किस-किस कार्य के लिये किस-किस को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किस दिनांक को चेक-ड्राफ्ट क्रमांक एवं नगद राशि के रूप में किया गया ? वर्षवार, कार्यवार भुगतान की गई राशि का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) में वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य हैं, जिनके पूर्ण किये बिना अथवा कार्य प्रारंभ किये बिना कार्य से अधिक राशि का भुगतान किया गया ? कार्यवार किये गये भुगतान का पूर्ण ब्यौरा देवें ? (घ) प्रश्नांक (क) अनुसार स्वीकृत कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें जिला एवं राज्य स्तर पर प्राप्त हुई ? शिकायतों का विवरण देते हुये बतावें कि इनमें से किन-किन शिकायतों की जांच किसके द्वारा कराई गई एवं जांच के पश्चात क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', अ-1, अ-2 अनुसार । (ख) प्रश्नांकित (क) के अनुसार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, अ-1, ब अनुसार । (ग) ऐसा कोई भी कार्य नहीं है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब-1, ब-2 अनुसार ।

सिवनी जिले में सड़को का निर्माण

50. **(क्र. 513) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें निर्माणाधीन है एवं कब तक पूर्ण होना है ? कितनी सड़कें स्वीकृत हैं एवं निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है ? कितनी नवीन सड़कों के प्रस्ताव जिलास्तर/विभाग स्तर (लोक निर्माण विभाग, भोपाल) पर विचाराधीन है ? विधानसभा क्षेत्र वार अवगत करावें ? (ख) सिवनी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में विगत पांच वर्ष में किन-किन अधिकारियों द्वारा कब-कब सड़कों का निरीक्षण किया गया एवं इन पर डाले गये मटेरियल की लेब टेस्टिंग कब-कब की गई ? (ग) क्या यह सही है कि सिवनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत निर्मित सड़क पर तय माप अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है, एवं गंभीर शिकायतें मिलने के बाद भी जिला अधिकारियों द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है ? क्या इस संबंध में शासन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में परीक्षण कर उचित कार्यवाही करेगा ? (घ) क्या सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में प्रदेश स्तरीय कमेटी बनी हुई है एवं क्या इन सड़कों में प्रदेश स्तरीय कमेटी से जांच कराई जावेगी एवं जो सड़कें समय-सीमा में पूर्ण होना थी वह पूर्ण नहीं हो पाई ऐसे अधिकारी/ठेकेदार पर शासन क्या कार्यवाही करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार । (ख) संबंधित प्रश्नांकित की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार । (ग) जी नहीं, सिवनी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सड़कों का निर्माण तय मापदण्डानुसार कराया जा रहा है । सिवनी कटंगी बोनकट्टा मार्ग (महाराष्ट्र सीमा तक) मार्ग के गुणवत्ता निगरानी हेतु स्वतंत्र अभियंता नियुक्त किया गया है । उपरोक्त मार्गो के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच महाप्रबंधक (उत्तर) द्वारा दिनांक 07.10.2013 को कराई गई थी । उनके अनुसार मार्गो की मरम्मत हेतु राशि स्वीकृत की गई अत: कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । (घ) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा

51. **(क्र. 514) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिवनी जिले के मुख्यालय में बस स्टेण्ड के सामने तिकोना पार्क वाली शासकीय भूमि पर दबंग और राजनीतिक संरक्षण व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जा कर दुकान सहित पक्का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर, नाम पते सहित बताएं ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के परि. अता. प्रश्न संख्या 93 (क्र. 3655) , दिनांक 17/07/14 के जवाब में अवगत कराया गया था कब्जाधारी को नगर पालिका सिवनी द्वारा दिनांक 12-05-2014 को नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई थी ? यदि हां, तो नगरपालिका सिवनी द्वारा इस दौरान क्या कार्यवाही की गई, तिथिवार अवगत करावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं । अपितु प्रश्नांश में उल्लेखित भूमि पर 11 व्यक्तियों व्दारा अवैध कब्जा कर दुकानें संचालित हैं, पक्का निर्माण नहीं किया गया है । नाम व पते की जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जी हॉ । शासकीय भूमि से तत्समय कब्जा न हटाने वाले 48 कब्जेधारियों को नगरपालिका सिवनी व्दारा दिनांक 12-05-2014 को नोटिस जारी करने की जानकारी दी गई थी एवं कार्यवाही प्रचलित है ।

परिशिष्ट- "तेरह"

<u>जिला सीधी एवं सिंगरौली में क्रय सामग्री में अनियमितता</u>

52. **(क्र. 540) श्री तरूण भनोत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2011 में पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान (पायका) योजना के अंतर्गत जिला सीधी में वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 के लिए 102 ग्राम पंचायतों के लिए स्थाई प्रकार की खेल सामग्री क्रय करने एवं स्थापित करने के क्रय आदेश जारी किये गए थे ? तथा क्या इसी प्रकार सिंगरौली जिले में वर्ष 2009-10 के लिए 29 पंचायतों एवं एक ब्लाक पंचायत को स्थाई प्रकार की खेल सामग्री प्रदान करने एवं स्थापित करने का क्रय आदेश जारी किया गया था ? (ख) यदि हां, तो क्या इस हेतु निविदा बुलाई गई थी ? यदि हां, तो क्या निविदा में यह शर्त थी कि प्रदायकर्ता फर्म को सामग्री स्थापित करने का कार्य पूर्ण करने के उपरांत 1 वर्ष तक के लिए स्थापित सामग्री का मेंटेनेंस करना होगा एवं इस हेतु फर्म का क्रय आदेश की कुल राशि की 5 प्रतिशत राशि परफारमेंस बैंक गारंटी के रूप में विभाग को जमा करानी होगी ? (ग) यदि हाँ, तो क्या दोनों जिलो में प्रदायकर्ता फर्म ने 5 प्रतिशत की परफारमेंस मेंटेनेंस गारंटी राशि जमा कराई थी ? यदि हाँ, तो फर्म द्वारा कितनी राशि की बैंक गारंटी दोनों जिलों में जमा की गई ? बैंक गारंटी किस बैंक की जमा की गई थी ? (घ) क्या उक्त दोनों जिलों में कार्य पूर्ण हो चुका है एवं फर्म को उसका भुगतान किया जा चुका है ? यदि हाँ, तो क्या भुगतान की गई राशि पर 5 प्रतिशत वेट टैक्स काटकर शासन के पास जमा कराया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ । जी हाँ । (ख) जी हाँ । जी हाँ । (ग) जी हाँ । फर्म द्वारा परफारमेंस मेंटनेंस गारंटी की राशि वर्ष 2008-09 में जिला सिंगरौली जिला सीधी में होने के कारण दोनों जिलों की राशि रू. 67,000/- एवं वर्ष 2009-10 में जिला सीधी में राशि रू. 41,000/- व जिला सिंगरौली में ग्राम पंचायतों की राशि रू. 29,000/- एवं 01 ब्लॉक पंचायत की राशि रू. 5,000/- जमा कराई गई थी । बैंक गारंटी भारतीय स्टेट बैंक सीधी के खाते में जमा की गई थी । (घ) जी हाँ । जी हाँ । जी नहीं, आयुक्त, वाणिज्य कर मध्यप्रदेश के आदेश क्र./97/08/24 CIT 120, दिनांक 10.05.2010 अनुसार म.प्र. राज्य के बाहर की फर्म होने से फर्म के संबंधित राज्य में टैक्स काटा जाना होगा, इस हेतु संस्था द्वारा विधिवत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया था ।

<u>उद्योगों की स्थापना</u>

53. **(क्र. 556) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई सफल उद्योगपतियों की इंवेस्टर्स मीट में म.प्र. में कितने एवं कौन-कौन से उद्योग स्थापित करने की सहमति, उद्योगपतियों ने प्रदान की ? शासन कहां-कहां उक्त उद्योग स्थापित करने की स्वीकृति अनुबंध/एम.ओ.यू. कर रहा है ? या कर चुका है ? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ? (ख) क्या रतलाम

जिले के पिछड़े क्षेत्र आलोट या अन्य स्थलों पर कोई उद्योग प्रस्तावित करने की संभावना है ? यदि हां, तो कब तक एवं कौन से उद्योग ? एवं नहीं तो क्यों नहीं ? (ग) उद्योग स्थापना हेतु किन-किन बातों का जिले अथवा नगर में होना आवश्यक है ? किन-किन मापदण्डों के अनुसार उद्योग स्थापना स्थलों का चयन किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) हाल ही में इंदौर में संपन्न हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश हेतु एमपीट्राइफेक की वेबसाइट पर "इन्टेंशन टू इन्वेस्ट" उद्योगपतियों ने ऑनलाइन दर्ज किये है, जिन्हें ऑनलाइन स्वीकर किया गया है । " इन्टेंशन टू इन्वेस्ट" दर्ज करने वाले उद्योगपतियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । (ख) जी हॉ । पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 एवं 3 अनुसार है । (ग) उद्योग स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का चयन आवागमन, परिवहन हेतु सडक की सुविधा, कच्चामाल, विद्युत, जल तथा कुशल श्रमिकों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखकर किया जाता है । उपरोक्त मापदण्डों के अनुसार उद्योग स्थापना हेतु स्थलों का चयन किया जाता है ।

वन विभाग की आरक्षित भूमियों पर वृक्षारोपण

54. **(क्र. 557) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में वन विभाग की आरक्षित भूमियों तथा रोपणियों का ब्यौरा तहसीलवार क्या हैं ? (ख) उपरोक्त (क) स्थानों पर किन-किन योजनाओं के तहत कितनी-कितनी प्रजातियों के कितने-कितने पौधे रोपित एवं तैयार किये गए ? वर्ष 2011 से प्रश्न दिनांक तक उक्त कार्यो पर हुए व्ययों का रोपणीवार, तहसीलवार ब्यौरा क्या है ? (ग) उपरोक्त अवधि में कितने तैयार एवं रोपित पौधे मृत हो गए ? किस कारण ? तहसीलवार ब्यौरा क्या हैं ? (घ) आगामी वित्त वर्ष में आलोट विधानसभा क्षेत्र के वृक्षारोपण, रोपणी विस्तार का क्या लक्ष्य है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) रतलाम जिले में वन विभाग की कार्य आयोजना अनुसार तहसील रतलाम में 520.699 हेक्टेयर, तहसील सैलाना में 1740.090 हेक्टेयर तथा तहसील पिपलोदा में 152.381 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र है तथा रतलाम तहसील में सागौद, बिलपांक एवं बंजली तथा सैलाना तहसील में सैलाना एवं बासिन्द्रा रोपणियां हैं । (ख) रोपित पौधों एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार तथा रोपणीवार ब्यौरा पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है । (घ) प्रश्नांकित क्षेत्र में 25000 पौधे रोपित किये जाने का लक्ष्य है । रोपणी विस्तार का कोई लक्ष्य नहीं है ।

कटर के उपयोग पर प्रतिबंध

55. **(क्र. 614) श्री अरूण भीमावद :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष, 2006 के पूर्ण म.प्र. में वन परिक्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र में सुतार समाज के कारीगरों को 10 इंच तक लकड़ी काटने की अनुमति प्रदान की गई थी ? (ख) क्या इसके उपरांत शासन द्वारा सम्पूर्ण म.प्र. में कटर पर प्रतिबंध लगा दिया गया ? (ग) इस प्रतिबंध का प्रभाव सुतार समाज के कारीगरों पर पड़ा है, जबकि शासन द्वारा इस परम्परागत व्यवसाय के लिए ऋण सुविधा प्रदान की जा रही है ? इस प्रतिबंध के कारण सुतार समाज के लाखों युवक बेरोजगार हुए हैं ? (घ) शासन इस प्रतिबंध को हटाने के लिए क्या प्रयास कर रही है ? कब तक इस प्रतिबंध को हटाया जा सकेगा ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं । (ख) जी हां । (ग) इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है । वन विभाग द्वारा परम्परागत व्यवसाय के लिये कोई ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है । सुतार समाज के लाखों युवकों को बेरोजगार होने के संबंध में कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । (घ) प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है ।

ग्वालियर जिले में 31.07.2014 को हरियाली महोत्सव में वृक्षारोपण

56. **(क्र. 624) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिले में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत एक दिवसीय (31/07/2014) का रोपण में रोपित किये गये पौधे वन परिक्षेत्रवार बतावें ? पौधा रोपण का सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा किया गया था ? भौतिक सत्यापन पर क्या वह पौधे वास्तविकता में लगाये गये थे या फर्जी कागजों में ही हरियाली महोत्सव के नाम से बडे स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया था ? अब दिनांक 10.11.2014 की स्थिति में रोपित पौधो के विरूद्ध कितने पौधे जीवित है बतावें ? क्या इन पौधों का प्रश्नकर्ता के साथ भोपाल में टीम गठित कर भौतिक सत्यापन कराया जा सकता है ? यदि हां तो दिनांक बतावें ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण स्पष्ट करें ? (ख) प्रश्न के संबंध में किए गए भ्रष्टाचार बाबत् किस-किस व्यक्ति द्वारा कब-कब शिकायत की गई है ? शिकायतकर्ताओं के नाम तथा शिकायतों पर किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गई है ? उनकी जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या हरियाली महोत्सव के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला किया गया है ? यदि नहीं, तो जांच रिपोर्ट बतावें ? (ग) प्रश्न (क) के अनुसार हरियाली महोत्सव के नाम से श्रमिकों को क्या भुगतान शासन की नीति अनुसार किया जाना था, तथा वास्तविकता अनुसार क्या किया गया है ? यह भी स्पष्ट करें कि उक्त हरियाली महोत्सव में कितना-कितना व्यय कहां-कहां किस-किस प्रकार किया गया है ? क्या शासन की नीति अनुसार गड्डे का साईज बनाया गया था कि एक गैती लगाकर पौधा रोपित कर दिया गया था ? स्पष्ट करें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । भौतिक सत्यापन में समस्त पौधे स्थल पर लगाये पाये गये । लगाये गये पौधों का सत्यापन टीम गठित कर प्रश्नकर्ता के साथ कभी भी कराया जा सकता है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्न के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) हरियाली महोत्सव में श्रमिकों को समस्त भुगतान शासन की नीति के अनुसार ही किया गया है । स्थल पर किये गये कार्य एवं व्यय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । निर्धारित साइज के गड्ढे खोदकर पौधों का रोपण किया गया । अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

क्षेत्रान्तर्गत स्कूल भवनो व सड़को के निर्माण

57. **(क्र. 632) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुसनेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितनी स्कूल बिल्डींगों का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कितनी बिल्डींगों का काम अधूरा है ? तथा अधूरी बिल्डींगो का कार्य चल रहा है या बंद है ? यदि बंद है तो क्यों ? (ख) सुसनेर विधानसभा में स्वीकृत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कितनी सड़के पूर्ण हो चुकी है और कितनी सड़को का कार्य अभी बाकी है ? (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित अधूरी सड़के-डोंगरगॉव से श्रीपतपुरा रोड, इंदौर कोटा रोड से खजुरी रोड, इंदौर कोटा रोड से आकली रोड आदि सडको की समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी इनका कार्य अधूरा है ? कारण बताऐं ? तथा कार्य में हो रहे विलंब के कारण

राजस्व हानि के लिये जिम्मेदार अधिकारी/ठेकेदारों के लिये क्या विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है ? (घ) विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा निर्मित ऐसे कौन-कौन से मार्ग है जो संबंधित ठेकेदारो की ग्यारण्टी अवधि में आते हुए मरम्मत की जाना है ? क्या संबंधित ठेकेदारो द्वारा मरम्मत की जा रही है ? यदि नहीं तो विभाग ठेकेदारों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा ? स्पष्ट करें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) संलग्न प्रपत्र ''अ'', अ-1 अनुसार । (ख) लो.नि.वि. से संबंधित नहीं है । (ग) लो.नि.वि. से संबंधित नहीं है । (घ) संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार । जी हाँ । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "चौदह"

जिला अंतर्गत विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता

58. **(क्र. 633) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक-निर्माण विभाग अंर्तगत कार्यपालन यंत्री को कितनी राशि तक के कार्य स्वीकृत करने का अधिकार है ? नवगठित आगर जिले में जिला गठन के बाद से वर्तमान तक स्वीकृत कार्यो की निविदा, मूल्यांकन एवं भुगतान प्रपत्र का विवरण उपलब्ध करावें ? (ख) क्या नवगठित आगर जिले के विकास के लिये विभाग ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो किस स्तर पर प्रचलित है ? प्रस्तावित योजनाओं की एवं वर्तमान में संचालित कार्यो की विस्तृत जानकारी देवें ? (ग) क्या नवगठित आगर जिले में गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो दोषी शासकीय सेवकों या ठेकेदारों पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें, तथा कितने कार्य समय-सीमा में हुये तथा कितने कार्य अभी बाकी है ? समय-सीमा खत्म होने पर ठेकेदार/विभाग पर क्या कार्यवाही होती है ? विवरणात्मक जानकारी देवें ? (घ) क्या नवगठित आगर जिले में अधिकारी/कर्मचारियों के आवास विभाग द्वारा बनाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो विगत 03 वर्षों में किये गये पेंच वर्क, रिपेयरिंग वर्क का हिसाब-किताब आगर जिला बनने के बाद से ठेकेदारो को पेमेंट व उनके द्वारा किये गये कार्य की जानकारी देवें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कार्यपालन यंत्री, को विशेष मरम्मत मद के अंतर्गत रू. 5,000/- तक के तथा अनुरक्षण कार्यो हेतु बजट अलाटमेंट के अंतर्गत तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का पूर्ण अधिकार है । पी.आई.यू. के संभागीय परियोजना यंत्रियों को बुक ऑफ फायनेशियल पावर भाग-2 1995 के नियम 32 के अनुसार रू. 2.00 करोड़ तक की निविदा स्वीकृति किये जाने एवं रू. 3.00 करोड़ तक की तकनीकी स्वीकृति के अधिकार प्रदत्त है । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार । (ख) जी हाँ । जिला स्तर पर । प्रस्तावित योजना की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार एवं वर्तमान में संचालित कार्यो की विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं ब-1, ब-2, ब-3 के अनुसार । म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा उज्जैन झालावाड मार्ग के फोरलेन किये जाने के प्रस्ताव की डी.पी.आर. तैयार की गई है । (ग) जी नहीं । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' व 'स-1' अनुसार । (घ) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द' व 'द-1' अनुसार ।

सुठालिया-लखनवास मार्ग का कार्य पूर्ण न किया जाना

59. **(क्र. 648) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा परि.अता. प्रश्न संख्या 96 (क्रमांक 3761) दिनांक 17 जुलाई 2014 के उत्तर में संलग्न परिशिष्ट सैतीस के कॉलम 7 में सुठालिया-लखनवास मार्ग लंबाई 25.60 कि.मी. के निर्माण कार्य में एजेन्सी द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग राजगढ़ द्वारा 6 बार सूचना-पत्र दिया जाना तथा समयावधि में कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा, जानकारी दी गई थी तो क्या यह भी सही है कि उपरोक्त प्रश्न दिनांक से वर्तमान तक भी निर्माण एजेन्सी द्वारा उक्त मार्ग के निर्माण में कोई रूचि नहीं दिखाई जाने से कार्य बंद पड़ा हुआ है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा संबंधित निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध क्या कार्यवाही गई ? (ख) क्या शासन जनहित में संबंधित निर्माण एजेन्सी से अनुबंध निरस्त कर उक्त मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने हेतु किसी अन्य एजेन्सी से कार्य कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ । संविदाकार द्वारा वर्तमान में कार्य अत्यंत धीमी गति से किया जा रहा है, तदानुसार अनुबंध की धारा 3 (सी) के अंतर्गत ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु दिनांक 05.11.2014 को 30 दिवस का नोटिस दिया गया है । (ख) अनुबंध की धारा 3 (सी) के तहत दिनांक 05.11.2014 को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस की समयावधि दिनांक 05.12.2014 के पश्चात कार्यवाही की जावेगी । अत: प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

जीर्णोद्धार हेतु लंबित प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति

60. **(क्र. 682) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिला अंतर्गत लवकुश नगर तहसील के अंतर्गत गिरधौरी मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर अब तक किन कारणों से लंबित हैं ? (ख) क्या यह सच है कि कलेक्टर छतरपुर तथा आयुक्त सागर संभाग, सागर के माध्यम से प्रस्ताव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग, भोपाल में वर्षों से लंबित हैं ? (ग) क्या यह भी सच है कि उक्त मंदिर के संबंध में धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव, उप सचिव द्वारा जिला प्रशासन को लगातार पत्राचार वर्षों से कर रहे हैं और परिणाम आज तक हासिल नहीं हुआ ? (घ) प्रशासन के प्रस्ताव के अनुसार कितनी अवधि में प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जावेगी, समयसीमा बतावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) कलेक्टर छतरपुर के पत्र क्रमांक 78/धर्मस्व/2014 दिनांक 05.11.2014 के संबंध में श्री रामजानकी मंदिर गिरधौरी लवकुशनगर को जीर्णोद्धार हेतु रूपये 1 लाख की स्वीकृति के आदेश जारी किए गये । (ख) (ग) एवं (घ) प्रश्नांश "क" के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

राजनगर से महोबा मार्ग की मरम्मत

61. **(क्र. 683) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत राजनगर से किशुनपुरा, ललपुर तिगेला तक रोड खराब होने के कारण शासन के जिम्मेदार अधिकारियों ने प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की ? (ख) रोड के निर्माण के संबंध में क्षेत्र के

लोगों ने कितनी बार रोड के सुधार/मरम्मत हेतु प्रशासन से मांग की ? प्रशासन द्वारा अब तक कितनी राशि का व्यय किया गया ? (ग) रोड के मरम्मत/सुधार हेतु उपयंत्री, SDO, कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राक्कलन शासन को दिये ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) रोड का कार्य शासन स्तर पर कब तक प्रारंभ किया जावेगा ? समय-सीमा बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) शासन के आदेश अनुसार दिनांक 27.09.2014 को जल संसाधन विभाग से लोक निर्माण विभाग संभाग छतरपुर ने मार्ग अधिपत्य में लेने के उपरांत प्राक्कलन बनाने की कार्यवाही जारी है । (ख) संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार । कोई राशि व्यय नहीं की गयी । (ग) जी नहीं । उत्तरांश 'क' अनुसार । (घ) वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

परिशिष्ट-"पन्द्रह"

<u>शिवपुरी नगर में निर्माणाधीन मड़ीखेड़ा बांध नल-जल योजना के कार्य की प्रगति</u>

62. **(क्र. 706) श्री राम सिंह यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि शिवपुरी नगर में मड़ीखेड़ा बांध से नल-जल योजना का कार्य प्रचलित है ? यदि हां, तो कार्य की डी.पी.आर., तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति की प्रति संलग्न कर जानकारी दें कि योजना अंतर्गत 31 अक्टूबर 2014 तक क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि से कराए गए ? (ख) उक्त योजना अंतर्गत कौन-कौन सा कार्य कब-कब पूर्ण हुआ ? एवं उसका मूल्यांकन किस अधिकारी द्वारा कब-कब किया गया ? (ग) उक्त योजना की स्वीकृति दिनांक को अनुमानित लागत क्या थी ? इसमें से कुल कितनी राशि भुगतान की जा चुकी है ? स्वीकृति अनुसार कितनी राशि शेष है ? तथा शेष कार्य कितनी अनुमानित लागत राशि से कब तक पूर्ण किया जावेगा ? (घ) उक्त योजना के संबंध में वर्ष 2008 से सितम्बर 2014 तक किन-किन के द्वारा क्या-क्या पत्राचार किया गया ? एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) योजना अंतर्गत किसी भी घटक का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) यूआईडीएसएसएमटी अंतर्गत योजना की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 5964.66 लाख थी एवं पी.पी.पी. मोड के अंतर्गत योजना की लागत राशि रू. 8071.00 लाख स्वीकृति हुई है । इसमें से राशि रू. 3606.33 लाख का भुगतान कंपनी को किया जा चुका है एवं राशि रू. 1761.86 लाख के लगभग का भुगतान कंपनी को किया जाना शेष है । शेष कार्य पूर्ण करने हेतु जून 2015 तक का समय लक्षित है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है ।

<u>पुजारी पंचायत में मदिरों की व्यवस्था</u>

63. **(क्र. 721) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित पुजारी महापंचायत में मंदिरो से संबंधित दुर्दशा व अव्यवस्था को लेकर आयोजित पंचायत में मंदिरों की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके इस हेतु क्या-क्या आवश्यक निर्णय लिये गये, की प्रति भी उपलब्ध करावें ? (ख) यदि हां, तो लिये गये निर्णयो के क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या मापदण्ड एवं प्रक्रियाऐं निर्धारित की है ? (ग) पुजारी महापंचायत के लिये गये निर्णय के उपरांत यदि कोई कार्य मुरैना जिलो में किये गये हो तो बतावें ? यदि नहीं तो क्यो कारण भी दर्शावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) पुजारी महापंचायत का आयोजन नहीं किया गया है । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

<u>**निजी मंदिरों के जीर्णोद्धार की पहल**</u>

64. **(क्र. 722) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा निजी (प्राइवेट) मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु आवश्यक धनराशि देने की घोषणा की थी ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजना कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित है ? (ग) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में घोषणा उपरांत अक्टूबर 2014 तक किन-किन निजी (प्राइवेट) मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु मध्यप्रदेश में कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की गई, की जानकारी जिलावार पूर्ण विवरण सहित दी जावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) प्रदेश के निजी (प्राइवेट) मंदिरों के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि दिये जाने की घोषणा की जानकारी नहीं है । (ख) ऐसी योजना अभी लागू नहीं है । इसलिये मापदण्ड निर्धारित नहीं है । (ग) प्रदेश के किसी भी निजी (प्राइवेट) मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु कोई सहायता राशि प्रदान नही की गई है ।

<u>**सड़कों के निर्माण में किये गये भ्रष्टाचार की जांच**</u>

65. **(क्र. 737) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में तहसील लांजी में लोक निर्माण विभाग में पी.आर.एल. कंपनी द्वारा कितनी सड़कों के टेण्डर डाले गये, कितने टेण्डर स्वीकृत हुए, कितने टेण्डर में कार्यपालन यंत्री द्वारा अनुबंध किये गये तथा राज्य शासन द्वारा कंपनी को मोबेलाइजेशन एडवांस कितना और किस आधार पर दिया गया ? अनुबंध के दौरान कार्य की अवधि कितनी थी तथा स्वीकृत राशि कितनी थी ? अनुबंध के बाद कार्य की अवधि कितनी बार बढ़ाई गई तथा स्वीकृत राशि में कितनी बार बढोत्तरी की गई तथा मार्ग का निरीक्षण मुख्य अभियंता, प्रमुख अभियंता, मुख्य तकनीकी परीक्षक तथा विभाग के विजिलेंस द्वारा कितनी बार किया गया ? (ख) रजीगांव-लांजी-आमगांव मार्ग के निर्माण में किन-किन एजेंसियों द्वारा प्रयुक्त मटेरियल का निरीक्षण तथा प्रयोगशाला में मटेरियल की जांच कराई गई ? मार्ग के बिना निरीक्षण किये मार्ग का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र किस आधार पर कार्यपालन यंत्री मुख्य अभियंता एवं प्रमुख अभियंता द्वारा जारी किया गया ? अब जबकि रजीगांव-लांजी-आमगांव मार्ग पूरी तरह उखड़ गया है, कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता एवं कार्यपालन यंत्री तथा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट देने वाले उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही कब तक की जावेगी ? (ग) पी.आर.एल. कंपनी द्वारा लांजी सालेटेकरी एवं लांजी-खैरागढ़ मार्ग में कुल कितने दिनों में कार्य का अनुबंध किया गया ? इस मार्ग में किये गये कार्यों में कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया ? प्रयुक्त मटेरियल का कितनी बार प्रयोगशाला में परीक्षण कराया गया ? शासन को मार्ग में प्रयुक्त मटेरियल की कितनी रॉयल्टी भुगतान की गई तथा मार्ग में घटिया मटेरियल डालकर निर्माण करने वाले ठेकेदार एजेंसी पी.आर.एल. के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार । (ख) मटेरियल का परीक्षण संबंधित उपयंत्री एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किया गया । इसके अतिरिक्त मटेरियल की जांच विभागीय प्रयोगशाला, शासकीय इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर एवं कम्पनी की प्रयोगशाला में कराई

गई । मार्ग के निरीक्षण के बाद अनुविभागीय अधिकारी लांजी के द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया गया । अत्याधिक वर्षा होने के कारण मार्ग कहीं-कहीं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था एवं ठेकेदार के परफारमेंस गारण्टी में होने के कारण आवश्यक मरम्मत कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते । (ग) 44 दिवस में । रूपये 3977.42 लाख । प्रयुक्त मटेरियल का परीक्षण नियमित रूप से अनुबंधानुसार किया गया । मार्ग में प्रयुक्त मटेरियल की रायल्टी की राशि रूपये 91.30 लाख विभाग में जमा है । घटिया मटेरियल का उपयोग नहीं किया जा रहा है अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट- "सोलह"

तलवाड़ा पहुँच मार्ग एवं राड़ेप से मालीपुरा मार्ग का निर्माण

66. **(क्र. 752) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ये सच है कि श्योपुर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत तलवाड़ा पहुंच मार्ग एवं राडेप से मालीपुरा मार्ग की हालत अत्यंत खराब है, इस कारण इन मार्गों पर आवागमन में विशेष रूप से वर्षाकाल में कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ? (ख) क्या ये भी सच है कि उक्त मार्गों के प्रस्ताव/ प्राक्कलन वर्तमान में वर्ष, 2014-15 के अनुपूरक बजट में शामिल कराने हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल के कार्यालय में लंबित पडे हैं ? (ग) क्या ये भी सच है कि उक्त दोनों मार्ग क्षेत्र के महत्वपूर्ण मार्ग हैं, इसी कारण दिनांक 29.10.2014 को मा. प्रभारी मंत्री, जिला श्योपुर के प्रवास के दौरान उक्त मार्गों को वर्ष, 2014-15 के अनुपूरक बजट में शामिल कराने हेतु क्षेत्रीय जनता एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग भी की गई थी ? इसी क्रम में मा. प्रभारी मंत्री जी ने विभागीय अधिकारियों को मांग अनुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश भी जारी किये थे, तथा इस संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा भी विभाग को व मा. प्रभारी मंत्री जी को दि. 30.10.2014 को पत्र भी प्रेषित किया था ? (घ) यदि हां, तो कृपया बतावें कि क्षेत्र के नागरिकों को आवागमन में हो रही कठिनाईयों से छुटकारा दिलाने हेतु एवं क्षेत्रीय जनता/ जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांग को दृष्टिगत रखते हुये क्या शासन उक्त मार्गों को वर्ष, 2014-15 के अनुपूरक बजट में शामिल करेगा, तत्पश्चात शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं, तलावडा पहुंच मार्ग पर से यातायात आवागमन में असुविधा नहीं है । राडेप से मालीपुरा मार्ग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत नहीं आता है । (ख) जी नहीं । चन्द्रपुरा से तलावडा पहुंच मार्ग का प्रस्ताव स्थाई वित्तीय समिति की 98वीं बैठक में अनुमोदित । पर्याप्त जिला सीमा योजना के अभाव में बजट में शामिल नहीं अत: प्रशासकीय स्वीकृति जारी नहीं की गई । (ग) जी नहीं । जी हॉ, जी नहीं । (घ) उत्तरांश 'ख' अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

स्टेडियम निर्माण की घोषणा का क्रियान्वयन

67. **(क्र. 753) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिनांक 21.04.2013 को श्योपुर प्रवास के दौरान, बड़ौदा में स्टेडियम निर्माण कराने की घोषणा की थी ? (ख) क्या यह भी सच है कि संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण भोपाल ने अपने पत्र क्रमांक 4192 दिनांक 11.09.2014 द्वारा महाप्रबंधक, लघु उद्योग निगम ग्वालियर को अवगत कराया था कि उक्त स्टेडियम के निमार्ण हेतु पूर्व में आपके द्वारा पत्र क्रमांक 2607 दिनांक 26.10.2013 द्वारा रूपये 70.00 लाख का प्राक्कलन भेजा गया, तत्पश्चात् उसी प्राक्कलन को पत्र

क्रमांक 2608 दिनांक 26.10.2013 द्वारा रूपये 99.50 लाख का संशोधित करके प्राक्कलन भेजा गया ? दोनो प्राक्कलनों में विसंगति क्या हैं ? इसके अतिरिक्त निगम द्वारा उक्त प्राक्कलनों की मूल प्रतियां भी संचालनालय को नहीं भेजी गई, बल्कि उनकी छायाप्रतियां ही भेजी गई ? (ग) यदि हां, तो कृपया बतावें कि संचालनालय द्वारा निगम से उक्त जानकारी व प्राक्कलन की मूल प्रतियां मांगे जाने के बावजूद संचालनालय को उपलब्ध न कराने के क्या कारण है ? कब तक उपलब्ध करा दिये जावेंगे ? (घ) क्या ये भी सच है कि उक्त जानकारी, प्राक्कलन वर्तमान तक संचालनालय को उपलब्ध न कराने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा का क्रियान्वयन होने में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति निर्मित हो रही है ? (ड.) यदि हां, तो प्रकरण में विलम्ब (क) स्थिति के लिये उत्तरदायियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये क्या शासन/विभाग उक्त प्राक्कलन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा, तथा इस हेतु वर्ष 2014-15 के अनुपूरक अथवा आगामी वार्षिक बजट में राशि की व्यवस्था करेगा, यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हां । (ख) जी हां । दोनों प्राक्कलनों में अंतर एवं प्राक्कलनों की मूल प्रतियां भेजने हेतु संचालनालयीन पत्र क्रमांक 4192 दिनांक 11.09.2014 द्वारा लेख किया गया था । (ग) महाप्रबंधक लघु उद्योग निगम ग्वालियर के पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 30.09.2014 के संलग्न मूल प्राक्कलन राशि रूपये 70.00 लाख के मय तकनीकी स्वीकृति के साथ पुनः प्राप्त हुए है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है । (घ) जी नहीं । (ड़) जी नहीं । विलंब (क) स्थिति के लिए प्रश्न उपस्थित नही होता । इस हेतु विभाग स्टेडियम नीति तैयार कर रहा है । स्वीकृति की समय-सीमा बताई जाना संभव नही है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

<u>पेयजल योजना का क्रियान्वयन</u>

68. **(क्र. 768) श्री अनिल जैन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर परिषद निवाड़ी एवं नगर परिषद तरीचरकलां में बेतवा नदी से पेयजल लाने हेतु कोई पेयजल योजना स्वीकृत की गई है ? यदि हां, तो इससे लाभांवित होने वाले नगर एवं गांवों के नाम बताये जायें ? (ख) क्या इस पेयजल योजना के निर्माण/क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी निविदायें प्राप्त हुई हैं और किस एजेंसी की निविदा स्वीकृत की गई है ? (ग) योजना प्रावधान अनुसार इस पेयजल योजना के कार्य पूर्ण करने के लिए कितनी समयावधि निर्धारित है ? कार्यवार एवं नगर परिषद वार विवरण दिया जाए, तथा यह बताया जाये कि योजना निर्माण कार्य कब से प्रारंभ होकर कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? (घ) योजना से लाभांवित होने वाले गांवों व नगरों, निवाड़ी एवं तरीचरकलां के नगरवासियों को इस योजना के द्वारा पेयजल कब से प्राप्त हो सकेगा ? निश्चित तिथि बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । उक्त दोनों स्वीकृत योजनाओं से लाभांवित होने वाले नगर निवाड़ी एवं नगर तरीचरकलां है । (ख) से (घ) - उक्त योजनाओं के निर्माण/क्रियान्वयन के लिये संबंधित नगरीय निकायों व्दारा निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है । शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है ।

परिशिष्ट- "सत्रह"

निवाड़ी विधान सभा में सड़कों के प्राक्कलन की स्वीकृति

69. **(क्र. 770) श्री अनिल जैन :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र निवाड़ी के अंतर्गत दिसम्बर 2013 से कितनी और कौन-कौन सी सड़कों के डामरीकरण कराने के प्राक्कलन तैयार किये जाकर स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं ? सड़कों के नाम, प्रस्तावित दूरी, अनुमानित लागत, प्राक्कलन भेजने की तिथि सहित उस कार्यालय का नाम बताया जाये जहाँ पर स्वीकृति हेतु लंबित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार तैयार प्राक्कलनों की स्वीकृति लंबित रहने के क्या-क्या कारण हैं तथा इनकी स्वीकृति कब तक की जायेगी ? समयावधि बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिपेक्ष्य में प्रश्न ही नहीं उठता ।

इन्वेस्टर मीट पर व्यय राशि

70. **(क्र. 814) श्री जितू पटवारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष, 2014 इंदौर में आयोजित इन्वेस्टर मीट पर राज्य शासन द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है ? व्यय की गई राशि का शीर्षवार विवरण देवें, तथा इस मीट में कौन-कौन सी कंपनियों को आमंत्रित किया गया था, नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) इन्वेस्टर मीट के अंतर्गत किस-किस उद्योग हेतु किन-किन कंपनियों द्वारा LOU पर हस्ताक्षर किये गये हैं ? उन कंपनियों का नाम सहित विवरण देवें ? (ग) उपरोक्त मीट से म.प्र. में कौन-कौन से जिले में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जाना प्रस्तावित हैं ? (घ) प्रश्नांश (ग) से कितने रोजगार के अवसर प्रदेश के शिक्षित एवं अशिक्षित युवाओं को मिलने के आसार हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 2014 इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 पर रूपये 24.26 करोड (प्रावधिक) राशि व्यय हुई है । शीर्षवार विवरण:- 1. इवेण्ट व्यय- रूपये 16.56 करोड, 2. नॉलेज पार्टनर व्यय- रूपये 2.13 करोड, 3. डिजाईनर पार्टनर व्यय- रूपये 2.07 करोड, 4. मिडिया व्यय- रूपये 1.00 करोड, 5. अन्य व्यय- रूपये 2.50 करोड, आंमत्रित कंपनियों के नाम सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । (ख) एल.ओ.यू. नहीं हुए है तथा एल.ओ.यू. से आशय भी स्पष्ट नहीं है, तथापि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2014 के दौरान मध्यप्रदेश में निवेश हेतु एमपीट्राइफेक की वेबसाइट पर "इन्टेंशन टू इन्वेस्ट" उद्योगपतियों ने ऑनलाइन दर्ज किये है । " इन्टेंशन टू इन्वेस्ट" दर्ज करने वाले उद्योगपतियों की सूची कंपनी का नाम,प्रस्तावित परियोजना सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । (घ) लगभग 5.91 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलने के आसार संभावित हैं ।

स्वीकृत मार्गों की जानकारी

71. **(क्र. 815) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014-15 हेतु इंदौर तहसील में कृषि उपज मण्डी/प्रधानमंत्री सड़क योजना/लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कहां-कहां पर कौन-कौन सी रोड स्वीकृत की गई है ? (ख) स्वीकृत की गई रोड हेतु विभागों को कितनी राशि आवंटित की गई है ? (ग) आवंटित की गई राशि से इंदौर तहसील में कहां-कहां रोड का निर्माण हो चुका है अथवा जारी है, तथा कहां रोड का निर्माण किया जाना शेष है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कृषि उपज मंडी/प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत जानकारी निरंक है, तथा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एक सड़क एयरपोर्ट से सुपर कोरीडोर तक 6 लेन डामरीकृत सड़क के निर्माण कार्य लंबाई 1.70 कि.मी. की स्वीकृति प्राप्त है । (ख) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित स्वीकृत रोड निर्माण हेतु राशि रूपये 617.37 लाख आवंटित की गई है । (ग) उत्तरांश 'क' में उल्लेखित स्वीकृत रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है । अन्य स्वीकृति प्राप्त नहीं है ।

<u>भोपाल में म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा लीज नवीनीकरण</u>

72. **(क्र. 836) श्री बाला बच्चन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल शहर के सेक्टर ई-6 एवं ई-7 अरेरा कालोनी में म.प्र. गृह निर्माण मंडल को शासन द्वारा आवंटित भूमि के 30 वर्षीय लीज आवंटन के पुर्ननवीनीकरण हेतु कलेक्टर भोपाल को किस पत्र/दिनॉक द्वारा आवेदन किया गया है तथा कितनी राशि जमा की गई है ? (ख) क्या यह सही है कि लीज नवीनीकरण के लिए म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा कलेक्टर को अपेक्षित राशि जमा नहीं की गई है ? यदि हाँ तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी का नाम, पदनाम सहित बताएं ? (ग) क्या राजस्व विभाग द्वारा लीज पुर्ननवीनीकरण के लिए जारी परिपत्र के अनुसार 30 (तीस) वर्ष से अधिक समय के बाद के प्रकरणों में 15% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर पर वसूल करने का प्रावधान है ? (घ) यदि हाँ तो म.प्र. गृह निर्माण मंडल द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों में 15% चक्रवृद्धि ब्याज किस प्रावधान के तहत वसूला जा रहा है, स्पष्ट करें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (1) एवं (ख) म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसरंचना विकास मण्डल के कार्यपालन यंत्री, संभाग-6, भोपाल के पत्र दिनांक 14.01.2010 द्वारा कलेक्टर, भोपाल को आवेदन किया जाना प्रतिवेदित है । राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 03.03.2014 के तहत प्रब्याजि एवं भू-भाटक का मांग पत्र प्राप्त नहीं होने से मण्डल धनराशि जमा कराने की स्थिति में नही है । अतः शेष प्रश्न उत्पन्न् नही होत है । (ग) जी हां । (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है ।

परिशिष्ट-"अठारह"

<u>गन्था घाट में पुल निर्माण में विलंब</u>

73. **(क्र. 867) पं. रमाकान्त तिवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा जिले की त्योंथर तहसील में बेलन नदी के गन्था घाट पर पुल निर्माण की स्वीकृति शासन द्वारा कब प्रदान की गई है ? (ख) उपरोक्त कार्य करने की निविदा कब निकाली गई, क्या उक्त निविदा को शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) उपरोक्त पुल निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ कर दिया जायेगा ? समयावधि सहित बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनांक 03.04.2013 को मूल प्रशासकीय स्वीकृति एवं दिनांक 14.11.2014 को पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई । (ख) दिनांक 23.04.2014 जी नहीं निविदा दर अधिक होने के कारण । (ग) निविदा की कार्यवाही प्रचलन में है । अत: निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>**गृह निर्माण समिति को भूमि का आरक्षण**</u>

74. **(क्र. 887) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कोई म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग ग्राम शहपुरा स्थित चार एकड़ भूमि के आरक्षण हेतु दिनांक 11.10.2010 को कलेक्टर, भोपाल द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था ? यदि हां, तो वह किस गृह निर्माण समिति के लिए था ? (ख) प्रस्तावित भूमि का आरक्षण क्या हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों कारण बतावें ? यदि आरक्षण हो गया है, तो कब दिनांक बतायें ? (ग) भूमि आरक्षण एवं आवंटन संबंधी कोई नीति बनाई गई है, यदि हां, तो क्या उसको लागू किया गया है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जी नहीं शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होते हैं (ग) जी हॉ जी हॉ ।

<u>**अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य**</u>

75. **(क्र. 890) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में विभाग द्वारा स्वीकृत कौन-कौन से निर्माण कार्य तथा सड़के अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं, तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें ? (ख) उक्त कार्य अनुबन्ध अनुसार समय-सीमा में पूर्ण हो इस हेतु विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या प्रयास/कार्यवाही की पूर्ण विवरण दें ? (ग) अनुबन्ध अनुसार समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों कारण बतायें ? (घ) उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण हो इस हेतु विभाग क्या-क्या कार्यवाही करेगा पूर्ण विवरण दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के स्तम्भ 6 के अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के स्तम्भ 7 के अनुसार । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ के स्तम्भ 8 के अनुसार ।

<u>**सड़क निर्माण कार्य में अनियमिततायें**</u>

76. **(क्र. 891) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा किन-किन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है ? पूर्ण विवरण दें ? उक्त सड़कों की गारंटी अवधि क्या-क्या है ? (ख) देवास जिले में काटा फोड़ से नाचन बोर तक प्रत्येक ग्राम के अंदर एवं बाहर सड़क की चौड़ाई समान क्यों नहीं है ? (ग) उक्त सड़क निर्माण कार्य में घटिया निर्माण तथा प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार कार्य नहीं करने की विभाग को किन-किन माध्यमों से शिकायत प्राप्त हुई, तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्त सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किन-किन अधिकारियों ने कब-कब किया तथा क्या-क्या अनियमिततायें पाई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) देवास जिले की सड़को का विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार है । रायसेन जिले में एमपीआरडीसी द्वारा कोई भी सड़क निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है । (ख) देवास जिले में कांटाफोड से नाचन बोर तक सभी ग्रामों के बाहर सड़क की चौड़ाई 5.50 मी. डामरीकृत सतह एवं 2.25 मीटर शोल्डर दोनों ओर कुल 10.00 मीटर है । ग्रामों के अंदर उपलब्ध जगह अनुसार सड़क निर्माण

कार्य किया गया है ग्रामों के अंदर निर्मित सड़कों का विवरण संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार । (ग) घटिया निर्माण संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । कार्य निर्धारित मापदण्ड एवं मानक गुणवत्ता के आधार पर संपादित कराया गया है । अत: कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (घ) सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा नियुक्त इंडिपेंडेन्ट इंजीनियर (स्वतंत्र अभियंता) द्वारा सतत् रूप से किया जाता है । साथ ही समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है । निर्माण कार्य में कोई अनियिमिततायें नहीं पाई गई ।

परिशिष्ट-"उन्नीस"

थावर नदी में पुल एवं केवलारी से छींदा तक सड़क निर्माण

77. **(क्र. 912) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुबरिया के समीप थावर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण किये जाने हेतु मांग की जा रही है ? (ख) यदि हाँ, तो शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या गुबरिया के समीप थावर नदी पर पुल बनाये जाने हेतु शासन स्वीकृति प्रदान करेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ? (घ) क्या केवलारी से छिंदा तक सड़क निर्माण किये जाने हेतु शासन स्वीकृति प्रदान की जावेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । (ख) प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रस्ताव/प्राक्कलन नहीं किये गये है । अत: स्वीकृति का औचित्य ही उपस्थित नहीं होता । (घ) केवलारी से छिन्दा तक सड़क निर्माण किये जाने हेतु वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है । अत: स्वीकृति हेतु समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

ग्राम घंसौर के नागा बाबा मंदिर की सीमा निर्धारित की जाना

78. **(क्र. 915) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केवलारी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घंसौर के नागा बाबा में प्राचीन जैन धर्मलम्बी प्रतिमा कब से स्थापित है ? (ख) क्या शासन द्वारा उक्त प्राचीन प्रतिमा के कारण वर्षो से निवासरत ग्रामवासियों को विस्थापित किया जा रहा है ? यदि हाँ तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या शासन द्वारा विस्थापित लोगों के पर्याप्त एवं संपूर्ण व्यवस्था की गई है ? यदि हाँ तो क्या व्यवस्था है ? (घ) क्या वर्षों से निवासरत इसी स्थान पर लोगों को रहने के लिए शासन पुन: विचार करेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) वर्ष 1958 से प्रतिमा स्थापित है । (ख) मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जनहित याचिका क्रमांक 957/2014 में पारित आदेश दिनांक 27/01/2014 के परिपालन में संरक्षित क्षेत्र के खसरा नंबर 352/327/2,258/3,128 मद चरनोई मे पाये गये 27 अतिक्रमणकर्ताओं का अतिक्रमण हटाया जा रहा है । (ग) चरनोई मद में से हटाए जाने वाले अतिक्रमणकर्ताओं को अति गरीब/गरीब श्रेणी की प्राथमिकता के आधार पर म.प्र. शासन की आवासीय योजना के अंतर्गत लाभ दिलाये जाने हेतु प्रयास किया जा रहा है । (घ) जी नहीं ।

मुरैना सबलगढ़ सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य बन्द होना

79. **(क्र. 931) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना से सबलगढ़ तक सड़क मार्ग के चौड़ीकरण का ठेका किस कम्पनी को दिया गया था, तथा उक्त कार्य के पूर्ण होने की अवधि की अन्तिम दिनॉक कब तक निश्चित की गई थी ? वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है ? (ख) क्या यह भी सही है कि मूल ठेकेदार द्वारा उक्त मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य पेटी पर किसी दूसरे ठेकेदार को दिया गया था ? उस फर्म का नाम पते सहित जानकारी दी जावे ? (ग) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में मुरैना सबलगढ़ मार्ग चौड़ीकरण का कार्य बन्द हो गया है ? मूल ठेकेदार व पेटी ठेकेदार दोनों ही कार्य नहीं कर रहे हैं क्यों ? कब तक कार्य पूर्ण करवा दिया जावेगा ? (घ) उक्त कार्य के ठेके की कितनी राशि की कितनी राशि का अभी तक भुगतान किया जा चुका है ? कितनी राशि का कार्य बकाया है ? पूर्ण जानकारी दी जावे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नांकित मार्ग के चौड़ीकरण कार्य का ठेका मेसर्स कॉनकास्ट इन्फ्राटेक कंपनी नई दिल्ली को दिया गया है तथा कार्य पूर्ण होने का दिनांक 25.08.2015 निर्धारित है । वर्तमान में कार्य प्रगति पर है । (ख) पेटी ठेकेदार की जानकारी कन्सेशन अनुबंध के अनुसार विभाग को देना आवश्यक नहीं है । (ग) प्रश्नांकित मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य बंद न होकर धीमी गति से चालू है । जी नहीं अपितु कार्य में गति लाने हेतु कन्सेशनायर को पत्र लिखे गये है । दिनांक 25.08.2015 तक कार्य पूर्ण किया जाना है । (घ) कार्य का ठेका टोल एन्युटी+एन्युटी पद्धति के अंतर्गत दिया जा रहा है । कार्य की स्वीकृति राशि रूपये 145 करोड़ है । इस कार्य का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया जाता है ।

चक्राकार आरा, जिसका व्यास 12 से अधिक न हो का लोप किया जाना

80. **(क्र. 940) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि 10 जनवरी, 2011 को म.प्र. काष्ट चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1984 (क्रं.12) की धारा 2 में खण्ड भाग-2 का संशोधन (च) में शब्द तथा चक्राकार आरा, जिसका व्यास 12 इंच से अधिक न हो, का लोप किया गया है ? (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) के संबंधित फर्नीचर व्यवसाय भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की श्रेणी में आता है, जो कि अर्द्धकुशल मजदूर वर्गो पर आधारित होता है ? (ग) क्या यह सही है कि 10 जनवरी, 2011 को चक्राकार आरा का लोप किये जाने से पूरे प्रदेश में इससे जुड़े संबंधित हजारों की संख्या में सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायियों का व्यवसाय एवं इस व्यवसाय से जुड़े लाखों मजदूरों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ? (घ) यदि यह सही है, तो क्या सूक्ष्म एवं लघु व्यवसायियों व लाखों प्रभावित मजदूरों के हित में उक्त संशोधित धारा को निरस्त कर पूर्ववत किया जायेगा ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां । (ख) वन विभाग द्वारा फर्नीचर व्यवसाय को सूक्ष्म एवं लघु उद्योग की श्रेणी में परिभाषित नहीं किया गया है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) चक्राकार आरा के लोप किये जाने से मजदूरों के रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ने की जानकारी वन विभाग के ध्यान में नहीं लाई गई है । (घ) उत्तरांश "ग" के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

उद्योग विभाग को भूमि का आवंटन

81. **(क्र. 954) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बड़वाहा विधान-सभा क्षेत्र में शासन द्वारा उद्योग विभाग को कितनी भूमि आवंटित की गई है ? इस आवंटित भूमि में से उद्योग विभाग द्वारा विभिन्न इकाइयों को कितनी-कितनी भूमि किस-किस दिनॉक को आवंटित की गई है ? (ख) उद्योग विभाग द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये कितनी-कितनी भूमि किस-किस दिनॉक को दी गई है ? संबंधित उद्योगपति द्वारा कब-कब, किस-किस वस्तु के उत्पादन के लिये उद्योग प्रारम्भ किया गया है, उसकी सूची दी जावें ? वर्तमान में कितने उद्योग किस दिनॉक से असंचालित अर्थात बंद है ? इन उद्योगपतियों पर शासन का कितना-कितना बकाया है ? इन बकायादारों से वसूली के लिये विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) वर्ष 2014 में अर्थात् 1 जनवरी 2014 से वर्तमान तक नवीन उद्योग के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुऐं हैं एवं कितने आवेदन-पत्रों का कैसा निराकरण किया गया है ? (घ) बडवाहा विधान-सभा क्षेत्र में उद्योग विभाग की भूमि पर उद्योगपतियों द्वारा उन्हें आवंटित भूमि के अतिरिक्त कितनी भूमि पर कितना-कितना अतिक्रमण किया गया है एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा किस स्वरूप में अतिक्रमण किया गया है ? इन अतिक्रमणकारियों के द्वारा कब अतिक्रमण किया गया ? एवं विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के संबंध में कब-कब क्या कार्याही की गई है तथा कितना अतिक्रमण हटाया गया है एवं कितना शेष है ? शेष अतिक्रमण कब तक हटाया जावेगा उसकी समय सीमा बताई जावे ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) बडवाह विधानसभा क्षेत्र में शासन द्वारा उद्योग विभाग को औद्योगिक क्षेत्र सिरलाय बडवाह हेतु कुल 48.99 हेक्टर एवं औद्योगिक क्षेत्र नर्मदा रोड बडवाह हेतु 23.48 हेक्टर भूमि आवंटित की गई है! जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) वर्ष 2014 में अर्थात 01 जनवरी 2014 से नवीन उद्योग के लिये 01 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, परन्तु आवेदन पत्र अपूर्ण होने के कारण आवेदक को कार्यालय के पत्र क्रमांक 1531, दिनांक 18.03.2014 से सूचना दी गई । (घ) बडवाह विधानसभा क्षेत्र में उद्योग विभाग की भूमि पर उद्योगपतियों द्वारा उन्हे आवंटित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है । अन्य कतिपय व्यक्तियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिरलाय में झुग्गी झोपडी स्थापित कर अतिक्रमण किया गया है । जिसे हटाने की कार्यवाही निम्न दिनाकों को की गईः- (1) दिनांक 27.11.2010 को 16 अतिक्रमणों को हटाये गये । (2) दिनांक 07.07.2012 को 10 अतिक्रमणों को हटाये गये । (3) दिनांक 11.05.2013 को 12 अतिक्रमण हटाये गये । (4) दिनांक 25.02.2014 को भी अतिक्रमण हटाये गये । (5) दिनांक 25.03.2014 को भी अतिक्रमण हटाये गये । (6) दिनांक 08.09.2014 को भी अतिक्रमण हटाये गये । शेष अतिक्रमण हटाने के संबंध में (अनुविभागीय अधिकारी-राजस्व बडवाह) से निरंतर संर्पक किया जा रहा है, अतिक्रमण शीघ्रताशीघ्र हटाया जावेगा ।

निर्यात कर की चोरी

82. **(क्र. 991) श्री गोवर्धन उपाध्याय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नगर परिषद् अध्यक्ष, लटेरी जिला विदिशा के विरूद्ध दिनांक 10.9.2012 को निर्यात कर की चोरी में मिली भगत की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच एसडीएम, लटेरी द्वारा की गयी थी ? (ख) क्या उक्त जांच रिपोर्ट में नगर परिषद् अध्यक्ष, लटेरी के विरूद्ध शिकायत सही पाई गई थी, यदि हां तो उक्त नगर परिषद् अध्यक्ष के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों ? कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हां । (ख) जी हां, संबंधित एवं अन्य फर्म को नोटिस जारी किया गया, अध्यक्ष, नगर परिषद लटेरी, जिला विदिशा द्वारा सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करा दिये जाने से शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

भोपाल नगर के वार्डो में घर-घर से कचरे का संग्रहण

83. **(क्र. 992) श्री गोवर्धन उपाध्याय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम, भोपाल द्वारा भोपाल नगर के किन-किन वार्डो में घर-घर से कचरा उठाने के आदेश कब-कब प्रसारित किये गये हैं ? (ख) जिन वार्डो में निगम द्वारा घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था की गई है, उनमें यह कार्य किस-किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है ? (ग) ऐसे कौन-कौन से वार्ड हैं, जिसमें घर-घर कचरा उठाने की व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है ? (घ) क्या निगम के वार्ड प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रश्नांश (ग) से संबंधित वार्डो के निवासियों से कचरा उठाने के लिये (उपभोक्ता प्रभार) लिया जा रहा हैं, यदि हां, तो किस आधार पर ? (ड.) क्या राज्य सरकार नगर पालिका निगम, भोपाल को निर्देशित करेगी कि जिन वार्डो में घर-घर से कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं की गई है, उनके निवासियों से उपभोक्ता प्रभार न लिया जाए ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) भोपाल द्वारा नगर के वार्ड क्रं. 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 एवं वार्ड क्रं. 63 में घर घर से कचरा उठाने की व्यवस्था स्थायी आदेश क्रं. 07/2011 दिनांक 06-05-11 से की गई है, इसके उपरांत संसाधन की उपलब्धता अनुसार, इस कार्य का विस्तार नगर के शेष वार्डो में किया गया । (ख) किसी एजेन्सी के द्वारा नहीं, अपितु नगर निगम द्वारा ही कचरा उठाने का कार्य कराया जा रहा है । (ग) नगर निगम के समस्त वार्डो में आंशिक तौर पर घर घर कचरा उठाने का कार्य प्रारंभ किया गया है । (घ) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ड) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जबलपुर-पाटन-शहपुरा मार्ग एवं बेलखाड से सरोद मार्ग का निर्माण

84. **(क्र. 1004) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर-पाटन-शहपुरा मार्ग के निर्माण की निविदा किस दिनांक को आमंत्रित की गई एवं मार्ग के निर्माण का अनुबंध किस दर पर किन शर्तो के आधीन, कुल कितनी निर्माण राशि का किस कंपनी से किया गया ? अनुबंध की शर्तो के अनुसार कितनी चौड़ाई की कितनी लम्बी सड़क कब तक बननी थी ? (ख) क्या निर्माण कम्पनी द्वारा अर्थवर्क के लिये आवश्यक सामग्री मिट्टी एवं मुरम के उत्खनन हेतु खनिज विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली है ? उत्तर में यदि हां, तो बतलावें कि कहां-कहां से उत्खनन की अनुमति प्रदान की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग के निर्माण हेतु अनुबंधित निर्माण एजेंसी द्वारा नियमों के विपरीत मार्ग निर्माण का ठेका पेटी ठेकेदार को दिया गया है एवं मार्ग पर अभी तक अर्थवर्क का कार्य भी प्रारंभ नहीं हो पाया है ? उक्त स्थिति में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त मार्ग का निर्माण कब से प्रारंभ होगा एवं उक्त मार्ग का निर्माण कब पूर्ण होगा ? (घ) पाटन तहसील अंतर्गत वेलखाड़ से सरोंद मार्ग के निर्माण का अनुबंध किस निर्माण कम्पनी से कितनी लागत का किया गया है ? इस निर्माण कम्पनी द्वारा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम गेरहा में उत्खनन की अनुमति प्राप्त कर ली है ? यदि ना, तो क्या शासन अवैध उत्खनन के विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' के अनुसार । (ख) जी नहीं कन्शेसनायर द्वारा ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त की गई है । (ग) कन्शेसनायर मे. कॉनकास्ट जबलपुर रोड़ प्रोजेक्टस प्रा.लि. द्वारा मे. कोमेक्स इन्फ्राटेक प्रा.लि. को अनुबंध के प्रावधानों के तहत पी.सी. नियुक्त किया है । अर्थवर्क कार्य प्रारंभ कर जी.एस.बी. का कार्य प्रगति पर है । कार्य दिनांक 19.01.2016 तक अनुबंधानुसार पूर्ण किया जाना है । निगम द्वारा कार्य की गति बढ़ाने हेतु कंसेनायर को नोटिस दिया गया है । (घ) मे. कॉनकास्ट धनेरा रोड प्रोजेक्ट प्रा.लि. कलकत्ता से बी.ओ.टी. योजना में अनुबंध किया गया है । लागत रू. 23.55 करोड़ है । जी हाँ । ग्राम पंचायत से अनुमति प्राप्त की है । अत: कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट-"बीस"

<u>राजधानी परियोजना में पदस्थ अधिकारियों की जानकारी</u>

85. **(क्र. 1053) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी परियोजना में प्रश्न दिनॉक तक किस-किस पदनाम/नाम के अधिकारी/कर्मचारी कब से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं ? पदनाम वार, नाम वार, कब से पदस्थ हैं दिनॉकवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों का राजधानी परियोजना में संविलियन कर दिया गया है ? यदि नहीं तो फिर क्यों उक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों के विपरीत अभी तक पदस्थ कर रखा है ? (ग) राजधानी परियोजना में पदस्थ किन-किन अधिकारियों/कर्मचारियों की लोकायुक्त/ईओडब्ल्यू/विभागीय जॉच चल रही है ? अधिकारी/कर्मचारी वार, जॉच वार, प्रकरण वार और निराकरण वार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत राजधानी परियोजना में नियम विरूद्ध पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को हटाया जायेगा ? यदि हाँ तो कब तक ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) एवं (घ) जी नहीं । प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाने पर रोक नही है । प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध जांच प्रचलित नहीं है ।

परिशिष्ट-"इक्कीस "

<u>धारा 34 अ में अधिसूचित भूमि</u>

86. **(क्र. 1087) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि छतरपुर जिले के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 34 अ के तहत राजपत्र में डीनोटीफाईड जमीनों की ग्रामवार सूची मुख्य वन संरक्षक छतरपुर को बुनियाद संस्था बैतूल के श्री अनिल गर्ग द्वारा वर्ष 2014 की प्रश्नांकित तिथि तक प्रेषित कर अभिलेख संशोधन का निवेदन किया हैं ? (ख) यदि हां, तो श्री अनिल गर्ग ने किस दिनांक को लिखे पत्र में धारा 34अ के तहत किस दिनांक को राजपत्र में किस ग्राम की कितनी जमीन एवं किस ग्राम की समस्त वनभूमि डीनोटीफाईड किए जाने की जानकारी प्रेषित की गई हैं इस जानकारी पर मुख्य वन संरक्षक छतरपुर ने किस दिनांक को क्या-क्या आदेश निर्देश दिए हैं ? (ग) धारा 34 अ में डीनोटीफाईड संरक्षित वन भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत किस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा संरक्षित वन अधिसूचित किया

गया यह जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों या नोईयत में दर्ज भूमि हैं ? (घ) धारा 34अ में डीनोटीफाईड भूमियों को आरक्षित वन, संरक्षित वन या नारंगी वन भूमि माने जाने, न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि माने जाने के आदेश किस दिनांक को किसके द्वारा जारी किए गए हैं ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां । (ख) श्री अनिल गर्ग द्वारा जिलाध्यक्ष छतरपुर को प्रेषित पत्र दिनांक 07 मई, 2014, जो पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है, की प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर को दिनांक 20.05.2014 को प्राप्त हुई है, जिसे मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1372 दिनांक 23.05.2014 से वनमण्डलाधिकारी छतरपुर को भेजा है तथा परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु वनमण्डलाधिकारी को निर्देश दिये हैं । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (घ) प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है ।

<u>छतरपुर वन वृत्त में लंम्बित जांच</u>

87. **(क्र. 1088) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर वनवृत्त के अंतर्गत आनेवाले किस वनमंडल में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 5 से 19 तक की लम्बित जांच के बाद भी कितने वनखण्डों में शामिल कितने ग्रामों कि कितनी जमीनों को वर्किंग प्लान, पी.एफ. एरिया रजिस्टर, संरक्षित वन कक्ष इतिहास एवं संरक्षित वन कक्ष मानचित्र में सम्मिलित कर लिया गया है ? (ख) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लम्बित जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों या किन-किन नोईयत में दर्ज भूमि हैं, इनमें से किन-किन मदों में दर्ज भूमियों को लेकर मा. उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका क्रं. 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर, 1996 आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में दिनांक 1 अगस्त, 2003 को क्या-क्या आदेश निर्देश दिए हैं ? (ग) राजस्व अभिलेखों में दर्ज बडे झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान, घांस, चरनोई आदि मदों में दर्ज जमीनों को वर्किंग प्लान में सम्मिलित करने धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही किए जाने के अधिकार या छूट वन विभाग को मा. उच्चतम न्यायालय ने किस दिनांक के आदेश के तहत प्रदान किए हैं ? (घ) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लम्बित वर्किंग प्लान में सम्मिलित भूमियों पर वर्ष, 2012-13 एवं 2013-14 में वन विभाग ने किस मद की किस योजना की कितनी-कितनी राशि खर्च की है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) प्रश्नांश में सम्मिलित भूमियों के राजस्व मद एवं नोईयत की जानकारी वन प्रबन्धन हेतु आवश्यक नहीं होने से इनका संधारण वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक 202/95 में पारित आदेश दिनांक 12.12.96 में राजस्व मद एवं नोईयत के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं है । आई.ए. क्रमांक 791 एवं 792 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2003 में छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि वन की परिभाषा में होने का उल्लेख है । (ग) ऐसा कोई आदेश नहीं है । (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है ।

परिशिष्ट- "बाईस"

<u>जिला मंदसौर को दस वर्षों में विकास हेतु प्राप्त राशि</u>

88. **(क्र. 1109) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग में जिला मंदसौर को विगत 5 वर्षों में विकास हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत है ? नाम बतायें ? (ग) विधान सभा क्षेत्र सुवासरा में राज्य व केन्द्र द्वारा कौन-कौन से कार्य प्रस्तावित है ? कार्यों का नाम बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार तथा म.प्र. सड़क विकास निगम को जिलेवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार । म.प्र. सड़क विकास निगम अंतर्गत सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में सीतामउ-बसई-सुवासरा मार्ग, लंबाई 34.97 किमी. एवं लागत रू. 53.05 करोड़ का निर्माण, बीओटी (टोल) योजना में स्वीकृत होकर दिनांक 28.03.2013 को कार्य पूर्ण किया गया है । (ग) वर्तमान में कोई नहीं । म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा विधानसभा क्षेत्र सुवासरा अंतर्गत सुवासरा-गुराडियाकला मार्ग, लंबाई 21.00 किमी. की फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार की गई है ।

<u>वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ कैलारस के द्वारा अनियमिततायें</u>

89. **(क्र. 1120) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जौरा विधान सभा में वन विभाग की रेंज कैलारस, पहाड़गढ़ में शासन की योजनानुसार वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं प्रश्न दिनॉक तक कूप-तलैया निर्माण में एवं अन्य मदों में कितनी राशि खर्च की गई है और कहाँ-कहाँ की गई ? कार्यों का सत्यापन, मूल्यांकन किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि वन परिक्षेत्र अधिकारी पहाड़गढ़ द्वारा शासन के मदों जैसे (बिगड़े वनों का सुधार कार्य) आर.डी.एफ. एवं जलाऊ, ऊर्जा चारागाह, कूपों में हुए कार्य, परकुलेशन पिट (तलैया) सी.पी.टी. (पशु अवरोध खंती) जीवित बागड़ चेकडेम, पौधारोपड़ कार्य आदि में कार्यों में निविदा आमंत्रित किये बिना फर्जी कार्य दिखाकर लाखों रूपयों की अनियमितता की गई है ? कितने कार्य बिना निविदा के वर्ष 2013-14, 2014-15 में कराये गये है ? (ग) क्या यह भी सही है कि कैलारस रेन्जर द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 में किये गये कार्यों का भुगतान एक ही व्यक्ति के खाते में कर दिया गया है ? यदि हाँ तो कितना कब-कब और किस बावत् भुगतान किया गया है ? किया गया कार्य मजदूरों एवं मशीनरी से कराया गया है ? (घ) क्या यह भी सही है कि कैलारस रेंजर द्वारा वन क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित राशि से कम दर पर कार्य कराकर गुणवत्ता से समझौता किया गया व निर्धारित की गई नाप से कम कार्य कराकर भुगतान कर दिया गया ? यदि हाँ तो संबंधित रेंजर एवं संलग्न कर्मचारी ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जौरा विधान सभा में वन विभाग की कैलारस परिक्षेत्र नहीं है । पहाड़गढ़ परिक्षेत्र से संबंधित जानकारी पुस्कालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जी नहीं । वर्ष 2013-14 में 566 कार्य एवं 2014-15 में 262 कार्य बिना निविदा के कराये गये । (ग) एवं (घ) वनमण्डल मुरैना के अंतर्गत कैलारस रेंज नहीं होने के कारण कोई रेंजर पदस्थ नहीं है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नगर पालिका, पथरिया बटियागढ़, जिला दमोह में स्ट्रीट लाईट पर व्यय

90. **(क्र. 1130) श्री लखन पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत/परिषद, पथरिया एवं बटियागढ़ (जिला दमोह) में नगर की स्ट्रीट लाईट पर वर्ष 2013-14 एवं माह अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक कितना आवंटन है, सुधार/लाईट पर हुए व्यय की जानकारी देवें ? (ख) इन नगरों में स्ट्रीट लाईट पर माह अप्रैल 2014 से अगस्त 2014 तक कितना खर्च किया गया है ? खर्च की गई राशि कुल आवंटित राशि की कितने प्रतिशत है ? (ग) आवंटित राशि से व्यय अधिक (उपरोक्त अवधि वर्ष 2014 - 2015 में) किया गया है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसे ठहराया गया है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) नगर परिषद पथरिया एवं ग्राम पंचायत बटियागढ़, जिला दमोह को प्रश्नांकित अवधि में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । नगर परिषद पथरिया द्वारा वर्ष 2013-14 में राशि रूपये 31.25 लाख एवं अप्रैल 2014 से जुलाई 2014 तक रूपये 11.34 लाख का व्यय स्ट्रीट लाईट सुधार पर किया गया है । ग्राम पंचायत बटियागढ़ में स्ट्रीट लाईट सुधार पर कोई व्यय नहीं हुआ है । (ख) उत्तरांश 'क' अनुसार स्ट्रीट लाईट हेतु आवंटन प्राप्त न होने से खर्च की गई राशि एवं आवंटित राशि का प्रतिशत संबंधी जानकारी निरंक है । (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

नगर पालिका परिषद, पथरिया एवं बटियागढ़ (जिला दमोह) टैंकरों से पेयजल वितरण

91. **(क्र. 1131) श्री लखन पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पंचायत/पालिका परिषद, पथरिया एवं बटियागढ़ (जिला दमोह) में मार्च, 2014 से जुलाई, 2014 तक टैंकरों द्वारा नगर में पेयजल वितरण पर कितनी राशि का आवंटन में से खर्च की गई है ? (ख) इस मद में शेष राशि कितनी है ? (ग) कितने ट्रेक्टर/टैंकर किराये पर इस कार्य के लिए लगाए गए ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) नगर परिषद, पथरिया एवं ग्राम बटियागढ़ जनपद पंचायत (जिला दमोह) में मार्च 2014 से जुलाई 2014 तक टेंकरों व्दारा नगर में पेयजल वितरण हेतु राशि का आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) पेयजल वितरण हेतु ट्रैक्टर/टेंकर किराये पर नहीं लगाये गये है ।

एम.पी.नगर भोपाल के भू-खण्डों के स्वीकृत नक्शों से अधिक पर निर्माण कार्य

92. **(क्र. 1137) श्री शैलेन्द्र पटेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एम.पी.नगर जोन-2 भोपाल के भूखण्डों पर स्वीकृत नक्शो से अधिक निर्माण किया गया ? अगर हां, तो कितने ? (ख) कितने भवनों पर अधिक निर्माण पर क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं ? कितने भवनों में अधिक निर्माण के कारण भवन स्वामियों के साथ नगर निगम ने समझौता किया हैं ? (ग) समझौते के रूप में किस-किस भवन स्वामी से अधिक निर्माण पर समझौता शुल्क वसूल किया गया हैं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) जानकारी संकलित की जा रही है ।

नारायणगंज से बबलिया सड़क निर्माण

93. **(क्र. 1149) श्री रामप्यारे कुलस्ते :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारायणगंज से बबलिया सड़क निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, किस कंपनी ने सड़क निर्माण का ठेका लिया है, एजेंसी का अनुबंध किस दिनांक को हुआ, अनुबंध में शर्तें क्या थी ? (ख) क्या सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है और प्रारंभ हुआ है तो किस दिनांक से, वर्तमान समय में सड़क निर्माण की क्या स्थिति है, क्या अनुबंध अनुसार सड़क निर्माण एजेंसी के द्वारा कार्य किया जा रहा है ? (ग) क्या सड़क निर्माण एजेंसी को कार्य पूर्ण करने की समयावधि प्रदान की गई है, यदि हां, तो कब तिथि बताऐं ? (घ) यदि सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा गुणवत्ता युक्त कार्य एवं समय पर कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो एजेंसी के उपर कोई कार्यवाही की जावेगी, यदि कार्यवाही की जावेगी तो कौन सी कार्यवाही, क्या ठेका निरस्त किया जावेगा, पेनाल्टी लगाई जावेगी या फिर एजेंसी को ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनांक 14;09;2012 को मे. राजलक्ष्मी कंस. न्यू सिटी गुना रोड, दिनांक 12.02.2013 को, अनुबंध की शर्तो निविदा संलग्न प्रपत्र 'अ' के अनुसार । (ख) जी हाँ, दिनांक 12.02.2013 से प्रगति पर है । वर्तमान समय में अर्थ वर्क 16.00 कि.मी., सी.आर.एम. 6.00 कि.मी., डब्ल्यू.बी.एम. 1.90 कि.मी., सी.सी. 0.90 कि.मी., बी.टी. 1.00 कि.मी. एवं 15 नग पुलिया का निर्माण किया गया है । जी हाँ । (ग) जी हाँ । दिनांक 30.04.2015 तक । (घ) जी हाँ । अनुबंधानुसार कार्यवाही की जावेगी । प्रकरण के गुणदोष के आधार पर ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जावेगा ।

परिशिष्ट-"तेईस"

नगरीय निकाय के अंतर्गत अस्थाई दखल एवं अवैध वसूली

94. **(क्र. 1222) श्री मेहरबान सिंह रावत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नगरीय निकाय अंतर्गत चुंगी नाका लगाकर सबलगढ़ नगर पालिका में अवैध वसूली की जा रही है । क्या मध्यप्रदेश में चुंगी प्रथा नगरीय निकाय में चालू है ? जानकारी दें । यदि नहीं, तो क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी और कब तक ? समयसीमा बतायें ? (ख) यदि हॉ, तो नगरीय निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क सूची वाहन अनुसार बतावें ? (ग) चुंगी नाका पर निर्धारित शुल्क सूची लगी न होने के कारण एवं अवैध वसूली के कारण संबंधित ठेकेदार का ठेका निरस्त करने की कार्यवाही कब तक प्रस्तावित की जावेगी ? ठेका देने वाले संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं । जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) एवं (ग) उत्तरांश ''क'' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ई. टेण्डर के निविदा प्रपत्र की राशि

95. **(क्र. 1225) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा ई.टेण्डर की शुरूआत कब से की गयी ? क्या यह सही है कि विभाग द्वारा ई. टेण्डरिंग कार्य हेतु नेफ्ट टेण्डर प्राईवेट लिमिटेड से अनुबंध किया गया था ? उक्त कम्पनी को यह अनुबंध कब तक किया गया था ? क्या वर्तमान में भी हैं ? (ख) दिनांक 15/11/2014 तक कुल कितनी राशि के टेण्डर प्रपत्र की राशि विभाग को ई.टेण्डर का कार्य करने वाली कम्पनियों द्वारा विभाग को

देना था ? (ग) क्या निविदा प्रपत्र की राशि दिनांक 1.4.2014 तक प्राप्त हो चुकी है ? क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा ई.टेण्डर प्रपत्र की राशि टेण्डर कम्पनियों से वापस लेने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये हैं ? (घ) यदि ई.टेण्डर प्रपत्र की राशि विभाग को प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करते हुए पूरे प्रकरण की जांच करायी जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) दिनांक 14.02.2007 से एवं म.प्र. सड़क विकास निगम में दिनांक 06.01.2009 से । जी हाँ । दिनांक 16.11.2006 से 15.11.2011 तक के लिये किया गया था, बाद में अनुबंध को दिनांक 31.01.2013 तक के लिये बढ़ाया गया था । जी नहीं, वर्तमान में अनुबंध टी.सी.एस. इन कंसोर्टियम विद अंतेर्स सिस्टम लिमिटेड से किया गया है । (ख) रूपये 46,35,59,624/- म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत रूपये 2,49,99,254/- । (ग) जी हाँ । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उत्तरांश 'ग' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>निजी लेबोरेट्री कृष्णा डिजीटल टेस्टिंग लेब, भोपाल को आर्थिक लाभ पहुंचाना</u>

96. **(क्र. 1229) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में नेशनल अकेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलिब्रेशन लेबोरेट्री (एन.ए.बी.एल.) से मान्यता प्राप्त कितनी लेबोरेट्री हैं ? कृपया नाम तथा शहर सहित जानकारी दें ? विभाग ने अपनी लेबोरेट्रियों को एन.ए.बी.एल. से मान्यता क्यों नहीं ली ? (ख) क्या यह सही है कि ठेकों की अनुबंध शर्तों में शामिल न होने शासन/ विभाग के पास अपनी लेब, ठेकेदारों के पास अपनी लेब होने के बावजूद विषयांकित लेब को एन.ए.बी.एल. से मान्यता की आड लेकर आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए ठेकेदारों को विषयांकित लेब से टेस्टिंग करवाने हेतु मजबूर किया जा रहा है ? (ग) दिनांक 1.4.14 से दिनांक 15.11.14 तक प्रदेश के किन-किन ठेकेदारों से किन-किन निर्माण कार्यों के लिए विषयांकित लेब द्वारा टेस्टिंग हेतु कितनी राशि ली गई ? (घ) क्या यह सही है कि विषयांकित लेब को आर्थिक लाभ पहुंचाने को वैधानिक रूप देते हुए नवीन ठेका शर्तों में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त लेब से टेस्टिंग को शामिल कर दिया गया है ? क्या शासन ऐसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त अनुबंध शर्ते को हटायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रदेश में नेशनल अक्रेडिएशन बोर्ड फार टेस्टिंग एण्ड केलिब्रेशन लेबोरेट्रीज (एन.ए.बी.एल.) से मान्यता प्राप्त क्रमश: कृष्णा डिजीटल टेस्टिंग लेब, भोपाल व केलटेक लेब, इन्दौर एवं मार्शल लैब्स (इं) प्रा.लि. इन्दौर में है । विभागीय लेब का एन.ए.बी.एल. से मान्यता आवश्यक नहीं है । (ख) जी नहीं । कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये प्रतिष्ठित लेब से टेस्टिंग कराये जाने हेतु म.प्र. शासन लो.नि.वि. ने दिनांक 16.09.2013 को सभी निर्माण कार्यो एवं 50 लाख से अधिक लागत के मजबूतीकरण/नवीनीकरण कार्यो में उपयुक्त होने वाली सामग्री के लिये मापदण्डानुसार निर्धारित परीक्षणों की संख्या का कम से कम 20 प्रतिशत परीक्षण एन.ए.बी.एल. से प्रमाणित (एक्रेडिटेड) मटेरियल टेस्टिंग लेबोरेटरी से ठेकेदार के व्यय पर परीक्षण करने के निर्देश जारी किये गये है । (ग) जानकारी पुस्तकाल में रखे प्रपत्र-अ अनुसार । (घ) जी नहीं । कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु शासन के उक्त आदेश के अनुसार नवीन ठेका शर्तो में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त लेब से टेस्टिंग को शामिल किया गया है । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है ।

जौरा विधानसभा के ग्राम कुकरोली की जर्जर सड़क का निर्माण

97. **(क्र. 1232) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बृजगढ़ी रोड से कुकरोली ग्राम तक विभाग द्वारा 30-35 वर्ष पहले बनवाया गया सड़क मार्ग वर्तमान स्थिति में पूर्णत: क्षतिग्रस्त होकर अनुपयोगी हो गई है ? (ख) उक्त सड़क ग्राम पंचायत कुकरोली के मुख्यालय को (बृजगढ़ी रोड) मुख्य सड़क से जोड़ती है ? वर्तमान स्थिति से ग्रामवासी सुगम आवागमन की सुविधा से वंचित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क मार्ग बनवाने की विभाग की कोई मंशा है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का कभी भी मेंटेनेंस नहीं करने से वर्तमान में क्षतिग्रस्त होकर जर्जर हालत में पहुंच गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो मेंटेनेंस कब-कब किया गया और कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है ? (घ) उक्त सड़क की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पुर्ननिर्माण कराया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) जी हाँ । जी नहीं । प्रश्नांकित 1.50 कि.मी. लम्बे इस मार्ग को आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक मरम्मत प्रोग्राम के अंतर्गत नवीनीकरण किये जाने की योजना है । अत: शेष प्रश्न का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं मार्ग पर संधारण कार्य उपलब्ध संसाधनों (श्रमिकों) से समय-समय पर कराया जाता है । विगत पांच वर्षो में मार्ग संधारण पर कोई भी राशि व्यय नहीं की गई है । (घ) जी नहीं । वर्तमान में मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से संचालित है । शेष प्रश्नांश 'ख' अनुसार ।

सैलबारा से कछारगांव सिलौण्डी मार्ग में गाड़ा घाट में पुल निर्माण

98. **(क्र. 1237) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिहोरा विधान सभा क्षेत्रातंर्गत सैलवारा से कछारगांव सिलौण्डी मार्ग जिसकी लंबाई 18 कि.मी है ? कब स्वीकृत प्रदान की गई ? मार्ग में कितने पुल,पुलिया निर्माण किये जाना प्रस्तावित थे ? (ख) प्रश्नांश (क) मार्ग में कितनी राशि स्वीकृत की गई एवं कितनी राशि व्यय हुई तथा कितनी राशि शेष है ? यह भी बतायें कि वास्तविक प्रस्ताव एवं प्राक्कलन के अनुसार कार्य कराया गया या नहीं ? प्रस्तावित पुल/पुलियों में से कितने पूर्ण हो चुके हैं, एवं कितने अपूर्ण हैं ? कितने बनाया जाना शेष है, ये कब तक बनाये जायेंगे ? (ग) क्या यह सही है कि गाडा घाट पुल बनाया जाना शेष है ? कब तक पुल बना दिया जावेगा ? समय सीमा बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार, शेष एक पुल व पांच नग पुलिया हेतु 10 बार निविदा आमंत्रण में कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई है । निविदा प्राप्त होने तथा निविदा स्वीकृत होने पर ही कार्य संभव है । वर्तमान में तिथि बताया जाना संभव नहीं । (ग) जी हाँ, प्रश्नांश 'ख' के उत्तर अनुसार वर्तमान में समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

परिशिष्ट-"चोबीस"

<u>सांवेर विधानसभा क्षेत्र में पुल-पुलिया निर्माण</u>

99. **(क्र. 1247) श्री राजेश सोनकर :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना में सेतु निर्माण पुल पुलिया निर्माण से संबंधित विभागों को भेजे गये प्रस्तावों में से कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? कितने स्वीकृति हेतु लंबित है ? (ख) सांवेर विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना अंतर्गत सांवेर विधानसभा में विभिन्न स्थानों पर पुल पुलिया निर्माण की स्वीकृति कब तक दी जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना विभाग में प्रचलन में नहीं है । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ख) नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना विभाग में प्रचलन में न होने के कारण प्रश्नांश (ख) का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>स्टार्च फैक्ट्री से प्रदूषण फैलाना</u>

100. **(क्र. 1253) पं. रमेश दुबे :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि छिंदवाड़ा जिले के ग्राम सलैया-थावरी में अथवा उसके पास स्थित स्टार्च फैक्ट्री संचालित हो रही है ? यदि हां, तो कब से तथा क्या उसके द्वारा समस्त आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त की गयी हैं ? उद्योग विभाग अथवा जिला प्रशासन व शासन के साथ किस प्रकार का अनुबंध है, तथा फैक्ट्री पर किस प्रकार की मॉनिटरिंग व नियंत्रण रहता है ? अनापत्तियों व अनुबंध की शर्तों की प्रति सहित जानकारी दें ? (ख) क्या उक्त फैक्ट्री के अपद्रव्य अथवा खराब व दूषित अवशिष्ट नाले के माध्यम से कुलबहरा नदी में छोड़े जाने एवं इस नदी का पानी पेंच नदी में आने के कारण ग्राम चॉद के पास पेंच नदी पर स्थित स्टाप डेम का पानी दूषित होने से वहां के निवासियों के निस्तार व उनके तथा पशुओं के पीने के काम में नहीं आ रहा है जिससे वहां पर जल संकट उत्पन्न हो रहा है ? (ग) क्या क्षेत्रवासियों से उक्त प्रकार की शिकायत प्राप्त होने तथा स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होने पर समाचार पत्रों की कटिंग व शिकायत की प्रति सहित प्रश्नकर्ता ने कलेक्टर छिंदवाड़ा को पत्र क्रमांक 2211 दिनांक 18/10/014 तथा पत्र क्रमांक 2213 दिनांक 18/10/2014 अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई को प्रस्तुत किया है ? (घ) प्रश्नांश (क),(ख),(ग) के प्रकाश में उद्योग विभाग अथवा जिला प्रशासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? फैक्ट्री का खराब अपद्रव्य नदी में प्रवाहित करने, तथा इससे नदी व स्टाप डेम का पानी दूषित करने के लिए कौन जिम्मेदार है ? इनके विरूद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है और नहीं तो क्यों ? क्या शासन उक्त तथ्यों की पूर्ण जांच करवाकर फैक्ट्री के संचालक मंडल के विरूद्ध कार्यवाही का आदेश देगा और यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हॉ । उद्योग दिनांक 01.09.2012 से संचालित है । उद्योग को मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जबलपुर से जल (प्रदूषण निवारण एवं निवारण नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 21 के अंतर्गत सम्मति प्रदान की गई जिसकी वैद्यता 31.08.2015 तक है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र छिन्दवाडा द्वारा इकाई को अभिस्वीकृति भाग-2 क्रमांक 13/729 दिनांक 8 अक्टूबर 2012 जारी किया गया है । उक्त फैक्ट्री के संचालन हेतु उद्योग विभाग द्वारा कोई अनुबंध नहीं किया गया है । (ख) मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग को दूषित जल का निस्सारण नाले में एवं कुलबहरा नदी में नहीं करने की शर्त दी गयी है । मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ग्राम चांद के पास पेंच नदी के स्टाप डैम के पानी के दूषित होने की सूचना नहीं है । पेंच नदी पर बने स्टाप

डैम में पास पानी की गुणवत्ता जांच हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल नमूना दिनांक 27.11.2014 को एकत्रित कर विश्लेषण किया जा रहा है । (ग) जी हॉ । (घ) दिनांक 29.10.2014 को उद्योग का निरीक्षण मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया एवं दूषित जल का निस्सारण तत्काल प्रभाव से बंद कराया गया, उद्योग द्वारा नाले में निस्सारण करने के कारण क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 3638 दिनांक 27.11.2014 द्वारा उद्योग को जल (प्रदुषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33क के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चौरई द्वारा फैक्ट्री के संचालक के विरूद्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच कर कार्यवाही की जा रही है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 के अनुसार है ।

अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पर व्यय राशि

101. **(क्र. 1262) श्री आरिफ अकील :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश के घुड़सवार अकादमी के घुड़सवार साउथ अफ्रीका अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजे गये थे ? यदि हाँ, तो इन घुड़सवारों पर मध्यप्रदेश शासन व भारत सरकार की कितनी-कितनी राशि व्यय हुई ? (ख) उक्त अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में किन-किन देशों के घुड़सवारों ने भाग लिया तथा क्या यह सही है कि प्रदेश के तथाकथित अधिकारियों की साठ-गाठ के चलते कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट बताकर शासन की राशि का दुरूपयोग किया गया यदि नहीं तो क्या शासन इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हाँ ! वर्ष 2014 में मध्यप्रदेश के घुड़सवार अकादमी के घुड़सवार श्री फराज खान, को संचालनालय, खेल और युवा कल्याण द्वारा साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग लेने हेतु नियमानुसार राशि रू. 50000/- की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी । (ख) साउथ अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका, ओमान, भारत, पाकिस्तान देशों के घुड़सवारों ने भाग लिया । जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

राष्ट्रीय स्तर की महिला हॉकी प्रतियोगिता में शासन की राशि का दुरूपयोग

102. **(क्र. 1263) श्री आरिफ अकील :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में महिला हॉकी टीम ग्वालियर यूथ में विश्व चैम्पियन रही थी ? यदि हाँ, तो यह प्रतियोगिता किस देश में हुई थी, तथा कितने देशों ने भाग लिया था ? (ख) क्या यह प्रतियोगिता भारतीय हॉकी महासंघ से मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता है ? यदि हाँ, तो यह प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है ? यह प्रतियोगिता भारतीय क्लबों के बीच खेली जाती है या देशों के बीच बतावें ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त ग्वालियर महिला हॉकी यूथ टीम ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया था और उसका प्रचार-प्रसार अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जितने का किया गया था ? यदि हाँ, तो प्रतियोगिता में भाग लेने व प्रचार-प्रसार पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई इस फिजूल खर्ची के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है ? यदि नहीं तो क्या इसकी जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ? (घ) ग्वालियर महिला हॉकी अकादमी की विगत 3 वर्षों की क्या-क्या उपलब्धियां रही वर्षवार बतावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । प्रचार-प्रसार पर कोई व्यय नहीं किया गया । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"अ" अनुसार है ।

परिशिष्ट-"पच्चीस"

<u>इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा पानी की टंकियों का निर्माण</u>

103. **(क्र. 1283) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा पीने के पानी वितरण के संग्रहण हेतु पानी की टंकियों का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में इंदौर नगर पालिका निगम अंतर्गत कितनी पानी की टंकिया कहां-कहां स्थित हैं, पानी के भण्डारण क्षमता तथा निर्माण तिथि के साथ सूची उपलब्ध करावें ? (ख) क्या पानी के भण्डारण हेतु बनाई गई टंकियों के निर्माण के पश्चात तकनीकी सुदृढ़ता (मजबूती) के आधार पर कोई समय सीमा (लाईफ) निर्धारित होती है ? यदि हां, तो वर्तमान में प्रश्नांश (क) अंतर्गत उल्लेखित पानी की टंकियों की तकनीकी सुदृढ़ता की समय सीमा क्या है ? (ग) क्या यह सही है कि, इंदौर नगर पालिका निगम अंतर्गत निर्मित कई टंकियां पुरानी होकर जर्जर अवस्था में है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी, सूची उपलब्ध करावें ? क्या इन पुरानी जर्जर पानी की टंकियों के स्थान पर नई टंकी निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो कब तक इनके स्थान पर नई टंकी का निर्माण किया जाएगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जी हॉ । रूपांकन समय-सीमा सामान्यतः 30 वर्ष ली जाती है । प्रश्नांश (क) के उत्तर में उल्लेखित पानी की टंकियों की कांक्रीट स्ट्रक्चर के आधार पर तकनीकी सुदृढ़ता की समय-सीमा लगभग 50 वर्ष है । (ग) जी हॉ । यह सही है कि इंदौर नगरपालिका निगम के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित कुछ पानी की टंकियां पुरानी होकर जर्जर अवस्था में है जिसकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है ।

<u>इंदौर में बॉयपास पर होटलों का संचालन</u>

104. **(क्र. 1284) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, इन्दौर में बायपास स्थित होटल प्रेसीडेंट पार्क में पॉच मंजिला भवन का निर्माण नियमानुसार नहीं किया गया है ? यदि हां, तो होटल निर्माण में क्या-क्या अनियमितताएँ हुई ? होटल निर्माण में की गई अनियमितताओं हेतु संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) क्या प्रश्न (क) अनुसार इन्दौर में अन्यंत्र जगहों पर होटल, मल्टी स्टोरी भवन, स्कूल भवन, व्यावसायिक भवन आदि के निर्माण में अनियमितताएँ होना पाई गई हैं ? यदि हां, तो इनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है ।

परिशिष्ट-"छब्बीस"

मंदिरो में किये जा रहे अतिक्रमण

105. **(क्र. 1293) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) छतरपुर जिला में कितने शासकीय मंदिर स्थित है उनसे लगी भूमियों का खसरा क्रमांक (मिन नं. तथा रकवा सहित) जानकारी प्रदाय करें ? (ख) क्या छतरपुर नगर स्थित जानराय टौरिया मंदिर, मोटे के महावीर मंदिर शासन द्वारा संधारित मंदिर है । यदि हॉ, तो मंदिर पर किसका कब्जा है । ब्यौरेवार जानकारी प्रदाय करावें ? (ग) यदि अनाधिकृत कब्जा कर दुकाने एवं व्यावसायिक संस्थान आदि निर्मित किये गये है तो क्या नियमानुसार है यदि नहीं, तो इस प्रकार मंदिर पर किये गये अतिक्रमण कब तक हटा दिये जायेगे ? व्योरेवार जानकारी प्रदाय करें ? (घ) क्या शासन उपरोक्त मंदिर एवं उसकी भूमि पर से प्राप्त आय व्यय का हिसाब अतिक्रामक से लेगा ? यदि हॉ, तो उक्त कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) छतरपुर जिला में 286 शासकीय मंदिर है । जिसमें 135 मंदिरों में जमीन लगी है परिशिष्ट "अ" (पुस्तकालय मे रखे अनुसार) (ख) छतरपुर नगर स्थित मौटे के महावीर मंदिर शासन संधारित नही है । परन्तु जानराय टौरिया मंदिर शासन संधारित है । यह मंदिर महंत श्री भगवानदास जी के प्रबंध में है । (ग) जानराय टौरिया मंदिर परिसर में 109 दुकाने एवं एक विवाह घर का निर्माण मंदिर के महंत श्री भगवानदास जी द्वारा कराया गया है । माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में महंत श्री भगवानदास जी जानराय टौरिया मंदिर छतरपुर द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील क्र0 एस.ए.249/1998 शासन म.प्र. के विरूद्ध विचाराधीन है । एवं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत ही उस प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जा सकेगी। (घ) समय सीमा बताना संभव नही ।

देवरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की स्थिति

106. **(क्र. 1296) श्री हर्ष यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग द्वारा किन-किन सड़क मार्गों के निर्माण की योजना तैयार की गई है ? उक्त योजनाऐं कब तैयार की गई है व स्वीकृति हेतु किस स्तर पर हैं अथवा लंबित हैं ? किन-किन मदों से इन सड़क योजनाओं को प्रस्तावित किया गया है ? (ख) लो.नि.वि. उपसंभाग देवरी अंतर्गत विगत दो वर्षों में किन-किन मार्गों के संधारण पर किस-किस कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है व किन-किन एजेंसियों से क्या-क्या संधारण कराया गया है ? सड़क का नाम व कि.मी. उल्लेखित करें ? (ग) उपसंभाग देवरी में विभाग द्वारा किन-किन शासकीय भवनों/आवासों में विगत दो वर्षो में मरम्मत के क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि से किन एजेंसियों से कराये है व व्यय राशि व भुगतान की संपूर्ण जानकारी कार्यवार दें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ख) प्रपत्र 'ब' अनुसार । (ग) प्रपत्र 'स' अनुसार ।

परिशिष्ट-"सत्ताईस"

प्रदेश में सड़क निर्माण के दौरान काटे गये वृक्ष

107. **(क्र. 1301) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में एम.पी.आर.डी.सी. एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के दौरान वृक्ष काटे गये हैं ? क्या काटे गए वृक्षों के एवज में वृक्ष लगाने का अनुबंध में प्रावधान है ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर, यदि जी हाँ, तो कार्यवार काटे गए वृक्षों की संख्या एवं लगाए गए वृक्षों की जानकारी सड़कवार देवें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में बी.ओ.टी. रोड रीवा हनुमना एवं एन्पुटी + बी.ओ.टी. रोड वहरी-हनुमना में कितने पेड़ काटे गए हैं एवं उनके एवज में कितने पेड़ लगाए गए हैं ? (घ) क्या पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से अविलम्ब पेड़ों को समानुपातिक रूप से लगाने की कार्यवाही की जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हाँ । जी हाँ । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार । (घ) जी हाँ ।

नगर निगम रीवा के वार्ड क्र. 15 के निर्माण कार्य की जॉच

108. **(क्र. 1311) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा नगर निगम में वार्ड क्र. 15 समान रतहरा एयरटेल टावर के पीछे जगदीश पटेल के घर से केशव अवस्थी के घर तक के कार्य हेतु निविदा सम्पादित कर कार्य का कार्यादेश जारी किया गया है, वर्ष 2011 से प्रश्न दिनॉक तक नगर निगम रीवा के अन्दर कितने कार्य स्वीकृत किए गए हैं ? सूचीवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में कितनी शिकायतें कब-कब किस-किस स्तर तक कलेक्टर से लेकर सी.एम. ऑनलाइन तक प्राप्त हुई हैं ? जानकारी वार्डवार बताऍं ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में किस स्तर की जॉच/कार्यवाही हुई है ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में कितने अधिकारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हुई है ? यदि कार्यवाही लम्बित है, तो कब तक कार्यवाही की जायेगी समय सीमा बतायें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) से (घ) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रीवा संभाग के SC/ST/OBC हितग्राहियों के उद्योग हेतु बजट आंवटन

109. **(क्र. 1312) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा संभाग में अनु. जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों हेतु वृहद् लघु एवं व्यक्तिगत रोजगार इकाईयों हेतु वर्ष 2011 से आज तक कितना-कितना बजट व लक्ष्य आवंटित हुआ है ? जिलेवार जानकारी प्रदान कराऍं ? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र द्वारा स्वीकृत प्रकरणों में बैंकों द्वारा वृहद् उद्योगों के लिए आरक्षित वर्गों के हितग्राहियों के प्रकरणों को जमानतदार एवं अन्य तकनीकी कारणों से किन-किन बैंकों में लम्बित हैं ? बैंकवार सूची उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में बैंक या विभाग कौन जिम्मेदार हैं ? शासन एवं लघु उद्यमियों के लक्ष्य पूर्ण ना होने पर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की जाएगी ? (घ) प्रश्नांश (ख) एवं (ग) के संदर्भ में जिला रीवा के विकास खण्ड जवा व अन्य जिलों के हितग्राहियों के लम्बित प्रकरणों को कब तक निराकृत किया जायेगा ? प्रकरणों के देरी करने जैसे दण्ड के अपराधी अधिकारियों के विरूद्ध क्या व कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) रीवा संभाग में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछडा वर्ग के हितग्राहियों हेतु वृहद लघु एवं व्यक्तिगत रोजगार इकाईयों हेतु पृथक से बजट उपलब्ध कराने का प्रावधान नही है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) एवं (ग) रीवा संभाग अंतर्गत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के बैंको में वृहद उद्योगों के आरक्षित वर्गो के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) उत्तरांश (ख) एवं (ग) के प्ररिप्रेक्ष्य में कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>प्रस्तावें की जानकारी</u>

110. **(क्र. 1316) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग द्वारा सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी के अंतर्गत 1 अप्रैल 2013 से प्रश्न दिनॉक तक कुल कितने प्रस्तावों की डी.पी.आर. तैयार की गई है और कितने प्रस्तावों की डी.पी.आर. पर स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनॉक 10.06.2014 के द्वारा विधानसभा क्षेत्र सुरखी में मडखेडा से मौकलपुर चौराहा, पडरई से चांदौनी तिराहा, पडारसोई से मैनवाराकलॉ एवं धर्मश्री से बरौदा सागर सड़क मार्ग स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव दिया था ? (ग) यदि हाँ तो माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग के द्वारा दिये गये निर्देश के उपरांत डी.पी.आर. बनाकर रोड स्वीकृति के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार । (ख) जी हाँ । (ग) विवरण संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते ।

परिशिष्ट-" अठाईस "

<u>गूगल अर्थ वेबसाईट का उपयोग</u>

111. **(क्र. 1317) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. के वन विभाग के द्वारा गूगल अर्थ वेबसाईट का उपयोग विभागीय जानकारियों को अद्यतन करने के लिए किया जाता है ? (ख) यदि हाँ तो क्या सही है कि इस वेबसाईट की टाईम लाईन/काल चक्र के अनुसार विभिन्न काल चक्रों में भौतिक प्रगति को आसानी से देखा जा सकता है और विभागीय निर्माण कार्यो की प्रगति, वनों की अवैध कटाई, वन भूमि पर अतिक्रमण एवं आरक्षित एवं संरक्षित वन भूमि की सीमा को भी आसानी से देखा जा सकता है एवं नियंत्रण भी रखा जा सकता है या नहीं ? (ग) यदि नहीं तो क्या वन विभाग इस वेबसाईट द्वारा उपलब्ध जानकारियों की जमीनी हकीकत से मिलान करने के लिए एक पायलेट प्रोजेक्ट बनाकर भौतिक मिलान करवायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं । (ख) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं । गूगल अर्थ वेबसाईट एक विदेशी पोर्टल है जिस पर प्रकाशित डाटा पब्लिक डोमेन में रहता है । उक्त डेटा की प्रमाणिकता नहीं है तथा विभाग द्वारा शासकीय कार्यों में उपयोग करने पर विभागीय जानकारी गूगल अर्थ के सर्वर पर सेव हो जाती जिसका उक्त वेबसाईट द्वारा अन्यथा उपयोग भी किया जा सकता था ।

उज्जैन शहर में प्रस्तावित कार्य

112. **(क्र. 1321) डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन शहर में खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा कौन-कौन से कार्य एवं निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं, कितने कार्यों के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्व. राजमाता सिंधिया ग्राउण्ड तथा निर्माण कार्य की कब-कब घोषणा की गई, इन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन कब-कब किस-किस जनप्रतिनिधि द्वारा किया गया ? (ख) एक जनवरी, 2008 के पश्चात् उज्जैन शहर में विभाग द्वारा कब-कब, कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गई, कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य पर खर्च की गई, कितने कार्य किन कारणों से अधूरे हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में उक्त निर्माण कार्य में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की कितनी शिकायतें कब-कब, किस-किस के द्वारा की गई, किन-किन सक्षम अधिकारियों ने उन शिकायतों पर क्या-क्या निर्णय लिये ? (घ) प्रश्नांश (ग) के संदर्भ में क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही एवं भ्रष्टाचार के चलते शहर में खेल एवं युवक कल्याण विभाग की गतिविधियॉ पूर्णत: सुस्त हैं ? इस संबंध में विभाग ने कब-कब उज्जैन की समीक्षा की ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) कोई कार्य एवं निर्माण कार्य प्रस्तावित नहीं हैं, और न ही स्व.राजमाता सिंधिया ग्राउण्ड निर्माण कार्य की माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । इसके अतिरिक्त उज्जैन शहर में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "क" अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ख" अनुसार है । (ग) प्रश्नांश "ख" के संदर्भ में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) जी नहीं । समय-समय पर नियमित विभागीय समीक्षा की जाती हैं ।

परिशिष्ट-"उनतीस"

पन्ना जिले की नगर पालिका की यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना की प्रगति

113. **(क्र. 1329) श्री मुकेश नायक :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पालिका परिषद, पन्ना की यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना समय पर क्यों पूर्ण नहीं हो सकी ? इस योजना की प्रगति किस कारण से प्रभावित हुई एवं योजना कब तक पूर्ण की जावेगी ? (ख) क्या यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना की प्रगति प्रभावित होने के संबंध में नगर पालिका, पन्ना के उपयंत्री श्री सुरेश साहू के विरूद्ध 15 दिवस में अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश मा. मुख्यमंत्री कार्यालय से क्रं. 541, दिनांक 20.2.2014 से दिये गये थे ? (ग) यदि हां, तो आज दिनांक तक दोषी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही न कर उसे क्यों बचाया जा रहा है, जबकि नगर पालिका परिषद, पन्ना द्वारा इनके विरूद्ध संकल्प भी पारित किया गया है एवं कार्यवाही में विलंब के लिए कौन उत्तरदायी है ? क्या दोषी के विरूद्ध कार्यवाही होगी ? तो कब तक ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जी हॉ । (ग) श्री सुरेश साहू, उपयंत्री के विरूद्ध परिषद प्रस्ताव क्रं. 1 दिनांक 03.03.2014 के निर्णय अनुसार विभागीय जॉच की जा रही है । 02 माह में जॉच पूर्ण होना लक्षित है । जॉच समिति के प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-"तीस"

<u>नरसिंहपुर नगर पालिका में जन भागीदारी राशि का वितरण</u>

114. **(क्र. 1335) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद् नरसिंहपुर में वित्तीय वर्ष, 2012-13, 2013-14 में जन भागीदारी से कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए नगद व चैक द्वारा जमा की गई, दिनांकवार कार्य सहित बताएं ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जन भागीदारी कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा कितनी-कितनी राशि नगर पालिका परिषद् नरसिंहपुर को किस-किस कार्य के लिए स्वीकृत की गई ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) - प्रश्नांकित अवधि में कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है ।

<u>बैतूल जिले में मार्ग का डामरीकरण</u>

115. **(क्र. 1339) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में विभाग के अंतर्गत कौन-कौन से मार्गों के नवीनीकरण एवं डामरीकरण के आदेश जारी किए गए हैं ? (ख) क्या कार्यादेश के अनुसार मार्गों का डामरीकरण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि इन मार्गों पर डामरीकरण का कार्य कार्यादेश जारी होने के बाद भी बजट आवंटन के अभाव में प्रारंभ नहीं हुआ है ? (घ) यदि हाँ, तो कब तक राशि उपलब्ध करा दी जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एवं (ख) विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ग) जी नहीं । (घ) 'ग' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट-" इकतीस"

<u>नगर पालिका अध्यक्ष महिदपुर पर रिकवरी</u>

116. **(क्र. 1346) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष महिदपुर जिला उज्जैन पर रिकवरी के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? (ख) उपरोक्त रिकवरी की राशि कितनी है एवं कितने समय से लंबित है ? (ग) उपरोक्त राशि की रिकवरी न करने वाले उत्तरदायी अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) शासन द्वारा वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष महिदपुर के विरूद्व रावलाघाट स्टापडेम निर्माण में शासकीय राशि अपव्यय के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 41-क के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु दिनांक 24/2/14 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके विरूद्व अध्यक्ष द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में याचिका क्रमांक 5560/2014 प्रस्तुत की गई है । इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01/08/2014 को स्थगन आदेश जारी किया गया है । (ख) अभी कारण बताओ सूचना पत्र जारी है, इस पर निर्णय के उपरांत ही रिकवरी की बात स्पष्ट हो सकेगी। (ग) उत्तरांश ''क'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

लघु उद्योग निगम भंडार के क्रय नियम

117. **(क्र. 1350) श्री बाला बच्चन :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) लघु उद्योग निगम भंडार क्रय नियम के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिये आरक्षित वस्तुओं की किस आधार पर आखिल भारतीय निविदा जारी की गई ? नियम की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? (ख) (1) R.M.P. वाटर टैंक (2) ब्लीचिंग पाउडर (3) एलम (4) स्टील फर्नीचर की खरीदी के लिए निविदा प्रक्रिया की पूरी जानकारी देवें ? (ग) (ख) उपर्युक्त गलत निविदा प्रक्रिया कब तक निरस्त कर दी जायेगी ? समय सीमा बताए ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) 1. भण्डार क्रय नियम के नियम -14 की टिप्पणी क्रमांक 2 में मात्र निविदा आमंत्रित करने के निर्देश है । निविदाएं किस स्तर (राज्य स्तरीय अथवा अखिल भारतीय स्तर) की आमंत्रित की जाना है, इसका उल्लेख नहीं है । अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (2) निगम द्वारा भण्डार क्रय नियम की मूल भावना के दृष्टिगत पर्याप्त प्रतिस्पर्धा, सामग्री की गुणवत्ता तथा दरों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के उददेश्य से निविदा आमंत्रित करने के संबंध में समय-समय पर निर्देश जारी किये गये है । उक्त निर्देशों के अनुसार ऐसे उत्पाद जिनमें प्रदेश में स्थापित लघु उद्योग इकाईयों के पास समुचित उत्पादन क्षमता उपलब्ध है तथा उन उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर की दरें उपलब्ध है, उनकी सामान्यत: राज्य स्तरीय निविदा आमंत्रित की जाती है । इससे भिन्न प्रकरणों में अखिल भारतीय स्तर की निविदा आमंत्रित की जाती है । (ख) 1. आर.एम.पी. वाटर टैंक एवं ब्लीचिंग पाउडर हेतु दर निर्धारण की कार्यवाही अखिल भारतीय स्तर की निविदाओं के अंतर्गत की जाती रही हैं । 2. एलम एवं स्टील फर्नीचर के दर निर्धारण की कार्यवाही राज्य स्तरीय निविदा में की जाती रही है । निविदा प्रक्रिया :- (1) दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही निविदा सूचना के प्रकाशन से प्रारंभ होती है । राज्य स्तरीय निविदाओं हेतु निविदा सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में एवं अखिल भारतीय स्तर की निविदाओं हेतु निविदा सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में करवाया जाता है । (2) राज्य स्तरीय एवं अखिल भारतीय स्तर की निविदा सूचना का प्रदर्शन निगम के ई-पोर्टल http://mpeprocurement.com पर किया जाता है । (3) निगम द्वारा समस्त निविदाएं टू-बिड प्रणाली में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ई-पोर्टल पर आमंत्रित की जाती है । टू-बिड प्रणाली में निविदाकर्ताओं को दो भाग में निविदा प्रस्तुत करना होती है, जो कि निम्नानुसार है :- (अ) टेक्नो कामर्शियल बिड (टेक्निकल बिड) (ब) प्राईज बिड (फायनेन्सियल बिड) (4) निविदा खुलने की निर्धारित तिथि को सर्वप्रथम टेक्निकल बिड ई-पोर्टल पर खोली जाकर ई.एम.डी. एवं अनुभव संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाती है एवं पात्र पाये जाने पर संबंधित निविदाकर्ताओं की निविदा तकनीकी मूल्यांकन हेतु अग्रेषित की जाती है । (5) तकनीकी मूल्यांकन में पात्र पाये गये निविदाकर्ताओं की प्राईज बिड खोली जाकर दरों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाता है । जो निविदाकर्ता तकनीकी मूल्यांकन में पात्र नहीं पाये जातें हैं, उन्हें तदानुसार सूचित कर दिया जाता है । (6) निविदा में प्राप्त दरों के आधार पर दर निर्धारण की कार्यवाही भण्डार क्रय नियमों के अंतर्गत गठित विपणन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें क्रयकर्ता विभाग के प्रतिनिधि रहते है । (7) विपणन समिति द्वारा निर्धारित दरों पर दर अनुबंध हेतु पात्र निविदाकर्ताओं को ऑफर जारी किया जाता है एवं दर अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत दर सूची जारी की जाती है । (ग) निविदा प्रक्रिया में कोई गलती नही हुई है, अत: निरस्त करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

बैतूल में स्थापित उद्योग

118. **(क्र. 1369) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल में कितने उद्योग स्थापित है ? (ख) संचालित उद्योग में कितने श्रमिक कार्यरत है ? (ग) बैतूल जिले में कितने उद्योग को म.प्र. शासन की सुविधा मिली है ? (घ) उद्योगो को कोयला का आवंटन कहॉ से प्राप्त हो रहा है ? (ड.) क्या बंद उद्योग कोयला का लाभ प्राप्त कर रहे हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) बैतूल जिले में सूक्ष्म -12228 , लघु -17, वृहद - 02 कुल 12247 उद्योग स्थापित है । (ख) स्थापित उद्योग में 17900 श्रमिक कार्यरत हैं । (ग) बैतूल जिले में उद्योगों को सुविधायें अन्तर्गत- राज्य लागत पूंजी अनुदान 23 इकाईयो को, ब्याज अनुदान-42 इकाईयों को, प्रवेश कर छूट प्रमाण-पत्र -21 इकाईयों को, परियोजना प्रतिवेदन व्यय प्रतिपूर्ति-01 इकाई को, भूमि आवंटन 134 इकाईयों को उपलब्ध/प्रदान की गयी । (ग) उद्योगों को डब्ल्यू .सी.एल. के माध्यम से कोयला आवंटन होता है । (घ) जी नहीं ।

प्रदेश के उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना

119. **(क्र. 1377) श्री उमंग सिंघार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. में उद्योगों को स्थापित करने के लिए कुशल-अकुशल कर्मचारियों हेतु 50 प्रतिशत म.प्र. के स्थानीय निवासियों को रोजगार देना अनिवार्य है ? (ख) यदि हां, तो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र जिला-धार में किस-किस कंपनियों द्वारा म.प्र. सरकार की नीति का पालन किया जा रहा है ? म.प्र. के स्थानीय कुशल-अकुशल कर्मचारियों के नाम पता सहित तथा प्रदेश के बाहर के कर्मचारियों के नाम, पता सहित कंपनीवार जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) क्या विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) के अनुसार उद्योग नीति का पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा पालन किया जा रहा है ? इस संबंध में भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा करवाया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक करवाया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं अपितु उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (यथासंशोधित 2012) अंतर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन उद्योगों द्वारा नीति अंतर्गत सहायता चाहे जाने पर उद्योगों के साथ निष्पादित किये जाने वाले अनुबन्धों में 50 प्रतिशत रोजगार स्थानीय व्यक्तियों को दिये जाने का प्रावधान है । (ख) पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र,जिला धार में प्रश्नांश 'क' अनुसार नीति का पालन करने वाली कम्पनी/इकाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । विभाग द्वारा इकाईयों को नीति अनुसार सुविधा/सहायता दिये जाने हेतु किये जाने वाले स्थल निरीक्षण में नियोजित स्थानीय व्यक्तियों की संख्या की पुष्टि की जाती है । नियोजित कुशल एवं अकुशल कर्मचारियों के नाम,पता संबंधी विस्तृत जानकारी संधारित नहीं की जाती है । (ग) विभाग द्वारा पात्रतानुसार सुविधा/सहायता दिये जाने हेतु किये जाने वाले स्थल निरीक्षण में नियोजित स्थानीय व्यक्तियों की संख्या की पुष्टि के आधार पर पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार पालन किया जा रहा है । भौतिक सत्यापन का प्रावधान नहीं है ।

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को आवंटित भूखण्ड

120. **(क्र. 1384) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. नगरपालिका (कालोनाईजर रजिस्ट्रार निर्वधन) के तहत वैध कालोनियां में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए 15 प्रतिशत भूमि, आवंटित करने का नियम है ? (ख) प्रश्नांश (क) के

परिपेक्ष्य में क्या यह सही है, गत 5 वर्षों में इंदौर संभाग में कालोनाईजरों द्वारा भूमि आवंटित नहीं की गयी ? यदि हां, तो नियमों की अवहेलना करने वाले कालोनाईजरों पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ? कारण स्पष्ट करें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है ।

सड़क निर्माण में अनियमितता

121. **(क्र. 1386) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा कितनी सड़कें निर्माणाधीन हैं ? एवं कितनी निहित समय में पूर्ण हुई हैं ? इनकी क्या लागत थी एवं प्रश्न दिनांक तक कितना व्यय किया गया ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में, झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी रोड की लंबाई - चौड़ाई क्या है ? कितने भागों की सी.सी. होना है ? कितनी पुल पुलिया निर्मित होना है ? कितने टुकड़ों का निर्माण हो रहा है ? उसकी अद्यतन स्थिति दर्शाई जावे ? (ग) उक्त सड़क कब पूर्ण होनी थी ? उसका लैब मटेरियल और टेस्टिंग कब-कब और किसके द्वारा की गयी ? कार्यों में गुणवत्ता की कमी और हो रहे विलम्ब के लिए कौन-कौन जिम्मेदार है, तथा उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिपेक्ष्य में, क्या यह सही है कि, निर्माणकर्ता ठेकेदार द्वारा निजी भूमि से मुरहम का अवैध उत्खनन किया जा रहा है ? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एक सड़क झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी मार्ग लगभग रू.158 करोड़ निर्माणाधीन है एवं दो सड़के (1) बड़वानी-कुक्षी-अलीराजपुर-चांदपुर मार्ग, स्वीकृत लागत रू.56.33 करोड़ (2) मनावर-सिंघाना-कुक्षी मार्ग, स्वीकृत लागत रू. 94.57 करोड़ निहित समय में पूर्ण हो चुकी है । सभी मार्ग बी.ओ.टी. पद्धति पर स्वीकृत होने से शासन द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया । (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में झाबुआ-जोबट-बाग-कुक्षी रोड़ की स्वीकृत लंबाई 95.50 कि.मी. तथा डामरीकृत सड़क की चौड़ाई 7.00 मी. है । किसी भी भाग में सीमेन्ट कांक्रीट नहीं होना है । पूर्ण मार्ग पर कार्य प्रगतिरत् है । अद्यतन स्थिति प्रपत्र 'अ' में संलग्न है । (ग) अनुबंधानुसार मार्ग का निर्माण कार्य दि. 23.11.2013 को पूर्ण होना था । मार्ग निर्माण के दौरान हर स्तर पर मटेरियल का परीक्षण कंसेशनायर के इंजीनियर तथा मार्ग पर पदस्थ स्वतंत्र इंजीनियर के द्वारा किया गया । गुणवत्ता में कमी संबंधी कोई सूचना नहीं है । विलंब हेतु कंसेशनायर जिम्मेदार है । विलंब हेतु कंसेशनायर को नोटिस दिये गये है उनके द्वारा समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन दिया गया है । आवेदन का निराकरण किया जा रहा है । (घ) प्रश्नांश (ग) के परिपेक्ष्य में ठेकेदार द्वारा निजी भूमि से अवैध उत्खनन बाबत् कोई सूचना विभाग को नहीं है । कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

परिशिष्ट-"बत्तीस"

अतारांकित प्रश्नोत्तर

<u>बजट आवंटन से अधिक राशि व्यय करने के संबंध में</u>

1. **(क्र. 11) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्‌योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष 2011-12 में कम्पोजिट रेसिडेंशियल (खेल छात्रावास) भोपाल में कितनी राशि का फर्नीचर किस-किस संस्था/फर्म से क्रय किया गया, तथा फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु किस अधिकारी के द्‌वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई ? (ख) क्या फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु (क्रय समिति) का गठन किया था ? यदि हॉ तो समिति के सदस्यों के नाम व पद सहित बतायें ? (ग) क्या संचालक खेल एवं युवक कल्याण को एक करोड़ से अधिक की राशि की सामग्री क्रय करने का अधिकार नहीं है ? यदि हॉ तो तत्कालीन संचालक खेल द्‌वारा शासन से अनुमति कब प्राप्त की गई ? (घ) क्या तत्कालीन संचालक खेल एवं युवक कल्याण द्‌वारा शासन की अनुमति के बिना एवं क्रय समिति गठित न कर मनमाने तरीके से आवश्यकता से अधिक एवं बाजार मूल्य से अत्यधिक ऊंची दरों पर फर्नीचर क्रय करने हेतु क्रय आदेश जारी किये गये थे ? (ड.) क्या उक्त प्रश्नांश (घ) के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2012 में ऑडिट टीम द्‌वारा आवश्यकता से अधिक एवं अत्यधिक ऊंची दर पर फर्नीचर क्रय किये जाने के संबंध में संचालक खेल एवं युवक कल्याण को ऑडिट आक्षेप दिये गये थे ? (च) क्या प्रश्नांश (घ) एवं (ड) के परिप्रेक्ष्य में जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

उद्‌योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (च) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>उद्‌योग के नाम पर भूमि घोटाला</u>

2. **(क्र. 20) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या उद्‌योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या औद्‌योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल में विगत तीन वर्षों में औद्‌योगिक इकाईयों द्‌वारा 36, गैर औद्‌योगिक गतिविधियां संचालित करने वाली इकाईयों के भूमि आवंटन आदेश निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है ? जैसा कि प्रश्नकर्ता के विधानसभा के परि. तारांकित प्रश्न क्रमांक 4338, दिनांक 18.3.2013 के उत्तर में बतलाया गया है ? (ख) यदि हां, तो उक्त 36 औद्‌योगिक इकाईयों के भूमि आवंटन आदेश कब-कब निरस्त किये गये हैं ? (ग) क्या उक्त 36 औद्‌योगिक इकाईयों के आवंटन आदेश निरस्त किये जाने के बाद भी उनका उक्त भूमि पर कब्जा बरकरार है एवं खुलेआम गैर औद्‌योगिक गतिविधियां उद्‌योग विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से संचालित की जा रही हैं, एवं उद्‌योग के लिए आवंटित भूमि के नाम पर आई.सी.सी. बैंक व अन्य बैंकों से करोड़ों रूपयों का ऋण लिया गया है, एवं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त किन-किन औद्‌योगिक इकाईयों के द्‌वारा कितनी-कितनी राशि का ऋण उद्‌योग विभाग की अनुमति (अनापत्ति प्रमाण पत्र) से लिया गया है, बतायें ? (घ) क्या उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये 36 उद्‌योगों के आधिपत्य की भूमि विभाग द्‌वारा वापस लिये जाने की कार्यवाही की जायेगी ?

उद्‌योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हां । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) उक्त 36 इकाईयों में से 18 इकाईयों द्‌वारा प्रस्तुत अपील/याचिका उनके पक्ष में निराकृत/ स्थगन प्राप्त होने के कारण संबंधित 18 इकाईयों का कब्जा भूखण्ड पर बरकरार है, शेष 18 इकाईयों का भूखण्ड पर कब्जा बरकरार रहने का मुख्य कारण संबंधित इकाईयों द्‌वारा शासन या माननीय न्यायालय के

समक्ष दायर अपील/याचिका का विचारण में होना है । भूखण्ड निरस्तीकरण होने पर किसी इकाई के पक्ष में ऋण हेतु कार्यालय द्वारा अनापत्ति प्रदान नहीं की गई है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार गैर औद्योगिक गतिविधि संचालित करने वाली इकाईयों का भूखण्ड निरस्त किया गया है । अत: कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । गैर औद्योगिक गतिविधि करने वाली इकाईयों के विरूद्ध विभाग द्वारा नियमानुसार भूखण्ड वापस प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

भिण्ड जिले में सड़कों का निर्माण एवं डामरीकरण

3. **(क्र. 25) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में राजमार्ग क्रमांक 45, सेंवढ़ा नदीगांव मार्ग, जखमौली से राठौरन की मठैय्यन मार्ग, लहार अमायन भारौली भिण्ड मार्ग, लपवाहा से हीरापुरा नकारा मार्ग, दबोह संसीगढ़ गांगेपुरा आलमपुर मार्ग के निर्माण की अवधि समाप्त होने के बाद भी निर्माण कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही न करने का कारण बतायें ? तथा निम्न गुणवत्ताहीन कार्य की शिकायतें किन-किन व्यक्तियों द्वारा की गई है ? प्रत्येक शिकायतों की जांच कब और किस-किस से कराई गई ? (ख) रतनपुरा से आलमपुर मार्ग, लहार बाईपास मार्ग, आलमपुर से खिरिया भांपर मार्ग, नरोल से मिहोनीमाता मन्दिर मार्ग, मौ से वेहट मार्ग के निर्माण मरम्मत, डामरीकरण कराने की मांग प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 2009 से प्रश्न दिनांक तक कब-कब विधानसभा प्रश्न एवं विभाग के अधिकारियों से की गई पूर्ण विवरण दें ? इन मार्गों की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने के बाद भी पिछले 10 वर्षों से डामरीकरण न कराने का कारण बतायें ? कब तक डामरीकरण पूर्ण कर दिया जवेगा ? (ग) क्या अजनार मडोरी नारददेव मंगरौल मार्ग, सुन्दरपुरा से अन्वियनपुरा मार्ग का डामरीकरण निर्माण के तत्काल बाद क्षतिग्रस्त होने के बाद भी निर्माण एजेंन्सी से पुन: मरम्मत न कराने का कारण बतायें ? (घ) क्या विभाग के लहार स्थित दोनों उपखण्डों में पदस्थ सहायक यंत्री एवं उपयंत्रियों में से केवल एक को छोड़कर शेष सभी मुख्यालय लहार में न रहकर अनुपस्थित रहते हैं और बिना कार्य के वेतन प्राप्त कर शासन को क्षति पहुँचा रहे हैं ? यदि हां, तो विभाग द्वारा दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न करने का कारण बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं अ-1 अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार । (ग) जी नहीं । मार्ग ठेकेदार की परफारमेंस गारन्टी में क्रमश: दिनांक 24.03.2016, 16.10.2015 तक है । मार्ग के खराब हिस्से में पूर्व में ठेकेदार द्वारा सुधार कर दिया गया था, परन्तु मार्ग पर भारी रेत के ओव्हर लोड डम्परों द्वारा मार्ग का कुछ हिस्सा खराब होने से मार्ग के खराब हिस्से की मरम्मत करने हेतु ठेकेदार को नोटिस जारी किये जा चुके है । ठेकेदार द्वारा मरम्मत नहीं किये जाने पर परफारमेंस गारंटी की राशि राजसात कर मार्ग की मरम्मत कराई जावेगी । (घ) जी नहीं। लहार स्थित दोनों उपखण्डों में प्रभारी सहायक यंत्री एवं उपयंत्री सभी मुख्यालय लहार में उपस्थित रहकर विभागीय कार्य करा रहे है । शेष प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र. में संचालक की नियुक्ति

4. **(क्र. 28) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र., भोपाल में अभी तक चयनित पूर्णकालिक कार्यकारी संचालक के नाम, शैक्षणिक योग्यताएं, अनुभव विवरण, संस्था का नाम व पता, जहां वे पूर्व में कार्यरत थे, के साथ चयन

प्रक्रिया का विवरण देवें ? (ख) उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र., भोपाल के वर्तमान कार्यकारी संचालक की उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र., भोपाल में प्रथम नियुक्ति किस पद पर हुई थी ? तिथि, वेतन सुविधा एवं नियुक्ति की प्रकृति सहित चयन प्रक्रिया का विवरण देवें ? (ग) उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र. के वर्तमान कार्यकारी संचालक की नियुक्ति, अधिकार, वेतन-भत्ते, पात्रता, अवधि आदि के संबंध में अभी तक समय-समय पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णयों का विवरण देवें ? (घ) उद्यमिता विकास केन्द्र, म.प्र., भोपाल के कार्यकारी संचालक पद हेतु निर्धारित योग्यताओं के संबंध में संचालक मण्डल की 38 से 40वीं बैठक में प्रस्तुत विवरण के पश्चात् समय-समय पर किये गये संशोधन संबंधी निर्णयों का विवरण देवें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) स्व. डॉ. पी.एन. मिश्रा, संकाय सदस्य, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद की सेवाएं आरंभ में प्रतिनियुक्ति के माध्यम से प्राप्त की गई थी । तदोपरांत संचालक मण्डल की 5वीं बैठक दिनांक 13/06/1990 में लिये गये निर्णय अनुसार उन्हें कार्यकारी संचालक के पूर्णकालिक पद पर नियुक्त किया गया । श्री जितेन्द्र तिवारी, वर्तमान कार्यकारी संचालक का चयन संस्था में लागू रूल्स ऑफ एसोसियेशन के रूल क्रमांक 9 में दिये गये प्रावधान अनुसार संचालक मण्डल की 48 वीं बैठक दिनांक 9/11/06 में लिये गये निर्णय के परिपालन में कार्यकारी संचालक के पूर्णकालिक पद पर नियुक्त किया गया । उक्त कार्यकारी संचालकों की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव विवरण, संस्था का नाम व पता, जहां वे पूर्व में कार्यरत थे, संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है । (ख) वर्तमान कार्यकारी संचालक श्री जितेन्द्र तिवारी की प्रथम नियुक्ति वित्तीय सलाहकार के पद पर वेतनमान रूपये 15000/- प्रतिमाह एवं अन्य सुविधाओं के साथ तत्कालीन प्रमुख सचिव, वाणिज्य उद्योग और रोजगार की अध्यक्षता में एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार हुई थी । (ग) श्री जितेन्द्र तिवारी वर्तमान कार्यकारी संचालक की नियुक्ति संबंधी संचालक मण्डल की 48 वीं बैठक दिनांक 9/11/06 में लिये गये निर्णय की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । उक्त 48 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में संचालक मण्डल की 49 वीं बैठक दिनांक 19/07/07 में नियुक्ति एवं वेतन संबंधी मुद्दे सहित पालन प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत एजेण्डा एवं मिनिट्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'स' अनुसार है । इसी विषय पर संचालक मण्डल की 53 वीं बैठक में प्रस्तुत एक्स एजेण्डा क्रमांक 1 संबंधी मिनिट्स की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'द' अनुसार है । (घ) उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल के कार्यकारी संचालक पद हेतु निर्धारित योग्यताओं के संबंध में संचालक मण्डल की 38 वीं से 40 वीं बैठक के पश्चात् संशोधन संबंधी कोई निर्णय नहीं लिया गया । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

फोरलेन मार्ग निर्माण में अधीग्रहित भूमि का मुआवजा

5. **(क्र. 39) श्री कमलेश्वर पटेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा/सिंगरौली फोरलेन मार्ग का निर्माण किस एजेन्सी द्वारा किया जा रहा है ? उक्त मार्ग हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई थी ? कार्य की स्थिति व कार्य पूर्ण होने की समय-सीमा क्या थी एवं कब तक पूर्ण होगी ? (ख) क्या किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितता की जा रही है एवं प्रकरण में टाल-मटोल किया जा रहा है ? (ग) प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों को कितनी राशि का वितरण किया जा चुका है ? उक्त राशि नगद/चैक द्वारा भुगतान की जा रही है ? (घ) मार्ग निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण कब व किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) रीवा से सिंगरौली मार्ग का निर्माण म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा दो भागों में विकसित किया जा रहा है:- (1) रीवा से सीधी मार्ग- इस मार्ग निर्माण हेतु वर्तमान में कोई एजेन्सी नियुक्त नहीं है । अत: एजेन्सी का नाम बताना संभव नहीं है । रीवा-सीधी सेक्शन कि.मी. 2/8 से 33/2 एवं कि.मी. 55/4 से कि.मी. 83/4 को 2 लेन पेव्हड शोल्डर के साथ कांक्रीट मार्ग निर्माण, लंबाई 57.80 कि.मी., लागत रू. 382.72 करोड़ की ई पी सी कान्ट्रेक्ट के तहत निविदा दिनांक 19.12.2014 को आमंत्रित की गई है । मार्ग के शेष भाग टनल तथा चुरहट बायपास निर्माण हेतु डी.पी.आर. की निविदा कार्यवाही प्रचलित है । अत: कार्य पूर्णता की समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है । (2) सीधी-सिंगरौली, फोरलेन पेव्हड के साथ लंबाई 102.6 कि.मी.- इस मार्ग का निर्माण में सीधी सिंगरौली रोड़ प्रोजेक्ट प्रा.लि. मुम्बई द्वारा बी.ओ.टी. योजनांतर्गत किया जा रहा है । इस मार्ग हेतु रू. 954.43 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है । कार्य प्रगति पर है । अनुबंधानुसार कन्सेशन अवधि 30 वर्ष है जिसमें 2 वर्ष निर्माण अवधि शामिल है । कार्य की नियुक्ति दिनांक 19.09.2013 है एवं इसके अनुसार 18.09.2015 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है । (ख) जी नहीं, जी नहीं । (ग) रीवा से सीधी भाग के भू-अर्जन हेतु धारा 3 (क) का नोटिफिकेशन गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित किया जा चुका है एवं भू-अर्जन एवार्ड का कार्य प्रगति पर है । सक्षम अधिकारी भू-अर्जन से प्राप्त जानकारी अनुसार सीधी सिंगरौली मार्ग पर कुल 2659 किसानों को कुल रू. 98,29,09,845 राशि का भुगतान किया गया है । उक्त राशि का भुगतान चैक द्वारा ही सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन द्वारा किया जा रहा है । (घ) मार्ग निर्माण की गुणवत्ता का परीक्षण स्वतंत्र इंजीनियर मे. एम.सी. कन्सलटेन्ट नई दिल्ली द्वारा नियुक्त टीम द्वारा निरंतर किया जा रहा है । टीम के अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है ।

परिशिष्ट -"तैतीस"

जावरा में सड़क निर्माण

6. **(क्र. 56) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अता. प्रश्न संख्या 1 (क्र. 81) दिनांक 11.07.2013 के उत्तर में बताया गया था कि नगरपालिका जावरा, जिला रतलाम के साधारण सम्मेलन दिनांक 31.08.2006 में रेल्वे फाटक से गांधी चौराहा होटल बादी तक एकांकी सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत रोड डिवाइडर व ट्रिपल पोल लगाने का कार्य पूर्ण नहीं होने की शिकायत की जांच परिक्षाधीन थी ? (ख) क्या उक्त जांच पूर्ण हो चुकी है यदि हॉ, तो विवरण देवें ? यदि नहीं तो क्यों ? जांच में देरी होने के क्या कारण हैं व उक्त जांच कब तक पूर्ण कर ली जावेगी, समय सीमा बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । संभागीय उपसंचालक उज्जैन से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है इस पर आगे कार्यवाही की जा रही है । शेषांश का ही प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

जावरा जिला रतलाम शहर की भूमि की नीलामी

7. **(क्र. 57) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जावरा जिला रतलाम की उपरजिस्ट्रार कार्यालय के पास लगी भूमि सर्वे क्र. 746 क्षेत्रफल 6944 वर्ग मीटर आबादी नजूल के रूप में शासकीय खुली भूमि है व दिनांक 15.09.1998 को तत्कालीन जिलाधीश श्री मनोज झालानी जी द्वारा उक्त भूमि की सार्वजनिक नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की

गई थी ? क्या उक्त भूमि नियमानुसार नीलाम हो चुकी है यदि हॉ, तो निलामी की दिनॉक बोलीदार के नाम, पते व किसके द्वारा कितनी राशि में खरीदी गयी सम्पूर्ण विवरण देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित भूमि वर्तमान में किसके नाम पर दर्ज है व क्या उक्त भूमि की रजिस्ट्री हुई है किस आधार पर व किसके द्वारा बेची गयी व नीलामी की विज्ञप्ति निकालने के बाद भी उक्त भूमि का नामांतरण नगर पालिका द्वारा किस आधार पर किया गया जबकि परिषद की बैठक दिनांक 19.01.2006 को उक्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखने हेतु कई पार्षदों द्वारा लिखा गया था । फिर भी बिना परिषद की बैठक में रखे समिति की पुष्टि की प्रत्याशा में नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया क्यों ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) से संबंधित उक्त भूमि फर्जी तरीके से ओने-पोने दामों में बेचने की जांच करवाकर शासन दोषियों को चिन्हित कर दण्ड देगा ? व पुन: उक्त भूमि की सार्वजनिक निलामी करवायेगा ? यदि हॉ तो कब तक यदि नहीं तो क्यों ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) परीक्षण कराया जा रहा है, परिक्षणोपरांत प्रकरण में गुण-दोष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी।

झुग्गी बस्तियों के लिये मापदण्ड का निर्धारण

8. **(क्र. 114) श्री विश्वास सारंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या झुग्गी के लिए कोई मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ? एक झुग्गी का क्षेत्रफल लगभग कितना होना चाहिए ? (ख) नगर पालिक निगम, भोपाल की सीमा में झुग्गी बस्तियां किस-किस स्थान पर स्थित हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) में वर्णित झुग्गी बस्तियों का सर्वे प्रश्न दिनांक के पूर्व कब किया गया था ? कितने समय के अंतराल बाद सर्वे होता है ? सर्वे का आधार क्या रहता है ? क्या अब सर्वे बायोमैट्रिकल आधार पर कराया जायेगा ? (घ) क्या झुग्गी माफियाओं द्वारा झुग्गी किराये पर भी दी जाती हैं ? क्या ऐसी झुग्गियों का कब्जा किरायेदार को दिया जायेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, अपितु मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 के सुसंगत प्रावधानों की जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) भोपाल नगर निगम सीमा में स्थित झुग्गी बस्तियों की संख्या, बस्तीवार जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (ग) झुग्गी बस्तियों का सर्वे 01 मई से 31 मई, 2013 के मध्य किया गया है । अधिनियम के प्रावधानों के तहत समय-समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सर्वेक्षण कराया जाता है । शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है। (घ) जी नहीं। शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकाल में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है ।

शासकीय आवासों की पुताई

9. **(क्र. 115) श्री विश्वास सारंग :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी भोपाल स्थित शासकीय आवासों की पुताई का कार्य वित्तीय वर्ष 13 व 14 में किस-किस एजेंसी से कराया गया ? प्रतिवर्ष कितने आवासों में पुताई की गई ? क्या ठेका सिर्फ आवास के अंदर की पुताई का दिया जाता है ? बाहर की पुताई कब हुई थी ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत एजेंसियों को कितना-कितना भुगतान किया गया ? (ग) प्रश्नांश (क) के तहत क्या यह सच है कि एजेंसी द्वारा पुताई निम्न स्तर के रंग से की जाती है और भुगतान अच्छे क्वालिटी के डिस्टेंपर का किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्या आवास आवंटी से प्रमाण पत्र लिया जाता है कि उसके आवास में किस ब्रांड का कलर पोता जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या अब लिया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार । जी नहीं । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र के कालम 4 अनुसार । (ग) जी नहीं । जी नहीं, ब्रांड का प्रमाण पत्र नहीं लिया जाता है, परन्तु पुताई का कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कराया जाता है । आवश्यकता नहीं।

कूनो वन्य प्राणी अभ्यारण्य की क्षेत्र वृद्धि की कार्यवाही

10. **(क्र. 125) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिला स्थित कूनो वन्यप्राणी अभ्यारण्य के क्षेत्रवृद्धि की कोई कार्यवाही प्रचलित है । यदि हॉ तो उक्त क्षेत्रवृद्धि में वर्तमान क्षेत्र के अतिरिक्त कौन-कौन से क्षेत्र को शामिल किया जा रहा है ? मजरे टोले एवं ग्रामों की सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या उक्त क्षेत्रवृद्धि से बफर जोन के रूप में विधानसभा क्षेत्र पोहरी भी प्रभावित होगा । यदि हॉ तो पोहरी विधानसभा क्षेत्र के उन ग्रामों, मजरों टोलों की सूची व प्रभावित होने वाले क्षेत्र का खसरावार रकबा बतावें ? (ग) उक्त बफर जोन बनाये जाने से विधानसभा क्षेत्र पोहरी के प्रभावित होने वाले ग्रामों, मजरों टोलों पर क्या-क्या प्रतिबंध लगाये जावेंगे व कौन-कौन सी सुविधाऐं उक्त ग्राम व ग्रामवासियों को उपलब्ध कराई जावेगी ? (घ) उक्त क्षेत्रफल वृद्धि हेतु क्या कोई समय-सीमा या अवधि निर्धारित की गई है, यदि हॉ तो उक्त प्रकरण की समस्त कार्यवाही सहित क्षेत्रफल वृद्धि की निर्धारित समय-सीमा व अवधि से अवगत करावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां । कूनो वन्यप्राणी अभयारण्य, श्योपुर के बफर क्षेत्र का 304.596 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जिसमें जहानगढ़, बागचा, झंक्यापुर (उमरीखुर्द), बरोनियां, अकोदा तथा बसेरा ग्राम स्थित हैं, अभ्यारण्य में सम्मिलित किया जाना विचाराधीन है । (ख) से (घ) जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वनमण्डल शिवपुरी द्वारा क्रय की गई सामग्री

11. **(क्र. 126) श्री प्रहलाद भारती :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वनमण्डल शिवपुरी में वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक शासकीय सेवकों को प्रदाय किये जाने हेतु क्या-क्या सामग्री कब-कब क्रय की गई ? (ख) वर्ष 2012-13 से प्रश्न दिनांक तक वनमण्डल शिवपुरी के अन्तर्गत पदस्थ समस्त शासकीय सेवकों को कब-कब व क्या-क्या सामग्री प्रदाय की गई ? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है ।

नगर निगम जबलपुर द्वारा विद्युत उपकरण क्रय बाबत्

12. **(क्र. 155) श्री अंचल सोनकर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम जबलपुर के अन्तर्गत विगत तीन वर्षो में प्रकाश विभाग द्वारा सोडियम सेन्टर लाईट, एल.ई.डी एवं अन्य विद्युत उपकरण कुल कितनी राशि के खरीदे गये अलग-अलग विवरण दे ? यह भी बताये कि उनका उपयोग कहां-कहां पर किया गया ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (क) में खरीदी गई

सामग्री की गांरटी संबंधित कम्पनी द्वारा दी जाती है, यदि हां, तो विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्री पर कम्पनी द्वारा कितने वर्षो की गांरटी किस-किस सामग्री पर दी सामग्रीवार बतावें ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में कम्पनी द्वारा यदि सामग्री पर गांरटी दी जाती है, तो विभाग द्वारा खम्बो (पोल) में लगी सोडियम सेन्टर लाईट कुछ ही माह में बदल कर उनके स्थान पर एल.ई.डी क्यो लगाई गई ? क्या सोडियम लाईट गुणवत्ता विहीन थी ? अथवा उसकी आवश्यकता नही थी ? कारण बतावें ? विगत तीन वर्षो में सोडियम निकाल कर कितनी एल.ई.डी. कहां-कहां लगाई गई विवरण दें ? (घ) प्रश्नांश (ग) यदि सामग्री गुणवत्ता विहीन थी तो क्या सप्लाई करने वाली कम्पनी एवं गुणवत्ता विहीन सामग्री क्रय करने वाले अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गई ? क्या कम्पनी पर घटिया सामग्री सप्लाई करने की कार्यवाही की जावेगी? कब तक?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । सामग्री का उपयोग शहर के समस्त वार्डो में आवश्यकता अनुसार किया गया। (ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) गारंटी नहीं दी जाती । मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई ऊर्जा दक्ष LED स्ट्रीट लाईट को सेन्ट्रल लाईट व मुख्य मार्गो पर सोडियम लाईट फिटिंग के बदले लगाया गया । जी नहीं । जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट -''चौतीस''

भंवरताल गार्डन के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्निर्माण

13. **(क्र. 156) श्री अंचल सोनकर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम जबलपुर के अन्तर्गत भंवरताल गार्डन के सौंदर्यीकरण एवं पुनर्निर्माण हेतु विगत दो वर्षो में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य किस-किस ठेकेदार/फर्म से कराये गये ? भुगतान की आयटमवार दरों सहित जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यकरण हेतु नगर पालिका निगम द्वारा कुल कितनी बार निविदायें आमंत्रित की एवं कितनी-कितनी राशि की विवरण दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) यदि एक ही कार्य की निविदा एक से अधिक बार आमंत्रित की है तो क्यों ? क्या निविदा आमंत्रण के पूर्व पूर्ण कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी जिससे बार-बार निविदायें आमंत्रित करनी पड़ी कारण बतावें ? क्यों ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट ''अ'', ''ब'' एवं ''स'' अनुसार है । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में एक ही कार्य की निविदा एक से अधिक बार आमंत्रित नहीं की गयी । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

नगर पालिका सारंगपुर अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तो का भुगतान

14. **(क्र. 174) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले के अंतर्गत नगरपालिका सारंगपुर में वर्ष 2013-14 एवं दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2014 तक माहवार एवं मदवार प्राप्त आवंटन एवं उसके विरूद्ध व्यय की गई राशि का विस्तृत विवरण कार्यवार एवं मदवार उपलब्ध करावें ? (ख) क्या यह सही है कि नगरपालिका सारंगपुर अंतर्गत कार्यरत नियमित कार्यभारित/दैनिक वेतन भोगी/पार्टटाईम कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं कारण स्पष्ट करें ? (ग) नगर पालिका सारंगपुर में दिनांक 01.04.14 से 31.10.14 तक प्रत्येक माह किस-किस दिनांकों को आवंटन प्राप्त हुआ है एवं प्राप्त आवंटन के विरूद्ध किन-किन कार्यभारित/दैनिक वेतन भोगी/पार्टटाईम कर्मचारियों को किस-किस दिनांक को वेतन भुगतान किया गया माहवार विस्तृत विवरण देवें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जी नहीं । निकाय में राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान किया जाता है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है ।

<u>नगर पालिका परिषद की आयोजित बैठकें</u>

15. **(क्र. 175) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिका परिषद की साधारण सभा की बैठक वर्ष में कितने-कितने अन्तराल से कितनी बैठक आयोजित किये जाने का प्रावधान है ? शासन आदेश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) जिला राजगढ़ अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर की नगर पालिका सारंगपुर में दिनांक 01.04.2014 से दिनांक 31.10.2014 तक साधारण सभा की बैठक किस-किस दिनांक को आयोजित की गई ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार यदि बैठक आयोजित नहीं की गई तो उसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं ? एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-54 के अनुसार ''परिषद कामकाज करने के लिये प्रत्येक दो मासों में कम से कम एक बार सम्मिलन करेगी'' प्रावधानित है । मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-54 की छायाप्रति संलग्न परिशिष्ट-''एक'' पर है । (ख) प्रश्नांकित समयावधि में लोकसभा आम निर्वाचन की आचार संहिता के दृष्टिगत निम्नानुसार दो बैठकें आयोजित की गई हैं :- दिनांक 26-06-14 एवं दिनांक 18-09-14 (ग) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -''पैतीस''

<u>बिना रायल्टी के भुगतान</u>

16. **(क्र. 201) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले में अप्रैल 2012 से प्रश्नांश दिनांक तक लोक निर्माण विभाग भिण्ड के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य में किन ठेकेदारों को राशि एक लाख रू. से अधिक का भुगतान किया गया है ? (ख) क्या समस्त कार्यों का अंतिम भुगतान रायल्टी क्लियरेंस के पश्चात किया गया है ? यदि नहीं, तो कितनी राशि का भुगतान बिना रायल्टी क्लियरेंस के पश्चात किया गया है ? (ग) बिना रायल्टी क्लियरेंस के भुगतान करने से शासन को कितनी राजस्व की हानि हुई ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या कार्यवाही की गई ? (घ) क्या भिण्ड जिले में निर्मित मार्गों के माप के समय उपयंत्री/सहायक यंत्री मिट्टी, गिट्टी मुरहम आदि की गणना के समय माईनिंग और रायल्टी से संबंधित प्रपत्रों की जांच करते हैं ? यदि नहीं, तो किन कारणों से जांच नहीं की जाती है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार । (ख) जी हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' अनुसार । (ग) कोई हानी नहीं हुई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते । (घ) जी नहीं । देयक तैयार करते समय रायल्टी वाले खनिजो से संबंधित ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत रसीदों का सत्यापन किया जाता है, अन्यथा शासन के निर्धारित दरों से खपत अनुसार रायल्टी की राशि रोककर भुगतान किया जाता है । विवरण पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार ।

<u>पौधारोपण करने बाबत्</u>

17. **(क्र. 202) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अतारांकित प्रश्न क्र.50 (क्र.1132) दि. 3/7/2014 के उत्तर अनुसार ग्वालियर, भिण्ड, इटावा मार्ग रा.रा.क्र.92 में 1849 वृक्ष काटे गए 18490 लगाए गए किन्तु एक भी जीवित वृक्ष न होने के क्या कारण है ? (ख) प्रश्नांश (क) में भिण्ड-मिहोना-गोपालपुरा में 278 वृक्ष काटे गए, वृक्ष 1390 लगाए गए ? एक भी वृक्ष जीवित न होने के क्या कारण है ? किस-किस प्रजाति के वृक्ष किस संस्था से लगाए हैं ? (ग) क्या यह सही है कि भिण्ड जिले में वृक्षारोपण नहीं किया गया ? माननीय मंत्री महोदय लोक निर्माण म.प्र. शासन ने खुद अवलोकन किया वृक्षारोपण न करने की क्या मंशा है ? वृक्षारोपण के लिए शासन द्वारा कितना व्यय किया गया है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लगाये गये वृक्षों में से 2500 वृक्ष नष्ट हो गये थे । इनके स्थान पर दूसरे वृक्षों को पुन: कंसेशनायर द्वारा इस वर्ष लगा दिया गया है । (ख) जी हॉ, कृषकों एवं जानवरों द्वारा अधिकाशं वृक्ष नष्ट होने के उपरांत पुन: जनवरी-2014 में 500 पौधें नीम, कंजी, जामुन, वाटरवाटल, अर्जुन प्रजाति के लगाये गये एवं सितम्बर-2014 को 1000 पौधें कंजी, अलास्टोनिया, नीम, शीशम एवं पाखड प्रजाति के लगाये गये जिनमें से प्राय: समस्त पेड़ जीवित है । (ग) जी नहीं, म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया है, परन्तु कुछ वृक्ष नष्ट हो गये थे, उनके स्थान पर पुन: पौधें लगाये गये है । वृक्षारोपण न करने की मंशा का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । वृक्षारोपण हेतु व्यय कंसेशनायर द्वारा स्वयं के व्यय से किया गया है । शासन द्वारा व्यय नहीं किया गया । लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड के अंतर्गत वृक्षारोपण करने का कोई लक्ष्य निर्धारित न होने से वृक्षारोपण नहीं किया गया न ही व्यय किया गया ।

<u>नगर परिषद मांडव द्वारा बनाये गये सी.सी. रोड</u>

18. **(क्र. 214) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की नगर परिषद माण्डव स्थित जहाजमहल मेनरोड से रेनबसेरा रेस्ट हाउस तक विगत वर्ष में स्वीकृत सी.सी. रोडों का निर्माण दो भागों में कितनी-कितनी लागत से करवाया गया है ? मद, लागत एवं निर्माण एजेंसी आदि की जानकारी देवें ? (ख) परिषद् द्वारा उपरोक्त कार्यों पर कितना भुगतान किया गया है ? क्या परिषद् द्वारा दोनों कार्यों की भुगतान पूर्व गुणवत्ता की जॉच व मूल्यांकन करवा लिया गया था ? गुणवत्ता जाँच व मूल्यांकनकर्ता कौन था ? (ग) क्या गुणवत्ता ठीक नहीं होने से उक्त रोड अभी से खराब हो चुका है ? यदि हां, तो क्या इसकी जॉच कराई जावेगी तथा घटिया निर्माण होने पर निर्माण एजेंसी/मूल्यांकन कर्ता व भुगतानकर्ता के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी तथा क्या सी.सी. रोड संबंधित निर्माण एजेंसी से पुन: ठीक करवाया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (ग) रैन बसेरा से श्री शालू के घर तक कराया गया सड़क निर्माण ठीक है । जहाजमहल से श्री शालू के घर तक की सड़क में कहीं-कहीं ऊपरी सतह खराब है । कार्य के ठेकेदार मेसर्स विनय गुप्ता, भोपाल को नगर परिषद माण्डव व्दारा पत्र क्रमांक 1469 दिनांक 11-11-2014 से दो माह में सड़क को ठीक करने के लिए लिखा गया है ।

परिशिष्ट -''छत्तीस''

जिला श्योपुर के वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करना

19. **(क्र. 238) श्री रामनिवास रावत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में वर्ष 1980 में कितने वन ग्राम थे ? 1980 के बाद आज दिनांक तक कितने वनग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) के उक्त ग्रामों में वन विभाग द्वारा सामुदायिक उपयोग के निर्माण कार्यों को रोका जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों एवं कहां-कहां रोका गया है ? इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी है ? (ग) क्या यह सही है कि श्योपुर जिले की वीरपुर तहसील के ग्राम खूंटका में शासकीय भवन, नवीन हैण्डपंप खनन आदि कार्यों को वन विभाग द्वारा रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) 44 वनग्राम थे, जो मध्यप्रदेश राजपत्र प्रकाशन दिनांक 25.05.1962 से प्रबंधन हेतु राजस्व विभाग को हस्तांतरित किये जा चुके हैं। (ख) जी नहीं। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) शाला भवन निर्माण को रोका गया है । खूंटका, राजस्व ग्राम ओछा का मजरा है, जो वन कक्ष क्रमांक 795 में स्थित है । वनक्षेत्र में गैर वानिकी कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अथवा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, जो शाला भवन निर्माण हेतु नहीं किया गया।

श्योपुर-मुरैना जिले में प्रस्तावित सड़क एवं पुल निर्माण

20. **(क्र. 239) श्री रामनिवास रावत :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 10 नवंबर, 2014 की स्थिति में श्योपुर एवं मुरैना जिले में कौन-कौन से सड़क मार्ग एवं पुलों के निर्माण कार्य किन-किन योजनाओं के तहत् निर्माणाधीन है एवं आगामी भविष्य में निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? (ख) प्रश्नकर्ता के अता. प्रश्न संख्या-5 (क्रमांक 192) दिनांक 3 जुलाई 2014 के संलग्न परिशिष्ट (ब) में दी गई जानकारी अनुसार निर्धारित अवधि में क्या कार्य पूर्ण कर दिए गए है ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रश्नांश (क) अनुसार कार्य पूर्ण न होने एवं अप्रारंभ रहने की दशा में संबंधित एजेंसियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि मुरैना सबलगढ़ मार्ग पर सिकरौदा के पास आसन नदी एवं नैपरी के पास क्वारी नदी पर प्रस्तावित पुल निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ नहीं होने से पुराने पुल पर (रेलवे विभाग का) विगत चार माह से वाहनों का आवागमन बंद होने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या विभाग विलंब के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए आगामी दो माह में उक्त पुलों का निर्माण कार्य प्रारंभ कराकर पूर्ण किए जाने के कड़े निर्देश प्रदान करेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जिलेवार सड़क एवं पुल निर्माणाधीन कार्यो की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, अ-1, अ-2, अ-3 अनुसार एवं प्रस्तावित कार्यो की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, ब-1, ब-2, एवं अ-3 अनुसार । (ख) जी नहीं । गोरस पारोन मार्ग से अहेली नदी पर पुल निर्माण कार्य सड़क विकास निगम को स्थानान्तरण प्रस्तावित है । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार । (ग) जी नहीं माह जुलाई 2014 में नैपरी रेल्वे ब्रिज की 4 प्लेटे खिसक जाने के कारण, एस.डी.एम. सबलगढ़ द्वारा भारी वाहनों का उक्त पुल पर से आवागमन तत्कालीन वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत रोक दिया गया था । वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में क्वारी नदी पर सड़क निर्माण एजेन्सी द्वारा डायवर्सन मार्ग बना दिया गया है, जिस पर से भारी वाहनों का यातायात सुचारू रूप से चल रहा है । नये

पुल निर्माण में आने वाली भूमि का अर्जन होने के पश्चात् उक्त नये पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जावेगा । सिकरौदा के पास सोन नदी पर पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है । पुराने पुल पर से वाहनों का आवागमन निर्वाध रूप से निरंतर जारी है । अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है ।

उद्योग एवं रोजगार की जानकारी

21. **(क्र. 300) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) डिण्डौरी जिले में विगत वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कौन-कौन से उद्योग लगाये गये ? वर्षवार उद्योगवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन्ही वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया गया ? (ग) विभिन्न योजनाओं से वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में कितने लोगों को रोजगार हेतु ऋण दिया गया हितग्राहीवार, ऋण राशि, छूट की राशि ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक का नाम सहित जानकारी देवें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है । (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार इन्हीं वर्षो में 1762 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ। (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार है ।

पलासिया ब्रिज का चौड़ीकरण

22. **(क्र. 360) श्री महेन्द्र हार्डिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर शहर में बीआरटीएस कारिडोर के अन्तर्गत पलासिया ब्रिज चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है ? (ख) यदि हां, तो उक्त कार्य अभी तक क्यों नहीं प्रारंभ किया गया ? इसे कब तक प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) कार्य प्रारंभ किया जा चुका है ।

अधूरे सड़क निर्माण की जानकारी

23. **(क्र. 364) श्री रामलाल रौतेल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जैतहरी से रजहा तालाब से दुलहा मार्ग जिला अनूपपुर की कुल लंबाई कितनी है, तथा किस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हुई है ? प्रशासकीय स्वीकृत/निविदा का दर/कार्यादेश एवं दिनांक एवं कार्य पूर्ण करने की अवधि क्या है ? क्या उक्त मार्ग मुख्य मार्ग से जुड़ा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ख) क्या उक्त मार्ग निर्माण में कोई बांधा उत्पन्न हुई है ? यदि हां, तो क्या ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग निर्माण के पूर्व जमीन का विवाद हल नहीं कराया गया है ? मार्ग निर्माण में अवरूद्ध होने का दोषी कौन है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 5.00 कि.मी. है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 में । प्रशासकीय स्वीकृति 210.00 लाख एवं निविदा का दर 14.36 प्रतिशत कम एस.ओ.आर. एवं कार्यादेश क्रमांक 3372-73 दिनांक 25.09.2013 तथा अनुबंधानुसार कार्य पूर्ण करने का दिनांक 24.08.2014 है । जी नहीं, मुख्य मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृत है । मार्ग निर्माणाधीन है । (ख) जी हॉ । भूमि विवाद होने के कारण विवादित स्थल पर निर्माण कार्य रोककर अविवादित भूमि पर मार्ग निर्माणाधीन है । जी नहीं । उक्त मार्ग निर्माण के पूर्व

भू-स्वामियों से सहमति लिये जाने के पश्चात् ही शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, एवं तत्समय किसी प्रकार भूमि विवादित नहीं थी । मौखिक सहमति के बाद भी मार्ग निर्माण के समय कुछ कास्तकारों द्वारा विरोध किया गया है, जिसके कारण मार्ग निर्माण में विलंब हुआ है । विलंब हेतु कोई दोषी नहीं है ।

स्थानीय निकाय मदों की जानकारी

24. **(क्र. 365) श्री रामलाल रौतेल :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष, 2014-15 में अनूपपुर-जैतहरी स्थानीय निकाय में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कुल कितनी राशि प्रदान की गई है ? मदवार, कार्य की लागत, प्रकार, वर्तमान कार्य की स्थिति की जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या पसान-अमरकंटक, कोतमा, बिजुरी को जिला प्रशासन द्वारा कम राशि प्रदान की गई है ? यदि नहीं, तो कुल कितनी राशि किस-किस मद में प्रदान की गई है, तथा प्रदान की गई राशि से क्या कार्य कराया गया है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जी नहीं । जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है ।

परिशिष्ट -''सैतीस''

लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य के भवनों की स्थिति

25. **(क्र. 382) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य में कितने-कितने भवन, कहाँ-कहाँ पर स्थित हैं, इन भवनों में शासन के कौन-कौन से विभाग संचालित हो रहे है ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शाए गए भवन में कितने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ? विभाग के भवनो को मरम्मत हेतु संभाग के जिलो को कितनी-कितनी राशि किन-किन भवनो के लिए दी गई ? (ग) उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग के कितने पद, किस-किस श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त है, तथा कितने अस्थाई कर्मचारियों को कितना वेतन किस-किस कार्य के लिए दिया जा रहा है ? (घ) उज्जैन संभाग में लोक निर्माण विभाग के आधिपत्य की कौन-कौन सी सड़के कहाँ-कहाँ पर है, जिलेवार जानकारी देवें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' अनुसार । मरम्मत हेतु विभाग को भवनवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब' अनुसार (कॉलम 7 एवं 8 अनुसार) । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार ।

अवैध वनों की कटाई

26. **(क्र. 383) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में विगत दो वर्ष में वन विभाग द्वारा अवैध रूप से वृक्ष कटाई की कब-कब, किस-किस स्थल की शिकायत विभाग को प्राप्त हुई ? विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ? (ख) उक्त संभाग में वन विभाग के उड़न दस्ते ने अवैध रूप से कितनी लकड़ी किस-किस वाहन क्रं. की कहां-कहां पकड़ी ? अवैध रूप

से लकड़ी का परिवहन करने वाले व्यक्तियों पर क्या कार्यवाही की ? (ग) क्या यह सही है कि विभाग के पास उड़न दस्ते एवं अधिकारियों की कमी के कारण लकड़ी माफिया निरंतर वनों की अवैध कटाई कर एवं अधिकारियों की सांठ-गांठ से विभाग को लाखों रूपये की क्षति पहुँचा रहे हैं ? ऐसे अधिकारियों की कितनी शिकायतें विभाग के पास प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्त संभाग में वन विभाग के कितने अधिकारी, कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं ? कितने रिक्त हैं तथा कितने अस्थाई रूप से कर्मचारी कार्यरत हैं ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ग) वृत्त के अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में अधिकारियों की सांठ-गांठ से विभाग को लाखों रूपये की क्षति पहुंचाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) उज्जैन वृत्त के अंतर्गत 1418 अधिकारी एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं, वर्तमान में 173 पद विभिन्न श्रेणियों के रिक्त हैं। उपरोक्त स्वीकृत पदों में से 826 कर्मचारी अस्थायी हैं।

<u>खेल विभाग द्वारा व्यय राशि</u>

27. **(क्र. 396) श्री प्रताप सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) दमोह जिले को पायका योजना के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 से प्रश्न दिनांक तक शासन द्वारा कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया, तथा विकासखण्डवार कितनी राशि किन-किन कार्य में व्यय की गई ? (ख) दमोह जिले के तेन्दूखेड़ा एवं जबेरा विकासखण्ड की किन-किन ग्राम पंचायतों में पायका योजना के अन्तर्गत क्रीड़ा केन्द्र तैयार किये गये, तथा खेल उपकरण स्थापित किये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई ? (ग) दमोह जिले के प्रत्येक विकासखण्ड स्तर से प्रश्नांश (क) में दर्शायी अवधि के दौरान कितने खिलाड़ी संभाग, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ट खेल में भाग ले सके हैं ? प्रत्येक का नाम एवं खेल नाम सहित विवरण बतलावें ? यदि विकासखण्ड स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित नहीं की गई है, तो उसका क्या कारण रहा है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) आवंटन एवं विकासखण्डवार व्यय राशि एवं कार्य की जानकारी परिशिष्ट -"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार है । (ख) जानकारी परिशिष्ट -"ब" पुस्तकालय में रखे अनुसार है । (ग) जानकारी परिशिष्ट-"स" पुस्तकालय में रखे अनुसार है । नियमानुसार ग्रामीण खेल प्रतियोगिता विकासखण्ड स्तर पर दमोह जिले में आयोजित की गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>सड़क निर्माण/मरम्मत कार्य</u>

28. **(क्र. 427) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिरमौर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत - अतरैला, चौखण्डी, रामबाग मार्ग क्या जीर्ण शीर्ण (जर्जर) हो चुका है ? यदि हां, तो क्या इसका नवनिर्माण/मरम्मत कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (ख) प्रश्न (क) के ही संबंध में - अतरैला, चौखण्डी, रामबाग मार्ग विगत 10 वर्षों से क्या मरम्मत कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो कब-कब किस-किस मद से कितना खर्च हुआ ? (ग) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में - डभौरा से त्योंथर पहुंच मार्ग एवं जवा स्थित सड़क निर्माणाधीन कार्य वर्षों से अपूर्ण चल रहा है ? क्या उसे समुचित रूप से पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण किया जायेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । मार्ग निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की गई है । निश्चित तिथि बताना संभव नहीं । (ख) जी हॉ । विवरण संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ग) जी नहीं । जी हॉ । दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण होना संभावित है ।

परिशिष्ट -''अड़तीस''

पुलिया एवं सड़क का निर्माण

29. **(क्र. 430) श्री दिव्यराज सिंह :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सिरमौर विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कसियारी घाट बरोहा से कसियारी ग्राम पहुंच मार्ग में पुल एवं सड़क न होने के कारण कसियारी ग्रामवासियों को मुख्य मार्ग से आने जाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? ग्रामवासियों को आवागमन सुविधा मुहैया कराने के लिये क्या पुलिया एवं सड़क निर्माण का कार्य कराया जायेगा ? यदि हां, तो समयसीमा बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) के ही संदर्भ में कसियारी ग्रामवासियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य एवं देवी मूर्ति विसर्जन तथा शमशान घाट आने-जाने की समुचित सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्या पुलिया एवं सड़क निर्माण का कार्य अति आवश्यक है ? क्या यह निर्माण कार्य करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कृपया समयसीमा तय करें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । विभागीय बजट एवं जिले की योजना सीमा उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है । (ख) जी हॉ । विभागीय बजट एवं जिले की योजना सीमा उपलब्ध होने पर विचार किया जा सकेगा । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

नयागांव हटवाहा-सटई मार्ग का निर्माण

30. **(क्र. 449) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत नयागांव हटवाहा-सटई मार्ग का निर्माण किया जा रहा है ? (ख) प्रश्नांश (क) हॉ है तो उक्त मार्ग के निर्माण हेतु निविदा कब आमंत्रित की गई ? कार्य कब प्रारंभ हुआ ? निविदा शर्तें के अनुसार कार्य कब तक पूर्ण हो जाना चाहिए था ? (ग) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त कार्य अपने निर्धारित समयानुसार एवं तय मापदण्डानुसार हो रहा है ? यदि नहीं तो विभाग ने क्या कार्यवाही की ? (घ) उक्त मार्ग के निर्माण के संबंध में क्या कोई शिकायत आई ? यदि हॉ तो उसका क्या निराकरण किया गया ? उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करवा लिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । (ख) दिनांक 26.12.2012 । कार्य प्रारंभ दिनांक 12.04.2013 । अनुबंधानुसार दिनांक 11.04.2014 । (ग) कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं हुआ है । कार्य मापदण्डानुसार हो रहा है । विलंब के लिये अनुबंधानुसार ठेकेदार के देयक से राशि रोकी गई है । (घ) जी नहीं । निराकरण का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । वर्तमान में निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

पतरा कोटा मार्ग का निर्माण

31. **(क्र. 450) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत, बिजावर किशनगढ मुख्य मार्ग में स्थित लहर टपरा गांव से पतरा-कोटा मार्ग के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति उपरांत प्रशासकीय स्वीकृति हेतु मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग सागर परिक्षेत्र सागर के पत्र क्रमांक-505/कार्य 13-14/पुनरीक्षित प्राक्कलन सागर दिनांक 01.03.14 द्वारा प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल को भेजी गई हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) हॉ हैं, तो उक्त मार्ग के निर्माण हेतु प्रशासकीय स्वीकृति कब तक प्रदान कर रोड निर्माण प्रारंभ कर दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । (ख) उक्त मार्ग का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित है ।

प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत कार्यों में आवंटन

32. **(क्र. 462) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि./भ.स. संभाग सागर द्वारा कितने कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? कार्यवार विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कार्यों में राशि का आवंटन कब तक प्रदाय किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) कोई भी प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई । (ख) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सागर द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र

33. **(क्र. 466) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा विगत पॉच वर्ष में नरयावली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत कारखानों/नर्सिंग होम/अन्य संस्था जो विभाग की अनापत्ति श्रेणी में आते है कितने विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ? (ख) क्या अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी होने के उपरांत विभाग को कार्यरत कारखानों/नर्सिंग होम/अन्य संस्था जिनकों विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी है के विरूद्ध विभाग को शिकायतें प्राप्त हुई है ? (ग) यदि हॉ तो विभाग ने उन शिकायतों पर संस्थाओं के विरूद्ध क्या कार्यवाही की हैं ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 की धारा 25 एवं 26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 की धारा 21 एवं 22 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने का प्रावधान नहीं है । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश ''क'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत निर्माण कार्य

34. **(क्र. 522) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरपालिका सिवनी के लिये मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अन्तर्गत कहां-कहां पर निमार्ण कार्य गत 4 वर्ष के अन्तर्गत स्वीकृत किए हैं ? प्रश्नांश दिनांक तक कितना बजट किस मद में प्राप्त हुआ है ? (ख) सिवनी नगर पालिका के अंतर्गत मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत प्रश्नांश (क) अवधि के दौरान में किन-किन निर्माण कार्यो के लिये प्रस्ताव तैयार कर कहां पर भेजे गए ? प्रश्नांश दिनांक तक किस स्तर पर विचाराधीन हैं ? क्या कार्यवाही प्रचलन में हैं, कब तक निर्वतन हो जायेंगे ? (ग) सिवनी जिले की नगर पालिका सिवनी में प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में कौन-कौन से निर्माण कार्य प्रारंभ/प्रगतिरत हैं ? अद्‍यतन स्थिति क्या हैं ? अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा समयावधि सहित जानकारी दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) गत 4 वर्षो में, नगर पालिक परिषद सिवनी के लिये मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के अंतर्गत, "ईश्वर नगर, से एम.एच.के.एस. पेट्रोल पम्प तक "मॉडल रोड निर्माण कार्य, राशि 1170.00 लाख रूपये की लागत स्वीकृत है । प्रश्नांश दिनांक तक, निकाय को राशि 233.39 लाख रूपये का आबंटन प्राप्त हुआ है । (ख) सिवनी नगर पालिका के लिये मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत प्रश्नांश (क) अवधि के दौरान, मॉडल रोड निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल को प्रस्तुत किये गये थे। प्रश्नांश दिनांक तक कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) सिवनी नगर पालिका अंतर्गत प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में मॉडल रोड का निर्माण कार्य प्रगति पर है । प्रश्नांश दिनांक तक रोड डिवाईडर का कार्य 39.62 प्रतिशत, रोड चैड़ीकरण (WBM) कार्य 42.70 प्रतिशत, बी.टी. रोड़ अपग्रेडेशन कार्य 40.55 प्रतिशत एवं आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य 77 प्रतिशत हो चुका है । प्राक्कलन अनुसार, शेष अपूर्ण कार्यो को, माह फरवरी 2015 तक पूर्ण करा लिया जाएगा।

अवैध मोबाईल टावरों की संख्या

35. **(क्र. 523) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में कुल कितने विभिन्न कंपनियों के मोबाईल टावर प्रश्न दिनांक तक स्थापित है कंपनीवार विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी दें ? मोबाईल टावर हेतु किस कंपनी से कितनी राशि 1 अप्रैल, 2010 से प्रश्न दिनॉक तक जमा करायी गयी है ? कंपनीवार जानकारी दें ? कितनी राशि किस कंपनी से कब से वसूली जाना बाकी है ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत् प्रश्नतिथि तक कौन-कौन सी कंपनियों के कितने-कितने मोबाईल टावर अवैध रूप से पाये गये हैं ? उक्त अवैध टावरों को हटाये जाने के क्या प्रयास प्रश्न तिथि तक किए गए हैं ? (ग) क्या शासन/प्रशासन द्‍वारा अवैध टावरों को वैध करने के लिए कोई नीति बनायी जा रही है ? यदि नहीं, तो अवैध टावरों को कब तक हटा दिया जायेगा ? समय-सीमा दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) निरंक । अत: शेषांश का प्रश्न ही नहीं उठता है । (ग) मध्यप्रदेश नगर पालिका (अस्थायी टावर का संस्थापन सेल्यूलर मोबाइल फोन सेवा के अधोसंरचना) नियम-2012 की कंडिका 20 के अंतर्गत टावरों के नियमन, प्रशमन/नियमितीकरण का प्रावधान है । अत: शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट -''उनचालीस''

शालाओं में मरम्मतीकरण/ अतिरिक्त कक्षों का निर्माण

36. **(क्र. 547) श्री तरूण भनोत :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पश्चिम विधान सभा क्षेत्र जबलपुर क्षेत्र अंतर्गत कितनी नगर निगम की शालाऐं हैं ? विधान सभा क्षेत्र में स्थित शालाओं की जानकारी वार्डवार बताई जावे ? (ख) वर्णित (क) के विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कितनी नगर निगम की शालाऐं हैं, जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं व जिसमें बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं हुआ है ? कितनी शालाओं में अध्ययनरत छात्रों के लिए बैठने हेतु अतिरिक्त कक्षों की व्यवस्था है एवं कितने में अभाव है, कितनी शाला में कम्प्यूटर की व्यवस्था है और कितनी शालाओं में बिजली की व्यवस्था है ? (ग) कब तक पश्चिम विधान सभा जबलपुर क्षेत्रांतर्गत नगर निगम की समस्त शालाओं में जर्जर भवन का मरम्मतीकरण बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं कम्प्यूटर, बिजली की व्यवस्था व छात्रों के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कर लिया जावेगा, समय सीमा बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) विधानसभा क्षेत्र जबलपुर (पश्चिम) अंतर्गत नगर निगम का कोई शाला भवन जर्जर नहीं है । क्षेत्र की शालाओं में आवश्यकतानुसार बाउण्ड्रीवाल का निर्माण एवं मरम्मत कम्प्यूटर एवं बिजली की व्यवस्था व छात्रों को बैठने हेतु अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य आगामी वर्ष में किया जाना प्रस्तावित है ।

परिशिष्ट -''चालीस''

मुख्यमंत्री युवा स्वं-स्वरोजगार योजना से स्वीकृत ऋण

37. **(क्र. 559) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री युवा स्व-स्वरोजगार योजनांतर्गत रतलाम जिले में वर्ष 2012, 2013 एवं सितंबर, 2014 तक कितने आवेदन प्राप्त हुए ? तहसीलवार वर्षवार ब्यौरा क्या है ? (ख) उपरोक्त (क) में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदकों को किस-किस बैंक से कितनी-कितनी राशि का ऋण स्वीकृत किया ? वर्षवार, तहसीलवार ब्यौरा क्या है ? (ग) कितने युवाओं के आवेदन उपरोक्त अवधि में निरस्त किए गए अथवा स्वीकृति उपरांत अभी तक उन्हें ऋण राशि प्रदान नहीं की जा सकी ? तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है । (ग) जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी द्वारा इस योजनान्तर्गत आवश्यक अर्हता पूर्ण न होने से 04 प्रकरण निरस्त किये गये एवं 246 प्रकरणों में (1 अगस्त 2014 से) नई योजना लागू होने से वित्तीय संस्था द्वारा वितरण स्थगित किया गया।

क्षेत्रान्तर्गत एम.पी.आर.डी.सी के टोल नाको के संबंध में

38. **(क्र. 637) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.एच-12 (इन्दौर-कोटा मार्ग) व्हाया आगर पर कुल कितने टोल नाके एम.पी.आर.डी.सी द्वारा स्थापित हैं ? क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोंगरगांव में स्थापित किए जाने वाले वाणिज्यिक कर चौकी पर टोल नाके की जानकारी दवें ? (ख) टोल नाकों से शासन के अनुबंध के तहत मार्ग की गुणवत्ता की देखरेख एवं प्राप्त टोल राशि की क्या स्थिति हैं ? (ग) उक्तानुसार प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित विगत 3 वर्षो की विवरणात्मक जानकारी देवें ? (घ) क्षेत्रान्तर्गत ग्राम डोंगरगांव में स्थापित की जाने वाले टोल के शासन से हुए अनुबंध एवं वर्तमान तक हुए कार्य की जानकारी देवें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) एस.एच.-27 (इन्दौर-कोटा मार्ग) व्हाया आगर पर कुल छः (6) टोल नाके एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा स्थापित किये गये हैं। ग्राम डोंगरगांव में बी.ओ.टी. अन्तर्गत इंटीग्रेटेंड बॉर्डर चैक पोस्ट का अनुबंध मेसर्स एम.पी. बॉर्डर चेक पोस्ट डेव्लपमेंट कम्पनी लि. मुंबई से किया गया । निर्माण कार्य प्रगति पर है । (ख) इन्दौर-उज्जैन मार्ग पर दिनांक 19.11.2010 से टोल प्रारंभ किया गया है । गुणवत्ता की देखरेख एवं टोल वसूली अवधि दिनांक 16.03.2034 तक है । उज्जैन-झालावाड़ मार्ग पर दिनांक 13.02.2004 से टोल प्रारंभ किया गया है । गुणवत्ता की देखरेख एवं टोल वसूली अवधि दिनांक 15.08.2017 तक है । (ग) इन्दौर-उज्जैन मार्ग का विगत 3 वर्षों की प्राप्त टोल राशि का विवरण इस प्रकार है:- (1) 1 अप्रेल 2011 से 31 मार्च 2012 तक रूपये 16,94,32,820/- (2) 1 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013 तक रूपये 18,80,42,254/- (3) 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2014 तक रूपये 20,06,07,415/-। उज्जैन-झालावाड़ मार्ग का विगत 3 वर्षों की प्राप्त टोल राशि का विवरण इस प्रकार है:- (1) 1 अप्रेल 2011 से 31 मार्च 2012 तक रूपये 24,64,25,150/- (2) 1 अप्रेल 2012 से 31 मार्च 2013 तक रूपये 25,95,75,824/- (3) 1 अप्रेल 2013 से 31 मार्च 2014 तक रूपये 29,76,49,978/- (घ) ग्राम डोंगरगांव में इंटीग्रेटेंड बॉर्डर चैक पोस्ट बी.ओ.टी.अन्तर्गत निर्माण कार्य का अनुबंध दिनांक 10.11.2010 को मेसर्स एम.पी. बॉर्डर चेक पोस्ट डेव्लपमेंट कम्पनी लि. मुंबई से किया जाकर कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ दिनांक 05.05.2011 से किया गया। कार्य 81 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जाकर कार्य प्रगति पर है ।

क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना

39. **(क्र. 638) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या नवगठित आगर जिले के विकास हेतु विभाग की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हॉ तो किस स्तर पर एवं क्या कार्यवाही चल रही है ? (ख) ग्लोबल इन्वेस्टर्स सबमिट-2014 अंतर्गत नवगठित आगर जिले के लिए कोई स्वीकृति या प्रस्ताव हुए है ? (ग) विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों का पूर्णत: अभाव है, क्या यह तथ्य शासन के संज्ञान में है ? यदि हॉ, तो क्या शासन इस ओर गंभीर होकर कोई प्रभावी सकारात्मक कदम उठायेगा ? यदि हॉ, तो कब तक ? (घ) क्या विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम-लालूखेड़ी में विभाग द्वारा कोई भूमि अधिग्रहित की गई है या की जा रही है ? यदि हॉ, तो भूमि अधिग्रहण का प्रायोजन व होने वाले कार्य का विवरण देवें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक प्रयोजन हेतु आगर जिलें की शासकीय भूमि का लेण्डबैक हेतु चिन्हॉकन किया गया है:- 1. झलारा बडोद तहसील बडोद 45.550 हैक्टेयर 2. आम्बा बडोद तहसील बडोद 41.680 हैक्टेयर 3. श्यामपुरा सुसनेर तहसील सुसनेर 57.600 हैक्टेयर 4. सालरिया सुसनेर तहसील सुसनेर 27.870 हैक्टेयर (ख) जी नहीं । (ग) नवीन उद्योग संवर्धन नीति 2014 की कण्डिका क्रमांक 10.7 में प्राथमिकता विकास खण्ड के अन्तर्गत कोई वृहद उद्योग स्थापित नहीं होने से उद्योगों को अधिक अवधि की सहायता दिये जाने का समावेश है । तदानुसार प्राथमिकता विकास खण्ड हेतु आगर, बडोद, सुसनेर, नलखेडा का चयन किया गया है । (घ) आगर जिलें के ग्राम लालूखेडी में 82.260 हैक्टेयर शासकीय भूमि औधोगिक प्रयोजन हेतु अधिगृधित की गई है, जिसके विकास हेतु उपरोक्त भूमि प्रबंध संचालक, म.प्र.संचालक, म.प्र. औधोगिक केन्द्र विकास निगम (उ) लि. उज्जैन को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।

उद्योग स्थापना हेतु आवंटित भूमि का दुरूपयोग

40. **(क्र. 651) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा योजना प्रारंभ दिनांक से प्रश्न दिनांक तक लघु उद्योगों के लिये किन-किन उद्यमियों के लिये कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित आवंटित भूमि पर किन-किन उद्यमियों द्वारा आलोच्य अवधि में उद्योगों की स्थापना की गई, तथा किन-किन उद्यमियों के द्वारा किस-किस कारण से उद्योग स्थापित नहीं किये गये ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या आलोच्य अवधि में आवंटित भूमि पर उद्योगों की स्थापना न करते हुए आवंटित भूमि पर मात्र कब्जा कर अनन्य प्रकार के निर्माण कर लिये गये हैं ? यदि हां, तो इस हेतु विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) राजगढ जिले की ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र में एक मात्र औद्योगिक क्षेत्र ब्यावरा में 13 इकाईयों को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं । जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । (ख) प्रश्नांश-क के अंतर्गत आवंटित इकाईयों द्वारा तत्समय में उद्योग की स्थापना की गयी थी। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश-क अंतर्गत इकाईयों को आवंटित भू-खण्ड पर भू-आवंटन नियम 2008 के अंतर्गत लीजडीड का उल्लंघन करने के कारण 7 इकाईयों को 60 दिवसीय नोटिस जारी किये गये । जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट -''इकतालीस''

ब्यावरा शहर के ध्वस्त मार्गों का नवीनीकरण

41. **(क्र. 653) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यीय राजमार्ग क्रमांक-14 ब्यावरा-सिरोंज का भाग ब्यावरा से प्रारंभ होकर सुठालिया सिरोंज की ओर जाता है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का पहला 1.06 कि.मी. मार्ग पूरी तरह समाप्त हो चुका है ? (ख) यदि हां, तो क्या उक्त संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र क्रमांक 451 दिनांक 16.10.2014 पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा म.प्र. सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंध संचालक श्री विवेक अग्रवाल को तत्काल उक्त ध्वस्त भाग के नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुशंसा टीप लगाते हुये निर्देशित किया गया था ? (ग) यदि हां तो उक्त संबंध में विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक उक्त 1.06 कि.मी. सड़क नवीनीकरण कार्य स्वीकृत कर बनाया जावेगा ? उक्त कार्य में विलंब के क्या कारण है एवं इसके लिये कौन जिम्मेदार है उनके विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां तो क्या और कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । जी नहीं, विषयांकित भाग 1.06 कि.मी. इस मार्ग का हिस्सा नहीं है यह ब्यावरा शहर के सुठालिया बायपास के नाम से है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है । (ख) जी हॉ । मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा म.प्र. शासन लोक निर्माण विभाग को समुचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था । (ग) विषयांतर्गत मार्ग के 1.06 कि.मी. में मार्ग की क्रस्ट क्षतिग्रस्त होने के कारण नवीनीकरण कराया जाना तकनीकी रूप से उचित नहीं है । मार्ग का मजबूतीकरण कराया जाना उचित है । मजबूतीकरण मद में वित्तीय वर्ष में आवंटन की उपलब्धता के आधार पर मजबूतीकरण कार्य कराया जा सकेगा । वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों से मार्ग को यातायात के अनुरूप रखा जा रहा है । विलंब के लिए कोई दोषी नहीं है । अत: कार्यवाही करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>**कटनी शहर के मैरिज गार्डनों पर कार्यवाही**</u>

42. **(क्र. 680) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पालिक निगम कटनी द्वारा निगम सीमा क्षेत्र में स्थाई एवं अस्थाई मैरिज गार्डनों पर दि. 19.06.2014 से प्रतिबंध लगाया जाकर आदेश का पालन सुनिश्चित करने सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे ? (ख) प्रश्नांश (क) यदि हॉ, तो क्या आदेश के बाद भी मैरिज गार्डनों के मालिक नगर निगम के प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी प्रत्येक वैवाहिक तिथि में शादियॉ/पार्टियॉ कर रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि नगर निगम के अधिकारियों की मिली भगत से अवैध रूप से मैरिज गार्डन संचालित हैं ? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ, (ख) जी नहीं, (ग) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>**उत्कृष्ट रोड का निर्माण**</u>

43. **(क्र. 681) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत सागर पुलिया से बिलहरी तिराहा तक एवं मिशन चौक से चाका बाइपास तक उत्कृष्ट सड़क का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो रोड निर्माण हेतु D.P.R. स्टीमेट की प्रति दें ? (ख) प्रश्नांश (क) की रोड निर्माण में क्या-क्या कार्य कितनी लागत से किया गया, तथा कौन सा कार्य पहले होगा तथा कौन सा बाद में उसका विवरण दें ? कब टेण्डर किया टेण्डर किन-किन फर्मो में भरा तथा किस फर्म का स्वीकृत हुआ ठेकेदार से कब अनुबंध किया गया ? (ग) प्रश्नांश (ख) से संबंधित रोड निर्माण में किस-किस कार्य का कितनी राशि का भुगतान प्रश्न दिनांक तक किया गया ? (घ) प्रश्नांश (क) की रोड निर्माण हेतु नगर निगम के शांति नगर के पंप हाऊस से नगर निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से ठेकेदार को पानी बिना मंजूरी के दिया गया क्या देयकों की वसूली की गई ? दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं, अपितु, कटनी नगर निगम क्षेत्र में, सागर पुलिया से बिलहरी तिराहा तक, सड़क का निर्माण, मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत कराया जा रहा है । डी.पी.आर./एस्टीमेट की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परशिष्ट "अ" अनुसार है । मिशन चौक से चाका नाका तक सड़क का निर्माण यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजनांतर्गत कराया जा रहा है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" एवं "स" अनुसार है । (घ) जी नहीं। प्रश्नांश (क) में उल्लेखित रोड निर्माण कार्य हेतु, ठेकेदार द्वारा, नगर निगम के शांति नगर विन्ध्यवासिनी के पास स्थापित हाईट्रेन्ड से, स्वयं के टैंकरों से पानी लिया गया है, जिसकी बिल राशि रू. 2,04,000/- जमा करने हेतु ठेकेदार को सूचित किया गया है । ठेकेदार द्वारा बिल की राशि जमा नहीं करने पर देयकों से राशि की कटौती की जायेगी।

<u>डबरा शहर में जल आवर्धन योजना अंतर्गत स्वीकृत कार्य</u>

44. **(क्र. 699) श्रीमती इमरती देवी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला ग्वालियर अंतर्गत नगर पालिका परिषद डबरा को वर्ष 2011-12 से 2014-15 में जल आवर्धन योजना अंतर्गत केन्द्र शासन एवं म.प्र. शासन से वर्षवार कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है ? उक्त वर्षों में प्राप्त राशि से किस वार्ड में कितनी राशि के किस प्रकार का कार्य स्वीकृत किया, जिसे पूर्ण करने की समयावधि क्या है ? अपूर्ण कार्यों की सूची कारण सहित देवें तथा इन्हें पूर्ण करने की समयावधि बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जल आवर्धन योजना अंतर्गत प्राप्त राशि से उक्त वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों में से डबरा शहर के किस-किस वार्ड में पेयजल सप्लाई किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो कब तक पेयजल सप्लाई होगा ? समयावधि बतावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार है । कार्य पूर्ण करने की समयावधि 31 दिसम्बर 2014 है । रेलवे लाईन क्रास की जाकर जवाहरगंज क्षेत्र के 675 कि.ली. एवं 300 कि.ली. की पानी टंकी को भरने की पाईप लाईन का कार्य रेलवे की अनुमति मिलने में हुए विलंब के कारण अनूर्ण है । रेलवे से अनुमति प्राप्त होने पर 2 माह में कार्य पूर्ण होना लक्षित है । (ख) योजना अपूर्ण होने से किसी भी वार्ड में पेयजल प्रदाय नहीं किया जा रहा है । उत्तरांश ''क'' अनुसार योजना पूर्ण होने पर योजना अनुसार सभी 24 वार्डो में जलप्रदाय किया जा सकेगा।

परिशिष्ट -''बयालीस''

<u>निर्माण विभाग के कार्यों की दर में भिन्नता</u>

45. **(क्र. 700) श्रीमती इमरती देवी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि म.प्र. शासन के आदेशानुसार निर्माण विभागों में निर्माण कार्य का सी.एस. आर. एक समान है ? (ख) यदि हॉ, तो फिर लो.नि. विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लो.स्वा.यां. विभाग के एक समान निर्माण कार्य की दर भिन्न-भिन्न क्यों है ? (ग) शासन आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए स्थिति स्पष्ट करें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । (ख) 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

<u>कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रचलित कार्यों को पूर्ण कराया जाना</u>

46. **(क्र. 710) श्री राम सिंह यादव :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग के कौन-कौन से कार्य कहां-कहां पर कितनी-कितनी लागत के कब से अक्टूबर 2014 की स्थिति में किस मद से निर्माणाधीन है ? प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति क्रमांक एवं दिनॉक एवं निर्माण ऐजेन्सी का नाम व पता सहित जानकारी दें ? (ख) उक्त निर्माणाधीन कार्य कब तक पूर्ण होंगे ? निश्चित समयावधि बताते हुए जानकारी दें कि निर्धारित अवधि व्यतीत होने के पश्चात् भी कार्य पूर्ण नहीं हुए है ? विभाग द्वारा निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न करने वाले ठेकेदारों के विरूद्ध कब क्या कार्यवाही की गई ? (ग) कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण

विभाग द्वारा 01/04/2010 से 31/10/2014 तक कौन-कौन से निर्माण कार्य पूर्ण किए ? उक्त कार्य कितनी राशि के स्वीकृत हुए थे ? एवं कितनी राशि व्यय की गई ? एवं किन-किन कार्यों का पूर्णत: प्रमाण पत्र (सी.सी.) किनके द्वारा कब जारी की गई ? (घ) प्रश्नाधीन वर्णित कार्यों में से कौन-कौन से कार्य गुणवत्ताविहीन पूर्ण किए गए है ? किन-किन कार्यो के गुणवत्ताविहीन होने की शिकायतें शासन-प्रशासन को कब-कब कहाॅ-कहाॅ से प्राप्त हुई एवं शासन द्वारा उनके उपर कब क्या कार्यवाही की गई ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, अ-1, अ-2 एवं अ-3 अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, अ-1, अ-2 एवं अ-3 अनुसार । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, ब-1, ब-2 एवं ब-3 अनुसार । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब, ब-1, ब-2 अनुसार । निर्माण कार्यो के गुणवत्ता विहीन होने की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है ।

मंदिरों का जीर्णोद्धार

47. **(क्र. 731) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रश्न क्रमांक 4849 दिनांक 24/7/14 के उत्तर (घ) में बताया कि क्रमांक 1 से 5 तक के कार्य प्रगतिशील एवं निविदा प्रक्रिया के अंतर्गत हैं तो क्या निविदा कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? निविदा की प्रति उपलब्ध कराते हुए कार्यों की स्थिति क्या है ? किस-किस क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कितनी-कितनी लागत के कार्य कराये जा रहे हैं व उनकी कार्य पूर्ण होने की अवधि कितनी है ? (ख) क्या कार्य समयावधि में पूर्ण हो चुके हैं ? नहीं तो क्यों और कब तक पूर्ण हो जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हां निर्माण कार्य ऐजेंसी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुरैना द्वारा 5 कार्यो में से 2 कार्य पूर्ण कर लिये है, तथा 02 कार्यो को मार्च, 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। एक कार्य निर्माणाधीन है । (ख) शेष 1 कार्य की पूर्णता की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

खरीदी एवं योजनाओं में भ्रष्टाचार

48. **(क्र. 744) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राज्य शासन के पास अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक के विरूद्ध 1.1.2014 से 15.11.2014 तक कितनी शिकायतें जांच के लिये प्रेषित की गई ? शिकायतों की जांच के लिये कितनी जांच समितियां बनाई गयीं ? (ख) पूर्व विधायक किशोर समरीते द्वारा कितनी शिकायतें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अनिल ओबेराय (आईएफएस) के विरूद्ध उक्त अवधि में की गई तथा शिकायतों की जांच के लिये जांच अधिकारी किसे बनाया गया ? जांच अधिकारी द्वारा राज्य शासन को कौन सा जांच प्रतिवेदन भेजा गया एवं जांच प्रतिवेदन पर राज्य शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ? (ग) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक द्वारा भू:जल संरक्षण के नाम पर वनों के विकास में व्यय की जाने वाली राशि अपनी पदस्थापना दिनांक से 15.11.2014 तक जो आवंटित की गई और जो व्यय की गई, उसका पूर्ण विवरण दिया जावे ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) प्रश्नांधीन अवधि में शासन स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के विरूद्ध को शिकायत जांच के लिए प्राप्त नहीं हुई। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) वन विभाग में वर्तमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के 21 पद स्वीकृत हैं। प्रश्नांश में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पदनाम अथवा नाम उल्लेखित नहीं होने से जानकारी दिया जाना संभव नहीं है ।

श्योपुर जिले में मंदिरों की भूमि

49. **(क्र. 762) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) श्योपुर जिले में वर्तमान में ऐसे कितने मंदिर है, जिनके संरक्षक कलेक्टर है, इन मंदिरों पर नियुक्त पुजारी का नाम, पता, मंदिर का नाम व स्थान सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) उक्त मंदिरों के नाम से कितनी-कितनी कृषि भूमि कहां-कहां स्थित है, उसका रकबा, सर्वे नंबर व उस भूमि पर वैध/अवैध रूप से कौन काबिज है, उनका नाम, पता सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ग) क्या यह सच है कि उक्त में से जिले के 62 मंदिरों को रियासतकाल में सिंधिया राजघराने द्वारा मंदिरों की समुचित व्यवस्था व पुजारियों के भरण-पोषण हेतु दान में दी गई काश्तभूमि जिनका इंद्राज राजस्व अभिलेखों में भी है, इन मंदिरों की लगभग 2500 बीघा काश्त भूमि पर कई वर्षो से अवैध कब्जा धारियों का कब्जा है ? वे इस भूमि पर काश्तकारी कर स्वयं लाभांवित हो रहे है ? ऐसी स्थिति में पुजारियों के परिवार भूखे मरने की स्थिति में आ गये हैं एवं मंदिरों की व्यवस्थायें गड़बड़ा गई है ? (घ) यदि हां, तो कृपया बतावें कि शासन/प्रशासन द्वारा उक्त काश्त भूमि को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने हेतु क्या कार्यवाही वर्तमान तक की गई है, यदि नहीं तो इसका कारण बतावें ? (ड.) उक्त भूमि अवैध कब्जाधारियों से कब तक मुक्त करा ली जावेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) से (ड़) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

बड़ोदा नाले के प्राक्कलन की स्वीकृति

50. **(क्र. 763) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ये सच है कि श्योपुर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत बडौदा नगर के आसपास आधा दर्जन बारहमासी बहने वाले नाले बारिश में उफान पर आने से जाते हैं । नगर में बाढ के हालात बन जाते हैं, तथा चारों तरफ से नगर का संपर्क भी टूट जाता है ? (ख) क्या ये भी सच है कि उक्त स्थिति में प्रतिवर्ष नगरवासियों को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पडता है । इसी कारण वे विगत दो दशकों से उक्त समस्या के निराकरण की मांग भी करते आ रहे हैं ? (ग) क्या ये भी सच है कि उक्त समस्या के निराकरण के लिए नगर परिषद बडौदा ने 10.20 करोड़ की राशि का प्रस्ताव/प्राक्कलन तैयार करवाकर बी.आर.जी.एफ. अथवा अन्य किसी विभागीय योजना से स्वीकृति हेतु शासन/विभाग को प्रेषित किया गया है ? यदि हॉ, तो किस दिनांक को अवगत करावें ? (घ) उक्त प्रस्ताव/प्राक्कलन को उक्त योजनान्तर्गत क्या स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । यदि नहीं तो प्रस्ताव/प्राक्कलन किस स्तर पर लंबित पडा है व क्यों, इसका कारण बतावें ? (ड.) क्या शासन/विभाग बडौदा नगर के नागरिकों को प्रतिवर्ष होने वाली कठिनाईयों से निजात दिलाने हेतु उक्त प्रस्ताव/प्राक्कलन को शीघ्र स्वीकृति प्रदान कर इस हेतु वर्ष 2014-15 के अनुपूरक/आगामी वार्षिक बजट में राशि का प्रावधान करेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । निकाय को कोई मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । (ग) जी नहीं । (घ) एवं (ड़) उत्तरांश ''ग'' के परिपालन में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

स्टेडियम की स्वीकृति

51. **(क्र. 771) श्री अनिल जैन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र निवाड़ी के अंतर्गत निवाड़ी नगर में एक स्टेडियम के निर्माण की घोषणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी ? (ख) यदि हॉ तो क्या इसका प्राक्कलन स्थानीय नगर पंचायत द्वारा स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी तक प्रेषित किया गया है ? यदि हॉ तो इसकी स्वीकृति लंबित रहने का क्या कारण है ? किस स्तर पर लंबित है ? (ग) उक्त स्टेडियम की स्वीकृति कब तक प्राप्त हो सकेगी और कार्य प्रारंभ होकर कब तक कार्य पूर्ण किया जायेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ। (ख) जी हॉ, संचालनालय, भोपाल में दिनांक 13-10-2014 को योजना प्राप्त हुई है । तकनीकी स्वीकृति हेतु उक्त डी.पी.आर. के परीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है । (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार कार्यवाही प्रचलित है । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति

52. **(क्र. 772) श्री अनिल जैन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत नगरों के विकास संबंधी कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति शासन स्तर से की जाती है ? यदि हां, तो 01.01.14 से प्रश्न दिनांक तक टीकमगढ़ जिले के कितने प्रस्तावों की स्वीकृति दी जा चुकी है नगर पंचायतवार जानकारी दी जावे ? (ख) क्या यह भी सही हैं कि उक्त योजना में टीकमगढ़ की निवाडी नगर पंचायत द्वारा भी प्रश्नावधि में कोई कार्य योजना शासन की स्वीकृति हेतु भेजी गई है यदि हां, तो इसकी स्वकृति अब तक क्यों नहीं हुई है ? (ग) प्रश्नांश (ख) में लंबित कार्ययोजन की स्वीकृति कब तक की जा सकेंगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । दिनांक 01-01-2014 से प्रश्न दिनांक तक मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत, टीकमगढ़ जिले की मात्र एक नगर परिषद् पलेरा को प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है । (ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

सिंहस्थ 2016 योजना का प्राक्कलन

53. **(क्र. 820) श्री जितू पटवारी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या उज्जैन में होने वाले आगामी महाकुम्भ (सिंहस्थ) के लिये म.प्र. शासन द्वारा योजना अनुसार प्राक्कलन तैयार किये गये है ? यदि हॉ, तो कुल कितनी राशि के प्राक्कलन तैयार किये गये हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) के संबंध में किन-किन योजनाओं के अंतर्गत कितनी राशि व्यय की जाना निर्धारित की गई है ? एवं कौन-कौन सी योजनाऐं प्रस्तावित हैं ? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में क्या केन्द्र सरकार से राशि/अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हॉ, तो योजनावार कितनी राशि का अनुदान चाहा गया है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । लगभग राशि रू. 1678.79 करोड़ के प्राक्कलन तैयार किये गये है । (ख) विभागवार स्वीकृत कार्यो एवं उनके प्राक्कलन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ग) जी हॉ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है ।

खिलाड़ियों को दी जाने वाली सुविधाऐं

54. **(क्र. 823) श्री जितू पटवारी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) म.प्र. में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत खिलाड़ियों को खेल की कौन-कौन सी सुविधाऐं प्रदान की जा रही हैं ? (ख) क्या विभाग द्वारा स्कूली विद्यार्थियों हेतु कोई ट्रेनिंग केम्प आयोजित किये जाते हैं ? (ग) कौन-कौन से खिलाड़ी किस-किस खेल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं ? नाम सहित जानकारी देवें ? (घ) क्या विभाग इन खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में आरक्षण देता है ? यदि हां, तो उसके क्या नियम हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"अ" अनुसार है । (ख) जी नहीं । इस विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में स्कूल, कॉलेज एवं गैर छात्र युवा सभी को प्रशिक्षण दिया जाता है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-"ब" अनुसार है । (घ) जी नहीं । शासन द्वारा नियमानुसार घोषित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी दिये जाने का प्रावधान है ।

परिशिष्ट -''तैतालीस''

सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वन भूमि पर किये गये विकास कार्य

55. **(क्र. 882) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग की भूमि कहां-कहां स्थित हैं ? क्षेत्रफल सहित जानकारी दें ? (ख) वन विभाग द्वारा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की वन भूमि पर क्या-क्या विकास कार्य किए गए ? (ग) वन विभाग द्वारा सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की वन भूमि पर जो कार्य किए गए हैं, उन योजनाओं का नाम तथा राशि बतावें ? (घ) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की वन भूमि पर प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी दें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (घ) वर्ष 2015-16 के लिये प्रस्तावित विकास कार्यों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

परिशिष्ट -''चौवालीस''

नगर पंचायतों को प्राप्त राशि

56. **(क्र. 883) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र की सीतामऊ तथा शामगढ़ नगर पंचायतों तथा सुवासरा नगर पंचायत तक में विगत 3 वर्षो में केन्द्र तथा राज्य सरकार से कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार किन-किन विकास कार्यो पर यह राशि खर्च की गई?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है ।

अपूर्ण तथा अप्रारंभ कार्य

57. **(क्र. 898) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले की नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में नवम्बर 2014 की स्थिति में कौन-कौन से निर्माण कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ हैं ? (ख) उक्त कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण हो इस हेतु सी.एम.ओ. तथा विभाग के अधिकारियों ने क्या-क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की तो क्यों ? (ग) 1 जनवरी 2013 से नवम्बर 2014 तक की अवधि में उक्त जिले की न.पा./नगर पंचायतों में कराये जा रहे कार्यों में भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की विभाग/शासन को जो शिकायतें प्राप्त हुई, तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ? कारण बतायें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है । (ग) देवास जिले की नगर पालिका एवं नगर परिषदों में से करनावत, सोनकच्छ, सतवास, लौहारदा, पीपलरवां एवं टोकखुर्द में कराये जा रहे कार्यो में भ्रष्टाचार तथा अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही प्रचलित है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

वन विभाग द्वारा कराये गये कार्य

58. **(क्र. 899) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में अप्रैल, 2009 से नवम्बर, 2014 तक की अवधि में वन समितियों तथा विभाग को किस-किस मद/योजना में कितनी राशि प्राप्त हुई ? (ख) उक्त राशि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां करावाये गये ? कौन-कौन से कार्य अपूर्ण हैं, तथा क्यों ? कार्यवार कारण बतायें ? (ग) नवम्बर, 2014 की स्थिति में उक्त जिलों में किन-किन समितियों के पास कितनी राशि है ? क्या उक्त राशि से पेयजल समस्याग्रस्त ग्रामों में कार्य नहीं किया जा सकता ? यदि हां, तो क्यों, कारण बतायें ? (घ) अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण होंगे, निश्चित समयावधि बतायें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित जिलों एवं अवधि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । वन समितियों को मद/ योजना वार राशि का आबंटन नहीं किया जाता । वन समितियों को प्रश्नाधीन अवधि में प्रदाय की गई राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ख) जानकारी संकलित की जा रही है । (ग) समितियों के खातों में उपलब्ध राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । समितियां खाते की उक्त राशि में से समिति द्वारा स्वयं अर्जित की गई राशि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र हैं। (घ) जानकारी संकलित की जा रही है ।

शास. उत्तकृष्ट विद्यालय केवलारी में खेल स्टेडियम बनाया जाना

59. **(क्र. 920) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) केवलारी मुख्यालय में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में खेल स्टेडियम बनाये जाने हेतु शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ख) यदि हां, तो कब और कितनी राशि की दी गई है ? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित स्टेडियम का निर्माण कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है एवं उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं, खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । (ख) प्रश्नोत्तर "क" के प्रकाश में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पुलिस एवं राजस्व विभाग के समान वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों को वेतन एवं अन्य हितलाभ प्रदान कराये जाना

60. **(क्र. 921) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पुलिस एवं राजस्व विभाग के समान वन विभाग के मैदानी अमले को समान वेतन एवं अन्य हितलाभ प्रदान किये जा रहे थे ? (ख) यदि हॉ, तो समकक्ष वेतनमान कर्मचारियों को समान वेतनमान नहीं देते हुए शासन द्वारा पुलिस एवं राजस्व विभाग के कर्मचारियों को अलग से वेतनमान क्यों दिया जा रहा है ? (ग) क्या शासन समान कर्मचारियों को समान वेतन सभी विभाग में दिये जाने हेतु शासन विचार करेगा ? यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) नीतिगत प्रश्न होने से कारण स्पष्ट किया जाना संभव नहीं है ।

मुरैना नगर महिला स्व. सहायता समूहों को लाभांवित किया जाना

61. **(क्र. 932) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना नगर में अक्टूबर, 2013 से नवम्बर, 2014 तक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले कितने परिवारों को स्वरोजगार कार्यक्रम हेतु लाभांवित किया गया है ? (ख) उक्त योजना के तहत कितने समूहों को समूह सहायता हेतु कितना-कितना ऋण ऊपर वर्णित अवधि में उपलब्ध कराया गया है ? समूहों के नाम, राशि सहित पूर्ण जानकारी दी जावे ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत महिला स्व. सहायता समूहों को 4% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सहायता देने का प्रावधान था ? यदि हां, तो किन-किन समूहों को कितना-कितना ब्याज अनुदान उक्त वर्णित अवधि के दौरान प्रदान किया गया है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) 108 आवेदन बैंकों को प्रेषित किये गये हैं। 02 प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं । प्रकरणों में वितरण नहीं होने के कारण कोई भी हितग्राही लाभान्वित नहीं हुआ हैं । (ख) 03 स्व सहायता समूह के प्रकरण बैंक को प्रेषित किये हैं। प्रकरण स्वीकृत नहीं हुये हैं । शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता है । (ग) जी नहीं । महिला स्व सहायता समूह को 03 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है । बैंकों द्वारा प्रकरण स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण किसी भी महिला स्व सहायता समूह को ब्याज अनुदान का लाभ नहीं दिया गया है ।

ग्राम गलेथा के युवक की वन्य जीव के हमले में मृत्यु पर आर्थिक सहायता

62. **(क्र. 934) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वन्य प्राणियों के हमले में जनहानि होने पर मृतक, घायल व्यक्तियों को उनके परिवार जनों को आर्थिक सहायत देने का प्रावधान है तो मुरैना जिले में वर्ष 2012 से नवंबर 2014 तक

कितने प्रकरणों में सहायता प्रदान की गई है ? पूर्ण जानकारी दी जावें ? (ख) जौरा तहसील के ग्राम गलेथा के युवक पर किये हमले के प्रकरण में जिसमें जहर फैलने से मृत्यु के प्रकरण में अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ? पूर्ण जानकारी दी जावें ? (ग) क्या मृतक परिवार के वैधानिक प्रतिनिधि को दिल्ली के अस्पताल में हुए खर्च का भी आर्थिक सहायता में प्रावधान के अनुरूप राशि दी जायेगी, कब तक ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां। मुरैना जिले में प्रश्नाधीन अवधि में वन्यप्राणियों द्वारा जनहानि व जनघायल के प्रकरणों में प्रदाय आर्थिक सहायता संबंधी जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है । (ख) प्रश्नाधीन ग्राम के युवक की सियार द्वारा हमले के उपरांत रेबीज से दिनांक 14.09.2014 को मृत्यु के प्रकरण में मृतक श्री बनवारी सिंह सिकरवार पुत्र श्री रामसेवक सिंह सिकरवार की पत्नी को नियमानुसार रूपये 1.50 लाख का भुगतान दिनांक 27.11.2014 को किया गया है । (ग) जी हां । मृतक के परिजन द्वारा उपचार के बिल प्रस्तुत करने पर वन्यप्राणी के हमले से हुई मृत्यु के पूर्व घायल व्यक्ति के इलाज पर हुए वास्तविक व्यय राशि (रूपये 30,000 अधिकतम सीमा के अधीन) की प्रतिपूर्ति, बिल प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर, भुगतान की जा सकेगी।

परिशिष्ट -"पैतालीस"

<u>फर्नीचर मार्ट आदि से प्राप्त राजस्व के संबंध में</u>

63. **(क्र. 943) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुरहानपुर जिले में 12 इंच व्यास (डायामीटर) की चक्राकार आरा मशीन से संबंधित व्यवसायियों तथा फर्नीचर मार्ट आदि से वनविभाग के माध्यम से म.प्र. शासन को वर्षवार वर्ष 2007-08, 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ? (ख) 12 इंच व्यास (डायामीटर) की चक्राकार आरा मशीन पर प्रतिबंध लगने पश्चात वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक बुरहानपुर जिले में वर्षवार वनविभाग के माध्यम से म.प्र. शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) व्यवसायियों एवं फर्नीचर मार्ट की 12 इंच व्यास (डायमीटर) की चक्राकार आरामशीन का कोई पृथक से पंजीयन नही किया जाता है, बल्कि उनके आवेदन अनुसार मध्यप्रदेश वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम, 1969 के अंतर्गत व्यापारी/विनिर्माता के रूप में कैलेण्डर वर्ष के लिए पंजीकृत किया जाता है जिनसे राजस्व प्राप्ति की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यापारी/विनिर्माता पंजीयन की संख्या	राशि रूपये
2007	88	44000
2008	99	49500
2009	93	46500
2010	100	50000

(ख) व्यापारी/विनिर्माता के पंजीयन से प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:-

वर्ष	व्यापारी/विनिर्माता पंजीयन की संख्या	राशि रूपये
2011	78	39000
2012	100	200000
2013	83	159000
2014	90	172000

नेपा लिमिटेड को लीज पर दी गई वन भूमि

64. **(क्र. 944) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेपानगर विधान सभा क्षेत्र के नेपानगर शहर की भूमि के कुल क्षेत्रफल में कितना क्षेत्रफल वन क्षेत्र (वन विभाग) के अधीन होकर नेपा लिमिटेड, नेपानगर को लीज पर दिया गया है ? (ख) उक्त वन भूमि कितने वर्षों की लीज पर दी गई है ? कब से कब तक ? कृपया अवधि बतावें ? (ग) उपरोक्त लीज भूमि में कितनी भूमि पर शासकीय/अर्धशासकीय/निजि निर्माण कार्य हुए हैं ? (घ) उपरोक्त भूमि में कितने अलग-अलग व्यवसाय संचालित है ? इनमें से कितने लघु एवं सूक्ष्म व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) नेपानगर के कुल क्षेत्रफल 1869.59 एकड़ में से 1517.08 एकड़ वन भूमि नेपा लिमिटेड, नेपानगर, को लीज पर दी गई है । (ख) अनुबंध दिनांक 10.10.1947 के अनुसार नेपा मिल के निर्माण से प्रभावशील दिनांक 01.07.1948 से 30.06.2038 तक 90 वर्ष की लीज पर दी गई। (ग) नेपा लिमिटेड को लीज पर दी गई कुल भूमि में से 849 एकड़ पर निर्माण कार्य हुआ है, जिसमें रहवासी आवास, स्कूल, अस्पताल, खेलकूद के मैदान, विभिन्न शासकीय कार्यालय जैसे- बैंक, पुलिस थाना, पोस्ट ऑफिस, वन विभाग, नगर पालिका, आई.टी.आई. आदि का निर्माण तथा टाउनशिप विकास शामिल है । (घ) मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने एवं जीविकोपार्जन हेतु लघु एवं सूक्ष्म व्यवसाय जैसे - किराना, दवाई दुकान, कपड़ा व्यवसाय, जूता-चप्पल व्यवसाय, मिष्ठान व्यवसाय, बिल्डिंग मटेरियल, हार्डवेयर, जनरल स्टोर, फल-सब्जी विक्रय, चाय-पान दुकान, आटा चक्की, दूध व्यवसाय आदि संचालित हैं।

भोपाल के आलमी तब्लिगी इज्तिमे की व्यवस्थाएं

65. **(क्र. 966) श्री आरिफ अकील :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के आलमी तब्लिगी इज्तिमे की व्यवस्थाओं हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कब-कब बैठक आयोजित कर किस-किस विभाग को क्या-क्या निर्देश दिये गये विगत 5 वर्षों की स्थिति में यह अवगत करावें कि किस-किस विभाग का कितना-कितना अमला इज्तिमा प्रारम्भ होने के पूर्व व समापन के कितने दिन बाद तक किस-किस विभाग के कितने-कितने कर्मचारियों द्वारा साफ-सफाई का कार्य किया गया, तथा शासन की कितनी राशि व्यय हुई वर्षवार विभागवार बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त इज्तिमा स्थल पर इज्तिमा समाप्त होने के पश्चात् मलमूत्र आदि की साफ-सफाई नहीं की जाती है ? यदि हॉ तो किन कारणों से बतावें ? (ग) आगामी माह दिसम्बर 2014 में आयोजित होने वाला आलमी तब्लिगी इज्तिमा के अवसर पर पानी, साफ-सफाई, लाईट व अन्य किन-किन व्यवस्थाओं के नाम पर शासन द्वारा किस-किस विभाग का कितने-कितने लोगों का अमला इज्तिमे के कितने दिन पूर्व व कितने दिन बाद तक लगने व कितनी राशि व्यय होना अनुमानित है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

दतिया जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत ऋण स्वीकृति

66. **(क्र. 975) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दतिया जिले में कुल कितने आवेदन उद्योग में ऋण स्वीकृत के लिये आये एवं उनके विरूद्ध कितने आवेदकों के प्रकरण स्वीकृत कर बैंक में भेजे गये विकास खण्डवार सूची उपलब्ध करायी जायें ? (ख) जिन प्रकरणों को बैंक में भेजा गया है उनमें से कितने प्रकरण बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये एवं जिन प्रकरणों में बैंक द्वारा ऋण प्रदान नही किया गया उनकी सूची कारण सहित उपलब्ध कराये ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) विभाग द्वारा दतिया जिले में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत विभाग में वर्ष 2014-15 में 49 आवेदन पत्र दिनांक 22/11/2014 तक स्वीकृति के लिये आये । उनमें से 32 आवेदन पत्र टास्कफोर्स समिति की अनुशंसा पर विभिन्न बैंकों को प्रेषित किये गये है । विकासखण्डवार बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों की सूची जानकारी सलंग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जानकारी सलंग्न परिशिष्ट अनुसार बैंकों को प्रेषित आवेदन पत्रों में से बैंको द्वारा 05 प्रकरण स्वीकृत किये गये है जो ऋण वितरण हेतु बैंक में प्रक्रियाधीन है तथा शेष प्रकरण स्वीकृति हेतु बैंकों में प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट -''छियालीस''

<u>सेवड़ा में तेंदुपत्ता का उत्पादन</u>

67. **(क्र. 976) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि सैवड़ा विधान सभा क्षेत्र में तेंदुपत्ता का उत्पादन होता है ? यदि हां, तो वन क्षेत्र में बीट अनुसार सूची प्रस्तुत की जाये ? (ख) क्या सैवड़ा विधान सभा क्षेत्र में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तेंदुपत्ता संग्रहण के लिये ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक वन क्षेत्र अनुसार ऐजेन्सी का नाम एवं रकबा अनुसार अनुसार सूची उपलब्ध कराये एवं उक्तानुसार ऐजेन्सी से राजस्व वसूली की जानकारी भी उपलब्ध करायें ? (ग) शासन के हित में राजस्व बढ़ाने हेतु, अवैध रूप से संग्रहण करने पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ? पिछले वर्ष इस तरह के प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हॉ, जानकारी संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) वर्ष 2014 सीजन में सेवड़ा विधान सभा क्षेत्र में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्ता के अग्रिम निर्वर्तन में दतिया समिति का विक्रय नहीं होने के कारण तेन्दूपत्ते का विभागीय संग्रहण कराया जाकर कुल 159,910 मानक बोरा तेन्दूपत्ते का संग्रहण हुआ । संग्रहित मात्रा का गोदामीकरण कराने के उपरांत निर्वर्तन हेतु प्राप्त निविदा दर पर निर्णय अपेक्षित है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) अवैध रूप से संग्रहण होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है गत वर्ष इस तरह का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -''सैतालीस''

<u>शासकीय क्वार्टरो की मरम्मत एवं निर्माण</u>

68. **(क्र. 1001) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या चीफ इंजीनियर एवं अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री मंडल क्रमांक-एक पीडब्ल्यूडी कार्यालय केपीटल जोन निर्माण सदन अरेरा हिल को 15 जुलाई से 31 जुलाई 2014 तक शासकीय क्वार्टरों के प्राप्त आवेदन मरम्मत एवं निर्माण से संबंधित प्रस्ताव (ऐस्टीमेट) बनाकर सक्षम अधिकारियों को प्रस्तुत कर दिये हैं ? यदि नहीं तो क्यों कारण बतावें ? (ख) सब इंजीनियर से चीफ इंजीनियर केपीटल जोन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शासकीय क्वार्टरों में मरम्मत एवं निर्माण से संबंधित वित्तीय अधिकार कितनी राशि के हैं ? प्राप्त वित्तीय अधिकारों के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारियों द्वारा अभी तक क्यों नहीं प्रदान की गई ? (ग) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में प्राप्त आवेदनों पर मा. मंत्री लोक निर्माण विभाग एवं मा. विधायकों द्वारा उक्त अधिकारियों को कार्य पूर्ण करने का निर्देश एवं अनुरोध (मरम्मत एवं निर्माण) करने के बाद भी उक्त आवेदनों पर लिखित कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हॉ, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक होने पर प्राक्कलन प्रेषित किये जावेगें । (ख) विशेष मरम्मत कार्य हेतु वित्तीय अधिकार संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार, नवीन निर्माण कार्य की स्वीकृति के अधिकार इन अधिकारियों को प्राप्त नहीं । प्रश्नांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं । (ग) जी हॉ । परीक्षण कर आवश्यक होने पर प्राक्कलन बनाकर उपलब्ध आवंटन अनुसार स्वीकृति प्रदान कर कार्य संपादन की कार्यवाही की जा सकेगी ।

परिशिष्ट -''अड़तालीस''

<u>जबलपुर में आयोजित इनवेस्ट मीट पर व्यय</u>

69. **(क्र. 1015) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु कब-कब जबलपुर में इनवेस्ट मीट का आयोजन किया गया ? आयोजन दिनांक एवं मीट के आयोजन में हुये व्यय सहित जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में आयोजित इन्वेस्टर मीट में कहां-कहां, कितनी-कितनी राशि के M.O.U पर हस्ताक्षर/करार हुये, स्थान अनुसार एवं करार की राशि सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध कराई गई जानकारी से कितने करारों पर कार्य प्रारंभ हो गया ? जानकारी उपलब्ध करायें ? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार इनमें से कितने करार निरस्त हुये, करार का नाम राशि निरस्ती के कारण सहित बतलावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने हेतु जबलपुर में इन्वेस्टर्स मीट दिनांक 15-16 फरवरी 2008 तथा संभागीय सम्मेलन दिनांक 24 फरवरी 2008 को आयोजित किये गये । दोनों आयोजनों में क्रमश: राशि रूपये 59.13 लाख तथा रूपये 51.54लाख व्यय हुये। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार उपलब्ध कराई गई जानकारी अनुसार आयोजित इन्वेस्टर मीट में हस्ताक्षरित करारों में से कुल 44 करारों में कार्य प्रांरभ हो गया है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है ।

<u>पाटन विधानसभा अन्तर्गत पुल निर्माण</u>

70. **(क्र. 1016) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2014 के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार कर, निर्माण कार्य इस वर्ष के बजट में सम्मिलित कर पुल निमार्ण कराये जाने का निर्णय बजट अनुसार कराये जाने का उल्लेख किया था, तो उपरोक्त निर्माण कार्य में हुई प्रगति से अवगत करावें ? (ख) क्या यह सही है, कि मझौली तहसील अन्तर्गत लमकना से पोंडा तिराहा मार्ग पर आलासर सिमरिया में स्थित रपटे की ऊंचाई कम होने की वजह से वर्षाकाल में अधिकांश समय इस मार्ग पर आवागमन बाधित रहता है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में यदि हां, तो क्या शासन जनहित में उक्त रपटे की ऊॅंचाई बढ़ाने हेतु क्या कोई योजना बनावेगा ? उक्त रपटे को कब तक ऊँचा कर दिया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । वर्तमान में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है । (ख) जी हॉ । (ग) वर्तमान में कोई योजना नहीं है । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

उपयंत्रियों के स्थानांतरण के संबंध में

71. **(क्र. 1021) श्री सतीश मालवीय :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि पिछले चार वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा 10 वर्ष की सेवा एक ही संभाग में पूर्ण किये उपयंत्रियों के स्थानांतरण किये गये ? यदि हॉ, तो उनकी संख्या बतायें ? (ख) क्या यह सच है कि (क) अनुसार स्थानांतरित उपयंत्रियों में से अनेक उपयंत्रियों के स्थानांतरण पुन: उसी संभाग में कर दिये गये या निरस्त किये गये ? यदि हॉ, तो क्या कारण है कि नीति अनुसार स्थानांतरित उपयंत्रियों के स्थानांतरण निरस्त किये गये या उसी संभाग में पुन: स्थानांतरित किये गये ? उनके नाम एवं कारण बतायें ? (ग) क्या यह सच है कि लोक निर्माण विभाग अंतर्गत सेतु निगम में जिला उज्जैन में पदस्थ एक कार्यपालन यंत्री को सहायक प्रबंधक से पदोन्नति तक अपनी पूर्ण सेवाकाल के दौरान एक ही स्थान/जिला/विभाग की एक ही शाखा (उच्च शिक्षा का सेवाकाल छोड़कर) में पदस्थ है ? यदि हॉ, तो उसका नाम एवं पूर्ण सेवाकाल में एक ही स्थान पर एक ही शाखा में पदस्थगी का कारण बतायें एवं उसे कब तक स्थानांतरित किया जावेगा ? यदि नहीं तो कारण बतायें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हां । कुल 283 उपयंत्री । (ख) जी हां प्रशासनिक कारणों से जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार । (ग) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वृक्षारोपण एवं फेंसिंग का कार्य दिया जाना

72. **(क्र. 1022) श्री सतीश मालवीय :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन जिले की नौलखी बीड़ एवं पिपल्याबीछा में विगत 05 वर्षो में किस-किस मद से, किस-किस सेक्टर वृक्षारोपण एवं फेन्सिग का कितना कार्य किया गया ? (ख) उक्त वृक्षारोपण एवं फेन्सिग कार्य में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? वर्षवार एवं मदवार बतायें ? इसमें समिति द्वारा व्यय की गई राशि भी पृथक से बतलाई जावें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित पौधों में से कितने पौधे जीवित हैं ? जीवित पौधों पर कितनी राशि का व्यय किया गया है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है।

परिशिष्ट -''उन्नचास''

नगरीय निकायों में नियुक्त दैनिक वेतन भोगियों को भुगतान

73. **(क्र. 1026) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थित नगर परिषद मांडव एवं धामनोद में कितने कर्मचारी मस्टर पर किस अवधि से नियुक्त किये गये हैं, बतावें ? परिषदों में नियुक्त कितने कर्मचारियों को बैंक खातों के माध्यम से तथा कितनों को नगद भुगतान किया जाता है ? कर्मचारीवार जानकारी दी जावें ? (ख) मस्टर पर नियुक्त कर्मचारियों को सौंपे गये दायित्वों का कितना पालन किया जा रहा है, तथा उनहें कितना वेतन/मानदेय प्रतिमाह दिया जा रहा है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

<u>जिले के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों की जानकारी</u>

74. **(क्र. 1061) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 अप्रैल 2012 से प्रश्न दिनांक तक भिण्ड जिले में ऐसी कितनी सड़कें/भवन हैं, जिनके निर्माण का ठेका ठेकेदार/फर्म ने लिया है और निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया ? ऐसे ठेकेदारों/फर्मों की सूची, सड़कों/भवनों का नाम, कितना काम किया व कितना अधूरा छोड़ दिया तथा कितना-कितना भुगतान प्राप्त किया की जानकारी वर्षवार दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत निर्माण कार्य बीच में अधूरा छोड़ने वाले ठेकेदारों/फर्मों के खिलाफ क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक विभाग द्वारा की गयी है ? क्या ऐसे ठेकेदारों/फर्मों को ब्लेक लिस्टेड किया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या उक्त निर्माण कार्यों की बढ़ी हुई लागत उस ठेकेदार/फर्म से वसूल की जायेगी ? अगर हां तो कितनी-कितनी ? सड़कें/भवन वार, राशिवार, वर्षवार जानकारी दें ? अगर नहीं तो क्यों ? (घ) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या यह जांच भी करायी गयी है कि ऐसे ठेकेदार नाम बदल कर या अपने परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर ठेकेदारी तो नहीं कर रहें हैं ? यदि जांच नहीं की गयी है तो क्यों ? क्या ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ राज्य शासन कानूनी कार्यवाही करेगा (जिससे वे विकास में रोड़ा न बने) ? अगर हां तो कब तक ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) विवरण संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार । (ख) विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार । (ग) जी हॉ, रिस्क एण्ड कास्ट पर दूसरी एजेन्सी नियत होने पर बढ़ी हुई लागत का निर्धारण संभव होगा । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) संलग्न प्रपत्र के स्तंभ 13 अनुसार । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -''पचास''

<u>गबन के आरोपी का न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद भी नियम विरूद्ध उसी निगम में पदस्थापना</u>

75. **(क्र. 1062) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या नगर पालिक निगम, सतना में 14 लाख रूपये की राशि का गबन हुआ था ? अगर हां, तो कब ? उस गबन में किस-किस नाम/पदनाम को आरोपी बनाया गया था ? (ख) प्रश्नांश (क) में हुये गबन के आरोपियों के विरूद्ध आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने चालान प्रस्तुत किया है ? अगर हां, तो कब एवं कहां ? (ग) क्या उक्त गबन के आरोपियों में से एक आरोपी को पुन: सतना नगर पालिक निगम में पदस्थ किया गया है ? अगर हां, तो कब एवं किस पद पर ? (घ) क्या जिस आरोपी के विरूद्ध चालान ईओडब्ल्यू ने प्रस्तुत किया, उसे उसी संस्था में पुन: पदस्थ किया जाना अवैधानिक है ? क्या राज्य शासन उक्त आरोपी को पुन: निलंबित कर मूल विभाग में वापिस भेजेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ? कारण एवं नियमों की एक प्रति दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) वर्ष 1996-97 में गबन के आरोप में श्री रामप्रसाद वर्मा, कैशियर, श्री रामकृष्णा गुप्ता, सहायक कैशियर, नगर निगम, सतना एवं प्रकरण में लापरवाही बरतने के आरोप में श्री शिवशंकर तिवारी] लेखापाल, नगर निगम, सतना एवं लवकुश सिंह बघेल, लेखा अधिकारी, नगर निगम, सतना (स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर) को आरोपित किया गया था। (ख) जी हॉ। दिनांक 30.05.2001 को न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 728/2001 व्दारा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना के न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया था। (ग) जी हॉ। विभाग के आदेश क्रमांक

एफ 4-20/2012/18-1 दिनांक 04.02.2012 व्दारा श्री लवकुश सिंह बघेल, लेखा अधिकारी को महापौर के निज सचिव के पद पर पदस्थ किया गया है । (घ) जी नहीं। जी नहीं। म0प्र0 नगर पालिक निगम (अधिकारियों तथा सेवकों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्ते) नियम, 2000 के उपनियम (4) (2) के प्रावधान अनुसार मेयर (महापौर) के निज सचिव के पद पर नियुक्ति ¼पदस्थापना½ मेयर की सहमति से किये जाने का प्रावधान है । इस नियम के परिपेक्ष्य में मेयर व्दारा श्री लवकुश सिंह बघेल की निज सचिव पद पर पदस्थापना किये जाने संबंधी मांग के आधार पर प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर में अंकित आदेश से पदस्थापना की गई है । पदस्थापना नियमानुसार होने से किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । नियम की प्रति संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट -''इक्यावन''

<u>लंबित जांच का पूरी न होना</u>

76. **(क्र. 1077) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 (1) के तहत 1990 के पूर्व राजपत्र में प्रकाशित संशोधित अधिसूचना एवं वन विभाग द्वारा वर्ष 2003, वर्ष 2009 एवं वर्ष 2011 में जारी आदेश, निर्देश के बाद भी धारा 5 से 19 तक की लंबित जांच प्रश्नांकित तिथि तक भी पूरी नहीं की जा सकी हैं ? (ख) यदि हां,तो मध्यप्रदेश के राजपत्र में किस दिनांक को प्रकाशित अधिसूचना के तहत किस जिले के किस अनुविभागीय अधिकारी को कितने वनखण्डों में शामिल कितनी जमीनों की धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारी बनाया गया ? (ग) धारा 5 से 19 तक की जांच हेतु लंबित भूमियों को भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 29 के तहत किस दिनांक को राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर संरक्षित वन भूमि अधिसूचित किया यह जमीनें राजस्व अभिलेखों में किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक और निस्तारी प्रयोजनों के लिए दर्ज भूमि रही हैं ? (घ) धारा 5 से 19 तक की जांच एवं कार्यवाही कब तक पूरी होगी समय सीमा सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हां । (ख) एवं (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । अधिसूचित वनभूमियों में सम्मिलित भूमियों के राजस्व मद एवं नोईयत की जानकारी वन प्रबन्धन हेतु आवश्यक नहीं होने से इनका संधारण वन विभाग द्वारा नहीं किया जाता है । (घ) विभिन्न स्वरूप के नियमित दायित्वों के साथ-साथ अतिरिक्त कार्य के रूप में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी की हैसियत से अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत वन व्यवस्थापन की कार्यवाही की जा रही है । अत: समय सीमा बताया जाना सम्भव नहीं है ।

<u>लघु वनोपज से संबंधित प्रचलित प्रावधान</u>

77. **(क्र. 1078) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लघु वन उपज के संबंध में संविधान की 11वीं अनुसूची, पेसा कानून 1996 एवं वन अधिकार कानून 2006 में क्या-क्या प्रावधान दिए गए हैं ? इनमें से किस-किस प्रावधान में वन विभाग को किस लघु वन उपज के वन अपराध पंजीबद्ध करने, लघु वन उपज जप्त और राजसात करने, लघु वन उपज का प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के क्या-क्या अधिकार एवं क्या-क्या छूट दी गई है ? (ख) जनवरी 2008 से लागू वन अधिकारी कानून 2006 से प्रश्नांकित तिथि तक जबलपुर एवं बैतूल वनवृत में किस-किस लघु वनोपज के

किस दिनांक को किस धारा में वन अपराध पंजीबद्ध किए इनमें से किस प्रकरण को किस दिनांक को किस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ? (ग) जनवरी 2008 से प्रश्नांकित तिथि तक लघु वन उपज के संबंध में वन विभाग ने किस दिनांक को अधिसूचना, आदेश, निर्देश, परिपत्र जारी किए हैं ? प्रति सहित बतावें ? यदि जारी नहीं किए हों तो कारण बतावें ? (घ) लघु वन उपज पर अधिकार, नियंत्रण एवं प्रबंधन पंचायती राज व्यवस्था को सौंपे जाने के संबंध में वन विभाग कब तक क्या-क्या कार्यवाही करेगा समय-सीमा सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । प्रश्नाधीन अधिनियमों में लघु वनोपज के वन अपराध के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) विनिर्दिष्ट वनोपजों-तेन्दूपत्ता, सालबीज एवं कुल्लू गोंद को छोड़कर शेष समस्त लघु वनोपजों का संग्रहण एवं व्यापार नियंत्रण मुक्त होने तथा पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधान आरक्षित संरक्षित वन क्षेत्रों पर लागू नहीं होने से इस क्षेत्रों में लघु वनोपजों का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था को सौंपे जाने के संबंध में वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने अथवा समय-सीमा बताने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

<u>नारंगी क्षेत्र इकाई का गठन</u>

78. **(क्र. 1079) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नारंगी क्षेत्र इकाई जबलपुर, मण्डला एवं बैतूल का 1996 में किन उद्देश्यों के लिए गठन या स्थापना की गई ? इसमें से किस इकाई को किस दिनांक को बंद किया ? किस इकाई को किन कारणों से प्रश्नांकित तिथि तक भी बंद नहीं किया गया ? (ख) किस इकाई के कितने राजस्व ग्रामों की किन-किन मदों एवं किन-किन सार्वजनिक और निस्तारी प्रयाजनों के लिए दर्ज कितनी जमीनों को प्रारम्भिक सर्वे में शामिल किया ? इनमें से कितने ग्रामों की समस्त वन भूमि किस अधिसूचना के द्वारा वन विभाग ने किस दिनांक को डीनोटीफाईड की ? इन जमीनों को नारंगी भूमि किस प्रावधान के तहत माना गया ? (ग) नारंगी भूमि के संबंध में भारतीय वन अधिनियम 1927, फॉरेस्ट मैनुअल एवं वन संरक्षण कानून 1980 में क्या प्रावधान है ? माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनांक को किन जमीनों को नारंगी भूमि माने जाने का आदेश दिया है ? (घ) याचिका क्रमांक 202/95 में दिनांक 12 दिसम्बर 1996 को दिए आदेश के बाद भी बड़े झाड़ के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल, पहाड़ चट्टान, घांस, चरनोई आदि मद में दर्ज जमीनों को नारंगी भूमि मानकर सर्वे किए जाने, वनखण्ड बनाए जाने, वर्किंग प्लान में सम्मिलित किए जाने का क्या कारण रहा है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नाधीन नारंगी क्षेत्र इकाईयों का गठन असीमांकित संरक्षित वनक्षेत्र (नांरगी क्षेत्र) के सर्वेक्षण तथा राजस्व क्षेत्र के ऐसे खसरों, जिनमें अच्छी श्रेणी के वन उपलब्ध हैं, का सर्वेक्षण, सीमांकन कर प्रबन्धन हेतु वनखण्ड बनाने के लिये किया गया था। कार्य पूर्ण न होने के कारण इन इकाईयों को बन्द नहीं किया गया है । (ख) बैतूल इकाई द्वारा 1299 ग्रामों की 1,39,669.84 हेक्टेयर राजस्व भूमि, जबलपुर इकाई द्वारा 44 ग्रामों की 923.80 हेक्टेयर राजस्व भूमि प्रारंभिक सर्वे में सम्मिलित की गई। मण्डला इकाई द्वारा किसी भी ग्राम की कोई राजस्व भूमि सर्वे में शामिल नहीं की गई। सम्मिलित उक्त सभी राजस्व भूमियॉ राजस्व अभिलेखों में मुख्यतः बड़े झाड़ का जंगल, छोटे झाड़ का जंगल, पहाड़

चट्टान आदि मदों में दर्ज रही हैं । इनमें से किसी भी ग्राम की भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत घोषित समस्त वनभूमि को डिनोटिफाईड नहीं किया गया है । सर्वे में सम्मिलित राजस्व भूमियों को नारंगी भूमि नहीं माना गया है । (ग) वन विभाग के मानचित्रों में नारंगी रंग से दर्शाये असीमांकित संरक्षित वन को भारतीय वन अधिनियम, 1927, फॉरेस्ट मैनुअल एवं वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के समस्त संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में सिविल याचिका क्रमांक 202/95 मे नारंगी भूमि माने जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किया है । (घ) उत्तरांश "ग" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बैतूल जिले में की जा रही जांच एवं कार्यवाही

79. **(क्र. 1080) श्री निशंक कुमार जैन :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि परि. अता. प्रश्न क्रमांक 1433 दिनांक 01 मार्च, 2006 में बैतूल जिले में बताई गई वन भूमियों की जांच वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जुलाई 2014 से की जा रही है ? (ख) यदि हां, तो बैतूल वनवृत कार्यालय को जुलाई 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक वनभूमि से संबंधित किस दिनांक को वन मुख्यालय का पत्र प्राप्त हुआ, किस दिनांक को किस निर्वाचित जनप्रतिनिधि का पत्र प्राप्त हुआ, किस दिनांक को श्री अनिल गर्ग कोठी बाजार बैतूल एवं श्री कल्लूसिंह उइके मटन मार्केट के पास बैतूल का पत्र प्राप्त हुआ ? (ग) बैतूल जिले में जुलाई 2014 से की जा रही जांच के दौरान प्रश्नांकित तिथि तक कौन-कौन सी गड़बड़ियां, धांधलियां, गलतियां वनमंडल और वनवृत और वनवृत कार्यालय की जानकारी में आई है उन्हें सुधारे जाने हेतु वनवृत बैतूल ने क्या-क्या अनुशंसा एवं क्या-क्या प्रस्ताव किस दिनांक को प्रेषित किए हैं ? (घ) बैतूल जिले में संरक्षित वन, असीमांकित वन एवं नारंगी वन भूमि, न्यायालय द्वारा परिभाषित वन भूमि को लेकर वर्तमान में की जा रही जांच कब तक पूरी कर ली जावेगी ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी नहीं । अपितु परि.अता. प्रश्न क्रमांक 1433 दिनांक 01.03.2006 के सम्बन्ध में बैतूल जिले में अभिलेखों में दर्ज वनभूमियों के आंकड़ों के परीक्षण/मिलान की कार्यवाही की जा रही है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों के मिलान में कोई धांधली या जानबूझकर की गई गड़बड़ी प्रकाश में नहीं आई है, अपितु आंकड़ों के मिलान में यह पाया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा सर्वेक्षण के लिये सौंपी गई सूची में शामिल छोटे-बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमियों के आंकड़ों को भी नारंगी वन के रूप में दर्शाया गया था। इसके अतिरिक्त निर्वनीकृत भूमियों के रकबे को गणना करते समय संज्ञान में नहीं लिया गया था । उक्त त्रुटि प्रकाश में आने पर नारंगी वनभूमियों के आंकड़ों से छोटे-बड़े झाड़ के जंगल एवं निर्वनीकृत वनभूमि केआंकड़ों को अलग करने की कार्यवाही की जा रही है । इस हेतु किसी प्रस्ताव अथवा अनुशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है । (घ) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में कोई जॉच प्रचलित नहीं है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छतरपुर वन वृत्त में संयुक्त वन प्रबंधन समितियां

80. **(क्र. 1103) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर वनवृत्त के किस वनमंडल में कितनी संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों को वनों की सुरक्षा, अग्नि से सुरक्षा मद की कितनी राशि वर्ष, 2011-12 से प्रश्नांकित तिथि तक प्रदान की गईं ? इसमें से कितनी राशि समितियों

के विकास खाते में जमा करवाई गई, कितनी राशि समिति खाते में जमा करवाई गई ? (ख) म.प्र. शासन के किस कानून, किस नियम, किस संकल्प किस आदेश, किस निर्देश के अनुसार वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा कार्य के बदले मानदेय का निर्धारण किया जाकर मानदेय का भुगतान किए जाने का अधिकार या छूट किस-किस को प्रदान की गई है ? (ग) म.प्र. शासन वन विभाग के द्वारा जनवरी, 2012 में वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि समितियों के विकास खाते में जमा करवाए जाने बावत् क्या निर्देश दिए ? इसमें वनों की सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा की राशि समिति खाते में जमा करवाए जाने के क्या-क्या अधिकार एवं छूट मुख्य वन संरक्षक या वनमंडलाधिकारी को प्रदान की गई है ? (घ) वर्ष, 2014 के जनवरी से अक्टूबर माह तक किस वनमंडल की कितनी समितियों ने कितने चौकीदारों एवं अग्नि सुरक्षा करने वालों को मानदेय के आधार पर कितनी राशि का भुगतान किया है ? इस भुगतान को लेकर वनमंडल ने कितनी समितियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं की, तो कारण बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । **(**ख) प्रश्नांकित अधिकार किसी को प्रदान नहीं किया गया है । **(**ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । **(**घ) जानकारी संलग्न 'स' अनुसार है । समितियां स्वविवेक से समिति खाते से राशि का आहरण एवं भुगतान करने के लिए स्वतंत्र हैं। अत: समितियों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

परिशिष्ट -''बावन''

<u>**प्रश्नकर्ता द्वारा लिखे गए पत्र**</u>

81. **(क्र. 1104) श्रीमती रेखा यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के द्वारा 1 सितम्बर 2014 से प्रश्नांकित तिथि तक किस दिनांक को किस विषय में लिखा गया पत्र मुख्य वन संरक्षक छतरपुर एवं वनवृत के अंतर्गत आने वाले किस वनमंडल को किस दिनांक को प्राप्त हुआ ? (ख) प्रश्नकर्ता के द्वारा किस दिनांक को लिखे गए पत्र में चाही गई कौन-कौन सी जानकारी प्रश्नकर्ता को किस दिनांक को उपलब्ध करवाई गई कौन-कौन सी जानकारी किन-किन कारणों से प्रश्नकर्ता को प्रश्नांकित तिथि तक भी उपलब्ध नहीं करवाई गई ? (ग) छतरपुर वनमंडल और उसके अंतर्गत आने वाली संयुक्त वन प्रबंधन समितियों ने वर्ष 2011-12 से 2013-14 की अवधि में कितनी लागत की कौन-कौन सी सामग्री, कितना गौण खनिज किस-किस से क्रय किया इस पर वेट कर की कितनी राशि काट कर किस दिनांक को जमा करवाई गई ? (घ) उपरोक्त अवधि में क्रय सामग्री पर वेट कर काट कर जमा न करवाए जाने का क्या कारण रहा है इसके लिए शासन किसे जिम्मेदार मानता है पद व नाम सहित बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । (ग) प्रश्नांकित वनमण्डल एवं अधीनस्थ परिक्षेत्र स्तर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब' अनुसार है । छतरपुर वनमण्डल के अंतर्गत वन प्रबंधन समितियों द्वारा प्रश्नांकित अवधि में क्रय सामग्री एवं गौण खनिज की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । वेट अधिनियम, 2002 की धारा 26 (1) के तहत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को वेट वसूल कर जमा करने की बाध्यता नहीं है । (घ) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम एवं इसमें समय-समय पर किये गये संशोधनों की पूर्ण जानकारी नहीं होना, वेट न काटने का कारण रहा। अधिनियम मे आवश्यक वैधानिक प्रावधान होने से शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उपयंत्री से लेकर प्रमुख अभियंता के स्वीकृत पद

82. **(क्र. 1175) श्री जितू पटवारी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत म.प्र. में उपयंत्री से लेकर प्रमुख अभियंता के कितने पद स्वीकृत हैं ? इन स्वीकृत पदों के विरूद्ध कितने अभियंता कार्यरत है एवं कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं ? (ख) कार्यरत अभियंताओं में से कितने अभियंता वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में पदस्थ हैं ? इनकी जानकारी नाम, पद एवं संलग्न विभाग सहित देवें ? (ग) वर्तमान में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो-जो योजनाऐं/ कार्य चलन में हैं, उसके अनुपात में कार्यरत स्टाफ हैं अथवा कमी हैं ? यदि कमी है, तो शासन इसकी पूर्ति हेतु क्या प्रयास कर रहा है ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) 2676 पद स्वीकृत । कार्यरत 2105 जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार । (ख) 261, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- ब अनुसार । (ग) जी नहीं । कमी की पूर्ति हेतु सीधी भर्ती एवं पदोन्नति की कार्यवाही प्रचलित है ।

केन्द्र सरकार द्वारा नदियों की सफाई के लिये दिया गया आवंटन

83. **(क्र. 1176) श्री जितू पटवारी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा नदियों की साफ सफाई एवं उनके संरक्षण हेतु योजना अंतर्गत राज्य शासन को अनुदान प्रदान किया जाता है ? (ख) यदि हां तो विगत 5 वर्षों में केन्द्र सरकार द्वारा कौन-कौन सी नदियों की सफाई हेतु योजना वार कितनी-कितनी राशि राज्य शासन को आवंटित की है, तथा राज्य शासन द्वारा योजना अनुसार कितनी-कितनी राशि इन पर खर्च की है ? मदवार बतावें ? (ग) इंदौर स्थित खान/सरस्वती नदी की साफ सफाई एवं संरक्षण हेतु राज्य शासन की क्या योजना है । इस योजना पर राज्य सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई है ? जानकारी देवें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनसुार है ।

परिशिष्ट -''तिरपन''

सी.सी. रोड पर पुन: डामरीकरण किया जाना

84. **(क्र. 1178) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य हे कि सीहोर बस स्टेण्ड से गुरूद्वारा पुराना भोपाल-इंदौर मार्ग पर वर्ष 2013 में सी.सी. रोड बनवाई गई थी ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांकित मार्ग की निर्माण लागत राशि कितनी थी तथा क्या विभाग ने मार्ग स्वयं निर्माण कराया था अथवा किसी अन्य एजेन्सी के माध्यम से सीमेंटीकृत सड़क मार्ग बनवाया था ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सी.सी. रोड पर अक्टूबर-नवंबर 2014 में प्रश्नांकित मार्ग पर लो.नि.वि. ने डामरीकरण कर नवीन निर्माण कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो डामरीकरण पर कितनी राशि व्यय हुई ? (घ) जब प्रश्नांकित मार्ग वर्ष 2013 में सीमेंटीकृत कर बनाया गया था तब पुन: वर्ष 2014 में उस पर डामरीकरण करने का क्या औचित्य है तथा उक्त अपव्यय के लिये कौन-कौन अधिकारी दोषी है, तथा जांच कराकर दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । (ख) लागत रूपये 97.67 लाख । निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित कर एजेन्सी के माध्यम से करवाया गया । (ग) जी नहीं । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश 'ग' अनुसार, प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित ही नहीं होता ।

आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण

85. **(क्र. 1179) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल के मालवीय नगर स्थित भूखण्ड क्रं. 113 पर क्या व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नगर निगम भोपाल द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो अनुमति कब व किस सक्षम अधिकारी ने दी है ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि प्रश्नांकित भूखण्ड आवासीय क्षेत्र में स्थित है ? तथा राजस्व/नजूल विभाग/नगर निगम भोपाल ने भूखण्ड के अग्रभाग में किचन गाईड के रूप में 30 फिट जगह रिक्त रखने पर ही लीज पर भू-स्वामी को भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान निर्धारित था ? (ग) यदि हां, तो क्या भू-स्वामी ने उक्त नियमों का पालन किया है ? यदि नहीं, तो आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक निर्माण पर नगर निगम ने क्यों नहीं रोक लगाई ? (घ) अब कब तक प्रश्नांकित अनुमति रद्द की जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) जी नहीं । वस्तुस्थिति यह है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक 2150/611/32/1/84 दिनांक 05-06-85 के व्दारा मालवीय नगर स्थित भूखण्ड क्रमांक 129 से 144 तक का उपयोग आवासीय के स्थान पर आवासीय एवं वाणिज्यिक कर दिया गया जिसमें प्रश्नाधीन भूखण्ड भी शामिल है । नगर निगम व्दारा उक्त भूखण्डों के अग्र भाग में किचन गार्डन के रूप में 30 फीट जगह लायसेंस पर दी गई थी। उक्त भूमि में से 15 फीट चौडाई की भूमि मार्ग विस्तार हेतु तथा शेष 15 फीट चौडाई की भूमि का उपयोग परिर्वतन किये जाने हेतु वर्ष 1988 में प्रशासक, नगर निगम व्दारा नीति का निर्धारण किया गया था । (ग) भूखण्ड क्रमांक 113 के भू-स्वामी को निर्माण करने की अनुमति नहीं दी गई। अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) उपरोक्तानुसार प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

सदन में दिये गये आश्वासन की पूर्ति

86. **(क्र. 1180) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि दिनॉक 27 जुलाई, 2010 के तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 2280) पर सदन में हुई चर्चा के दौरान मा. मंत्री जी ने संबंधित विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को दो माह में नियमित किये जाने का आश्वासन दिया था ? (ख) यदि हॉ, तो संबंधित विभाग ने आश्वासन की पूर्ति हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? अवगत करावें ? (ग) यदि प्रश्न दिवस तक भी दै.वे.भो. कर्मचारी नियमित नहीं हुए है, तो विभाग किन पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) विभाग द्वारा गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 05-02-2011 को आयोजित की गई, जिसमें राजधानी परियोजना प्रशासन, भोपाल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण के संबंध में विचार किया गया। समिति द्वारा पात्र पाये गये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु की गई अनुशंसा अनुसार पात्र 45 कर्मचारियों का नियमितीकरण किया गया। अधीक्षण यंत्री, राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल द्वारा दिनांक 3-3-2011को संबंधितों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं। (ग) उत्तरांश "ख" के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**अवैध पशुपालन किया जाना**</u>

87. **(क्र. 1181) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि भोपाल नगर निगम अंतर्गत शहरी क्षेत्र में पालतू पशुओं (गाय, भैंस) का पालना निषेध किया गया है ? (ख) यदि हां, तो टी.टी. नगर क्षेत्र के मातामंदिर के शासकीय आवासों आई 51 एवं 52 की लाईन के मध्य कतिपय व्यक्तियों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर अवैध पशुपालन, पशुप्रजनन केन्द्र व भूसे की टाल चलाये जा रहे हैं ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अवैध संचालन के कारण उक्त क्षेत्र में गंभीर बीमारियों, मलेरिया, डेंगू आदि की मरीजों की संख्या में वर्ष, 2014 में भयंकर बढ़ोत्तरी हुई है ? (घ) नगर निगम भोपाल में रहवासियों द्वारा कई बार शिकायतें की हैं, तथा नगर निगम के अधिकारियों के बार-बार निरीक्षण के बाद भी अवैध पशुपालकों के विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) जी हॉ । परन्तु प्रश्नाधीन अवैध कब्जे के अतिक्रमण एवं भूसे की टाल को दिनांक 11-11-14 को हटा दिया गया है, तथा अवैध रूप से शासकीय आवासों में पाले गये पशुओं को कांजी हाउस में बन्द करा दिया गया है । (ग) जी नहीं । (घ) उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>**छिन्दवाड़ा के नगर पालिका दमुआ के वार्ड 18 को पृथक किया जाना**</u>

88. **(क्र. 1184) श्री नथनशाह कवरेती :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जुन्नारदेव, जिला छिंदवाड़ा के अंतर्गत नगर पालिका दमुआ के वार्ड क्रमांक 18 को नंदौरा, लुक्काढ़ाना, चिमिनीढ़ाना, डुंडमंगल को नगरपालिका से पृथक करने की कार्यवाही शासन स्तर पर लंबित है ? (ख) क्या यह भी सही है कि प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीणों को रोजगार गांरटी, कपिलधारा, बलराम किसान योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है ? (ग) यदि हां तो प्रश्नकर्ता एवं जनप्रतिनिधियों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए नगरपालिका से पृथक कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी नहीं। (ख) जी हां। नगरीय क्षेत्र में प्रश्नांकित योजनाएं लागू नहीं है । (ग) उत्तरांश ''क'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**उप संभाग लांजी में नाबार्ड योजना से स्वीकृत रोड़**</u>

89. **(क्र. 1230) सुश्री हिना लिखीराम कावरे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विषयांकित योजना द्वारा हल्बी टोला-बड़गांव-दहेटी-माटे- भालवा मार्ग पर स्वीकृत 273.56 लाख रूपये की राशि क्या पूरी तरह खर्च कर ली गयी है, तथा क्या इस मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है ? (ख) विषयांकित योजना से साडरा भानेगांव रोड़ हेतु स्वीकृत राशि 71.12 लाख रूपये साडरा-मनेरी रोड़ हेतु स्वीकृत 171.55 लाख रूपये, बोथली से बहेला मार्ग हेतु स्वीकृत 138.55 लाख रूपये तथा डुडवा से घाट टेमनी रोड हेतु 138.55 लाख रूपये पर कार्य की स्थिति, कार्य करने वाली फर्म तथा कार्यादेश का दिनांक तथा कार्य समाप्त करने की अनुमानित तिथि का भी उल्लेख करें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । जी नहीं । 14.60 कि.मी. में से 8.58 कि.मी. पूर्ण । (ख) विस्तृत जानकारी संलग्न प्रपत्र में है ।

परिशिष्ट -''चौवन''

<u>ए.वी. केनाल रोड (अम्बाह शाखा) का पुनर्निमाण</u>

90. **(क्र. 1233) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि A B केनाल रोड (अम्बाह शाखा नहर सड़क मार्ग) सबलगढ़ से A B रोड तक लगभग 70 किलोमीटर सड़क मार्ग को सिंचाई विभाग से लोक निर्माण विभाग में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की उपेक्षा का कारण क्या है ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क जौरा, सुमावली, सबलगढ विधानसभा के ग्रामीण अंचल के सैकड़ों गांव को जोड़ती है ? उक्त सड़क को मण्डी निधि द्वारा 10-15 वर्ष पहले बनाया गया बाद उसके उपरांत उक्त नहर सड़क का कोई भी ध्यान नहीं रखा गया ? वर्तमान स्थिति में उक्त सड़क पूर्ण तरह से क्षतिग्रस्त एवं जर्जर अनुपयोगी होकर दो-दो फीट के गड्ढे होने से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं ? (ग) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित सड़क जो उस क्षेत्र की एम.एस. रोड के बाद दूसरी प्रमुख ग्रामीण सड़क मार्ग है, का विगत वर्षों में कोई भी मरम्मत निर्माण नहीं किया गया है, जिससे यह सड़क पूरी तरह से अनुपयोगी हो गई है ? क्षेत्र के कई सैकड़ों ग्राम प्रधानमंत्री सड़क मार्ग A B केनाल मार्ग से जोड़े गये हैं ? उक्त सड़क जर्जर अनुपयोगी होने से उन ग्रामों को आवागमन की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ? (घ) क्या उक्त A B केनाल रोड (अम्बाह शाखा नहर मार्ग) को ग्रामीण, किसानों एवं आम जनता के आवागमन हेतु पुर्ननिर्माण कराया जावेगा ? यदि हां, तो क्या आगामी बजट में इस सड़क मार्ग को बनाने का प्रावधान किया जावेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । जानकारी संलग्न प्रपत्र में है । (ख) जी हॉ । जी नहीं । जी नहीं, नियमित संधारण (पेंच रिपेयर) का कार्य किया जा रहा है । (ग) जी नहीं । जी हॉ । जी नहीं, आवागमन सुचारू रूप से चालू है । (घ) प्रश्नांश के अनुसार मार्ग एम.डी.आर. योजना के उन्नतिकरण में प्रस्तावित है । जिले की उपलब्ध योजना सीमा सुनिश्चित होने पर कार्यवाही की जा सकेगी ।

परिशिष्ट -''पचपन''

<u>आस्था का केंद्र सतीमाता मंदिर की सड़क का निर्माण</u>

91. **(क्र. 1234) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जौरा विधानसभा क्षेत्र के आस्था के केंद्र सतीमाता मंदिर सरसेनी का सड़क का निर्माण लगभग 35 वर्ष पहले करवाया गया था ? जो वर्तमान में सड़क के अवशेष भी दिखाई नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो सड़क का रखरखाव क्यों नहीं किया गया ? क्या कारण रहा ? (ख) क्या यह सही है कि उक्त सड़क को बनवाने के बाद विभाग द्वारा कोई भी मरम्मत नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो मेंटेनेंस कब-कब किया गया ? और सत्यापन मूल्यांकन किन-किन अधिकारियों के द्वारा किया गया ? (ग) क्या यह भी सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा उक्त सड़क की प्रश्नांश (क) में वर्णित स्थिति से विभाग को कभी भी अवगत नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त सड़क की उपेक्षा के क्या कारण हैं ? (घ) जौरा विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरसेनी में सतीमाता मंदिर सड़क मार्ग क्षेत्र के आम जनता के आवागमन सुविधा हेतु पुन: बनवाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्ग पर कार्य कब तक आरंभ हो जावेगा ? समय-सीमा से अवगत करवाया जा सकेगा ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी नहीं । विभाग द्वारा वर्ष 1981 में मात्र 1 कि.मी. डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड 2 का कार्य किया था, जिस पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत पुन: निर्माण कर डामरीकरण किया गया । शेष 2 कि.मी. मिट्टी का मार्ग होने से रख-रखाव नहीं किया । (ख) जी हॉ क्योंकि मिट्टीक्रित मार्ग होने से मरम्मत कार्य नहीं किया जा सका । शेष प्रश्नांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) इस मार्ग के पुर्ननिर्माण हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2006 में प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रयास किये थे, किन्तु जिला योजना सीमा सीमित होने से स्वीकृत नहीं हो सका । (घ) विभागीय बजट में प्रस्तावित होने के उपरांत एवं जिला योजना सीमा सुनिश्चित होने के उपरांत ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

<u>विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य</u>

92. **(क्र. 1239) श्रीमती नंदनी मरावी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग सिहोरा एवं कुण्डम विकास खण्ड अंतर्गत 1 अप्रैल 2009 से प्रश्नांश दिनांक तक कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? वर्षवार सूची उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) सूची अनुसार कार्यो के आरंभ करने की एवं पूर्ण होने की क्या समय सीमा निर्धारित की गई ? कितने निर्माण कार्य पूर्ण हैं, एवं कितने अपूर्ण हैं, सूची उपलब्ध करावें ? अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जावेंगे ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', अ-1 एवं अ-2 अनुसार । (ख) जी हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं 'अ-1' अनुसार । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', 'अ-1' एवं अ-2 अनुसार ।

<u>इन्दौर नगर पालिक निगम सीमा में लगाये गये होर्डिंग</u>

93. **(क्र. 1248) श्री राजेश सोनकर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) इन्दौर नगर पालिक निगम सीमा के अन्तर्गत आने वाले होर्डिंग की स्वीकृति किस नियम के तहत दी जाती है ? इनमें से कितने होर्डिंग वैध व कितने अवैध हैं ? (ख) प्रश्नांक (क) के संबंध में इन्दौर शहर सीमा व सीमा में शामिल गॉवों में होर्डिंग की संख्या एवं कहॉं-कहॉ, किन-किन स्थानों पर होर्डिंग स्थापित है ? (ग) क्या शहर में लगने वाले अवैधानिक एवं खतरनाक होर्डिंग के संचालकों के खिलाफ नगर निगम ने कोई कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या इन अवैधानिक होर्डिंगों संचालकों पर कोई कार्यवाही की जावेगी ? (घ) नगर निगम इन्दौर के अन्तर्गत होर्डिंग संचालकों की विस्तृत सूची व होर्डिंग से निगम को क्या आय हो रही है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) नगर पालिक निगम इंदौर (विज्ञापन) उपविधियां 1976 के अंतर्गत । नगर पालिक निगम इंदौर की सीमा में शामिल किये गये गांवों में स्थित होर्डिंग के सर्वे की कार्यवाही गतिशील है । (ग) जी हॉ। होर्डिंग संचालकों के विरूद्ध रिमूव्हल की कार्यवाही करते हुए 929 अवैध होर्डिंग जप्त किये गयें है । (घ) होर्डिंग संचालकों की जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अनुसार है । स्वीकृत होर्डिंग से निगम को वर्ष 2013-14 में राशि रू. 346.98 लाख की आयु प्राप्त हुई है ।

वाहन क्रय पर व्यय

94. **(क्र. 1249) श्री राजेश सोनकर :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर पालिक निगम, इन्दौर में वर्ष 2010 से प्रश्न दिनॉक तक कितने वाहन प्रशासनिक निकाय के उपयोग के लिये खरीदे गये ? इन वाहनों पर निकाय द्वारा कितना खर्च किया गया ? (ख) क्या वाहनों के क्रय करने के लिये कोई ऋण लिया गया है ? यदि हॉ तो कहॉ से व कितना ? (ग) क्या वाहनों की खरीदी के लिये शासन/प्रशासन की स्वीकृति लेना अनिवार्य है ? यदि हॉ तो खरीदे गये वाहनों की स्वीकृति आदेश क्रमांक/दिनांक बताये ? क्या किसी प्रायवेट एजेन्सी/कम्पनी को क्रय किये गये वाहनों के संचालन/संधारण हेतु ठेका दिया गया है ? यदि हॉ तो कौन सी कम्पनी इन वाहनों का संचालन/संधारण कर रही है ? (घ) प्रश्नांक (क) के संबंध में निगम द्वारा कितने वाहन उक्त ऐजेन्सी को उपलब्ध कराये गये है ? व किस नियम के तहत बताये ? क्या कम्पनी उक्त सभी वाहनों से शहर में कचरा उठाने का कार्य कर रही है ? यदि हॉ तो कितने वाहनों से ? कम्पनी को दिये गये बाकी वाहनों से क्या कार्य कराया जा रहा है ? क्या इनमें कई वाहन खटारा होकर वर्कशॉप में ही पड़े है ? यदि हॉ तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) 45 । राशि रू. 5.37 करोड़। (ख) जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ग) शासन की स्वीकृति आवश्यक नहीं है । नगर निगम, इन्दौर के स्वीकृति आदेश क्रं. 680 दिनांक 10.01.2013, क्रं. 20 दिनांक 16.04.2013, क्रं. 2193 दिनांक 22.10.2013, क्रं. 456 दिनांक 28.02.2012, क्रं. 362 दिनांक 20.01.2012, क्रं. 363 दिनांक 20.01.2012, क्रं. 259 दिनांक 20.07.2012, क्रं. 337 दिनांक 30.08.2012, क्रं. 939 दिनांक 22.03.2013, क्रं. 450 दिनांक 07.08.2012, क्रं. 747 दिनांक 28.09.2012 । जी हॉ। मेसर्स केमएविडा इन्वीरो इंजीनियरिंग लिमिटेड पुणे, (महाराष्ट्र) । (घ) 04 वाहन (सीवर संक्शन कम जेटिंग मशीन) , सीवर संक्शन कम जेटिंग कार्य के संचालन एवं संधारण के लिए सम्पादित अनुबंध अनुसार। जी नहीं। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

बाजारों को ठेकों पर दिया जाना

95. **(क्र. 1256) पं. रमेश दुबे :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगरीय निकायों के क्षेत्रांतर्गत भरने वाले बाजारों को ठेके पर दिये जाने का किस विधि में क्या व्यवस्था है, तथा वर्तमान में म.प्र. शासन का कौन से आदेश निर्देश प्रभावशील है ? विधि व आदेश निर्देश की प्रति संलग्न करें ? (ख) छिंदवाड़ा जिले के नगरीय निकायों में कौन-कौन से बाजार भरते है तथा इनके ठेके किन-किन को किस-किस अवधि तक के लिए कब-कब दी गयी ? क्या प्रत्येक नगरीय निकायों के बाजार ठेकों के अनुबंध की शर्तें एक समान होती है अथवा अलग-अलग भी हो सकती हैं ? (ग) नगरपालिका चौरई, जिला छिंदवाड़ा में कौन-कौन से बाजार भरते हैं ? भरने वाले बाजारों का ठेका वर्तमान में किसको किस अवधि तक के लिए दी गयी है ? इनकी अनुबंध की शर्तें क्या होती है ? ठेकेदार के द्वारा इन बाजारों से संग्रहित की जाने वाली धनराशि के संबंध में शासनादेशों व नगरीय निकायों के आदेशों-निर्देशों की प्रति सहित पूर्ण विस्तृत ब्यौंरा दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) म.प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 160 में बाजारों को ठेके पर देने का प्रावधान है । धारा 160 की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । नगरीय निकायों के बाजार ठेकों के अनुबंध की शर्ते अलग-अलग हो सकती है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''स'' अनुसार है ।

सड़क निर्माण कराया जाना

96. **(क्र. 1257) पं. रमेश दुबे :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र- चौरई में कौन-कौन से सड़क निर्माण किस-किस मद से स्वीकृत है ? कौन-कौन सा मार्ग किस मद से कब से निर्माणाधीन है, तथा कौन सी सड़क निर्माण किस मद से प्रस्तावित है, जानकारी विकासखण्डवार दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में स्वीकृत, निर्माणाधीन सड़क की स्वीकृत धनराशि, निर्माण की अवधि, तथा प्रस्तावित सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु किस स्तर पर कब से लंबित है, की जानकारी दें ? यह भी जानकारी दें कि विगत 5 वर्षों में कौन-कौन सी सड़क निर्मित हुई, तथा उनके संरक्षण, मरम्मत आदि की जवाबदारी किस-किस एजेंसी की कितनी अवधि के लिए थी ? (ग) क्या यह सही है कि खमारपानी-लोधीखेड़ा मार्ग से खैरी घोराड़ सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कराये जाने का निवेदन पूर्व में प्रेषित सभी संदर्भ पत्रों का उल्लेख करते हुए पत्र क्रमांक 1695, दिनांक 23.8.2014 माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग, म.प्र. शासन को प्रस्तुत किया गया है ? (घ) यदि हां, तो उक्त सड़क निर्माण स्वीकृति हेतु कब से किस स्तर पर किन कारणों से लंबित हैं ? अभी तक सड़क निर्माण स्वीकृत नहीं होने के क्या कारण हैं ? कब तक लोक हित में स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जावेगा, समयसीमा बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं ब अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, ब एवं स अनुसार । (ग) जी नहीं, प्रश्नाधीन पत्र विभाग में अप्राप्त है । (घ) प्रश्नांकित मार्ग वर्ष 2014-15 के प्रथम अनुपूरक बजट में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित कार्यो की सूची में मांग संख्या-42 के अंतर्गत सरल क्रमांक-08 पर प्रस्तावित है । बजट में सम्मिलित होने पर प्रशासकीय स्वीकृति जारी होना संभव होगा । अत: समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

नेपानगर में वनविभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य

97. **(क्र. 1261) श्री राजेन्द्र श्यामलाल (राजू भैया) दादू :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नेपानगर विधानसभा क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक किस-किस स्थान पर, कितने-कितने हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया ? स्थानवार, वृक्ष संख्या एवं व्यय जानकारी बतावें ? (ख) उपरोक्त में से वर्तमान में किस-किस स्थान पर कितने प्रतिशत वृक्ष जीवित है ? स्थानवार जानकारी देवें ? (ग) उपरोक्त सत्यापन की जिम्मेदारी किस अधिकारी/संस्था को दी गई है ? संबंधितों द्वारा वृक्षों का सत्यापन किस-किस दिनांक को किया गया ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) से **(**ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार हैं।

मंत्रीगण के बंगलो की साज-सज्जा एवं मरम्मत

98. **(क्र. 1266) श्री आरिफ अकील :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के माननीय मंत्रीगण के बंगलों की साज-सज्जा मरम्मत के नाम पर शासन द्वारा राशि व्यय की गई है ? (ख) यदि हां, तो वर्ष 2006 से प्रश्न दिनांक की स्थिति में किस-किस माननीय मंत्री जी के बंगलों की किस-किस अवसर पर साज-सज्जा व मरम्मत के नाम पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई माननीय मंत्री जी का नाम बंगले का पता, वर्षवार बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं अ-1 अनुसार ।

लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 के अन्तर्गत भवनों को अवैध रूप से तोड़ा जाना

99. **(क्र. 1267) श्री आरिफ अकील :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 पश्चिम उप संभाग के अन्तर्गत बाबे अली व ताजमहल क्षेत्र में स्थित विभाग के भवन कब-कब, किस-किस विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों व अन्य को कब-कब (दिनांक सहित) आवंटित किए गए उनके नाम, पद व भवन का नम्बर/पता सहित बतावें ? (ख) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रश्नांकित भवनों में से किस-किस नम्बर के भवन पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय को हस्तांतरित किए है तथा कौन-कौन से भवन विभाग के आधिपत्य में है और उसमें कौन-कौन लोग कब-कब से निवास कर रहे हैं ? भवनों की अद्यतन स्थिति क्या है ? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में भवन क्रमांक टी-38/17, टी-38/18, टी-38/18 गिफ्ट की अद्यतन स्थिति क्या है और उक्त भवन मौके पर या यथा स्थिति में नहीं होने तथा अवैध रूप से तोड़ने वालों/बिल्डरों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराकर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हॉ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- अ अनुसार । (ख) पुरातत्व को उक्त सम्पूर्ण परिसर हस्तांतरित किया जा चुका है । अत: परिसर का कोई भी भवन विभाग के अधिपत्य में नहीं है । प्रश्नांश के शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। परिसर वर्तमान में पुरातत्व विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है । शेष विभाग से संबंधित नहीं। (ग) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में भवन क्रमांक टी-38/17, टी-38/18 किसी को गिफ्ट नहीं किया गया है, उक्त भवन पुरातत्व विभाग को हस्तांतरित करने की तिथि में रिक्त एवं सुरक्षित अवस्था में थे, आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक 3724, दिनांक 27.11.2014 द्वारा अवगत कराया गया है, कि ताजमहल भवन मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है।

भोपाल (डोबरा) बैरसिया पहुँच मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुल पुलियो का निर्माण

100. **(क्र. 1272) श्री विष्णु खत्री :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल (डोबरा) बैरसिया पहुँच मार्ग व्हाया ग्राम डोबरा, करोंदिया, धर्मरा, नलखेड़ा, बैरसिया पहुँच मार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है, तथा इस मार्ग पर कितने छोटे बडे पुल, पुलियों का निर्माण किया जाना अभी शेष है प्राक्कलन अनुसार प्रत्येक पुल, पुलियो की कितनी लागत आंकी गई है प्रत्येक का स्पष्ट विवरण देवें ? (ख) भोपाल बैरसिया मार्ग पर जनसंख्या के बढते दबाव को देखते हुये उक्त दूसरे (समानांतर मार्ग) भोपाल (डोबरा) बैरसिया पहुँच मार्ग के चौड़ीकरण/मरम्मत हेतु विभाग ने क्या कार्य योजना तैयार की है ? यदि हॉ, तो इसके चौड़ीकरण की कुल लागत अनुमानत: कितनी आवेगी ? (ग) क्या विभाग वर्ष 2014-15 में उक्त सड़क मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुल पुलियों के निर्माण के लिये सहमत है या वरिष्ठ कार्यालय से सहमति हेतु प्रकरण लंबित है ? यदि नहीं, तो कारण पूर्णत: स्पष्ट करें ? (घ) उक्त मार्ग के अंतर्गत लगने वाले लोकनिर्माण विभाग के प्रत्येक उपखण्ड, अनुविभाग एवं कार्यपालन यंत्री/अधीक्षण यंत्री के कार्यालय का नाम एवं उनके कार्यक्षेत्र की सीमा एवं इस मार्ग के संधारण हेतु पदस्थ समस्त स्टॉफ का नाम/पद देवें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) प्रश्नाधीन मार्ग की कुल लंबाई 43.60 कि.मी. है, पुलियाएँ पूर्ण हो चुकी है, कि.मी. 6/6 में एक वृहद पुल का निर्माण शेष है जो कि वर्तमान में किसी भी योजना में प्रस्तावित नहीं है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । (ग) वर्तमान में बजट में सम्मिलित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता । (घ) विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार ।

परिशिष्ट -''छप्पन''

बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में जंगल की सुरक्षा हेतु फेसिग एवं अन्य निर्माण कार्य

101. **(क्र. 1273) श्री विष्णु खत्री :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जंगल, नये पौधो की सुरक्षा एवं अन्य स्थानों पर वन विभाग द्वारा विगत 02 वर्षों में कितने किलोमीटर क्षेत्र में कंटीले लोहे के तारो की फेसिंग का कार्य किया गया है प्रत्येक कार्य/ग्राम/जंगलवार पूर्णत: स्पष्ट करें ? (ख) विभाग द्वारा विगत तीन वर्षों में किये गये निर्माण कार्यो एवं फेसिंग पर कितनी धन राशि व्यय की गई है इसमें से कितने निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके है एवं कितने पूर्ण होना बाकी है ? कार्यवार बतायें ? (ग) विभाग द्वारा 1.4.2014 के पश्चात कितने नये पौधो/वृक्षो का रोपण ग्रामवार किया गया है और इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ? मदवार/ग्रामवार बतायें एवं इनमें से कितने पौधे जीवित अवस्था में है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित क्षेत्र की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट- 'अ' अनुसार । **(**ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । **(**ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है ।

स्वीकृत ऋण प्रकरणों में अनुदान राशि का भुगतान

102. **(क्र. 1277) श्री के.पी. सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि उद्योग विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए स्व रोजगार योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ? योजनाओं की जानकारी दें ? (ख) शिवपुरी जिले में इन योजनाओं के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितने हितग्राहियों के प्रकरण स्वीकृत किए गए ? कितने हितग्राहियों को कितनी-कितनी अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है ? विकासखण्डवार सूची उपलब्ध करावें ? (ग) क्या उक्त हितग्राहियों को अनुदान राशि भुगतान न किये जाने के कारण ऋण प्रकरणों में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी हॉ। उद्योग विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लोगो के लिये तथा सामान्य वर्ग के लिये दिनांक 01/08/2014 से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्य मंत्री स्वरोजगार योजना क्रियान्वित की जा रही है । इसके पूर्व रानीदुर्गावती अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति स्वरोजगार योजना तथा दीनदयाल रोजगार योजना क्रियान्वित थी । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट अ अनुसार है । (ग) सभी प्रकरणो में अनुदान राशि का भुगतान यथा समय पर किया जा रहा है ।

<u>बड़ौदी औद्योगिक क्षेत्र एवं गुना चुंगी नाका स्थित औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन में अनियमितताऐं</u>

103. **(क्र. 1278) श्री के.पी. सिंह :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या यह सत्य है कि शिवपुरी जिला मुख्यालय स्थित बड़ौदी औद्योगिक क्षेत्र और गुना चुंगी नाका पर इंडस्ट्रियल एरिया बनाकर व्यापारी/उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन किया गया है ? यदि हॉ तो सूची उपलब्ध करावें ? इन औद्योगिक क्षेत्रों में प्रथमवार आवंटन के पश्चात् उद्योग स्थापित न करने पर कब-कब, किन-किन अन्य उद्योगपतियों को भूमि का आवंटन किया गया है ? किन-किन को उद्योग स्थापित न करने पर नोटिस जारी किए गए तथा किन-किन के भूमि आवंटन निरस्त किए गए हैं ? सूची उपलब्ध करावें ? किन आवंटितियों द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर को अपील की गई है ? (ख) क्या उद्योग स्थापित न करने वाले उद्योगपतियों को नोटिस देने के साथ-साथ ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा इन्हें भूमि आवंटित की गई है, के विरूद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ? (ग) वर्ष 2014 में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु आवंटित जमीनों के संबंध में की गई अनियमितताओं के संबंध में शासन/जिला प्रशासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? इन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? क्या किसी प्रकार की जॉच कराई गई है ? यदि हॉ तो जॉच के क्या निष्कर्ष निकले ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी, हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 ,2 एवं 3 अनुसार है । 51 इकाईयों को नोटिस जारी किये गये। 14 इकाईयों का आवंटन निरस्त किया गया । 3 इकाईयों द्वारा परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय ग्वालियर में अपील प्रस्तुत की गई। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 4, 5 एवं 6 अनुसार है । (ख) जी नहीं । (ग) वर्ष 2014 में उद्योग स्थापना हेतु आवंटित जमीन की अनियमितता के संबंध में शासन को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>इंदौर में सुपर कॉरीडोर का निर्माण</u>

104. **(क्र. 1285) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि इंदौर शहर में सुपर कॉरिडोर का निर्माण किया गया है ? यदि हॉ, तो सुपर कॉरिडोर में क्या-क्या योजनाएं प्रस्तावित है, योजनावार स्पष्ट करें ? (ख) क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) अनुसार प्रस्तावित योजनाओं का समय पर विकास नहीं हुआ है ? यदि हॉ, तो कब तक इन योजनाओं का विकास पूर्ण किया जाना था और अब कितना अतिरिक्त समय और लगेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) दिनांक 01 जनवरी, 2008 से लागू इंदौर विकास योजना, 2021 जिसे मास्टर प्लान के नाम से जाना जाता है, में सुपर कारिडोर का प्रावधान है । सुपर कारिडोर के तहत सड़क/निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है और इंदौर विकास प्राधिकरण ने योजना क्रमांक 151, 169-ए एवं 169-बी का अंतिम प्रकाशन कर क्रियान्वयन की कार्यवाही की है । योजनावार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) विकास योजना (मास्टर प्लान) शहर के सुनियोजित विकास की भावी योजना होती है, जिसके क्रियान्वयन के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

परिशिष्ट -''सत्तावन''

इंदौर के विद्यालयों में होस्टलों का संचालन

105. **(क्र. 1287) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य) :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि, इंदौर शहरी सीमा क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं के निवास हेतु होस्टल संचालित हो रहे हैं ? (ख) यदि हां, तो क्या संचालित होस्टलों के संचालकों द्वारा नियमानुसार पंजीयन किया गया है ? यदि हां, तो जिन होस्टलों के संचालकों द्वारा बिना अनुमति के संचालन किया जा रहा है, उनके विरूद्ध संबंधित विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जी हॉ । (ख) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 136 में वर्णित प्रावधानानुसार विद्यालय व उनके छात्रावास सम्पतिकर से मुक्त होने के कारण, पंजीयन की व्यवस्था नहीं है, शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

रिंगरोड बायपास रोड़ की जानकारी

106. **(क्र. 1294) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले के चारो ओर बनने वाले रिंगरोड़ का मास्टर प्लान किस स्तर पर है और यह कब तक लागू होगा ? (ख) उक्त रिंग रोड में कौन से ग्राम खसरा का अधिग्रहण किया जाना है ? ब्योरेवार जानकारी देवें ? (ग) छतरपुर जिले से निकलने वाले कितने बायीपास रोड प्रस्तावित है एवं उनके मास्टर प्लान किस स्तर पर है ? (घ) उक्त रोड़ कहॉ से कहॉ तक बनना है इसमें कौन-कौन से ग्राम खसरा भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ? ब्योरेवार जानकारी देवें ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) लोक निर्माण विभाग से संबंधित नहीं है । (ख) उत्तरांश-क के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होते । (ग) विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार । (घ) विवरण संलग्न प्रपत्र अनुसार ।

परिशिष्ट -''अट्ठावन''

नीलगायों से खडी फसलों को क्षति

107. **(क्र. 1295) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत नीलगायों से खडी फसल को नष्ट करने से रोकने के लिये क्या प्रावधान है ? (ख) उक्त वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 11 की उपधारा अ,ब के अंतर्गत नीलगायों द्वारा फसल हानि करने पर उनको मारने, आखेट करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती है ? (ग) विधानसभा क्षेत्र चन्दला में नीलगायों द्वारा फसलों के नष्ट किये जाने की शिकायतों पर से वनविभाग द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जा रहे है ? यदि नहीं, तो कब तक उठाये जायेगें ? (घ) नीलगायों से फसलों की सुरक्षा को लेकर ठकुर्रा वन क्षेत्र में तैयार किये जा रहे बाड लगाकर फेंसिंग कार्य की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जावेगी ? ताकि नीलगायों का जंगल बनने से नीलगाय और किसानों की फसल सुरक्षित हो सके उक्त कार्य पूर्ण कराने की समय सीमा बतावें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत नीलगायों से खड़ी फसलों की नुकसानी रोकने के लिये कोई प्रावधान नहीं है । वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 2 से 4 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी या उनके समूह को जो मानव जीवन या सम्पत्ति के लिये (जिनमें खड़ी फसल भी शामिल है) खतरा बन जाने पर इस अधिनियम की धारा 11 (1) (ख) के अंतर्गत आखेट की अनुमति का प्रावधान किया गया है । (ख) राज्य शासन द्वारा समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र की सीमाओं के भीतर फसल को नुकसान पहुंचाने वाली नीलगायों के लिये उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है । (ग) नीलगायों द्वारा फसल हानि के संबंध में वन विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 31.05.2000 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर नीलगाय के लिये धारा 11 (1) (ख) के प्रयोजनों हेतु अधिकृत किया है । मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत वन्यप्राणियों से फसलहानि करने पर राहत राशि के भुगतान हेतु यह सेवा क्रमांक 4.6 में फसल हानि के निर्धारण एवं भुगतान हेतु राजस्व विभाग को अधिकार दिए गये जिसके तहत प्रभावित कृषकों को 30 कार्य दिवस में राजस्व विभाग द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती है । (घ) प्रश्नाधीन क्षेत्र के गांव ठकुर्रा से लगे वन कक्ष को चेनलिंक फेंसिग से घेरने हेतु तैयार किया गया प्रस्ताव व्यवहारिक नहीं पाया गया। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>पौध रोपण पर व्यय राशि व रखरखाव</u>

108. **(क्र. 1299) श्री हर्ष यादव :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिलान्तर्गत वर्ष 2014 में वन विभाग द्वारा अभियान चलाकर किन-किन क्षेत्रों में किस-किस प्रजाति के कुल कितने पौधों का रोपण कराया गया है ? इस पौधरोपण में किस मद से किस-किस कार्य में कुल कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (ख) उक्त रोपित पौधों के संरक्षण/रख रखाव/सुरक्षा व सिंचाई हेतु किस मद से किन के द्वारा क्या-क्या व्यवस्था की गई है ? वर्तमान में रोपित पौधों में से कितने जीवित अवस्था में है ? संरक्षण व रखरखाव की व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण है ? (ग) देवरी विधान सभा क्षेत्र में वन परिक्षेत्रवार बतावें कि वर्ष 2014 में उक्त पौध रोपण अभियान में किन-किन क्षेत्रों में कहॉ-कहॉ रोपण कराया गया है, स्थान बतावें व व्यय राशि का विवरण दें ? साथ ही संरक्षण को लेकर क्या व्यवस्थायें की जाकर विभाग द्वारा कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ? इस राशि के व्यय का विवरण भी दें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । सामुदायिक एवं निजी भूमि में रोपित किये गये पौधों की प्रजातिवार संख्या उपलब्ध नहीं है । वन क्षेत्र में रोपित पौधों की सुरक्षा के लिये, सुरक्षा श्रमिक एवं वन समितियों के माध्यम से सुरक्षा कार्य किया जा रहा है, जबकि सामुदायिक भूमि, स्कूल, कालेज एवं निजी भूमियों में रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रखरखाव तथा सिंचाई, संबंधित संस्था/ व्यक्तियों द्वारा की जा रही है । अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । सामुदायिक एवं निजी भूमि में रोपित किये गये पौधों की प्रजातिवार संख्या उपलब्ध नहीं है । रोपित पौधों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभागीय रोपण में वन क्षेत्र में सुरक्षा श्रमिक लगाकर एवं वन समितियों के माध्यम से तथा सामुदायिक भूमि, स्कूल, कालेज एवं निजी भूमियों में सुरक्षा संबंधित संस्था/ व्यक्तियों द्वारा की जा रही है ।

भो.वि.प्रा. की एयरोसिटी योजना में अनियमितता

109. **(क्र. 1300) श्री हर्ष यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि भोपाल विकास प्राधिकरण की एयरोसिटी योजना में स्टील खरीदी अनियमितता की जानकारी/शिकायत प्राधिकरण के संज्ञान में आई है ? यदि हॉ तो अनियमितता का विवरण, शिकायत व अब तक की गई सम्पूर्ण कार्यवाही-जॉच आदि का विवरण उपलब्ध करावें ? (ख) एयरोसिटी योजना के 141 डुप्लेक्स निर्माण में उपरोक्त स्टील खरीदी में प्रथम दृष्टया कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये हैं ? उनके विरूद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि आरोपी/दोषी कार्यपालक यंत्री को अब भी एयरोसिटी योजना में पदस्थ रखा गया है ? क्यों ? कब तक उक्त आरोपी/दोषी कार्यपालन यंत्री को सम्पूर्ण एयरोसिटी योजना से हटाया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) क्या प्राधिकरण द्वारा उक्त अनियमितता की जॉच हेतु कोई समिति गठित कर कार्यवाही की गई है ? किस आधार पर ? क्या शासन स्तर पर विचार कर इस गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार की जॉच हेतु किसी अन्य विभाग के तकनीकी अधिकारियों से जॉच कराकर दोषियों को दंडित करेगा ? यदि हॉ तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) से (घ) भोपाल विकास प्राधिकरण द्वारा एयरोसिटी योजना के लिए स्टील नहीं खरीदी गई है । एयरोसिटी योजना के अंतर्गत 141 डुप्लेक्स निर्माण योजना के लिए निर्माण ऐजेंसी को स्टील क्रय के विरूद्ध सुरक्षित अग्रिम (सिक्र्योड एडवांस) दिये जाने में अनियमितता के लिये श्री राजीव जैन, अधीक्षण यंत्री, श्री आर.पी. दुबे, कार्यपालन यंत्री, श्री जे.पी.एस. अरोरा, सहायक यंत्री, श्री आरिफ खान, श्री राकेश जैन, उपयंत्री के विरूद्ध मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा (अधिकारी तथा सेवक) भर्ती नियम, 1988 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्यवाही संस्थित की गई है ।

स्थानांतरण के उपरांत भारमुक्त किया जाना

110. **(क्र. 1302) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन 11) म.प्र. भोपाल के आदेश क्रं./मुख्या./स्था./451 भोपाल दिनांक 15.06.2010 द्वारा वन मण्डल शिवपुरी में पदस्थ मानचित्रकार श्री चन्द्रकांत निगम का स्थानांतरण शिवपुरी वनवृत्त से कार्य आयोजना बालाघाट मुख्यालय जबलपुर किया गया था ? (ख) यदि हॉ, तो क्या आदेश के पालन में श्री निगम को स्थानांतरण पदस्थी पर भारमुक्त किया गया । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त स्थानांतरण आदेश निरस्त किया गया तो किस आदेश एवं दिनांक से अवगत करावें ? (ग) यदि स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया गया है तो श्री निगम वन मण्डल शिवपुरी में किस हैसियत से पदस्थ रहकर सेवारत है । क्या श्री निगम को जबलपुर के लिए भारमुक्त किया जायेगा या नहीं ? (घ) स्थानांतरण पर भारमुक्त न करने के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या शासन ऐसे जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगा, यदि हॉ तो कब तक ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हॉ । (ख) एवं (ग) जी नहीं । शिवपुरी वनमंडल में अधिक वनक्षेत्र होने के कारण मानचित्रकार शाखा के कार्यों के सुचारू संचालन हेतु श्री चन्द्रकान्त निगम, मानचित्रकार को भारमुक्त नहीं किया गया। उक्त स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया गया है । (घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>**धार्मिक स्थलों का विकास**</u>

111. **(क्र. 1313) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया एवं पन्ना जिले में धार्मिक न्यासों, स्थानों एवं मन्दिरों के विकास एवं सुधार के लिए वर्ष 2011 से प्रश्न दिनॉक तक कितनी-कितनी राशि आवंटित की गई है ? जिलेवार एवं हेडवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में क्या हिन्दू धर्म के अतिरिक्त भारत के अन्य धर्मों को भी उक्त अनुसार राशि आवंटित की गई है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में अमरकंटक, बाणगंगा, विरसिंहपुर, देउर कोठार, चिरहुला मन्दिर, भरहुत, रामवन, चित्रकूट, मैहर के लिए क्या स्पेशल पैकेज प्रदान किए गए हैं ? यदि हॉ, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो कब तक दिये जाने के प्रस्ताव हैं ? (घ) प्रश्नांश (क) , (ख) एवं (ग) के परिपालन में कोई अधिकारी अपराध व शिकायत से दण्डित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक दण्डित किए जाएँगे ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) रीवा, सतना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया एंव पन्ना के मंदिरों के विकास के लिए निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई हैः-

क्रं.	जिले का नाम	आंवटित राशि	हेड
1	पन्ना	14,55,000/-	मांग संख्या
51-2250-6292	2	अनूपपुर	निरंक
निरंक	3	शहडोल	निरंक
निरंक	4	सतना	निरंक
निरंक	5	रीवा	
7,51,000/-	मांग संख्या	51-2250-6292	6
उमरिया	17,00,000/-	मांग संख्या	51-2250-6292

(ख) शासन संधारित धार्मिक स्थलों को जीर्णोद्धार हेतु राशि उपलब्ध कराई जाती है । (ग) एंव (घ) जी नहीं।

<u>**अनु. जाति/जनजाति के संविदाकारों को कार्य दिये जाने बावत्**</u>

112. **(क्र. 1314) श्रीमती शीला त्यागी :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रीवा एवं शहडोल संभाग में अनु. जाति एवं जनजाति के संविदाकारों के लिए टेण्डरों में किन-किन जिलों में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है ? (ख) प्रश्नांश (क) के सन्दर्भ में कौन-कौन से जिले में कितने-कितने कार्यों के टेण्डर विगत एक वर्ष में विज्ञापित किए गये जिलेवार सूची उपलब्ध कराएँ ? (ग) प्रश्नांश (ख) के संदर्भ में क्या 25% के कार्यों का पालन किये है ? (घ) प्रश्नांश (क) , (ख) एवं (ग) के परिपालन में जिन अधिकारियों ने आरक्षण का पालन नहीं किया, उनके विरूद्ध कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ? कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार । (ग) 2.00 लाख की लागत तक के कार्यो की निविदाओं में अनु.जाति एवं जन जाति के संविदाकारों के लिये 20 प्रतिशत आरक्षण का नियम है । 2.00 लाख से अधिक लागत की निविदाओं में आरक्षण का नियम नहीं है । (घ) उत्तरांश क, ख, ग के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>**उज्जैन शहर का मास्टर प्लान**</u>

113. **(क्र. 1323) डॉ. मोहन यादव :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर का मास्टर प्लान कब, किस दिनांक को पूर्ण होकर लागू किया गया ? मास्टर प्लान निर्माण समिति के सदस्यों के नाम सहित जानकारी दें ? मास्टर प्लान तैयार करने में कितना खर्च आया ? मास्टर प्लान तैयार करते समय शहर की किन-किन बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया गया ? क्या इस संबंध में किसी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी ? यदि हां, तो बैठक की दिनांक तक जनप्रतिनिधियों द्वारा दी गई राय से अवगत करावें ? (ख) क्या यह सही है कि पूर्व में उज्जैन शहर के मास्टर प्लान में क्षिप्रा तट से 50 मीटर की दूरी तक के निर्माण की अनुमति थी, किन्तु वर्ष 2006 के स्वीकृत मास्टर प्लान में अब क्षिप्रा तट से 200 मीटर तक निर्माण कार्य नहीं किए जा सकने का प्रावधान करवाया गया है, तथा पूर्व के निर्माण कार्यों को भी अवैध माना गया है ? परिणाम स्वरूप लगभग 400 ईंट भट्टो के बंद होने तथा लगभग 10000 कर्मकार बेरोजगार हो गये हैं ? (ग) क्या यह सही है कि अकारण ही क्षिप्रा तट से हजारों नागरिकों को बेघर किया जा रहा है ? इस संबंध में कितने नोटिस जारी किए गए ? (घ) प्रश्नांक (ख) के संदर्भ में दूरी को कम करने के लिये कितने ज्ञापन एवं जनप्रतिनिधियों के पत्र विभाग को प्राप्त हुऐ ? उन पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? उक्त कार्यवाही में क्षिप्रा तट से 200 मीटर तक विस्थापित किये गये नागरिकों के रोजगार एवं गृह निर्माण हेतु शासन से क्या-क्या सुविधाऐं प्राप्त हुई ? अवगत करावें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) दिनांक 16.06.2006 से उज्जैन नगर की पुनर्विलोकित विकास योजना प्रभावशील की गई । विकास योजना का कार्यदल जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । मास्टर प्लान विशिष्ट तैयार करने के लिए व्यय संबंधी जानकारी पृथक से संधारित नहीं की जाती है । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । जी हां । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । (ख), (ग) एवं (घ) जी नहीं, पुनर्विलोकित विकास योजना में क्षिप्रा नदी से 200 मीटर की दूरी तक हरित क्षेत्र प्रावधानित है । पूर्व से स्वीकृत निर्माण अवैध निर्माण की श्रेणी में नही आते है । हरित क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बिना स्वीकृति के अवैध 13 ईट भट्टों के विरूद्ध म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम,1973 की धारा 36 के अंतर्गत नोटिस जारी किये गये । हरित क्षेत्र की दूरी कम करने के लिये एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस पर विभाग द्वारा विचार कर प्रस्ताव निरस्त किया गया है । अवैध निर्माण हटाने के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विस्थापन की नीति नहीं है ।

<u>**उज्जैन, इंदौर संभाग में बंद कपड़ा मिलें**</u>

114. **(क्र. 1324) डॉ. मोहन यादव :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) उज्जैन, इंदौर संभाग की कब-कब, कहॉ-कहॉ कपड़ा मिल बंद हैं ? दिनांक सहित श्रमिकों की जानकारी सहित अवगत करावें ? (ख) उज्जैन के विनोद/विमल मिल में इंदौर के हुकुमचंद मिल तथा रतलाम के सज्जन मिल में श्रमिकों के वेतन एवं पेंशन के लिये बकाया राशि कब-कब कितनी-कितनी बार प्रदान की गई ? इनमें कितने श्रमिकों की बकाया राशि दी जाना शेष है ? इस संबंध में शासन की क्या नीति है ? (ग) क्या यह सही है कि उज्जैन विनोद/विमल मिल में लगभग 10 हजार श्रमिकों के वेतन भत्ते, पेंशन, ग्रेजुअटी आदि से संबंधित प्रकरण एवं भुगतान आज भी लंबित है ? इस संबंध में शासन द्वारा कब-कब बैठक कर इनके भुगतान के विषय में क्या-क्या निर्णय लिये गये ? (घ) क्या यह सही है कि उज्जैन विनोद/विमल मिल में लगभग 10 हजार कर्मचारियों में से लगभग 5 हजार कर्मचारी वेतन और भत्ते के इंतजार में उनका निधन हो गया है ? ऐसी कोई जानकारी श्रमिकों की जीवितता के संबंध में हो तो वह

उपलब्ध करावे ? क्या यह भी सही है कि विनोद मिल की करोड़ो की जमीन होने के बावजूद अधिकारियों द्वारा उसे नीलाम और बेचा नहीं जा रहा है ? क्या विनोद मिल की करोड़ो की जमीन बेचकर श्रमिकों का भुगतान नहीं किया जा सकता है ? यदि हॉ, तो कब तक अवगत करावे ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है । (ग) माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा कंपनी पिटीशन 12/92 में पारित आदेश दिनांक 20.11.98 से विनोद/विमल मिल का निर्णय लिया जाकर शासकीय परिसमापक की नियुक्ति की जा चुकी है । शासकीय परिसमापक द्वारा ही श्रमिकों के वेतन भत्ते, पेंशन ग्रेच्युटी आदि से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाना है । श्रमिकों के समस्त बकाया देयकों के भुगतान की जवाबदारी शासकीय परिसमापक की होने से राज्य शासन से कोई कार्यवाही नहीं की जाना है । (घ) विनोद/विमल में माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर द्वारा कंपनी पिटीशन 12/92 में पारित आदेश दिनांक 2011.98 के अनुसार शासकीय परिसामापक नियुक्त होने से श्रमिकों के देय स्वत्यों से संबंधित समस्त जानकारी शासकीय परिसमापक से संबंधित है, विभाग से संबंधित नहीं है । शासकीय परिसमापक इन्दौर से प्राप्त जानकारी अनुसार जहॉ तक मिल की जमीन के नीलाम एवं उसे बेचे जाने का प्रश्न है ज्ञातव्य है कि इस प्रकरण में मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक अपील 2/2004 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर की युगलपीठ मे प्रस्तुत की गई है, जिस पर मानननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.4.2004 को स्थगन आदेश पारित किया गया है तब से मिल की भूमि से संबंधित प्रक्रिया माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर युगलपीठ में विचाराधीन है ।

परिशिष्ट -"उन्सठ"

<u>सड़कों की खस्ता हालत</u>

115. **(क्र. 1330) श्री मुकेश नायक :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के पवई विधान सभा क्षेत्र में निर्मित टिकरिया- बुधरौड़ रोड़, टॉई- गुजईया रोड़ और अमानगंज- इटौरी रोड़ के निर्माण के कुल कितनी लागत आई और इन सड़कों का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तथा कब पूरा हुआ ? (ख) क्या यह सही है कि वर्तमान में इन तीनों सड़कों की हालत खस्ता है ? सड़कें जगह-जगह से टूट-फूट गई हैं, क्योंकि इनके निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया ? (ग) छोटे कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता में बनाये रखने और समय-समय पर निर्माण कार्य की जांच करने के संबंध में विभाग क्या कार्यवाही करता है और नवनिर्मित सड़कों के टूट-फूट जाने पर ठेकेदारों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है ? पवई विधान सभा क्षेत्र की उपरोक्त तीन सड़कों की खस्ता हालत के लिये विभाग ने क्या जांच की और किनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार । (ख) जी नहीं । शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) एम.ओ.आर.टी.एच. द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री का परीक्षण किया जाता है तथा उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है । अनुबंध के प्रावधान अनुसार परफारमेंस गारंटी अवधि तक संबंधित ठेकेदार से संधारण कार्य कराया जाता है । वर्तमान में तीनों सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है अत: अग्रिम कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -"साठ"

<u>**नरसिंहपुर जिले में जैव विविधता के कार्य**</u>

116. **(क्र. 1336) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष, 2009-10 से मई, 2014 तक नरसिंहपुर जिले में जैव विविधता के अंतर्गत कितने कार्यक्रम चलाये गये एवं किन-किन स्थानों पर जैव विविधता के संबंध में कितनी-कितनी भूमि आवंटित एवं चिन्हित की गई ? (ख) उपरोक्त अवधि में जैव विविधता के संबंध में कितनी-कितनी राशि किस-किस मद से खर्च की गई ? (ग) विगत वित्तीय वर्ष, 2013-14 में नरसिंहपुर जिले में कितनी हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य हेतु किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई ? (घ) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में उल्लेखित अवधि में वृक्षारोपण कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है ? कितने पौधे लगाये गये थे व उनमें से कितने जीवित हैं, वर्षवार स्थानवार जानकारी देवें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । जैवविविधता के संबंध में कोई भूमि आवंटित एवं चिन्हित नहीं की गई है । **(**ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । **(**घ) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट -''इकसठ''

<u>**नरसिंहपुर वि.स. क्षेत्र में रोजगार मेला**</u>

117. **(क्र. 1337) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) वर्ष, 2012-13 एवं वर्ष, 2013-14 में कितने रोजगार मेला कहां-कहां और कब-कब आयोजित किये गये ? (ख) रोजगार मेला में वर्ष, 2012-13 एवं वर्ष, 2013-14 में कितने बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ ? (ग) क्या नरसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष, 2015 में रोजगार मेला आयोजित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब और कहां ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट - एक एवं दो अनुसार है । (ख) वर्ष 2012-2013 में 51788 एवं 2013-2014 में 51346 बेरोजगार युवकों को रोजगार प्राप्त हुआ। (ग) जी हॉ, वर्ष 2015 में दिनांक 19/02/2015 को रोजगार मेला, जिला रोजगार कार्यालय, नरसिंहपुर के प्रांगण में आयोजित किया जावेगा।

<u>**बैतूल में आवंटित भूमि**</u>

118. **(क्र. 1341) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) बैतूल जिले के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र बैतूल के लिये कुल कितनी भूमि का आवंटन किया गया है ? किस प्रकार के उद्योग को कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाती है ? भूमि का क्षेत्रफल आवंटित किए जाने के क्या नियम है ? (ख) किस-किस उद्योग के लिये किस-किस संस्था को कितनी-कितनी भूमि का आवंटन कहॉ-कहॉ एवं किस वर्ष में किया गया है ? (ग) क्या यह सही है कि काफी उद्योग जिन्हें भूमि आवंटित है काफी समय से बंद हैं ? यदि हॉ, तो कौन-कौन से उद्योग कब से बंद है ? (घ) बैतूल जिला मुख्यालय पर उद्योग लगाने के लिए भूमि आवंटन हेतु कितने व्यक्तियों द्वारा आवेदन दिए गए हैं, तथा इनमें से किन-किन व्यक्तियों को अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है और क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) बैतूल जिले के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र बैतूल में कुल 226.98 एकड़ भूमि आवंटित है । औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों के लिये भूमि का आवंटन म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2008 में निहित प्रावधान अनुसार किया जाता है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र -1 अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । (घ) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बैतूल में भूमि आवंटन के कोई आवेदन लंबित नहीं है । अत: प्रश्नांश से संबंधित जानकारी निरंक है ।

बैतूल जिले में निर्माण कार्यों का भुगतान में विलम्ब

119. **(क्र. 1344) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल जिले में निर्माण संबंधित कार्यों में ऐसे कितने कार्य है ? जिनका भुगतान जून 2014 से अभी तक लंबित है ? (ख) क्या यह सही है कि भुगतान न होने से कार्य प्रभावित हो रहे हैं ? यदि हॉ, तो भुगतान हेतु कब तक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी ? एवं कब तक कार्य पूर्ण करा लिए जाएंगे ? (ग) बैतूल जिले में सितम्बर 2014 से अभी तक मार्गों की मरम्मत के लिए कितनी राशि लोक निर्माण विभाग बैतूल को उपलब्ध कराई गई है ? (घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ? तथा कब तक राशि उपलब्ध करा दी जावेगी ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार । (ख) जी हॉ । समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं । आवंटन की उपलब्धता के आधार पर कार्य पूर्ण कराये जायेंगे । (ग) राशि रू. 87.00 लाख । (घ) प्रश्नांश ''ग'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट -''बासठ''

बैतूल जिले में खेल अधिकारी की पदस्थापना

120. **(क्र. 1345) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) क्या बैतूल जिले में खेल अधिकारी का पद काफी लंबे समय से रिक्त है ? (ख) यदि हॉ, तो कब तक खेल अधिकारी की पदस्थापना बैतूल जिले में कर दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) जी नहीं । जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी छिन्दवाड़ा को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है । (ख) प्रश्नांश "क" के प्रकाश में प्रश्न हीं उपस्थित नहीं होता है।

महिदपुर वि.स. क्षेत्र के मार्गों का निर्माण

121. **(क्र. 1347) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या लोक निर्माण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वि.स. क्षेत्र महिदपुर स्थित कुंडीखेड़ा से खेड़ा खजूरिया मार्ग पर वर्ष 2013 में वार्षिक संधारण मद 140 लाख रू. एवं झारड़ा, गेलाखेड़ी, नागपुरा मार्ग पर इसी मद से अलग-अलग ठेकेदारों द्वारा संधारण किए जाने के बाद भी मार्गों की स्थिति अत्यंत खराब है ? यदि हां, तो कारण स्पष्ट करें ? (ख) उपरोक्त मार्गों का निर्माण संधारण के 1 वर्ष पूर्व होना ही बताया गया है, फिर संधारण के बाद भी मार्ग की दुदर्शा के दोषी अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताएं ? (ग) इन अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही होगी ? समय सीमा बताएं ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री सरताज सिंह) : (क) जी हॉ । कुण्डीखेडा से खेडाखजुरिया मार्ग का संधारण कार्य पूर्ण न करने एवं निर्मित भाग का रखरखाव न करने के कारण तथा झारडा गेलाखेडी नागपुरा मार्ग पर परफारमेंस ग्यारंटी में आवश्यक मरम्मत समय पर न करने के कारण मार्ग खराब हुआ है । (ख) जी नहीं । कुण्डीखेडा से खेडाखजुरिया के 18.00 कि.मी. का निर्माण वर्ष 2010 में तथा इस भाग के संधारण का ठेका वर्ष 2013 में तय किया गया था । झारडा गेलाखेडी मार्ग के 3.80 कि.मी. का निर्माण वर्ष 2010 में तथा इस भाग के संधारण का ठेका वर्ष 2013 में तय किया गया था । परफारमेंस ग्यारंटी की अवधि में ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं करने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार दण्डित कार्यवाही की जा रही है । अत: कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं है । (ग) उपरोक्त ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

उद्योग की स्थापना

122. **(क्र. 1348) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) महिदपुर रोड़ स्थित शुगर मिल का कुल भूमि रकबा बताएं ? इसमें नये उद्योगो के लिए शासन क्या कार्यवाही कर रहा हैं ? महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उद्योगों के क्या नीति हैं ? (ख) महिदुपर रोड़ स्टेशन के निकट होने से उद्योग विकास की संभावनाओं का दोहन करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही हैं ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) महिदपुर रोड स्थित शुगर मिल की कुल भूमि का रकबा 43.46 हेक्टेयर है । उक्त भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित होने के पश्चात नये उद्योगों की स्थापना हेतु कार्यवाही की जायेगी । महिंदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिये पृथक से उद्योग नीति नहीं है किन्तु उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत मध्यप्रदेश के सभी क्षेत्रों के उद्योगों को उनकी पात्रतानुसार सुविधायें प्रदान की जाती हैं। (ख) महिंदपुर शुगर मिल की भूमि उद्योग विभाग को प्राप्त होने पर उद्योग विकास की संभावनाओं का दोहन कर उद्योग स्थापित करने की कार्यवाही की जावेगी।

नगर पंचायत करनावद जिला देवास के तत्कालीन सी.एम.ओ के विरूद्ध की गई कार्यवाही

123. **(क्र. 1353) श्री बाला बच्चन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-25 (क्र. 1115) दिनांक 27.02.2012 के सन्दर्भ में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा नगर पंचायत करनावद जिला देवास के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरूद्ध की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति बतायें ? यदि उत्तर दिनांक तक जॉच की कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई तो इसके लिए दोषी कौन हैं ? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? यदि जॉच पूर्ण हो गई हो, तो जॉच का विवरण देवें ? (ख) नगर पंचायत करनावद जिला देवास के तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.एस.जाट के विरूद्ध लोकायुक्त में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक जा.प्र.376/11 के संबंध में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई हैं ? (ग) नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी सी.एस.जाट के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों एवं लोकायुक्त के प्रकरण क्रमांक 376/11 में की गई जांच को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ? यदि जांच पूरी हो गई तो प्रकरण की अद्यतन स्थिती की जानकारी दें ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 4-9/2013/18-3 दिनांक 07/10/2014 द्वारा नगर परिषद करनावद के तत्कालीन प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की एक-एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी गई है । (ग) उत्तरांश ''क'' एवं ''ख'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल स्वीकृत पद

124. **(क्र. 1355) श्री बाला बच्चन :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजधानी परियोजना प्रशासन भोपाल में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीयों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं इसके विरूद्ध कितने पद रिक्त हैं ? पद नाम सहित देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सेवारत कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता का विवरण उपलब्ध कराए ? (ग) उपरोक्त (क) अनुसार रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर ली जायेंगी ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ''ब'' अनुसार है । (ग) समय सीमा नियम नहीं की गई है ।

नगर निगम भोपाल द्वारा स्थापित पुरस्कार

125. **(क्र. 1362) श्री विजय सिंह सोलंकी :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नगर निगम भोपाल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों ओर विधाओं में कितने और किस-किस नाम पर पुरस्कार देने का प्रावधान हैं ? (ख) अभी तक ये पुरस्कार किस-किस वर्ष में किस-किस व्यक्ति को दिये गये हैं ? उनके नाम, पुरस्कार के रूप में क्या दिया गया यह भी बतावें ? (ग) यदि पुरस्कार प्रदान करने की निरंतरता में अवरोध आया हैं ? तो कारण बतावें ? (घ) अवरोध के कारण यदि पुरस्कारों का वितरण नहीं हो पाया तो कब तक कर दिया जायेगा ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ग) जी हॉ। प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण पुरूस्कार प्रदान करने की निरन्तरता में अवरोध आया है । (घ) प्रस्ताव प्राप्त होने पर सक्षम स्वीकृति उपरांत पुरूस्कार वितरण किया जा सकेगा, समयसीमा बताया जाना संभवन नहीं है ।

परिशिष्ट -''तिरसठ''

घोड़ाडोंगरी को नगरीय दर्जा

126. **(क्र. 1371) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या नगरीय विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में कितने नगरीय निकाय है ? (ख) घोड़ाडोंगरी, शाहपुर (बैतूल) को नगरीय निकाय में शामिल हेतु कोई प्रस्ताव है ? (ग) ग्राम पंचायत को नागरिक दर्जा देने हेतु कितनी जनसंख्या का प्रावधान है ? (घ) क्या आदिवासी क्षेत्र में नगरीय निकाय में जनसंख्या में छूट का प्रावधान है ?

नगरीय विकास मंत्री (श्री कैलाश विजयवर्गीय) : (क) दी । (ख) जी नहीं । (ग) अधिसूचना क्रमांक 64 एफ 1-19/2009/अट्ठराह-3 दिनांक 27 दिसम्बर 2011 के अनुसार नगर परिषद के गठन हेतु न्यनतम 20,000 जनसंख्या का मापदण्ड निर्धारित है । (घ) जी नहीं।

घोड़ाडोंगरी में स्वरोजगार की जानकारी

127. **(क्र. 1372) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) घोड़ाडोंगरी (बैतूल) में विगत एक वर्ष में कितने स्वरोजगार हेतु प्रकरण स्वीकृत हुये ? (ख) म.प्र. शासन द्वारा कितनी रोजगार हेतु योजनायें चलाई जा रही है ? (ग) म.प्र. शासन द्वारा कितने बेरोजगारों को लाभ दिया गया है ? (घ) लाभांवित बेरोजगारों की वर्ष 2011-2014 की संख्या बतावें ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) 20 प्रकरण स्वीकृत हुये। (ख) विभाग द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना संचालित है । (ग) एवं (घ) गत तीन वर्षो में विभाग द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के अतंर्गत 1143 बेरोजगारों को लाभ दिया गया है ।

श्रमिकों को ई-पेमेंट के द्वारा भुगतान

128. **(क्र. 1374) श्री मधु भगत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वन विभाग ने श्रमिकों को ई-पेमेन्ट के भुगतान के लिए क्या व्यवस्था लागू की है ? इस संबंध में जारी परिपत्र उपलब्ध कराया जायें ? जबलपुर संभाग में जनवरी 2014 के बाद अभी तक कुल कितने नये श्रमिकों को ई-भुगतान के अंतर्गत लिया गया है ? (ख) श्रमिकों को ई-पेमेंट के संबंध में विभाग द्वारा किस संस्था से अनुबंध किया गया है ? अनुबंध की शर्तें क्या है ? (ग) जबलपुर संभाग के अन्तर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समितियों की कितनी समितियों में निर्वाचित अध्यक्ष कार्य कर रहें हैं ? कितनी समितियों के खातों का लेखा ऑडिट हुआ है ? समितियों के विकास खाते में मार्च 2014 तक की स्थिति में कितनी राशि जमा है ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) प्रश्नांकित व्यवस्था संबंधी परिपत्र पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । कुल 4482 नये श्रमिक । **(**ख) वन विभाग के द्वारा किसी भी संस्था से अनुबंध नहीं किया गया है अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । **(**ग) प्रश्नांकित संभाग में 4467 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों में निर्वाचित अध्यक्ष कार्य कर रहे हैं । 3308 समितियों के खातों का लेखा ऑडिट हुआ है । विकास के खाते में मार्च 2014 की स्थिति में राशि रूपये 10,11,42,593/- जमा थी।

बुंदेलखण्ड पैकेज अंतर्गत आवंटित राशि का उपयोग

129. **(क्र. 1375) श्री मधु भगत :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बुंदेलखंड पैकेज के अंतर्गत वन मुख्यालय से 21 मार्च 2014 से 31 मार्च 2014 की अवधि के दौरान फील्ड इकाईयों को कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गई ? वनमंडलवार बतायें ? (ख) इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र किस दिनांक को जारी किया गया ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) बुन्देलखंड पैकेज के अंतर्गत वन मुख्यालय से प्रश्नाधीन अवधि में फील्ड इकाईयों को राशि का आबंटन नहीं किया गया है । शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>**प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही**</u>

130. **(क्र. 1378) श्री उमंग सिंघार :** क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता द्वारा सी.सी.एफ. स्तर की महिला अधिकारी की मानसिक प्रताड़ना की जांच के लिए वन मंत्री को दिनांक 05.11.2014 को पत्र लिखा है ? उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही गई है ? (ख) मानसिक प्रताड़ना देने वाले अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एल.के. चौधरी के खिलाफ किस महिला अधिकारी से जांच कराई जा रही है ? उनका नाम और पदनाम बतायें ?

वन मंत्री (डॉ. गौरीशंकर शेजवार) : (क) जी हॉ । उक्त पत्र में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश के अधीन जांच चाही गई है, शिकायत उक्त दिशा-निर्देश की परिधि में नहीं आने के कारण शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

<u>**ए.के.वी.एन. में हुये 714 करोड़ के घोटालों के दोषियों पर कार्यवाही**</u>

131. **(क्र. 1379) श्री उमंग सिंघार :** क्या उद्योग मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेंगी कि (क) ए.के.वी.एन. में नियम विरूद्ध औद्योगिक घरानों को बांटे गये 714 करोड़ रूपये में से अब तक कितनी राशि की वसूली की गई ? किन-किन औद्योगिक संस्थाओं से कितनी-कितनी राशि वसूल की जाना है ? क्या वसूली को लेकर प्रकरण अदालत में लंबित है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी कंपनियां हैं ? कंपनियों के नाम व पता सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) ए.के.वी.एन. में 714 करोड़ के ऋण घोटाले मे अब तक किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई ? इसी मामले में क्या सुधिरंजन मोहंती के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज है ? यदि हां, तो अब तक उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया) : (क) ए.वी.एन (वर्तमान नाम एम.पी.एस.आई.डी.सी.) न कि ए.के.वी.एन. जैसा कि प्रश्न ''क'' में उल्लेखित है । वित्तीय वर्ष 1994 से 2002 के मध्य एमपीएसआईडीसी द्वारा 56 कंपनियों को मूलधन के रूप में राशि रू.663.37 करोड़ इन्टर कार्पोरेट डिपोजिट/ऋण के रूप में वितरित किये गए थे। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण दर्ज करते समय निगम को 42 कंपनियों से राशि रू. 719.00 करोड़ (मूलधन लगभग रू. 380.00 करोड़ एवं ब्याज लगभग रू. 339.00 करोड़) वसूलना शेष थे । दिनांक 30/09/2014 की स्थिति में निगम द्वारा कुल राशि रू. 538.95 करोड़ (मूलधन राशि रू. 379.53 करोड़ ब्याज राशि रू. 159.42 करोड़) की वसूली की गई है । दिनांक 31/10/2014 की स्थिति में 28 बकायादार कंपनियों से कुल मूलधन राशि रू. 283.84 करोड़ एवं उस पर ब्याज की वसूली की जाना है । इन कंपनियों के नाम, पता, बकाया राशि अदालत में लंबित प्रकरणों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) ए.व्ही.एन. 714 करोड़ के ऋण घोटाले के संबंध में दर्ज अपराध क्रमांक-25/04धारा-409,420,467,468,120बी भादवि एवं 13 (1) डी सहपठित 13 (2) भ्र.नि.अधिनियम 1988 की विवेचना के दौरान निम्न अधिकारियों के विरूद्ध अभियोग-पत्र प्रस्तुत किये जा चुके हैं:- 1.श्री राजेन्द्र सिंह तत्कालीन अध्यक्ष, एमपीएसआईडीसी 2. श्री अजय आचार्य, तत्कालीन संचालक, एमपीएसआईडीसी 3.श्री एम.पी. राजन, तत्कालीन प्रबंध संचालक, एमपीएसआईडीसी 4. श्री जे.एस. राममूर्ति, तत्कालीन संचालक एमपीएसआईडीसी 5. श्री नरेंन्द्र नाहटा, तत्कालीन अध्यक्ष, एमपीएसआईडीसी 6. स्व. श्री एम.एल. स्वर्णकार, तत्कालीन महाप्रबंधक, एमपीएसआईडीसी । जी हां, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.02.2011 के परिप्रेक्ष्य में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो द्वारा श्री मोहंती के प्रकरण में पुन: विवेचना की जा रही है ।